राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8]   तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का बावनवां दिवस   [संख्या : 19

बुधवार,

18 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आज तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जिस तरह से अवमानना करने वाले एक सदस्य का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बाबूसिंह राठौड़। अंकित नहीं होगा। आपका अंकित नहीं होगा। क्वेश्चन आवर चलेगा, उसके बाद आप कुछ भी कहिये। आपको जो भी बोलना है, क्वेश्चन आवर के बाद बोलिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बाबूसिंहजी। माननीय मंत्रीजी। अंकित नहीं होगा, आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

शेरगढ़ (जोधपुर) तहसील क्षेत्र के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

425. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नये डिपो/आगार स्वीकृत करने के क्या मानदंड हैं?

(2) वर्तमान में जोधपुर सम्भाग में कुल कितने डिपो/आगार संचालित हैं? क्या उक्त डिपो/आगार निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं? उक्त में से कितने डिपो/आगार निर्धारित मानदंडों में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का नवीन डिपो/आगार स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त तहसील में निगम की बसों के संचालन हेतु नये बस मार्गों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2008 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) ने उक्त सम्बन्ध में निर्देश जारी किये, जिनमें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर आई समस्त पंचायत समितियों एवं प्रमुख ग्राम पंचायतों को निगम बस सेवा से जोड़ने का आदेश जारी किया गया था? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना में जोधपुर जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त आदेश की पालना में निगम बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) निगम मंडल के निर्णय संख्या 44/2009 के अनुसार वर्ष 2009 में नये आगार स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मानदंड परिशिष्ट '1' पर अवलोकनीय हैं।

(2) वर्तमान में जोधपुर सम्भाग में 8 आगार संचालित हैं जो सभी वर्ष 2009 से पहले के स्थापित किये हुए हैं। अतः वर्ष 2009 से पहले स्थापित उक्त आगारों की स्थापना के लिए निर्धारित मानदंडों में शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं रही।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(3) जी नहीं। प्रश्न के भाग-1 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट '1' में उल्लिखित डिपो स्वीकृत करने के मानदंडों के अनुसार जिला मुख्यालय पर ही डिपो खोले जा सकते हैं। शेरगढ़ जिला जोधपुर में स्थित है और जिला जोधपुर मुख्यालय पर निगम का डिपो वर्ष 1964 से स्थापित है। अतः तहसील शेरगढ़ में निगम की उक्तानुसार निर्धारित मानदंडों के अनुसार डिपो खोले जाने का विचार नहीं है।

(4) जोधपुर-शेरगढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग पर तीन अप व तीन डाउन कुल छह एकल परिचक्र संचालित हैं। इन बस सेवाओं को गत छह माह में प्राप्त हुई आय प्रति किलोमीटर एवं यात्री भार का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है। उपलब्ध हो रहे यात्री भार एवं आय प्रति किलोमीटर को देखते हुए और नई बस सेवाओं को चलाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(5) जी नहीं। अपितु दिनांक 22.12.2008 को प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बैठक ली जाकर यथा-सम्भव प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(6) निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पी.पी.पी. माडल पर अपनी बस सेवाओं का विस्तार कर अगले तीन वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बस सेवा से जोड़े जाने की बजट घोषणा वर्ष 2011-12 को क्रियान्वति करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबूसिंहजी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, खंड-5, ये परिवहन सेवाएं ग्राम पंचायतों को, रोडवेज की बस सुविधा सेवा भावना से या आय के अनुसार दी जाएगी? पहला।

खंड-6 में मैं यह पूछना चाहूंगा, यह चुनावी घोषणा-पत्र है कांग्रेस का, इसके अन्दर छह नम्बर पर सड़क परिवहन पर लिखा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर परिवहन सेवाओं का विस्तार करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 09 मार्च, 2011 को पैरा-182 में, ''आगामी वर्ष अपने बेड़े में एक हजार नई बसें शामिल करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा पी.पी.पी. माडल

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

पर अपनी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और अगले तीन वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जाएगा।'' यानी कि 2013 तक। अब माननीय मंत्री महोदय अभी प्रश्न में जवाब दे रहे हैं कि अपनी बस सेवाओं का विस्तार कर अगले तीन वर्षों में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ... (व्यवधान) हां, तो अब ये और तीन वर्षों में कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): वह तो घोषणा ही थी।

श्री उपाध्यक्ष: पहलवान जी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आगामी तीन वर्षों में जोड़ा जाएगा, तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह कथनी और करनी में अंतर क्यों है? इसकी निश्चित समय सीमा क्या है? और बस सेवा से कब तक ग्राम पंचायतों को आप जोड़ देंगे?

दूसरा, इसी में, परिवहन निगम में जो पिछला वित्तीय वर्ष है 2011-12, इसमें आपने परिवहन बेड़े में एक हजार नई बसें शामिल करने की बात कही है, तो इस वित्तीय वर्ष में आपने कितनी बसें खरीदीं?

प्रश्न तीन, इसी खंड में आगे आपने कहा कि समस्त ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़े जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अभी तक क्या प्रक्रिया अमल में लायी गयी? केवल मात्र जोधपुर में ही 339 ग्राम पंचायतों में से 208 रोडवेज बस सेवा से वंचित हैं, 208 हैं। 21.01.2012 को श्री संग्राम सिंह, मुख्य प्रबंधक, जोधपुर ने सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए योजना बनाई थी। प्रबंध निदेशक के आदेश पर सर्वे करवा कर रिपोर्ट मुख्यालय को उस समय भेजी गई थी। जब भी मुख्यालय से आदेश मिलेंगे, ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। तो ये कब तक बस सेवाओं से जोड़ेंगे, यह मुझे फरमायें।

उसके बाद दो प्रश्न और करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से यह जानकारी चाही है कि आय के अनुसार बस सेवा को ग्राम पंचायतों को जोड़े जाना, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह एक बहुत बड़ा फैसला लेकर जो पंचायतें बस सेवा से वंचित थीं, उनको जोड़े जाने के लिए यह कदम उठाया है। इसी क्रम में जो पंचायतें, चाहे वे

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पी.पी.पी. माडल पर जोड़ी जाए या रोडवेज महकमे द्वारा जोड़ी जाएं उन बसों से जोड़े जाने के लिए क्लस्टर इसके लिए बनाये जाकर उसके माध्यम से ये प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। यह प्रक्रिया वर्तमान में उदयपुर सम्भाग और भरतपुर सम्भाग के कई जिलों को जोड़ते हुए और जिला जयपुर के कोटपूतली को जोड़ते हुए प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसके लिए आगामी 07 मई को इसके बारे में इनके टेंडर खुलने हैं। वह प्रक्रिया पूर्ण होने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। इसमें विषय कहीं पर भी यह नहीं है कि आय होने पर ही बसें चलाई जाएंगी। यह जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय की दूरगामी सोच के साथ में यह विचार है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवायें, सस्ता और सुगम यातायात का साधन उपलब्ध करवायें। उस क्रम में यदि कोई ऐसा क्लस्टर पाया जाता है जहां पर चाहे आय कम हो, फिर भी उसका जो गैप होगा, उस वायबिलिटी गैप की फंडिंग राज्य सरकार के स्तर पर भी किये जाने का कार्य किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबूसिंहजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आपने कई प्रश्न किये हैं, मान्यवर, एक मिनट विराजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हां, तीन किये हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): दूसरी आपने बात फरमायी कि कब तक जोड़ा जाएगा, जो आपने आपकी तरफ से अभी विचार फरमाया, तो मैं आपके ध्यान में पुनः लाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण की प्रस्तुति के साथ में आगामी तीन वर्षों में ऐसी ग्राम पंचायतों को यथा सम्भव जोड़ा जाएगा, यह आगामी तीन वर्षों में है जिसकी क्रियान्विति के क्रम में, मैंने जैसा कि पूर्व में निवेदन किया कि उदयपुर सम्भाग और भरतपुर सम्भाग के कई जिले, यह प्रक्रियाधीन है, ग्यारह जिलों में यह कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

तीसरा आपने प्रश्न किया, यह आप बात फरमा रहे थे कि बसें आपने कितनी खरीदीं। एक हजार बसों की जो बात आ रही थी, उसमें से तो इसमें अभी तक 493 बसें हैं, जिनको कि हमने अभी शामिल कर लिया है। 364 नई खरीदी हैं और 129 अनुबंध पर ली गई हैं। अब इससे अगला आपने प्रश्न किया कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो आप यह किसके बारे में, मैंने

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

प्रक्रिया आपको पूर्व में निवेदन कर ही दी है कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्लस्टर के माध्यम से कार्य होगा।

आपने एक बात और फरमायी कि जोधपुर में जो वंचित ग्राम पंचायतें हैं, उनको जोड़े जाने की, मैंने जैसा कि पूर्व में निवेदन किया कि यह योजना, जैसा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी घोषणा के साथ में फरमाया था कि आगामी तीन वर्षों में तो चरणबद्ध तरीके से इसके लिए कार्य किया जाएगा। मैं अंत में माननीय सदस्य को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शार्ट में, छोटा जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं अंत में माननीय सदस्य को, ... (व्यवधान) आप विचार सुनें पहले, माननीय।

एक माननीय सदस्य: आप रहेंगे तब न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सरकार रहेगी, आदमी की छोड़िये आप। सरकार तो, आदमी की बात मत करिये, सरकार रहेगी, राजस्थान सरकार। पार्टी की बात कम करो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ... (व्यवधान) उम्र जानने और नहीं जानने का विषय छोड़ दीजिए, काम पर आइये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्वेश्चन आवर में पार्टी की क्या बात है? हां, फरमाओ आप। क्वेश्चन का जवाब थोड़ा छोटा करें, बड़ा बना रहे हो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (परिवहन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसी से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष: जोधपुर का मामला है, केवल जोधपुर का मामला है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (परिवहन मंत्री) : कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी सोच के साथ में यह फैसला लिया है कि हम ये सेवाएं उपलब्ध करवाये जाने के लिये प्रतिबद्ध हैं। जो रूट अभी नये खोले जाने के साथ में जो ग्राम पंचायतें वंचित हैं, उनको जोड़े जाने के लिये आप किसी प्रकार का संशय न रखें। इसको किये जाने के लिये हम कृत संकल्प हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबूसिंहजी राठौड़। (व्यवधान) आप बाद में।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है पहले वाले में ही कि वह निश्चित समय क्या है? तीन साल की समय सीमा बताई। दूसरा, मैंने दो प्रश्न के लिये और निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष: हां, हां, आप बताइये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर में बस स्टैण्ड पर बसें खड़ी करने की जगह नहीं है। इसी कारण क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के लिये बसों की सेवा वर्तमान में जोधपुर का राइका बाग़ बस स्टैण्ड छोटा पड़ने से पावटा सब्जी मंडी और राइका बाग़ को मिलाकर अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड बनाने का प्रस्ताव सी.एम.डी. मंजीत सिंह ने जोधपुर में बैठक दिनांक 27.1.2011 व मई-जून, 2011 में मुख्य सचिव एस. अहमद के माध्यम से अधिकारियों की बैठक कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड की स्वीकृति देने का विचार रखती है? क्योंकि बस स्टैण्ड नहीं होगा तो गांवों में बसें खड़ी रहने के लिये जगह नहीं है। एक प्रश्न यह है।

दूसरा, क्या यह भी सही है कि सी.एम.डी. की जोधपुर बैठक 27.1.2011 में ही जोधपुर में पांच सैटेलाइट बस स्टैण्ड बनाने के प्रस्ताव के निर्देश पर जोधपुर जोन में नियुक्त तत्कालीन महाप्रबन्धक आर.के. अग्रवाल ने मार्च, 2011 को सी एम डी को 5 सैटेलाइट बस स्टैण्ड के प्रस्ताव बनाकर भेजे? यदि हां, तो क्या जोधपुर में 5 सैटेलाइट बस स्टैण्डों की स्वीकृति देने का विचार रखती है? कब तक? नहीं, तो क्यों? दोनों का जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (परिवहन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जोधपुर में सैटेलाइट बस स्टैण्ड स्थापित किये जाने के बारे में जानकारी चाही है और आपने उसी में यह बात भी आपकी ओर से रखी है कि इस प्रकार की कोई बैठक भी इस बारे में आयोजित की गयी, मैं माननीय सदस्य को यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। फिर भी किन्हीं स्थान विशेष पर आवश्यकता के अनुरूप, जिस प्रकार वर्ष 2009 में एक नीति बनाई गई है, उस नीति को बनाये जाने के साथ में जैसे नये आगारों और नये डिपो को स्थापित करने के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

लिये निर्णय लिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जहां पर भी अगर ऐसा पाया जायेगा, तो उसका परीक्षण करवा लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सूर्यकान्ता जी। आपका क्या प्रश्न है?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी स्वयं विराजे हुए हैं, मुख्य सचिव ने स्वयं प्रस्ताव मंत्रिमण्डल को भिजवाया है। एम डी साहब प्रस्ताव वहां से लेकर यहां आये हैं। सारी कार्यवाही हो गयी है। याचिका भी कोर्ट के अन्दर लगी है। पहले भी मेरे सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड का कोई प्रस्ताव, सैटेलाइट बस स्टैण्ड का कोई प्रस्ताव नहीं है, जब कि प्रस्ताव जो गये हैं, इसके आदेश की कापी भी यहां पड़ी है। वहां से सी एम डी साहब ने प्रस्ताव मंगवा लिये, एस. अहमद साहब ने मीटिंग करके प्रस्ताव भिजवा दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के हालात को देखते हुए अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड और सैटेलाइट बस स्टैण्ड कब तक बनेंगे, यह आप फरमायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सूर्यकान्ता जी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैटेलाइट बस स्टैण्ड बनाने के लिये जिस समय हाउसिंग बोर्ड बना था तो उस समय हाउसिंग बोर्ड ने जगह भी चिह्नित की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी, उस जमीन को, वहां के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जमीन के लिये कह दिया, हमें जरूरत नहीं है और न वहां जाकर देखा। उसके बाद में वहां पर कालोनी कट गयी। कालोनी कटने के बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट बस स्टैण्ड वाले कोर्ट में गये और कोर्ट से केस जीत गये। कोर्ट से केस जीतने के बाद में वहां पर गये तो देखा कि वहां पर कालोनी बसी हुई है। यहां पर सदन के नेता भी विराजमान हैं, मैं मंत्रीजी से भी आपके माध्यम से चाहूंगी, यह क्या हो रहा है? इस तरीके से ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव के बारे में बिल्कुल मना कर रहे हैं, जबकि 17 जनवरी, 2012 का मैं आपको निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान) 17 जनवरी, 2012 को ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कहां बस स्टैण्ड बनेंगे? कहां रहेंगे लोग? वहां पर जोधपुर में बस स्टैण्ड की क्या हालत है, यह सदन के नेता से छिपा हुआ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों का एक साथ आ जायेगा, इनको बोलने दो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): नहीं, नहीं, आप फरमा रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं है, इसके लिये मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): प्रस्ताव है। कौन अधिकारी जिम्मेवार है, उसको पूछो। प्रस्ताव है, सारा लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): कि 17 जनवरी, 2012 को, प्रस्ताव है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी को बोलने दो। अब आपने कह दिया, प्रस्ताव है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हां, मैं कह रहा हूं, प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब आने दो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (परिवहन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य समाचार पत्र को आधार बनाकर यह जो बात रख रहे हैं, मैंने जैसा कि आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): समाचार पत्रों से नहीं है, कागजों में आपके है, रिकार्ड के अन्दर है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, आप विराजिये। इनका भी साथ आ जायेगा। बार-बार क्यों?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, सैटेलाइट ही जोधपुर का है तो फिर जोधपुर में स्टैण्डों की क्या जरूरत है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (परिवहन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, यदि इस प्रकार का कोई भी भविष्य में भी प्रस्ताव आयेगा तो उसका परीक्षण करवाया जायेगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आयेगा क्या, प्रस्ताव आया हुआ है। आयेगा क्या होता है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप एक ही बात को बार-बार नहीं पूछें। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): नहीं, नहीं, इनके चेयरमैन ने प्रस्ताव भेजा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, इसको मालूम करवाकर...(व्यवधान) माननीय अजय सिंहजी।

डेगाना के सेठ गंगाबिशन बंकटलाल हेडा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय हेतु बजट

426. **श्री अजय सिंह** (डेगाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना की सेठ गंगाबिशन बंकटलाल हेडा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय सत्र 2008-09 से स्व-वित्तपोषित योजना में चल रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय हेतु बजट स्वीकृत नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालय में वाणिज्य संकाय का बजट एवं पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां।

(2) जी हां। स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत संकायों के लिये समस्त आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय विद्यालय की विकास समिति द्वारा ही वहन किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी जाती है।

(3) जी नहीं। योजना के अनुसार समस्त आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय विद्यालय की विकास समिति द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन किया जाता है।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा सरकार प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर कब तक वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है जहां पर कक्ष एवं लैब की सुविधा है, जहां पर विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या है, जहां पर कुछ वर्षों से वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय चल रहे हैं? दूसरा मेरा प्रश्न है, वर्तमान में मेरे डेगाना विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है और यहां

(श्री अजय सिंह)

पर भी सिर्फ आटर्स फैकल्टी चल रही है। मेरा माननीय मंत्रीजी से दूसरा प्रश्न है कि डेगाना के एक मात्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरकार कब तक वाणिज्य संकाय हेतु बजट एवं पद स्वीकृति का विचार रखती है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे विद्यालय जिनमें कोई संकाय अथवा विषय काफी लम्बे समय से, यानी कि कई वर्षों से स्व-वित्तपोषित योजना के तहत संचालित किया जा रहा है, उनको, विशेष रूप से मुख्य मंत्रीजी की मंशा के अनुसार बालिका विद्यालयों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जायेगा। छात्रों की पर्याप्त संख्या एवं आधारभूत सुविधाएं जैसे कमरों की उपलब्धता, लैबोरेटरी व उपकरण उपलब्ध होने पर सरकार की ऐसी मंशा है कि वहां पर प्राथमिकता के आधार पर संकाय अथवा विषय खोले जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कोई पूरक प्रश्न है?

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय मंत्रीजी, डेगाना में तो इसी वर्ष से आप कर देंगे क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैंने आपसे निवेदन किया कि आपके स्व-वित्तपोषित बालिका विद्यालय को गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके प्रायोरिटी देंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संकाय खोलने में काहे का गुणावगुण? जब सारी सुविधाएं मौजूद हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रकान्ता मेघवाल।

प्रश्न संख्या-427

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सदस्य कह रहे हैं वहां ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें गुणावगुण काहे का हो गया?

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंह जी जाड़ावत।

चित्तौड़गढ़ के घोसुण्डा बांध के डूब क्षेत्र की भूमि का मुआवजा प्रकरण

428. **श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ स्थित घोसुण्डा बांध के डूब क्षेत्र में ग्राम पंचदेवला तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के किसानों की निजी खातेदारी भूमि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अवाप्त कर दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को अवार्ड जारी किया गया?

(2) क्या उक्त अवार्ड खातेदारगण द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के बाद हुए समझौते के अनुसार रिवाइज्ड अवार्ड जारी किये गये? यदि हां, तो क्या उक्त में सर्वश्री हरिराम, मोती, किशना, चूनिया पिता श्री बुदिया गुर्जर साकिन देह हिस्सा बराबर को मुआवजा व आवासीय भूखण्ड दिये जाने का समझौता हुआ?

(3) क्या समझौते अनुसार उक्त को मुआवजा दिया गया? क्या श्री हरिराम के सभी भाइयों को तो आवासीय भूखण्ड दिये गये किन्तु श्री हरिराम को आवासीय भूखण्ड से वंचित रखा गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त समझौते के उपरान्त भी प्रार्थी श्री हरिराम को आवासीय भूखण्ड से वंचित क्यों रखा गया?

(5) क्या सरकार समझौते के अनुसार श्री हरिराम को आवासीय भूखण्ड दिलाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) जी हां।

(2) जी हां। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य समझौता अनुसार रिवाइज्ड अवार्ड जारी किये गये और मुआवजा व आवासीय भूखण्ड दिये जाने का समझौता दिनांक 8.12.1989 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूमि अवाप्ति) की अध्यक्षता में हुआ। समझौता के अनुसार भूमि का मुआवजा श्री हरिराम को दे दिया गया है, परन्तु आवासीय भूखण्ड के मामले में ग्राम पंचदेवला एवं सरलाई पुनर्वास गांव समझौता में यह तय किया गया कि तत्समय वयस्क विवाहित पुरुष एवं उसकी पत्नी व बच्चे, जो उसी गांव में रहते हैं, उनको एक यूनिट माना जायेगा और ऐसे प्रत्येक परिवार की यूनिट को 60x40 साइज का प्लाट दिया जायेगा।

सम्बन्धित ग्रामवासियों को प्लाट आबंटन अध्यक्ष, भूखण्ड आबंटन समिति, तहसीलदार भदेसर द्वारा किया गया। चूंकि श्री हरिराम के भाई मोती, किसना, चूनिया पंचदेवला गांव में निवास करते थे इसलिए उनको भूखण्ड

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आबंटन किया गया किन्तु श्री हरिराम गांव में निवास नहीं करता था इसलिए तहसीलदार भदेसर ने उनको आवासीय भूखण्ड का आबंटन नहीं किया।

(3) जी हां। समझौता अनुसार जारी रिवाइज्ड अवार्ड के आधार पर श्री हरिराम को भूमि का मुआवजा दिया गया किन्तु श्री हरिराम के ग्राम पंचदेवला में निवास नहीं करने के कारण उपरोक्त बिन्दु संख्या दो में अंकित अनुसार श्री हरिराम को आवासीय भूखण्ड नहीं दिया गया।

(4) चूंकि श्री हरिराम तत्समय गांव पंचदेवला में निवास नहीं करता था, इस कारण श्री हरिराम को भूखण्ड का आबंटन नहीं किया गया।

(5) जी नहीं। प्रश्न के बिन्दु संख्या दो के उत्तर में अंकित विवरणानुसार श्री हरिराम को आवासीय भूखण्ड का आबंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो समझौता हुआ, यह चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र की सुखोड़ा पंचायत के जो तीन गांव हैं, पंचदेवला, सरलाई, हुड़ा, पंचदेवला के जो डूब क्षेत्र में आ रहे थे, उस वक्त हमारे राजस्थान सरकार की ओर से ए.डी.एम. रैंक के अधिकारी, जो भू-अवाप्ति अधिकारी के रूप में थे, तीन हिन्दुस्तान जिंक के बड़े अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधक एस रामचन्द्रन, प्रबंधक वी.के. शर्मा और एक सीनियर इंजीनियर और काश्तकारों की ओर से श्री वृद्धिचंद जी जैन, एडवोकेट थे, इनके बीच में समझौता हुआ।

हरिराम के, ये चार भाई हैं, सबको, चूनिया, किसना और बुदिया गूजर, इन तीन भाइयों को तो मिल गया, मंत्री महोदय, लेकिन हरिराम को अवार्ड जारी तो हो गया, न मालूम बीच में क्या विसंगतियां चलीं, उसको नहीं मिल पाया। उसके दोनों लड़के, नारायण, कालू गूजर, ये आज भी उसी गांव में निवास करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री हैं, जो समझौता हुआ है, एक ही व्यक्ति रहा है, इसकी पालना करवा दें।

एक हुड़ा गांव के अन्दर जो उसका बैक-वाटर है, यह दूसरा सप्लीमेंटरी है, बैक-वाटर है उसके अन्दर भी 150 जो वहां रहने वाले लोग हैं, 200 लोगों को तो अवार्ड जारी हो गया, भुगतान भी हो गया लेकिन 150 लोग अभी भी इन्तजार कर रहे हैं। पानी अगर 224 मीटर पर रोका गया तो यह गांव पूरा

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

का पूरा डूब में आ जायेगा। इनकी जमीनों के तो मुआवजे दे दिये गये लेकिन इन लोगों के अभी मकानों के मुआवजे नहीं दिये। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसमें आप अपना पूरा, अपनी सरकार की जो प्रतिबद्धता है, जो समझौता हुआ है, उसके तहत आप पालना करा दें। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव पंचदेवला में 171 हितबद्ध लोग थे जिनको 283 भूखण्ड आबंटन किये गये। उस वक्त जब यह अवार्ड जारी हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हितबद्ध व्यक्तियों ने अवार्ड लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनके जो मकान डूब में आये हैं, उनका भी, अलग से जमीन भी उपलब्ध की जाए। एक कमेटी बनी और कमेटी में जो प्राइवेट लोग थे, उनकी तरफ से वृद्धिचंद जी जैन, जो एडवोकेट थे वहां के, उनको उसमें शामिल किया गया और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तय किया गया कि जिन व्यक्तियों के मकान उस गांव में नहीं हैं, उनको छोड़कर के बाकी जो व्यस्क व्यक्ति हैं वे, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, उनको एक यूनिट माना जायेगा। जैसे इस पंचदेवला गांव में 171 आवास थे लेकिन यूनिट के हिसाब से उन लोगों की संख्या 283 हुई, तो 283 लोगों को तो मकान आबंटित कर दिये गये लेकिन खास तौर से जिस हरिराम की माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं, वे हरिराम उस वक्त उस गांव में निवास नहीं करते थे, उनकी जमीन थी उस गांव में क्योंकि जो जमीन थी वह जोइंट खाते की जमीन थी, वह चार भाइयों की जमीन तो वहां थी, जमीन के बदले में जो मुआवजा दिया गया, मुआवजा भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिवाइज्ड दिया गया। मुआवजा जो पहले उनका दो लाख और कुछ हजार बन रहा था, उसके बाद में रिवाइज करके उसको तीन लाख रुपये कुछ दे दिया गया। लेकिन चूंकि हरिराम का मकान उस गांव में नहीं था, पंचदेवला में, इसलिए उनको मकान दिया जाना सम्भव नहीं हुआ।

खास तौर से जो डूब की बात कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर 220 फीट का ही बैक-वाटर है, तो अभी वहां पर जिस डूब की बात कर रहे हैं, अभी वे गांव डूब में नहीं आये हैं और यदि इस तरह की कोई बात हुई तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं वहां के उच्चाधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे इसकी जांच कर लें और जांच करके जो

(श्री राजेन्द्र पारीक)

भी समाधान सम्भव होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा (बाड़मेर) के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानें

429. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदार आबंटन सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बाड़मेर में जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे? क्या समिति द्वारा जिनका साक्षात्कार लिया गया, उनमें से बालोतरा शहर में तो दुकानें चालू हो गईं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक दुकानें चालू नहीं हुईं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दुकानदार नियुक्त करने के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में नियम अलग-अलग हैं? यदि नहीं, तो बालोतरा ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक दुकानें चालू क्यों नहीं की गईं?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी नहीं। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड-3(1) के तहत जिला कलक्टर द्वारा उचित मूल्य दुकान के डीलर हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। इस हेतु विभागीय नीति के अनुरूप उचित मूल्य दुकान आबंटन प्रक्रिया के दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं जिसमें आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाकर अभिशंसा जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जाती है, उसके आधार पर जिला कलक्टर द्वारा नियुक्ति की जाती है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर द्वारा बाड़मेर जिले में उचित मूल्य दुकानदार हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। अर्हताएं पूर्ण करने वाले आवेदनकर्ताओं के उचित मूल्य दुकान आबंटन सलाहकार समिति द्वारा साक्षात्कार लिये गये हैं। बालोतरा शहरी क्षेत्र में चयन की प्रक्रिया किये जाने

(श्री परसादीलाल)

के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदार चयन की प्रक्रिया जारी है।

(3) जी नहीं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ताओं की पात्रता की जांच एवं निरीक्षण व मौका नक्शा रिपोर्ट प्रवर्तन स्टाफ द्वारा क्रमबद्ध तरीके से किये जाने तथा पात्र अभ्यर्थियों की छंटनी होने के उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रक्रिया पूरी हो गयी है और कार्य शुरू हो गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओम जी बिरला।

नि:शक्तजनों को देय पेन्शन राशि से उपलब्ध पौष्टिक आहार

430. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): एवं **श्री अनिल जैन** (खानपुर): - क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं नि:शक्त पेन्शन योजना के अन्तर्गत किस-किस को कितनी-कितनी पेन्शन दी जाती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) एक सामान्य वृद्ध व्यक्ति एवं सामान्य वृद्ध महिला के लिए प्रतिदिन भोजन में कितनी कैलोरी, प्रोटीन व माइक्रो-न्यूट्रिएन्ट्स की आवश्यकता होती है?

(3) सरकार द्वारा जो पेन्शन वृद्ध एवं अशक्त महिला, पुरुषों एवं विधवाओं को दी जा रही है, क्या उक्त राशि से खरीदे जाने वाले भोजन से प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी सम्भव है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(4) क्या यह सही है कि उक्त राशि से क्रय किये जाने वाले भोजन से प्रतिदिन आवश्यक न्यूनतम कैलोरी, प्रोटीन और माइक्रो-न्यूट्रिएन्ट्स की पूर्ति नहीं होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि को न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के स्थान पर) : (1) राज्य में दिनांक 01.04.2010 से

(श्री रामकिशोर सैनी)

वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं नि:शक्त पेन्शन योजनान्तर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेन्शन को 500 रुपये प्रति माह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रति माह पेन्शन दी जा रही है। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न हैं।

(2) एक सामान्य वृद्ध व्यक्ति एवं सामान्य वृद्ध महिला के लिए प्रति दिन भोजन में आवश्यक कैलोरी, प्रोटीन एवं माइक्रो-न्यूट्रिएन्ट्स की मात्रा का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सामान्यत: एक व्यक्ति के लिए प्रति दिन भोजन में कैलोरी, प्रोटीन एवं माइक्रो-न्यूट्रिएन्ट्स की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री क्रय करने पर लगभग 38.56 रुपये प्रति दिन व्यय संभावित है।

(4) जी हां। वर्तमान में दी जा रही पेन्शन की राशि से प्रति दिन आवश्यक न्यूनतम कैलोरी, प्रोटीन और माइक्रो-न्यूट्रियएन्ट्स की पूर्ति नहीं मानी जा सकती। सरकार द्वारा दी जा रही पेन्शन एक आर्थिक सम्बल/ सहायता है, जो समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है।

(प्रतियां एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की धारा 21, 41 और 47 के तहत व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, जो आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 में भी दिया है कि उस व्यक्ति को अपना गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, तो उस पेन्शन में जिसमें आपने खुद ने माना है कि वह उसके खाने की पूर्ति उस नियम, प्रक्रिया के तहत नहीं होती, तो संविधान के अधिकार के तहत राज्य सरकार उसके जीने के अधिकार के लिए और क्या विकल्प कर रही है? विकल्प कर रही है तो सरकार क्या-क्या विकल्प कर रही है, यह बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप द्वारा जो प्रश्न किया गया है, राज्य सरकार द्वारा जो पेन्शन दी जाती है वह वृद्ध के लिए सम्मान है, विधवाओं के लिए सहारा है और नि:शक्तजन की जरूरत है और यह एक असिस्टेंस है जो हमारे बुजुर्ग लोगों

(श्री रामकिशोर सैनी)

को, विधवाओं को और नि:शक्तजनों को दी जाती है सरकार की तरफ से। इसके उपरान्त भी आपने जिस प्रकार का प्रश्न किया है कि कैलोरी, प्रोटीन एवं माइक्रो-न्यूट्रियएन्ट्स की क्या वृद्ध लोगों को जरूरत होती है, उसमें लगभग 38 रुपये लग कर खर्च होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सहायता दी है वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, नि:शक्तों के लिए। उसके उपरान्त भी यदि ऐसे वृद्ध जो निराश्रित हैं, जिनका कोई नहीं है इस धरती पर, उनके लिए वृद्धाश्रम, वगैरह खोले जाते हैं, वहां पर सारी सेवाएं नि:शुल्क उनके आश्रम को दी जाती हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को बता दें कि पेंशन पात्रता के नियम ये हैं कि जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय नहीं हो, वह व्यक्ति ही पेंशन का पात्र कहलाएगा। जब पेंशन का पात्र व्यक्ति वह कहलाएगा जिसकी कोई आय नहीं है, तो फिर सरकार उस पात्रता के अनुसार उसको डिबार कर देगी अगर उसके पास अन्य आय के साधन होंगे। अन्य आय के साधन नहीं हैं तो अपना जीवन जीने का अधिकार जो भारतीय संविधान की धारा 21, 41 और 47 में दिया है, उसके अनुसार राज्य सरकारों को यह खाद्य सुरक्षा विधेयक में दिया है कि राज्य सरकार उनके सम्पूर्ण जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था करे। तो राज्य सरकार उनके जीने की क्या व्यवस्था करने जा रही है?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेंशन की राशि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरे सवाल का स्पेसिफिक जवाब दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप पूरा जवाब सुनिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल, एक सवाल और पूछ लूं। आपने खुद ने जवाब दिया कि हम वृद्ध शालाएं खोलेंगे, तो क्या 11 लाख 247 लोगों के लिए आप वृद्धाश्रम खोलेंगे? जब पेंशन जो है, 11 लाख लोगों की है तो 11 लाख लोगों के लिए खोलेंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, पूरा जवाब दें। बीच में नहीं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): पेंशन की दरों में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है। वर्ष 1999 में केवल 200 रुपये सरकार द्वारा दिये जाते थे, उसके बाद 2006 में 200 रुपये दिये जाते थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1 अप्रैल, 2010 को इस पेंशन में बढ़ोतरी की और 75 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को 750 रुपये और उससे कम आयु के लोगों को 500 रुपये प्रदान किए हैं। समय-समय पर जैसे ही आवश्यकता होती है, इनमें आवश्यकताओं को देखते हुए बढ़ोतरी की जाती रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अनिल जैन।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई के इंडेक्स के अनुसार क्या गरीब व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को पेंशन ...(व्यवधान) दिलाने का अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके साथ अनिल जी का भी आ जाएगा। (व्यवधान) अनिल जी का और आपका अलाउड। (व्यवधान) आपका प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अनिल जी, आपको नहीं पूछना है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: क्वेश्चन चल रहा है, आप डिस्टर्ब मत करो ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या सरकार महंगाई का इंडेक्स बढ़ने के साथ, जैसे हम हमारा वेतन बढ़ाते हैं, पार्लियामेंट में वेतन बढ़ाते हैं, उस गरीब वृद्ध को बढ़ाने के लिए क्या आपने...

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि जैसे पंजाब और हरियाणा में जिसका एक बच्चा है या दो बच्चे और उसने अपनी मां को घर से निकाल रखा है, बात ही नहीं सुनते, क्या आप इस तरह का विचार रखते हैं? अगर उसकी पूरी तरह तसल्ली करके कि वास्तव में उसके बच्चे उसको घर ही नहीं घुसने देते, तो क्या उस विधवा को आप पेंशन देने का विचार रखते हैं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय परनामी जी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य खड़े हैं, मंत्रीजी, इनका साथ ही दे देना आप। हां, माननीय प्रताप सिंहजी, पूछें आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि पिछले करीब चार महीने से आपने, मंत्रीजी, कोई ऐसा आदेश दिया है, आपकी नालेज में है क्या कि विकलांगों की पेंशन पूरी तरह से बंद हो गयी है? उसका कारण यह है कि जिला कलेक्ट्रेट से यह कहकर भेजे जा रहे हैं फार्म नगर निगम में कि आय का प्रमाण पत्र आप बनाकर भेजिए। पहले जो व्यवस्था थी वह अधिकारियों ने बदल दी। आपकी नालेज में नहीं है। विकलांग रोज इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे में विकलांगों की आय का प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी क्या नगर निगमों को आपने दे दी है?

एक और सवाल, उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए पूछना चाहूंगा। जब हरियाणा और पंजाब में, मैं मानता हूं, आबादी कम है और मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद भी दूंगा, आपने पेंशन भी बढ़ाई, उससे बहुत लाभ भी मिला। मंत्री जी, क्या राजस्थान की सरकार ऐसा कोई फैसला लेने जा रही है जो कि जन हित का है, पूरे प्रदेश का है, इसलिए मैं बीच में कह रहा हूं कि जब माता-पिता की सुरक्षा के लिए बिल लेकर आएं मुख्य मंत्रीजी, तब से हमको यह उम्मीद है कि राइडर हटायेंगे। यदि यह राइडर हटेगा, राजस्थान की सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीद है, मैं मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन में सारे राइडर हटाए जाएं जिससे सारे राजस्थान के विकलांगों को, विधवाओं को और वृद्धावस्था पेंशन में उनको लाभ मिल सके। मुख्य मंत्रीजी पूरे सदन का आपसे निवेदन है, आपने हमेशा धर्म का काम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

किया है, एक धर्म का काम और कर दो तो पूरे राजस्थान का भला हो जाए।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा किया गया है, पेंशंस में जितनी भी शर्तें लगाई गई हैं, पच्चीस वर्ष का जो उसके पुत्र का राइडर है, निश्चित तौर पर यह इस प्रकार का राइडर है कि सरकार भी इस पर विचार कर रही है और इस पर सारा सर्वे करवाया जा रहा है कि कितने पेंशनर्स इसमें और जुड़ जायेंगे, उसके बाद कितना इसमें खर्चा आने वाला है, उसका सारा सरकार विचार कर रही है।

आपका एक प्रश्न नि:शक्तजन के सर्टिफिकेट के लिए था। नि:शक्तजन का सर्टिफिकेट कन्सर्निंग अथोरिटी जो है, ग्राम पंचायत में तो वहां का तहसीलदार करेगा या उसका पटवारी करेगा, वह बनाकर देगा; अरबन एरिया में है तो कन्सर्निंग उसकी म्युनिसिपेलिटी है या उसका नगर निगम है, वह बनाकर देंगे। नगरपालिका क्षेत्र में 1,400 रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 1,600 रुपये प्रति वर्ष को जो आय का प्रमाण पत्र होता है, वह जारी किया जाता है और उसके बाद में ...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): वह बना नहीं रहे। इसलिए आप यह बता दो कि इसकी व्यवस्था क्या करोगे?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, 1,600 रुपया प्रति वर्ष? 16 हजार होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दो...

श्री उपाध्यक्ष: एक क्वेश्चन, आगे बहुत हैं। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में 16 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 14 हजार रुपये है।

श्री उपाध्यक्ष: त्रुटिपूर्ण हो गया था। एक आखिरी प्रश्न, बस।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि विकलांग को विकलांगता के आधार पर पेंशन दी जाती है लेकिन इसमें राइडर है कि जिसका माता-पिता और भाई भी है तो उसको विकलांगता की पेंशन नहीं मिलती। विकलांगता के कारण उसको दिया जा रहा है। मंत्रीजी, विकलांगता में पेंशन देने में माता-पिता और भाई, कोई भी भाई

(श्री अमराराम)

नहीं देता, मां-बाप कमाने की स्थिति में नहीं होते। तो क्या यह राइडर भाई का और मां-बाप का विकलांगता पचास प्रतिशत से ऊपर होने के बाद में सरकार हटाने का इरादा रखती है?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, प्लीज।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप ही का प्रश्न है, सब आप ही की खातिर कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): विकलांग पेंशन के लिए जो शर्तें हैं, वह राजस्थान का निवासी होना चाहिए, आठ वर्ष से ऊपर की आयु हो, अपंग, अपाहिज, अंधा हो और कमाऊ पुत्र परिवार में पच्चीस वर्ष से ऊपर का न हो, इसमें पुत्र है, पति है, पत्नी है, माता-पिता हैं, ये राइडर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, वे ये नहीं पूछ रहे, वे पूछ रहे हैं कि इस राइडर को हटा रहे हैं क्या? लम्बा मत दो जवाब।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): अभी तक ये शर्तें हैं, अभी इन पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री दौलत राज समेजा। श्री दौलत राज समेजा। (व्यवधान) बहुत लम्बा हो गया, आधा घण्टा हो गया। दौलत राज समेजा। (व्यवधान)

श्रीगंगानगर मण्डी समितियों को इमारती लकड़ी से प्राप्त राजस्व आय

431. **श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला श्रीगंगानगर की मण्डी समितियों में वर्ष 2005 से फरवरी, 2012 तक इमारती लकड़ी से मण्डी समितियों को कितना शुल्क प्राप्त हुआ? मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, मंत्रीजी। (व्यवधान) केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): जिला

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

श्रीगंगानगर की मण्डी समितियों में वर्ष 2005 से फरवरी, 2012 तक इमारती लकड़ी से प्राप्त मण्डी शुल्क का मण्डीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, विवरणिका देखने के पश्चात् यह पाया गया कि वर्ष 2005-06 में मण्डी शुल्क में 2 लाख 73 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई। 2009-10 में जब मंत्रीजी इस विभाग के मंत्री बने, 1.83 हजार रुपये बढ़ोतरी हुई; 2010-11 में 3 लाख 94 हजार मण्डी शुल्क कम हुआ; 2011-12 में 5 लाख 93 हजार मण्डी शुल्क कम हुआ। इसका हिसाब 2009-10 से 2011-12 के मुताबिक जोड़ें, 9 लाख 87 हजार रुपये मण्डी शुल्क कम हुआ। उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, वर्ष 2009-10 के मण्डी शुल्क के मुकाबले वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के मण्डी शुल्क में इतनी भारी कमी के क्या कारण रहे? इसके कारण राज्य सरकार को इमारती लकड़ियों से मिलने वाली राज्य की आय में कितना नुकसान हुआ?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मण्डी टैक्स जो लकड़ी पर है, जब-जब भी किसान की फसल खराब हुई, तब पेड़ों का कटान ज्यादा हुआ, उस वक्त मण्डी शुल्क ज्यादा आया। किसान पेड़ नहीं काटता है, इस वजह से इसमें कमी आयी है।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): मंत्रीजी, आपका जवाब दुरुस्त है। क्या, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बतायेंगे कि कृषि भूमि पर उत्पादन होने वाले जिंस मण्डी समिति द्वारा विक्रय करने से रोका जा सकता है? अगर नहीं, तो दिनांक 29.3.2011 को क्रमांक एफ 12/8/राजस्व/2011/2009/2020 के अनुसार जिला कलक्टर ने आदेश जारी क्यों किये? उपरोक्त आदेशों से मण्डी समिति एवं राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ? क्या जिला कलक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? उक्त आदेशों को कब तक निरस्त कर दिया जायेगा?

उक्त आदेश यह है, इसमें जिला कलक्टर ने यह लिखा है कि कृषि भूमि पर जो पेड़ खड़े हैं, उनको तहसीलदार की परमिशन के पश्चात् गुलाबी पर्ची के माध्यम से ही बेचा जायेगा। इन आदेशों के कारण ही इतना नुकसान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: यह गुलाबी पर्ची क्या है?

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): मंत्रीजी ही बतायेंगे।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): उपाध्यक्ष महोदय, जब यह शिकायत आयी कि अवैध कटाई हो रही है खेतों में से पेड़ों की, तो सरकार की तरफ से यह निर्देश भी आये और माननीय जिलाधीश महोदय ने भी आदेश दिये कि कोई भी किसान अपने खेत से बिना तहसीलदार और पटवारी की मंजूरी के पेड़ नहीं काटेगा और परिवहन के लिये गुलाबी रंग की स्लिप जारी करेगा। उस स्लिप को ले जाकर ही इनका परिवहन कर सकेगा। वह एक पहचान थी कि इस रंग की पर्ची, गुलाबी पर्ची से अगर परिवहन होगा तो परमिशन के अन्दर जा रहा है।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा जो मंत्रीजी बता रहे हैं, यह असत्य जवाब है इनका।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): आदेश में लिखा हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): मण्डी समिति के अन्दर पेड़ों की जो कटाई हुई, उसका माल आना बन्द हो गया। मण्डी समिति के बाहर पैरेलल एक नीलामी बाजार बन गया और नीलामी बाजार के माध्यम से वहां पर पेड़ों की नीलामी शुरू हो गयी। इस बात को मंत्रीजी भी अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि उपरोक्त आदेश जो कि जिला कलक्टर ने जारी किये हैं और तहसीलदार परमिशन दे रहा है, परमिशन देने के बाद गुलाबी पर्ची की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जोधपुर के जो बड़े व्यापारी थे, जिनको मण्डी में प्राप्त लकड़ी जो हैण्डलूम के काम आती है, उनको लाभ मिले, इसके लिये आदेश जारी किया गया। करीब-करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान मण्डी समितियों को हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, वे चाहते हैं, गुलाबी पर्ची का कोई मतलब नहीं है। यदि करप्शन बढ़ता है तो दिखवा लीजिये।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): नहीं, वह जिला कलक्टर के आदेश हैं...

श्री उपाध्यक्ष: कलक्टर मालिक नहीं है, मालिक सरकार है। आप इसको दिखवाइये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): मंत्रीजी, इस आदेश को कब तक वापस लेंगे?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): लकड़ी पर मण्डी शुल्क में कमी नहीं आयी। 2007-08 में...

श्री उपाध्यक्ष: ये कमी की नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि इसकी वजह से व्यापारी टैक्स इवेजन कर रहे हैं टैक्स बचा रहे हैं और उससे एम्बिग्यूटी से गलत हो रहा है।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): कोई बात नहीं, इसे दिखा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: हां।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): दिखवा नहीं लेंगे, यह आदेश कब तक वापस लेंगे पैरेलल? स्पेसिफिक जवाब दें उसका।

श्री उपाध्यक्ष: उनका प्रश्न स्पेसिफिक है, किसी चीज से गवर्नमेंट का टैक्स बचता है, रेवेन्यू होती है, तो अपने को देख लेना चाहिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय, उससे कितना नुकसान हुआ है? जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेंगे? दोषियों को सज़ा कब देंगे?

दूसरा, जो गुलाबी रंग की पर्ची है उसको हटाना चाहते हैं या नहीं चाहते? मंत्रीजी, सदन में यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह।

भरतपुर जिले के आगारों से प्राप्त राजस्व

432. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर व लोहागढ़ डिपो से प्रतिदिन कितनी-कितनी बसें किस-किस मार्ग पर संचालित की जाती हैं? सूची मय परिचक्र समय के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डिपो द्वारा संचालित बसों से प्रतिदिन कितने राजस्व की प्राप्ति होती है? क्या इससे डिपो लाभ में रहता है? यदि नहीं, तो कितनी हानि होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डिपो द्वारा प्रतिदिन कितनी बसें नदबई, नगर व पहाड़ी मार्ग पर संचालित की जाती हैं और उनका प्रस्थान समय क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त डिपो की कितनी बसें प्रतिदिन किस-किस समय भरतपुर, डीग खोह, सीकरी मार्ग पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनीता सिंह)

(5) अलवर/मत्स्य डिपो की प्रतिदिन कितनी बसें अलवर, गोविन्दगढ़, सीकरी मार्ग पर किस-किस समय पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) वर्तमान में भरतपुर एवं लोहागढ़ डिपो द्वारा प्रतिदिन संचालित की जा रही बस सेवाओं के परिचक्र एवं समय सारिणी दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) इन दोनों डिपो द्वारा माह फरवरी, 2012 में संचालित बस सेवाओं से प्रतिदिन प्राप्त हुए राजस्व, खर्चे एवं हानि का आगारवार विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) भरतपुर एवं लोहागढ़ आगारों द्वारा प्रश्नगत मार्गों पर संचालित बस सेवाओं का समय दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(4) इस मार्ग पर लोहागढ़ आगार द्वारा दैनिक 2 एकल परिचक्र निम्न समयानुसार संचालित हैं:-

भरतपुर-सीकरी वाया खोह	1530	1730
सीकरी-भरतपुर	0700	0900

भरतपुर आगार द्वारा इस मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(5) मत्स्य नगर आगार द्वारा इस मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है तथा अलवर आगार द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर संचालित बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह जी।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि भरतपुर जिला जो बिलकुल उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है और यहां से भरतपुर-लोहागढ़ डिपो से जो बसें चलती हैं और जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ आती हैं, मैं कहना चाहती हूं, मेवात क्षेत्र की तरफ जो बसें आती हैं, दिल्ली होकर जाती हैं, उनका जो परिचक्र है वह बहुत कम है। क्या आप उनको बढ़ाने का विचार रखते हैं? पहला प्रश्न है मेरा।

(श्रीमती अनीता सिंह)

दूसरा प्रश्न यह है, वैसे तो सरकार का कर्तव्य होता है कि लाभ हो चाहे हानि हो, जनता को वह परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराए। क्योंकि परिवहन गरीब और आम आदमी के लिये ही है, वे उस बस में सफर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि 2010-11 और 2011-12 में आपने किराया कितना बढ़ाया है इन बसों के ऊपर, वह आप मुझे बताएं।

तीसरा, आपको नहीं लगता कि इन 2 वर्षों में जो आपने किराया बढ़ाया है, उसको कम करना चाहिये? जनता के लाभ के लिये कम करना चाहिये। आप उतना ही रखेंगे, या उसको और बढ़ाने का विचार करते हैं ? यह भी बता दें।

और प्रश्न है मेरा कि भरतपुर सम्भाग में, जैसा आप बाबूसिंह जी राठौड़ को बता रहे थे कि भरतपुर सम्भाग के अन्दर जो पंचायतों को जोड़ने का है, ग्राम पंचायतों को, उनकी योजना आपने बनायी है, मैं यह पूछना चाहती हूं कि नगर विधान सभा की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको आप कब तक परिवहन सेवा से जोड़ देंगे ? यह जो आपने मुझे जवाब दिया है, तीसरे नम्बर पर दिया है, मंत्री महोदय, मैं इसमें आपको निवेदन करना चाहती हूं, मैंने पूछा है आपसे कि डिपो में प्रतिदिन नदबई, नगर और पहाड़ी पर कितनी संचालित होती हैं, तो उसमें आपने ढंग से जवाब नहीं दिया है। आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं कि नदबई से नगर के लिये कोई भी बस नहीं चलती है, कैसी भी कोई बस नहीं है। क्या इस बस को, आपने जैसा कहा कि आप हानि और लाभ को नहीं देखेंगे, आप उसी प्रकार क्या यहां पर नदबई से नगर और पहाड़ी के लिये बस चलाना शुरू करेंगे?

और सवाल है मेरा आपसे...

श्री उपाध्यक्ष: इतने प्रश्न नहीं...

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): एक साथ ही पूछ लेने दीजिये, बाद में पता नहीं, क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: हां, पूछ लें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मैं भी पूछूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): चौथे पर आपने लिखा है, मैंने पूछा है आपसे कि भरतपुर, डीग खोह, सीकरी मार्ग पर कितनी बस संचालित हैं, आपने मुझे बताया कि सीकरी और खोह वाले मार्ग पर एक बस संचालित है। तो मैं

(श्रीमती अनीता सिंह)

आपसे निवेदन कर देना चाहती हूं कि सीकरी और खोह से होकर भरतपुर जो बस जाती है और आती है, इसमें कम से कम 30 पंचायतें और गांव मेवात क्षेत्र के सारे जुड़ते हैं। जब पहली साल विधान सभा शुरू हुई थी, तब आपने इस पर इस बस को चलाया था और उसके लिये मैं बृजकिशोर जी का धन्यवाद भी करती हूं लेकिन क्या आप, क्योंकि एक बस वहां पर कम पड़ती है और वह समय पर आ-जा भी नहीं पाती, क्या इसको आप दुगुनी करने का विचार रखते हैं? सीकरी दो बसें चल रही हैं, दोनों को, मतलब एक सीकरी-भरतपुर भी बढ़ जाये और एक भरतपुर-सीकरी वाया खोह भी बढ़ जाये।

लास्ट प्रश्न है मेरा कि आपने यह जो लिखा है कि अलवर आगार द्वारा सवारियों के लिए बसें लगायी हुई हैं, मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि यह अलवर से जो बसें आती हैं सीकरी होकर के, इन बसों की स्थिति इतनी खराब है कि ये आधे रास्ते चलती हैं और आधे रास्ते खराब हो जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): बिलकुल खटारा स्थिति में हैं। इन बसों को बदलकर नयी बसें लगाने का विचार रखते हैं? कृपया मंत्रीजी बतायें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न भी ले लें।

श्री उपाध्यक्ष: हां, इसके बाद आपका ले लेंगे, कोई बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही है, सबसे पहले तो आपका है कि परिचक्र बढ़ाने पर विचार रखते हैं क्या। उपाध्यक्ष महोदय, सवारियां अधिक मिलेंगी तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, यात्रियों को सुविधा प्रदान किये जाने के क्रम में विभाग द्वारा इसका परीक्षण करवा लिया जायेगा। आवश्यक समझा जायेगा तो निश्चित रूप से परिचक्र बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: परीक्षण करवा लिया जायेगा, ठीक है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): दूसरा, आपने इसमें

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जानकारी चाही है कि 2010-11 और 2011-12 में कितना किराया बढ़ाया गया, मैं इसकी सूचना आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जहां तक आपने इससे आगे का एक प्रश्न और फरमाया कि क्या और किराया बढ़ाने का विचार रखते हैं,..

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि आपने 5 रुपये किराया बढ़ाया है, तो यह आम आदमी पर बोझ बहुत ज्यादा है। आप उसको घटाने का भी...

श्री उपाध्यक्ष: आपको इनका पूरा जवाब आने के बाद में पूछना चाहिए था।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): किराया ज्यादा बढ़ा दिया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इसके साथ-साथ आपने नगर विधान सभा क्षेत्र के बारे में जो फरमाया ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने का, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की जानकारी में लाना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि जिन 11 जिलों को शामिल किया गया है इस योजना के तहत, वंचित ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने में, उनमें जिला भरतपुर भी है। निश्चित रूप से आपका नगर विधान सभा क्षेत्र भी उसमें आता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय दिगम्बर सिंह जी। दिगम्बर सिंह जी का और दे दो। एक मिनट विराजिये, मंत्रीजी।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा तो जवाब दिला दें, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि भरतपुर जिले का सबसे बड़ा कस्बा डीग है, वहां ए डी एम हैडक्वार्टर है, नगर और डीग के लोगों का बाजार का काम रोजाना दिल्ली से रहता है। मुश्किल से मैंने प्रयास करके, एक बस दिल्ली से शाम को 5 बजे रवाना होती है जो डीग होकर भरतपुर निकलती है, बाकी सारी बसें मथुरा और उसके बाद भरतपुर, जबकि कोसी से कामां और कामां से डीग, कुम्हेर और भरतपुर आनी चाहिए। अगर शाम के समय दो बसें डीग के लिए दिल्ली से रवाना हों, वे भरतपुर नाइट करें या डीग नाइट करें तो हमारे लोगों को व्यापार में बहुत बड़ा फायदा इससे मिल सकता है। नम्बर एक।

उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर दो, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से

(डा. दिगम्बर सिंह)

अभी नगर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा है, नदबई भी एक हमारा बहुत बड़ा कस्बा है, ना तो नगर से नदबई कोई बस जाती है, ना कुम्हेर से नदबई कोई बस जाती है। रूट स्टेट हाइवे का है, स्टेट हाइवे पर भी एक भी बस वहां पर नहीं चलती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या आप विचार रखते हैं इस रूट पर बस चलाने का और डीग में बसों की नाइट कराने का?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरे सवालों का जवाब बच रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने काफी पूछ लिये, फिर भी एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा प्रश्न है कि डीग, भरतपुर ट्यूरिज्म के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्या आप ए.सी. और वोल्वो बस को ट्यूरिस्ट के हिसाब से वहां लगाने का विचार रखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अब दे दो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने भी प्रश्न किया, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह बात सही है कि पूर्व के वर्षों में, गत शासन काल में इस रोडवेज महकमे की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जबकि यह महकमा सीधे रूप से राज्य के आम जन से जुड़ा हुआ है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): दिगम्बर सिंह जी, सुनें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी ओर से पहल करके गत सरकार द्वारा नजरंदाज किये जाने के बावजूद इस महकमे पर विशेष रूप से ध्यान दिया, 217 करोड़ की इक्विटी की भी यहां पर विशेष रूप से व्यवस्था की गयी, 500 करोड़ रुपये के बान्ड भी जारी कर दिये जायें, यह फैसला भी लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो इनकी समस्या का बता दो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): साथ ही साथ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: लम्बा करोगे तो उलझोगे, मंत्रीजी। (व्यवधान) मैं तो चाहता हूं कि अगला प्रश्न ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...की जा रही थी, उस राशि की भरपाई की गयी।

श्री उपाध्यक्ष: अब लम्बा मत बोलिये। आप तो अनीता सिंह जी का बता दो कि चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्रीजी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं, कृपया मेरा जवाब दें ...(व्यवधान) पुरानी और नई सरकारों की बुराई-भलाई ना करें। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं वही बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अनीता जी, एक मिनट। अनीता जी, एक मिनट विराजिये। (व्यवधान) आप तो उनके गाड़ी चल सकती है कि नहीं चल सकती है, ए.सी. ट्यूरिस्टों के लिए, इतना सा है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उनके यहां गाड़ियां चलाये जाने का जो सवाल है, नगर से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने यह निवेदन किया कि जो आपने और परिचक्र बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में फरमाया है, उसका परीक्षण कराया जाकर के अगर आवश्यकता समझी जायेगी तो निश्चित रूप से बढ़ाये जायेंगे। इसमें रोडवेज का भी हित है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैंने बिलकुल सीधा सा सवाल किया है, माननीय मंत्रीजी, नगर से नदबई ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): दूसरा, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पंचायतों के विषय में आपने फरमाया है ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: ए.सी. गाड़ी के लिए कह रही हैं ...(व्यवधान) दिल्ली से ए.सी. गाड़ी वहां दी जाये। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करवा लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): भरतपुर की जनता का मेरे विधान सभा क्षेत्र से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्याण सिंह जी। (व्यवधान) अब अगला प्रश्न।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): पर्यटकों के आवागमन को भी दृष्टिगत रखते हुए माननीय सदस्या को यह कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्याण सिंह जी। (व्यवधान)

नाथद्वारा मंदिर मण्डल के संधारित लेखे

433. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्ष 2004 से 2011 के मध्य नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा मंदिर विस्तार योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसी सम्पत्तियों को तोड़ा गया है? मंदिर मंडल द्वारा संधारित किये जाने वाले लेखा जोखों, खातों एवं बैलेंस शीट्स में उन सम्पत्तियों के किये गये मूल्यांकन की प्रति सहित वर्ष 2004 से 2011 की प्रमाणित बैलेंस शीट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। मंत्रीजी का ही अंकित होगा, बृजकिशोर जी शर्मा का ही अंकित होगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप लीडर नहीं हैं, डिप्टी लीडर विराजमान हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह देख लेंगे, आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। विराजें आप। चिंता मत करिये आप।

देवस्थान मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 से 2011 के मध्य मंदिर विस्तार योजना प्रथम व द्वितीय चरण के अन्तर्गत जिन सम्पत्तियों को तोड़ा गया है, उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' व 'ब' संलग्न है।

मंदिर मंडल द्वारा विस्तार योजना प्रथम व द्वितीय चरण के अन्तर्गत तोड़ी गयीं सम्पत्तियों के बदले मंदिर मंडल की बैठक दिनांक 25.03.2006 में लिये गये निर्णय के अनुसार आपसी समझौते एवं अधिग्रहण के आधार पर भूमि अथवा भवन की एवज में भूमि अथवा भवन तथा अधिग्रहण द्वारा देय राशि व सहमति के आधार पर नकद भुगतान किया गया है।

मंदिर मंडल की सम्पत्तियों पर काबिज अधिकांश किरायेदारों को मंदिर मंडल की सम्पत्ति में अन्यत्र किरायेदारी दी गयी है। मंदिर मंडल द्वारा संधारित

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

किये जाने वाले लेखों जोखों, खातों एवं बैलेन्स शीटस में तोड़ी गयीं इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन संधारित नहीं किया जाता है।

वर्ष 2004 से वर्ष 2011 तक की प्रमाणित बैलेन्स शीटस की प्रतियां परिशिष्ट 'स' पर संलग्न हैं।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्याण सिंह जी।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, 52 काटेज तोड़े गये; जो 10 काटेज दानदाताओं द्वारा बनाये गये थे, वे काटेज वापस कहां बनाये जा रहे हैं व उन दानदाताओं के नाम वापस उन काटेज में लिखे जायेंगे क्या? पहला प्रश्न तो यह है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, वनमाली मंदिर, वनमाली लाल मंदिर के दुकानदारों की जो दुकानें तोड़ी गयीं, उनके बदले में नई दुकानें अभी तक नहीं दी गयीं। पहले दुकानों की क्या साइज थी और अब उनको किस साइज की दुकानें दे रहे हैं? ओड़ा भंडार में जिनको दुकानें दी गयी हैं, क्या वे मास्टर प्लान में वापस हटाई जायेंगी? दिल्ली बाजार व मंदिर मार्ग की दुकानों को तोड़ने की जो योजना है, उनको दुकानें कहां दी जायेंगी? पहले ये उत्तर दे दें, फिर वापस पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

(12.00 बजे)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना, इसके विस्तार में जो चालू की गई है, वह जोधपुर में दायर जन हित याचिका 2858, सन् 2004 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार की गई एवं मंदिर के विस्तार के लिए दो चरण स्थापित किये गये। उन माननीय न्यायाधीश और जो मंदिर मण्डल की कमेटी है, उसने इसके विस्तार से पूर्व किरायेदारों को, उनके विस्थापितों को दूसरी जगह किराये पर देकर मण्डल ने यह निर्णय किया है।

श्री उपाध्यक्ष: अब प्रश्न काल समाप्त।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): रघुजी, आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो?

सदन की कार्यवाही

कार्य सूची के क्रम में परिवर्तन

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो..

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल अनुमति है, आप फरमायें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और सदन की भी राय हो तो कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर जो राज्य में विधान परिषद का सृजन किए जाने हेतु हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शासकीय संकल्प को विचार एवं पारण हेतु पहले ले लिया जाए?

श्री उपाध्यक्ष: अनुमति है, प्रस्तुत करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को पहले लिये जाने के लिये शिथिलता प्रदान करें। क्योंकि हमने भी इसकी घोषणा की थी और हमारी पूर्व मुख्य मंत्री ने भी सदन में इसकी घोषणा की थी और भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद् के गठन के पक्ष में है, इसलिए आप इसको करें।

श्री उपाध्यक्ष: 306 में शिथिलता देते हुए अनुमति दी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) के अनुसरण में राजस्थान राज्य में विधान परिषद् का सृजन करने के लिए संसद द्वारा विधि पारित करने हेतु एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

शासकीय संकल्प

राजस्थान राज्य में विधान परिषद् का सृजन

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य में विधान परिषद् का सृजन किये जाने हेतु निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं:-

यतः इस सदन का विचार है कि राजस्थान विधान मण्डल में जनता को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये और स्वस्थ एवं सुदृढ़ जनतांत्रिक

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

परम्पराओं की स्थापना के लिए राज्य में विधान परिषद् का सृजन करना अत्यावश्यक है।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) के अनुसरण में सदन यह संकल्प पारित करता है कि राजस्थान राज्य में विधान परिषद् का सृजन करने के लिए संसद विधि पारित करे।

RESOLUTION

Whereas, the House is of the view to provide extensive representation to the people in the State Legislature and to establish healthy and strong democratic traditions, it is necessary to create Legislative Council in the State.

Therefore, in pursuance of clause (1) of Article 169 of the Constitution of India, the House resolves that a law may be passed by the Parliament to create Legislative Council in the State of Rajasthan.

श्री उपाध्यक्ष: बोलना चाहते हैं आप?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ..

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: पूरा हो जाने दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): यह इस प्रकार का संकल्प है कि इस पर कोई बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपको नहीं है तो...

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरी अर्ज है कि आप बोल लें। बहस की इसलिए आवश्यकता नहीं है, संकल्प पर माननीय सदस्यों की राय सिर्फ 'हां' या 'ना' में जानी जाती है...

श्री उपाध्यक्ष: मत विभाजन होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): ताकि इसको पारित करने की गणना में आसानी रहे। इस प्रकार का संकल्प बगैर बहस के और 'हां' या 'ना' जानकर ही पारित हुआ करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं चाहूंगा, डिविजन के द्वारा मत विभाजन का पता लगाया जाये। लाबीज क्लीयर करने के लिए बेल बजाई जाये।

(मत विभाजन घण्टी)

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) के अनुसरण में राजस्थान राज्य में विधान परिषद् का सृजन करने के लिए संसद द्वारा विधि पारित करने हेतु संकल्प पारित किया जाए? (व्यवधान) सुनिये।

जो पक्ष में हों, वे माननीय सदस्य अपना मत अभिलिखित करने हेतु सदन में उपस्थित रहकर अपना मत विभाजन लिपिक को अभिलिखित करावें; जो विपक्ष में हों, वे माननीय सदस्य 'ना पक्ष लाबी' में जाकर अपना मत विभाजन लिपिक को अभिलिखित करायें। (व्यवधान)

मतदान का परिणाम निम्न प्रकार रहा:-

उपस्थित सदस्य-156 (वन फाइव सिक्स)

प्रस्ताव के पक्ष में-152 मत (एक सौ बावन)

प्रस्ताव के विपक्ष में-4 मत (फोर)

(मत विभाजन सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

राजस्थान राज्य में विधान परिषद् के सृजन हेतु संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर की विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती संजना आगरी, सदस्या की ओर से सोजत नगरपालिका क्षेत्र एवं तहसील के कई ग्रामों में पेयजल की भीषण समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुखराम, सदस्य की ओर से दलित छात्रा कुमारी सुमन बलाई को न्याय दिलवाने एवं दोषी पुलिस अधिकारियों को निलम्बित करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(4) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से सीकर जिले की नीमकाथाना तहसील के ग्राम जस्सी का बास निवासी छात्रा सुमन बलाई के साथ दुष्कर्म एवं तत्पश्चात् उसके द्वारा आत्महत्या करने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्या, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल आज पर्ची के माध्यम से एक छात्रा की मौत की घटना पर सदन में विचार रखेंगी, तत्समय माननीय सदस्य, श्री सुखराम एवं श्री अमराराम को भी बोलने का अवसर रहेगा।

(5) श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से नगर निगम, जयपुर द्वारा शहर में कई निर्माणाधीन एवं निर्मित इमारतों को बिना किसी ठोस कारण के सील करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्री कालीचरण सराफ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से पिछले दस-बारह दिन से जयपुर के बाहरी एवं चारदीवारी क्षेत्र में पीले रंग का पानी आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से थाना सलूम्बर, जिला उदयपुर में दिनांक 12.4.2012 को बिनौली निकासी के दौरान कुछ समाजकंटकों द्वारा दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मारपीट करने की घटना पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाही नहीं करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर में चम्बल एवं पार्वती नदी से बजरी निकालने पर रोक लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री कालीचरण सराफ, श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं श्री रविन्द्र सिंह बोहरा को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री उपाध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से 16 जून, 2012 को अजमेर में सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन के 1300वें बलिदान दिवस पर अवकाश घोषित करने एवं इस समारोह में राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों को टैक्स-फ्री करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मृत परिवार के आश्रितों को सहायता राशि देने हेतु एफ एस एल रिपोर्ट निश्चित अवधि में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गणेश सिंह परमार, सदस्य की ओर से कुम्भलगढ़ नेशनल पार्क की सीमा से भूमि रूपान्तरण की दूरी यथावत रखने एवं आरेट वन खण्ड को नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के ग्राम रामगढ़ में पीढ़ियों से रहवासियों के भूखण्ड डी एल सी दरों से 10 प्रतिशत से या उपनिवेशन दरों पर नियमित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर में अनुसूचित जाति के किसानों को डिमाण्ड नोटिस भरे होने के उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में घरेलू एवं कृषि विद्युत कनेक्शनों पर लगी अघोषित रोक को हटाकर कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर में बिस्तरों की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 करने के सम्बन्ध में।

(9) डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पीने के पानी की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में।

(10) कर्नल सोनाराम, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(11) श्री अर्जुनलाल, सदस्य की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 8,500 का आरक्षण बैकलाग शामिल करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से राज्य में काश्तकारों को उनकी रोजमर्रा की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मोहनलाल गुप्ता।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नगर निगम, जयपुर द्वारा निर्माणाधीन/निर्मित इमारतों को सील करने से व्याप्त आक्रोश

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में हजारों की संख्या में अवैध निर्माण हो रहे हैं और अवैध निर्माण अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे हैं, उनकी जेबें भरी जा रही हैं। सरकार का कोई कंट्रोल उन अवैध निर्माण पर नहीं है। नियमितीकरण के मामले जे डी ए और नगर निगम में अटके हुए हैं। कोई व्यक्ति जे डी ए या नगर निगम में नियमितीकरण के लिए जाता है तो उसके मामले को पेंडिंग छोड़ दिया जाता है। आम जनता इस बात से परेशान है कि अधिकारी आते हैं, कोई व्यक्ति जब अपना मकान बनाता है तो उसकी सूचना कुछ दलाल लोग इकट्ठा करके अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। फर्जी इंस्पेक्टर बनकर भी मकानों पर पहुंच जाते हैं। वैध निर्माण हो रहा है तो भी उसको डरा-धमका कर पैसा वसूल किया जा रहा है। उसके बावजूद जब भी कोई शिकायत उस इंस्पेक्टर के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ की जाती है तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। वह व्यक्ति डरा-डरा, सहमा-सहमा अपना मकान बनाता है और अधिकारी बिना कोई नोटिस दिए, किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही किए बिना डराते हैं, धमकाते हैं। हजारों मामले इस तरह के आए हैं जिनमें सीजर की कार्यवाही की गई है और सीजर के खिलाफ लोगों ने अपना आक्रोश भी दिखाया है। यदि किसी साइकिल वाले की दुकान भी बन रही है और पास में कोई दूसरी दुकान खुली हुई है तो उस दुकान को सीज नहीं कर रहे हैं पर उस गरीब साइकिल वाले की दुकान को

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

सीज किया जा रहा है। बड़े-बड़े लोगों के काम्प्लेक्स सीज किए जाते हैं लेकिन 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा', जयपुर शहर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है और उन लोगों के काम्प्लेक्स को मिलीभगत करके खोल दिया जाता है।

मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी के.के. काम्प्लेक्स का मामला था बड़ी चौपड़ पर, नगर निगम ने उसको सीज कर दिया और सीज करने के बाद में नगर निगम में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने वकील को बदलकर उस फाइल को कोर्ट में इस ढंग से पेश किया कि जैसे उसने कोई अवैध निर्माण नहीं किया हो, कोई कामर्शियल काम्प्लेक्स नहीं बनाया हो और उसके बाद उस वकील की राय पर ऐसे काम्प्लेक्स को खोल दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोपाल जी के रास्ते में धूला हाउस में, पिंजरापोल गौशाला के सामने, विभिन्न स्थानों पर अवैध कामर्शियल काम्प्लेक्स बन रहे हैं, नगर निगम का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है और उन्हें सील करने के बाद मिलीभगत करके खोल दिया जाता है। यह मिलीभगत का खेल कब तक चलता रहेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में नियमितीकरण के नियम जो बने हुए हैं उनके तहत सरकार कार्यवाही करे, नगर निगम कार्यवाही करे, उनको नियमित करके सरकार में उनके पैसे जमा करे और अंडर ग्राउंड की परमिशन दी जाए। अंडर ग्राउंड की परमिशन देने के बाद में उनको पार्किंग स्थल के रूप में तब्दील किया जाए, नहीं तो शहर के अन्दर बिल्कुल बूचड़खाना हो रहा है, स्कूटर और कारें खड़ी करने की भी कोई जगह नहीं है। लोग-बाग़ मकान बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं। मास्टर प्लान के तहत जयपुर शहर की चारदीवारी को मिक्स लैण्ड यूज के लिए रखा गया था, पर आज तक उस मास्टर प्लान को परिवर्तित नहीं करके उसको मिक्स लैण्ड यूज घोषित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्षः कृपया संक्षिप्त करें। यह दो मिनट का है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आम आदमी परेशान है, आम आदमी दु:खी है। कोई व्यक्ति जवाहरात का काम कर रहा है, कोई नगीनों को घिस रहा है तो उसको भी कामर्शियल मान रहे हैं; कोई टाइप की दुकान कर रहा है उसको भी कामर्शियल मान रहे हैं; कोई व्यक्ति वकालत का काम कर रहा है उसको भी कामर्शियल मान रहे हैं, किसी के शटर लग रहा है उसको भी

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

कामर्शियल मान रहे हैं। जयपुर शहर की स्थापित परम्परा है कि वहां नीचे दुकान होती है और ऊपर मकान होते हैं। मास्टर प्लान को पास करते वक्त भी हमें यह आश्वासन दिया गया था कि जयपुर शहर की इस पुरानी परम्परा को कायम रखते हुए संशोधन किये जाएंगे लेकिन आवश्यक संशोधन नहीं किए गए। मेरा यह मानना है कि जयपुर शहर में जहां-जहां मिक्स लैण्ड यूज है, वहां मिक्स लैण्ड यूज घोषित करके जो गरीब लोग हैं, जो दुकानें बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए, अंडर-ग्राउंड बनाने की परमिशन दी जाए ताकि वहां पार्किंग हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री कालीचरण जी सराफ।

जयपुर में पीले रंग के पानी की आपूर्ति

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जयपुर शहर में आए दिन दूषित पेयजल की सप्लाई के कारण होने वाली मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार होने की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, पिछले तीन साल में दूषित पानी के कारण लगभग 15 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग बीमार हो गए जिनको अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सच बोलना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं प्रूफ के साथ बात बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार दावा करती है कि हम जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे पर पिछले 7-8 दिनों से जयपुर की 75 प्रतिशत जनता को पीला पानी पिलाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि जलदाय विभाग कह रहा है कि कल से साफ पानी आएगा, परसों से साफ पानी आएगा और यह कहकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं। लोगों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं और अधिकारी जवाब देने से कतरा रहे हैं। इस पीले दूषित पानी के कारण समूचे इलाके में दहशत व्याप्त है और लोग नलों के पानी के बजाय टैंकरों से पानी मंगाकर या मिनरल वाटर पीकर अपना काम चला रहे हैं।

(श्री कालीचरण सराफ)

मुझे यह बताते हुए अफसोस है कि जलदाय विभाग के अधिकारी रोज नये-नये बयान देकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता, बीसलपुर प्रोजेक्ट, श्री रूपाराम जी ने कहा कि आपूर्ति बढ़ाने से पाइप में जमा मिट्टी पानी में घुल गई जिसके कारण पीला पानी आ रहा है। फिर हमारे चीफ केमिस्ट, जलदाय विभाग, श्री राकेश कुमार जी माथुर ने फरमाया कि जांच जारी है, पीले पानी का कारण स्पष्ट नहीं है; रंग मिलने से पानी पीला हो सकता है। चार दिन बाद जब पीले पानी से जयपुर की जनता को निजात नहीं मिली तो जलदाय विभाग के अधिकारियों ने फिर पलटी मारी और कहा कि मिट्टी कारण नहीं, कोई रंग मिला होने के कारण नहीं, पानी में एल्गी यानी काई के कारण पानी का रंग पीला हो गया है और एल्गी को खतम करने के लिए सूरजपुरा ट्रीटमेंट प्लांट में दुगुनी मात्रा में क्लोरिन मिलाई गई है जिसके कारण से शहर में 2-3 दिन में पानी साफ आने लगेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारी केवल पानी के नमूने लेकर परीक्षण पर परीक्षण कर रहे हैं पर कोई स्पष्ट कारण अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा बार-बार यह दावा किया जा रहा है कि पीले पानी से कोई खतरा नहीं है, यह पानी पीने योग्य है पर दूसरी ओर उपभोक्ताओं में दहशत व्याप्त है। कई इलाकों में शिकायतें आ रही हैं कि इस पानी को पीने से उल्टी-दस्त हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, परन्तु अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। हद तो तब हो गई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ रोड पर कर्बला और गोविन्द नगर (पूर्व) वहां के लोग इस पीले पानी और दूषित पानी से परेशान हैं और कई लोग बीमार हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो मिनट और। जब इसकी शिकायत सम्बन्धित ए ईएन को की गयी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो यही पानी है, आपको पीना है तो पिओ और नहीं तो मिनरल वाटर की बोतल खरीद लो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह उठता है कि पिछले 5 दिन में

(श्री कालीचरण सराफ)

180 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई होने के बावजूद अभी तक कोई स्थिति में सुधार नहीं आया है। तीन-चौथाई शहर में पिछले 7 दिन से मानकों से परे पानी सप्लाई हो रहा है। इसके बावजूद अभी तक लेबोरेटरी की स्पष्ट रिपोर्ट भी नहीं आयी है, अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर शहर में पेयजल की सप्लाई के लिए सूरजपुरा में दो फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं। एक ही फिल्टर प्लांट में क्षमता से अधिक पानी क्यों फिल्टर किया गया? इसके लिए कौन दोषी है और उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? माननीय जलदाय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, वे जवाब दें, क्या यह सही है कि फिल्टर प्लांट आपरेट करने वाली एल एण्ड टी कंपनी को दो फिल्टर प्लांट का भुगतान किया जा रहा है जबकि वास्तविकता में एक ही फिल्टर प्लांट चलाया जा रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या बीसलपुर बांध में एल्गी हटाने के लिए कोई तकनीक नहीं है? यदि है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया?

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक मिनट। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि पीले पानी की शिकायत की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या इस पूरे घटनाक्रम के लिए दोषी एल एण्ड टी कम्पनी के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी? पिछले तीन साल से जयपुर शहर के कई इलाकों में दूषित पानी की शिकायतें मिल रही हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अंत में मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार यह बताए...

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हर महीने जनता से साफ पानी के नाम पर तीन करोड़ रुपये वसूल कर जलदाय विभाग कब तक जयपुर की जनता को साफ पानी मुहैया कराएगा? मैं मांग करूंगा कि पूरे प्रकरण की जांच करवायी जाय।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर का मामला है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या कार्यवाही की जा रही है? बचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक बोलेंगे तो बुला लूंगा। माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास। (व्यवधान) माननीय प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं, आपकी बात कह रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप मेरे बाद में बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष: मोहनलाल जी, प्रतापसिंह जी बोल रहे है, आपकी ही बात कह रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप मेरे बाद में बोल लेना।

उपाध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है, कल भी मैंने एक बात कही थी, आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी, सराफ साहब, मोहनलाल जी गुप्ता, अशोक परनामी जी या मेरे खुद का या राजपाल सिंह जी, जितने भी जयपुर के लोग यहां पर बैठे हैं हम सबकी जनता के प्रति जवाबदेही है। सवाल यह उठ रहा है, मंत्रीजी, आप जयपुर में हैं, यह पार्टीबाजी से ऊपर का मामला है, हम आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं, कल आप यहां नहीं थे यहां पर। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अधिकारियों को बुला लो विधान सभा में ही आप बुला लो, बुलाकर उनसे यह पूछ लो, कि यह 7 दिन में क्यों हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीसलपुर प्रोजेक्ट पर इतना बड़ा खर्चा हुआ और इतना बड़ा सिस्टम डवलप किया गया और बीसलपुर के लिए अलग से अधिकारियों की टीम है, इसके बावजूद अधिकारी आज तक यह तय नहीं कर पाये कि यह पीला पानी क्यों आ रहा है और पीले पानी के बारे में लेबोरेटरीज की रिपोर्ट अलग-अलग अखबारों में प्रकाशित कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में सरकार की, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते और इस जिम्मेदारी के लिए, मंत्रीजी, हम आपसे इतना चाहते हैं, आप इस सदन को यह आश्वस्त कर दें कि जयपुर की जनता के प्रति सरकार गम्भीर है, यदि किसी अधिकारी ने गलती की है और पाइपलाइन में कोई गड़बड़ हुई है, कोई ठेकेदार जिम्मेदार है तो उसके विरुद्ध जांच कराएंगे, सारे मामले की जांच कराएंगे। आप अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर जयपुर की पब्लिक को आश्वस्त करें सरकार की तरफ से कि हमने यह टीम बना दी है जिससे भविष्य में गलती न हो और गलती के लिए जिम्मेदार कौन-कौन हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो और कोई सिस्टम डवलप किया जाए। बीसलपुर का पानी बड़ी मुश्किल से आया है,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आज बीसलपुर के पानी को लेकर, मंत्रीजी, यह बात और कह दूं, आज भी जयपुर में इतना बड़ा एरिया है जो बीसलपुर से जुड़ा हुआ ही नहीं है। पिछली बार पैसा लैप्स हुआ, मंत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा, वह पैसा लैप्स न हो। आप जो स्कीम लाये हो यह नल लगाने की कच्ची बस्तियों में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बस, खतम कर रहा हूं मैं। वह स्कीम भी आप चालू कर दें और अधिकारियों को आप टाइम-बाउंड करें और हमें यह आश्वस्त करें कि सरकार गम्भीर है पीले पानी को लेकर और पानी की व्यवस्था को लेकर, जयपुर को स्वच्छ पानी मिलेगा और जयपुर की जनता की समस्या का समाधान होगा। मंत्रीजी, आप सदन को आश्वस्त करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अधिकारी ठेकेदार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, विराजिए।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उपाध्यक्ष महोदय, संवेदनशील सरकार सो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: मोहन जी, आपने अभी बोला है, आपको मौका दिया है। सभी में बोलेंगे तो सदन कैसे चलेगा? आपको मौका दिया है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): एक मिनट, सर।

श्री उपाध्यक्ष: सारी बात आ गयी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, इतना सा निवेदन है कि जो पीला पानी आ रहा है, उसके साथ-साथ सीवर लाइन का पानी भी कई स्थानों पर चारदीवारी में आ रहा है। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि शहर की पुरानी बस्ती, चौकड़ी मोदीखाना, तोपखाना, गालव ऋषि नगर, विभिन्न स्थानों पर यह पानी गंदा आ रहा है और सीवर-लाइन मिक्स पानी आ रहा है। कई लोग बीमार हो गये, कई लोग हास्पिटल्स में चले गये। जिस दिन यह पानी आया तो उस दिन तो मेरे पास सैकड़ों काल आये सुबह पहले, इतना पैनिक हो गया शहर में कि क्या हो गया। बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया। There was so much panic. कोई जवाब ही नहीं दे सकता, क्या करें? अधिकारी

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

टेलीफोन उठाते नहीं हैं, मंत्रीजी फोन का जवाब देते नहीं हैं, तो आखिर जनता को हम किस प्रकार से जवाब दें?

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, विराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): गंदा पानी, दूषित पानी आता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल लिये, बिना मेरी इजाजत के बोल लिये। अब नहीं बोलेंगे ना?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): उल्टी-दस्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कृपया, मंत्री महोदय, इस पर जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: परनामी जी, शार्ट, पिन पाइंटेड।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 7 दिनों से जयपुर शहर की जनता गंदा पानी पी रही है। इस संवेदनशील सरकार ने एक भी अधिकारियों की बैठक नहीं ली। यदि बैठक लेते तो इस समस्या का निदान होता। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें जो अधिकारी दोषी हैं, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए; जो ठेकेदार दोषी हैं, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए और मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें कि जयपुर की जनता को यह पीले पानी से निजात कब दिलाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, फरमा दें आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पहले जयपुर के विधायक तो बोल लें, दो-दो मिनट सबको दें। मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, एक मिनट, ये क्या कहते हैं, इनको भी सुन लें। राजपाल जी, इसके बाद। राजवी जी, आप। अब सभी बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जयपुर के पानी के लिए नहीं बोलेंगे? आप भी वही चीज कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल, आपको इजाजत है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप यहां से बार-बार उठेंगे तो हमारा क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष: आपको इजाजत मिल गयी, आप बोलिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी

(श्री नरपतसिंह राजवी)

जानकारी हुई है, अख़बार के माध्यम से हुई है, सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह पानी खराब क्यों हुआ? और जितनी वेलोसिटी से आंधी चल रही है, उससे सिर्फ एक गेट पर पानी खराब हुआ, जैसा कि आज खबर आयी है, यह सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सही बात कहें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह सीकर का पानी थोड़ा ज्यादा पीला होता होगा। मैं भी वहीं पैदा हुआ हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रश्न इतना है कि एक्सप्लेनेशन यह काहे के लिए आ रहा है, यह तो बताएंगे। अगर प्रि-क्लोरिनेशन में गलती पायी गयी है तो अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। हां, राजपाल जी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): डिक्लोरिनेशन का इन्होंने यहां पर सेट-अप किया हुआ है क्या? सेट-अप अगर नहीं है तो क्लोरिन पाउडर के फार्म में डाल रहे हैं या लिक्विड के फार्म में डाल रहे हैं, आप सदन को नहीं बताएंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बता रहे हैं, आपका जवाब आ जाएगा। माननीय राजपाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): प्रदेश की कैपिटल है। एक सेकण्ड और कहना चाहूंगा। यह सिर्फ सैंड नहीं है जिसके कारण से पीला हो रहा है। सैंड हमेशा सैटल हो जाती है, हमने तो 1968 से नहरी क्षेत्र में देखा है, फिटकरी घोलकर सैंड को सेटल कर लेते हैं, लेकिन इसके जो पोल्यूटेंट हैं और उसके बाद में वह सप्लाई हो रहा है, तो यह किसी अधिकारी की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। चाहे किसी अधिकारी की सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस को लें, चाहे कांट्रिब्यूटरी नेग्लिजेंस में लें या डायरेक्ट उसकी रेस्पोंसिबिलिटी के आधार पर ले लें, कोई न कोई यहां पर आपको करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, नहीं तो 50 लाख जनता को आप क्या जवाब देंगे? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजपाल जी, हो गई सारी बात, अब कुछ कहना है क्या?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): बात तो सारी हो गई, पर मोटी बात यह है कि इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आम तौर पर जयपुर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

शहर के अन्दर रोजाना 25 से ज्यादा सैम्पल लिये जाने चाहिए पानी के और यह देखना पड़ता है कि उस पानी के अन्दर बैक्टीरिया तो नहीं है, उस पानी में क्लोरिन की मात्रा नहीं है, कोई हैवी मिनरल्स तो नहीं हैं। यह पीला पानी तो 5-7 दिन से आ रहा है, लेकिन 5-7 दिन के अलावा भी 25 सैम्पल लेते हैं आपकी लेबोरेटरी के अन्दर। यह टैस्ट करने का तरीका ही नहीं है कि वहां बैक्टीरिया है या नहीं है। केवल आप इतना मालूम करते कि क्लोरिन कितना है? क्लोरिन की मात्रा क्या है, आपको पता नहीं है और जैसा कि अभी कालीचरणजी बता रहे थे, आज तक सात दिन में आप यह नहीं मालूम कर पायें कि उसमें बैक्टीरिया है या नहीं है। यह टर्बिडिटी गंदलापन है, पहले कहते रहे, यह टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी के बाद में कहने लगे, यह एल्गी है। बीसलपुर के अन्दर एल्गी पैदा हो गई है और एल्गी के पैदा होने से यह प्रोटीन वाला पानी पिला रहे हैं जयपुर वालों को आप। कल यह कह देंगे कि हम पानी तो वह पिला रहे हैं, पीला है, पर उसमें प्रोटीन है एल्गी की।

सात दिन में जो सरकार यह नहीं मालूम कर पाये, उसकी लेबोरेटरी यह नहीं मालूम कर पाये कि उस पानी में है क्या, यह पीलापन का कारण क्या है और उसको लगातार हम कहते रहे और एक इंजीनियर तो जनता को यह कहता बताया कि पानी पीला आ रहा है तो कोई बात नहीं, मिनरल वाटर पी लो। अब 'मिनरल-वाटर-पी-लो' जैसा स्टेटमेंट आपका अधिकारी देता हो, सरकार चुप रहती हो, सात दिन सरकार यह नहीं मालूम कर पाती हो कि पीलेपन का कारण एल्गी है, पीलेपन का कारण टर्बिडिटी है, पीलेपन का कारण बैक्टीरिया का जर्मिनेशन या पीलेपन का कारण कोई और है, कुल मिलाकर के इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष: वे जवाब दे रहे हैं, माननीय मंत्रीजी, धन्यवाद।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले जौहरी बाजार के माननीय सदस्य कालीचरणजी सराफ...

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं, आप फैमस कहां से हैं जयपुर से?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): जयपुर से माननीय प्रतापसिंह जी हैं, माननीय राजपाल जी हैं और परनामी साहब, सभी ओवर-आल इन जनरल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर यह एक सवाल है पीले पानी का और मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि बड़ी गम्भीरता से इसको लिया है। माननीय

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर को जो बीसलपुर से पानी की सप्लाई होती है, वह 2009 से शुरू हुई। वहां 2009 में ड्रोट के कारण ज्यादा पानी नहीं था तथा 2010 से चालू हुआ वहां पानी सप्लाई के लिए और करीबन जयपुर 70 टू 80 परसेंट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर पर डिपेन्डेंट है। आज तक, मैं समझता हूं, जब से शुरू हुआ तब से इसमें इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लाई है पानी की, वह 200-300 एम एल डी सप्लाई थी पहले और ज्योंही गर्मी बढ़ी, डिमाण्ड ज्यादा हो गई और 300 एम एल डी सप्लाई का पानी चालू हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेग्नेंट वाटर है, बीसलपुर का स्टेग्नेंट वाटर है, वह एक ही जगह इकट्ठा रहता है उसमें एल्गी, काई जिसको कहते हैं वह डवलप हो जाती है। उसमें दो सवाल है, जो मैं बताना चाहूंगा, उसका सारा केमिकल एनालाइसिस किया गया है, एल्गी के प्रिपेयर होने से फोटोसिंथेसिस से, सूर्य की किरणों के प्रभाव से ओवर-आल जो पानी सीधा आता है, जैसा माननीय राजवी साहब ने फरमाया, उधर जो आई जी एन पी का पानी है उसमें एलम और उसका जो सेंट्रिफ्यूज करते हैं, पानी की सफाई करते हैं, उसमें एलम यह सब डलता है और सारी व्यवस्था होती है लेकिन वह आई जी एन पी का कंटिनुअस फ्लो वाटर है। माननीय बीकानेर से, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य विराजे हुए हैं, जो आई जी एन पी का पानी है वह भी बिलकुल इन्फेक्टेड, वह सारा होता है लेकिन एलम है, It is anti, यह बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए क्लोरिन उसमें अलग से डाली जाती है। पहले एलम से सेंट्रिफ्यूज करके वह नीचे उसमें सेटल हो जाता है और क्लोरिन डालने से उसका जो बैक्टीरियल पार्ट है, वह समाप्त हो जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरजपुरा फिल्टर प्लांट, उसको मैंने चैक करवाया है, मैंने अधिकारियों से कह दिया है, मैं तो डाक्टर हूं इसलिए ज्यादा गम्भीर हूं कि इसमें कोई इंफेक्शन नहीं हो, ओवर-आल सबको ही रहना चाहिए। उसमें बैक्टीरियल पार्ट में लैबोरेटरी के अन्दर माननीय मैं राजपालसिंह साहब से कहना चाहूंगा कि उसमें थोरो स्टडी होती है, बैक्टीरिया जाने के बाद अमूमन जब उसके अन्दर जो डोज आफ द क्लोरिन चली जाती है, तो बैक्टीरिया स्टेण्ड नहीं करता है उसके अन्दर और फिर केमिकल एलम में सिर्फ उसका वाटर क्वालिटी या उसके अन्दर आपका इसमें जो डेंसिटी है, उसकी टर्बिडिटी है या इंटेंनसिटी है, उससे नहीं है। We examine the quality of the

(डा. जितेन्द्र सिंह)

water also. मैं निश्चित रूप से कहूंगा, यह अजीब तरह की बात हुई, कंटिनुअस अब धीरे-धीरे पानी का कलर उसमें नीचे साफ होता जा रहा है। क्लोरिन की मात्रा भी हमने बढ़ाई है लेकिन algee is not in our hands. यह नेचर का है, यह काई का जो है, यह नेचर है। गर्मी के बढ़ने से वहां काई का फार्मेशन होता है और उसकी वजह से है।

दूसरा, जो फ्लो वाटर टर्बिडिटी बढ़ी, 300 एम एल डी आया है, उससे भी निश्चित रूप से जो पानी है, उसमें इसलिए मना नहीं किया जा सकता कि उसके अन्दर डस्ट पार्टिकल भी होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कमेटी का गठन कर दिया है, रामराज मीणा और मिस्टर राकेश माथुर हैं। मैंने अधिकारियों की एक मीटिंग भी अभी बुलाई है और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि किसी भी कीमत के ऊपर अगर कहीं लैप्सेज हुए हैं, किसी कम्पनी को सरकार बचाना नहीं चाहती, एल एंड टी हो, चाहे एक्स–वाई-जेड हो, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी उस कम्पनी के खिलाफ, मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: टैस्ट तो करा लिया है आपने? माननीय मंत्रीजी, पानी का टैस्ट तो करवा लिया है? पानी का टैस्ट तो हो गया था ना?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): हां, टैस्ट में बैक्टीरिया नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, I will take a report from the Medical College also.

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, मंत्रीजी, धन्यवाद। मंत्रीजी, आप विराजिए। माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एल एंड टी ने ये दो फिल्टर प्लांट लगे हैं, उनमें से केवल एक ही चालू कर रखा है और भुगतान दोनों फिल्टर प्लांट का मिल रहा है। इसकी भी जांच आप निश्चित रूप से करायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया। केवल गुलाब चन्दजी कटारिया का अंकित होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से ही ...(व्यवधान) आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, पहले हो गया न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं, काई जो है, काई बीच के पानी में नहीं होती है; काई होती है जहां पर अपनी पाल होती है, उसके पास में और यह पानी पाल के पास से नहीं आता है। इतनी काई नहीं आ सकती कि काई के कारण से पीला रंग हो जाए। काई जो होती है न, यह हरे रंग की होती है, यह मैं आपको बता दूं। यह अपने पानी में जो काई जमती है ना, आप इस बात को यह कहने से आप करके, काई की है, इस बात को टालिए मत। अभी तक यह कमजोरी है इस बात की कि इतने दिन में रिपोर्ट करके आप फाइनल बात कहने की स्थिति में नहीं हैं कि यह पानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, या हानिकारक तो नहीं है, यह कहने की स्थिति में मंत्रीजी आज भी नहीं हैं। इसलिए जब तक यह कहने की स्थिति में सरकार नहीं है, इतने दिन जांच करने के बाद में सरकार इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाई है कि यह पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; आप कहिए, हम आपकी बात मानते हैं, आप कहिए कि यह पानी जो है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इस बात से आप संतुष्ट हो, यह कहिए; अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो एक दिन नहीं, आज नहीं, कल नहीं, इसकी बात करके इस काम को करिए। जयपुर के लोगों में इसका खौफ पैदा हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, आप इस बात को बहुत गम्भीरता से लें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप इसकी भी जांच करें, आप कह रहे हैं 72-75 परसेंट पानी है, बाकी में तो ट्यूबवैल का पानी आता है। वह अगर इस पाइपलाइन में मिलता हो तो जयपुर का पानी इतना गहरा चला गया है कि उसके नीचे से जो पानी आता है, उसकी क्या स्थिति है, इसकी भी जांच आपने नहीं की है। इसलिए सारी की सारी जो स्थिति है, वह बड़ी खतरनाक स्टेज पर है। अगर इससे कोई एपेडेमिक हुई, कोई फैला, तो बहुत भयंकर स्थिति लोगों की हो जाएगी। ऐसी बीमारी फैलेगी कि हमारे किसी के बस में नहीं आएगी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरी एक बात जो यहां बार-बार आती है कि सीवर लाइन के कारण से कई स्थानों पर ये दोनों लाइनें मिलकर, इससे भी पानी को खराब कर रही है, जयपुर की स्थिति का आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। मैं तो आपको एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप कर सके इस बात को, रामगढ़ पूरा खाली पड़ा है, रामगढ़ का पूरा सिस्टम बना हुआ है, फिल्टर प्लांट बना हुआ है, इस बीसलपुर का थोड़ा रॉ-वाटर लेकर आप रामगढ़ के बांध में डलवा दें और पूरा वह बांध भरने के बाद में पुराना सारा शहर है, वह सारा शहर उससे कवर हो जाएगा। उसका पूरा सिस्टम डवलप है, आपको नया सिस्टम डवलप नहीं करना पड़ेगा। तो बीसलपुर का जो रा-वाटर है, आप रामगढ़ में भी डाल दें ताकि आपको आराम भी मिलेगा और आपको बिना मतलब काम की परेशानी नहीं होने पड़ेगी। इस पर भी आपके अधिकारियों से बातचीत करके आप इसका फैसला करायें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

सलूम्बर (उदयपुर) में समाजकंटकों द्वारा दूल्हे को घोड़ी से उतार मारपीट की घटना पर पुलिस की निष्क्रियता

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक संवेदनशील मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सामान्यतया शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की बारात को, घोड़े को रोकना, उतारना, यह कई दूर-दराज गांवों में तो सुना है और होता है, कभी-कभी इस प्रकार के लोग आ जाते हैं जो अपने गांव में इस बात के लिए कमिटेड हो जाते हैं और उनकी बारात को नहीं निकलने देते हैं पर यह जो घटना है, यह घटना है सलूम्बर जैसे शहर की और सलूम्बर जैसे शहर की जहां डीवाई एस पी है, उनके थाने हैं, पुलिस है और वह भी किसी गली-खाचे में नहीं, बिलकुल मेन रोड पर साल्वी समाज की बारात को रोक दिया जाए, दूल्हे को उतार करके, पीट करके, दौड़ा-दौड़ा करके

(13.00 बजे)

उसके साथ मारपीट हो और उसमें कई लोग इंजर्ड हों; चलो, यह भी समझ में आ सकता है कि चलो, घटना घट गई लेकिन घटना 12 अप्रैल की, 7.00 बजे की बारात थी और 11.40 बजे इसका मुकदमा दर्ज हो गया, इसमें 9 लोगों को उन्होंने नामजद कर दिया कि ये-ये लोग थे और 15 अन्य थे।

मैंने यह विषय इतने दिन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं इसमें कोई रुचि नहीं रखता हूं कि कोई दूल्हे को उतार दिया, पीट दिया, इसके कारण से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई विषय यहां रख करके कोई बात का बतंगड़ बनाया जाए, मैं इस पक्ष का भी व्यक्ति नहीं हूं। मुझे तो दुःख इस बात का हुआ कि जब 12 तारीख की घटना है, सलूम्बर जैसे शहर की घटना है जहां डीवाई एस पी का आफिस मौजूद है, इतने सरकारी कार्यालय और इतने जिम्मेदार लोग वहां बैठते हैं, 12 तारीख से लेकर के अगर आज तक गिरफ्तारी के बारे में पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है तो इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा? मैं सोचता हूं कि गलती हुई होगी और उसका जो भी परिमार्जन होना होगा, होगा और उसके कारण से आपने इसमें अपराध जुर्म 147, 148, 341, 323, 354, 395, 149 और 3, 1, 10, 11, 14 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का घटित होना पाया। जब यह आप मान रहे हो और आपने जांच सी ओ को दे दी, उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो तो इसको क्या कहें? अगर यह ही कहीं छोटे-मोटे गांव में होती तो आप पूरी की पूरी बटालियन भेज करके दुनिया भर के उठा लाते और आपके सामने इतनी बड़ी...।

मैं, मंत्रीजी, आपसे केवल इतना ही चाहता हूं कि ये जो नामजद मुलजिम हैं जिन पर आपने यह जो मैं पढ़ रहा हूं, यह आपके उस एफ.आई.आर. लिखने वाले का लास्ट कंटेंट है, उसने माना कि ये-ये धाराओं के तहत यह मुकदमा बनता है और इसकी कार्यवाही इसको दी गई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी होकर के कम से कम कानूनी कार्यवाही तो हो। अगर शहर जैसी जगह पर, जहां इतने लोग आते-जाते और गुजरते हैं, वहां भी अगर साठ साल और पैंसठ साल के बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स की बारात को रोक करके, उसके साथ मारपीट होकर के निकाला जाए, तो मैं सोचता हूं कि बहुत अफसोस है। अगर आप कुछ कह सकते हों, अगर कोई गिरफ्तारी हुई तो उसका दे दो। अगर गिरफ्तारी में कोई कमी रही तो आपकी पुलिस के लैप्सेज कहां हैं?

इतने दिन 12 तारीख की घटना को आज 18 तारीख को मुझे, जबकि ये घटना तो मुझे 12 तारीख के बाद तुरन्त ही पता लग गई थी, मैंने इस बात के लिए एस.पी. से बात भी की कि तुरन्त गिरफ्तारी करो, जिनके खिलाफ भी मुकदमा है और कार्यवाही शुरू करो, लेकिन जब लंबे समय तक गिरफ्तारी के बारे में कोई आश्वस्त नहीं हो पाया, तब जाकर के मजबूर होकर के मुझे, भविष्य में कम से कम इस प्रकार की घटना रिपीट नहीं हो और दूसरा, कम से कम सलूम्बर जैसे शहर में आपकी इतनी पुलिस की मौजूदगी के बाद भी अगर कार्यवाही नहीं होती तो यह बहुत दुखद विषय है।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना कोई सलूम्बर की नहीं ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जैसा फरमाया, मैं सहमत हूं आपकी बात से।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप विराजिये न।

श्री पेमाराम (धोद): मंत्री महोदय, एक ही सेकंड। यह कोई छोटी घटना नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। यह हमारे सीकर जिले में भी होता है, हम भी पीड़ित हैं। शादी में हमें भी कार्ड देते हैं कि हो सकता है, हमारे दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे। ऐसी घटनाएं पूरे राजस्थान में आज भी हिन्दुस्तान की आजादी के पैंसठ साल बाद भी हो रही हैं, इसलिए निवेदन है कि सरकार...

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका आ गया है, जवाब देने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जवाब क्या देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, यह इसका ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आजाद भारत में आज भी जानवर पर बैठ करके कोई तोरण मारने के लिए दलित का बेटा जाएगा और सरकार व्यवस्था नहीं करेगी, सरकार उसको रोकने का उपाय नहीं करेगी तो कोई जवाब..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आगे का नाम पुकारूंगा।

श्री पेमाराम (धोद): हम कोई जवाब सुनने के लिए नहीं आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: काहे के लिए आये हैं?

श्री पेमाराम (धोद): हम यह कहने के लिए आये हैं कि सरकार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने कह दिया।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी बनती है। आगे क्या उपाय करेंगे, वह भी साथ में बतायें।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आ गई, आप उपदेश नहीं दें, बात सुनें मंत्रीजी की।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब इनका जवाब आने दो, उसके बाद आपको कुछ कहना हो तो कहिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जो विषय अभी फरमाया, थाना सलूम्बर जिला उदयपुर के विषय में जो जानकारी आपने फरमायी, निश्चित रूप से जो घटना घटित हुई है कोई भी उसको उचित नहीं मानता है। यह शर्मनाक घटना है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि घटना घटित होने के साथ में जो एफ आई आर दर्ज हुई, एफ आई आर नं. 104, एफ आई आर दर्ज होने के उपरांत उसमें जो नामजद अभियुक्त थे, उनमें से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कब किया है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जी, हो गये हैं, मैं आप चाहें तो नाम दे सकता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, आप आसन को यह बता दो, कब हुए हैं और अगर शहर जैसी जगह पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो सेम डे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, वह समय बता दो, कब।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): समय भी मैं निवेदन कर दूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, और मैं साथ में आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर पूर्ण गम्भीरता से जांच भी की जाएगी, अन्य भी कोई दोषी हैं, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे केसेज नहीं होने चाहिए, स्वतंत्र भारत में ऐसे केसेज नहीं होने चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न यह है कि घोड़ी से उतार कर मारपीट करने के बाद वापस पुलिस ने जाकर दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाया और बिन्दोरी निकाली कि नहीं निकाली, यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: यह बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, यह प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): यह जो फरमाया जा रहा है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) काहे का जवाब दे रहे हैं फिर आप?

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, ये सवाल ही ऐसा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) उस बिन्दोरी को वापस नहीं निकलवाया, मारते-पीटते रहे। तो केवल कानूनी कार्यवाही से नहीं होगा। 65 साल के बाद भी अगर समानता के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता रहे और ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) बारात निकाली कि नहीं निकाली, यह बताओ आप। (व्यवधान) बारात नहीं निकली। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): केवल मंत्रीजी जवाब देते रहें, इससे नहीं होगा। सख्त कार्यवाही, वहां उनके सामने और वहीं पकड़ कर लाते। वहीं पकड़ते, वहीं निकालते, तब तो बात होती।

श्री पेमाराम (धोद): इस घटना में भी पुलिस ने वहां बिन्दोरी नहीं निकलवायी। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि मारपीट करके दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया, पुलिस पहुंच गई लेकिन वापस बिन्दोरी नहीं निकलवायी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: ओटाराम जी, आपका बाद में लेंगे। आपका बाद में लेंगे, पहले 295 आएगा। 295 आएगा, उसके बाद में आपका लेंगे। अभी आधा घंटे बाद में आएगा। आधा घंटा लगेगा उसको आने में।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ऐसा नहीं है।

श्री पेमाराम (धोद): ऐसा ही है। ऐसा ही है, गृह मंत्री महोदय, यह सही है। आप अधिकारियों को बचाना चाहते हो। आप अपराधियों को बचाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मात्र 15 मिनट ...

श्री उपाध्यक्ष: निश्चित प्रक्रिया से आएगा। निश्चित प्रक्रिया से आएगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, घोड़ी पर से उतारे जाने की घटना नहीं हुई है, दूल्हे को घोड़ी पर से नहीं उतारा गया है और मैं आपको साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): नहीं, नहीं, यह रिपोर्ट गलत है। (व्यवधान) पुलिस ने गलत रिपोर्ट दी है।

श्री उपाध्यक्ष: सलूम्बर के विधायक हो क्या आप? पेमाराम जी, सलूम्बर के विधायक नहीं हो आप, आप सुनिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सदन जांच करा ले इसकी, उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं होगा। केवल सलूम्बर की विधायक, बसंती देवीजी का अंकित होगा, केवल।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सलूम्बर शहर की बात है, मैं बोलना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: केवल बसंती जी का अंकित होगा।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): माननीय सदस्य बोल रहे थे, इनका विरोध नहीं कर रही हूं पर यह बोलना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, इसलिए मैं भी बोलना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बसंती जी बोल रही हैं।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): पुरानी परम्परा है कि जब भी मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तो बैंड बिना बजाये निकलते हैं, यह परम्परा पहले से चली आ रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये, सुनिये। आप सुनें तो सही। वे बोल रही हैं न। वे बोल रही हैं, सुनिये आप। उनको डिस्टर्ब न करें।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): जिसका समाज विशेष ने विरोध किया। जो कुछ हुआ, अच्छा नहीं हुआ है, उसका मैं भी विरोध करती हूं लेकिन मुस्लिम समुदाय से समझौता हो गया था, भाजपा ने उसका मुकदमा कराया है। भाजपा समुदायों में जहर घोलना चाहती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): जब आपस में समझौता हो गया था तो इसमें मुकदमा कराने की कहां है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रविन्द्र सिंह जी बोहरा।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): जो लोग वहां नहीं थे उनके नाम लिखे गये हैं। कटारिया जी, जहर घोल कर मुस्लिमों को ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद, उसमें अभियुक्त नामजद किये गये, सात जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रविन्द्र सिंह जी बोहरा का अंकित होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: रविन्द्र जी बोहरा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुलाब जी, विराजिए। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुलाब जी, माननीय गुलाब जी, आप विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रविन्द्र सिंह जी बोहरा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि ...(व्यवधान) मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ...(व्यवधान) 13 तारीख को 8 बजे गिरफ्तार किया गया। 15 तारीख को मोइसिन, मुस्तफा, मोइन, वसीम और साजिद को गिरफ्तार किया गया और शारबा को 18 तारीख को सुबह 11 बजे गिरफ्तार किया गया। माननीय सदस्य जो फरमा रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी 13 और 15 तारीख को की गई थी। माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं थी और यहां सदन में उत्तेजना फैलाने का जो मकसद है, मैं इसको गलत करार देता हूं। सरकार पूर्ण संवेदनशील है। जो घटना घटित हुई, इस पर त्वरित कार्यवाही की गई, मौके पर उच्चस्थ अधिकारी पहुंचे और उन्होंने बारात को गंतव्य तक पहुंचाया। उनके द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही की गई। सरकार पूर्ण आश्वस्त करना चाहती है कि इस प्रकार की कोई भी घटना कभी भी जानकारी में आती है, उस पर त्वरित कार्यवाही की जाती है, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रविन्द्र सिंह जी बोहरा।

धौलपुर में बजरी खनन पर रोक की समाप्ति के लिए प्रयास

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय खान मंत्रीजी से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। जयपुर में बजरी के ऊपर रोक लगी, सरकार को चिंता हुई मेट्रो की, सरकार को चिंता हुई बिल्डरों की और सरकार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गई और हालात बताये कि इससे क्या-क्या व्यवधान पैदा होने वाले हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि जयपुर में बजरी की जो रोकथाम हो रही थी, गलत हो रही थी, उसके लिये कोई रास्ता निकाला। लेकिन मेरे जिले धौलपुर में वर्षों से दो नदियां बहती हैं, चम्बल और पार्वती। एक की बजरी खनन पर पहले ही स्थगन लगा हुआ था और दूसरी बजरी भी बंद हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

आज धौलपुर में यह है कि न तो सरकारी काम हो रहे हैं, न प्राइवेट काम हो रहे हैं। हम बजरी लायें कहां से? हमारी इस पीड़ा को सुनेगा कौन और हम कहां जायें? या तो हम सड़क रोकें या हम चोरी से बजरी का खनन करें। हम नहीं करना चाहते कोई चोरी, हम चाहते हैं कि सरकार हम से पैसे ले ले, बजरी का खनन कराये। सरकार ने मेरे प्रश्न के उत्तर में माना है कि चंबल नदी के कई किनारों के ऊपर कोई घड़ियाल नहीं रहते, प्रजनन नहीं करते। जब यह स्थिति आपको मालूम है और आपका करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जनता को परेशानी हो रही है तो क्या यह सम्भव नहीं था कि आप हमारे लिये भी हाई कोर्ट के पास जायें, हमारी फरियाद को भी कहें? क्या यह वहां के स्थानीय विधायकों का काम है? यह सरकार का काम है।

आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि धौलपुर में हालात बिगड़ें, सरकार इसमें कुछ करे। माननीय उच्च न्यायालय के पास जाये और यह बताये कि हमारे अनादि काल से यह काम होता आया है, हमारे घर, हमारे पुरखों के घर, हमारे पूर्वजों के घर सब चम्बल के रेते से बने हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है, वे बोल ही रहे हैं। सारे बोलोगे तो ऐसे थोडे ही चलेगा। हर पाइंट पर थोड़े ही होता है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): नहीं, सारे नहीं बोलेंगे, साहब, हम अपनी पीड़ा कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल रहे हो ना।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो कहां जायेंगे हम?

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल, रविन्द्र सिंह जी बोहरा को समय मिलेगा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ...(व्यवधान) आपका करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती

(श्री उपाध्यक्ष)

अनिता भदेल। श्रीमती अनिता भदेल। अनिता जी आप नहीं बोलना चाहती हैं क्या? (व्यवधान) केवल आपका अंकित होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में तो आये।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आप बोलना चाहते हो क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजरी ...

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको पहले एक बात अर्ज कर दूं, यदि मेरी सुन लें तो। माननीय मंत्रीजी, मैं इस बात को मानता हूं कि नदियों का स्वरूप नहीं बदलना चाहिये, कांस्टिट्यूशन में नीति-निर्देशक तत्व हैं लेकिन जैसा यह चाहते हैं, मजदूरों द्वारा अगर रेती निकाली जाये, मशीनों से निकालें तो दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा यह भी इनको बता दें, ये मुझसे मिले थे। (व्यवधान) अब आप सुनिए। अब आपके मंत्रीजी बोल रहे हैं, सरकार का एक ही आदमी तो बोलेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बजरी पर प्रतिबंध से पूरे स्टेट में काफी परेशानी हुई। न केवल सरकारी स्तर पर होने वाले कामों में बल्कि प्राइवेट डवलपर्स और जो छोटा-मोटा घर बनाने वाले आदमी थे, उनको भी परेशानी हुई। सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट में गई और कल सुप्रीम कोर्ट से और माननीय उच्च न्यायालय से, दोनों से राज्य सरकार को रिलीफ मिल गई और एक टाइम दिया गया कि 6 माह के अन्दर-अन्दर आप कानून बनाकर प्रस्तुत करें। इससे एक बड़ी समस्या थी, उसका समाधान तो हो गया लेकिन माननीय सदस्य की जो समस्या है, वह वहां पर घड़ियाल को लेकर है। घड़ियाल के प्रजनन क्षेत्र में खनन नहीं किया जाना चाहिये। सरकार ने भी इसके बारे में जानकारी की और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पानी का बहाव कम हो और जहां प्रजनन नहीं हो, वहां पर अक्टूबर से दिसम्बर तीन महीने तक छूट देने की, प्रतिबंध हटाने की चर्चा हुई। मुख्य वन संरक्षक तक भी यह बात पहुंचाई गई। एक कमेटी का गठन किया गया है, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही इस मामले में भी कोई न कोई समाधान निकलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। केवल अनिता भदेल का अंकित होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अजमेर में सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन के बलिदान दिवस पर अवकाश की घोषणा

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। विशाल भारत की विशाल सीमाओं पर समय-समय पर आक्रमण होते-होते भारत का विशाल नक्शा बहुत संकुचित हो गया है। इस भारत को सुरक्षित रखने में और इसकी सीमाओं को बांधे रखने में कितना बलिदान दिया होगा, आज तो हम सिर्फ कल्पना करके ही सहम उठते हैं। सिंध के राजाओं द्वारा भी भारत की रक्षा हेतु अनेक अत्याचार और आक्रमण सहे गये हैं।

सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन भी उनमें से एक हैं। महाराजा दाहेरसेन ने 12 वर्ष की आयु में राज्य की बागडोर सम्भाल ली थी। उनकी तरुण अवस्था होने तक उनके चाचा राज्य की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने में सहयोग दे रहे थे किन्तु ऐसा अधिक समय तक नहीं हो सका। दाहेरसेन के सिंहासनारूढ़ होने के 6 वर्ष बाद ही इन्द्र की मृत्यु हो गई। मात्र 18 वर्ष की आयु में राज्य के संचालन का सम्पूर्ण भार इन पर आ गया।

सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन के राज्य पर 5वीं सदी से पूर्व ही अरब देशों की ओर से आक्रमण शुरू हो गये थे। सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन ने उन आक्रमणकारियों को अनेक बार परास्त किया तथा उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी।

जब आक्रमणकारियों को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अरब के खलीफे के नौजवान भतीजे और नाती इमाम अल्दीन मोहम्मद बिन कासीम को सिंध पर सन् 1710 ईस्वी में भारी सेना के साथ में रवाना किया। यह सेना कुछ समुद्री मार्ग से और कुछ मकरान के रास्ते सिंध की ओर बढ़ी। अंत में मोहम्मद बिन कासीम का भारी लश्कर 711 ईस्वी में सिंध के देवल बंदरगाह पर पहुंचा। मोहम्म्मद बिन कासिम द्वारा धोखे और षड्यंत्र से बंदरगाह पर कब्जा कर लिया गया। शिरोमणि सिंधुपति महाराज दोहरसेन वीर, सरहद के रक्षक, हिंदू कुल के रक्षक तथा प्रसिद्ध तीरंदाज थे। उनके पास भारी मजबूत शूल था जिसमें सुदर्शन चक्र की तरह चक्र था, जो शत्रु का सिर काटकर वापस चुम्बक की तरफ जैसे लोहा आता है, वैसे लौटता था।

सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन ने गांव-गांव जाकर सेना बढ़ाई और

(श्रीमती अनिता भदेल)

मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला कर उसे पीछे खदेड़ दिया किन्तु मोहम्मद बिन कासिम की अरब सेना के कुछ षड्यंत्रकारी सैनिकों ने महिलाओं के वस्त्र पहनकर सहायता के लिए अपील की, सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन से फरेब किया। वे दयावश उनकी सहायता हेतु अपनी सेना को छोड़कर उनकी करुणा भरी आवाज की ओर बढ़े। अरब सेना ने अकेला देखकर उनके हाथी पर अग्निबाण छोड़े। मस्त हाथी ने नदी में जाकर सम्राट को पटक दिया। इस प्रकार 16 जून, 1712 में सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके बाद उनकी पत्नी, श्रीमती लाडली देवी, दो कन्याओं, बेटे-बेटे ने भी बलिदान दिया।

प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ने भारत मां को पूरे परिवार सहित आहुति दी। 1997 में हरिभाऊ उपाध्याय नगर, पुष्कर, अजमेर में नगर सुधार न्यास द्वारा सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन का स्मारक बनवाया गया। 16 जून, 2012 को सिंधुपति महाराजा दाहेरसेन के 1300वें बलिदान दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम उपरोक्त स्मारक पर कराया जा रहा है जिसमें देश-विदेश से हजारों लोग भारी संख्या में भाग लेने अजमेर आ रहे हैं।

महोदय, आज भी हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, अन्दर और बाहर की घुसपैठ चालू है। हमें नई पीढ़ी को सही इतिहास से अवगत कराना होगा। ऐसे धीर वीर, दानवीर, धर्मरक्षक, नारी रक्षक वीरों से प्रेरणा लेकर अपने राष्ट्र का निर्माण कराना होगा। अजमेर में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम के दिन राज्य सरकार अवकाश की घोषणा करे एवं समारोह में राज्य से बाहर आने वाली गाड़ियों को टैक्स-फ्री किया जावे तो यह राज्य के लिए एक अच्छा संदेश होगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र घोषणा करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह जी रावत।

मृत परिवार के आश्रितों को सहायता राशि हेतु एफ एस एल रिपोर्ट की निश्चित अवधि में उपलब्धता

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों की अगर कृषि कार्य करते वक्त मृत्यु हो जाती है तो

(श्री हरिसिंह रावत)

कृषि विभाग द्वारा कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मृत परिवार के आश्रित परिवार को सहायता राशि दी जाती है। उस दौरान मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट हेतु विसरा एफ एस एल लैब में भेजा जाता है जिसकी रिपोर्ट कभी आती ही नहीं है। इसकी जांच करावें कि किन कारणों से एफ एस एल की रिपोर्ट समय पर नहीं आती है? क्या सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी नहीं है या अन्य कोई कारण रहता है, स्पष्ट करावें। ग्राम का गरीब किसान जिसको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है, ऐसे व्यक्ति को एफ एस एल रिपोर्ट नहीं मिलने से उक्त लाभ नहीं मिल पाता है।

(13.23 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

इसके लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो स्थानीय सामुदायिक केन्द्रों पर ही डाक्टर्स का बोर्ड बिठाकर निर्णय किया जाय या एफ एस एल की समय अवधि तय कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट भिजवाई जाना सुनिश्चित कराया जावें। अगर कोई कृषक सांप या जहरीले जानवर के काटने से मर जाता है, जबकि विसरा में जहर का असर केवल दो या तीन दिन तक ही रहता है। उक्त विसरे को भेजने में सप्ताह लग जाता है जिसकी वजह से सही शोध नहीं हो पाता है और वह कृषक कृषि बीमा योजना के लाभ से वंचित रह जाता है। मेरे क्षेत्र के कितने ही कृषक परिवार एफ एस एल रिपोर्ट नहीं मिलने से इस लाभ से वंचित हो रहे हैं ।

अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि तत्काल एफ एस एल रिपोर्ट की समय अवधि निश्चित करावें। अगर एक सप्ताह में रिपोर्ट नहीं आती है तो उस मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार के पक्ष में निर्णय देकर उक्त प्रभावित कृषक परिवार को उसका लाभ दिलाया जावे ताकि उक्त परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश परमार।

कुम्भलगढ़ नेशनल पार्क में आरेट वनखण्ड का सम्मिलन

श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़): सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत कुम्भलगढ़ नेशनल पार्क की सीमा से

(श्री गणेश सिंह परमार)

भूमि रूपान्तरण की दूरी यथावत रखने तथा आरेट वनखण्ड को नेशनल पार्क में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या के सम्बन्ध में निम्नानुसार निवेदन करता हूं कि:-

वर्तमान में कुम्भलगढ़ नेशनल पार्क बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। नेशनल पार्क बनने से पहले उक्त नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्य था तथा इस अभयारण्य के आसपास सीमा से लगते हुए आदिवासी लोग बड़ी संख्या में गांवों में, भागलों में, ढाणियों में एवं बसावट के रूप में निवास कर रहे हैं तथा अपने रहने के लिए मकान, इत्यादि बना रखे हैं। इनके खातेदारी हक की जमीनें भी छोटे-छोटे जोत के रूप में यहां पर अवस्थित हैं, जिनसे ये अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

नेशनल पार्क घोषित होने से पूर्व अभयारण्य सीमा यानी वर्तमान में बने नेशनल पार्क की सीमा से 100 मीटर दूरी छोड़कर भूमि रूपान्तरण के प्रावधान थे जिनके आधार पर गांव, ढाणिया व भागले, इत्यादि बसे हुए हैं। नेशनल पार्क बनने के बाद भूमि रूपान्तरण उक्त सीमा से 500 मीटर दूरी का प्रावधान कर दिया है जिससे आदिवासी लोगों को बड़ी परेशानियां आ गई हैं। आदिवासी लोगों की भूमि की जोत छोटी-छोटी होने एवं कम जमीन होने से स्वयं की खातेदारी जमीन से भूमि रूपान्तरण कराकर मकान, इत्यादि निर्माण करते हैं। उक्त प्रावधान लागू होने से भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः इस समस्या के समाधान बाबत पूर्व निर्धारित प्रावधान 100 मीटर ही जन हित में रखा जाना प्रासंगिक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के आरेट वनखण्ड, जो लगभग 396 हैक्टेयर में फैला हुआ है, को नेशनल पार्क में शामिल किया गया है जबकि उक्त वनखण्ड में कई बड़े-बड़े गांव व भागले बसे हुये हैं। इस जमीन पर पर्यटन की दृष्टि से काफी संख्या में होटल व रिसोर्टस भी बने हुए हैं। इन गांवों में अधिकतर आदिवासी जनता निवास करती है। इन लोगों की खातेदारी की जमीनें भी हैं तथा इनके आवासीय मकान भी काफी संख्या में बने हुए हैं। गांवों में आपस में आने-जाने के रास्ते भी इसी वनखण्ड में से होकर जाते हैं।

अतः समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भूमि रूपान्तरण सीमा 100 मीटर यथावत रखी जावे तथा आरेट वनखण्ड को नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं किया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली की पेयजल समस्या के समाधान के उपाय

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत पाली विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या समाधान हेतु निम्न निवेदन करता हूं :-

1. पाली से कालापीपल की ढाणी जलप्रदाय योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अगस्त 2008 में जारी कर दी गई थी परन्तु लगभग पौने चार वर्ष बीत जाने पर भी इसका कार्य शुरू नहीं किया गया है। यह कार्य पूर्ण कर देने से वर्षों से पेयजल संकट से ग्रस्त गांव कालापीपल की ढाणी, निम्बलि उर्रा, सरदार समंद फार्म एवं बागड़िया की कई ढाणियों को पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी।

2. रोहट तहसील के गांव झीतड़ा, मड़, पुरिया, इन्द्रका की ढाणी की पेयजल वितरण की व्यवस्था सहायक अभियंता, सोजत के अधीन है, जब किये पाली विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं। उक्त गांवों में वर्षों से भीषण पेयजल संकट है। इसके निवारण हेतु पाली से झीतड़ा तक सीधी नई जलप्रदाय योजना बनाई जावे।

3. रोहट तहसील की कानावास जलप्रदाय योजना से जुड़े गांवों में वर्षों पूर्व बिछी पाइपलाइनों के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिलता। इन गांवों में अधिक क्षमता की नई पाइपों वाली सीधी पाइपलाइन बिछाने की योजना बना स्वीकृत की जावे।

4. रोहट तहसील के गांव माड़ावास, वायद, जैतपुर, गड़वाड़ा में घर-घर पानी कनेक्शन देने हेतु करीब 5 वर्ष पूर्व पाइपलाइनें बिछाई गई थीं, परन्तु 5 वर्ष बीत जाने पर भी इन्हें अब तक जोड़ा नहीं गया एवं ना ही इनसे पानी वितरित किया गया। कृपया इसे शीघ्र जुड़वा कर पानी सप्लाई किया जावे।

5. रोहट तहसील के गांव खुटानी, कुलथाना, भाकरीवाला, जहां उच्च जलाशय हैं जिनसे अनेकों गांवों में पानी की आपूर्ति की जाती है, इन गांवों में घर-घर पानी के कनेक्शन हेतु पाइपलाइन बिछाने की स्वीकृति दी जावे।

6. रोहट तहसील के गांव फेकारिया, साजी मोगड़ों की ढाणी (बिठू), पुख्तारी, गेलावास, कालापीपल की ढाणी, झीकड़ा, इन्द्रका की ढाणी, माडपुरिया, सरदार समंद फार्म, धींगाना आदि गांवों में विभाग द्वारा कई बार अथक प्रयास किये जाने के बावजूद भी पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती है। इन गांवों में टैंकरों द्वारा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 30 लीटर पानी मुहैया कराया जावे एवं इनकी समस्या के स्थायी समाधान हेतु नई योजना बना स्वीकृत की जावे।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

7. पाली शहर हेतु सन् 1997 में पुनर्गठित जलप्रदाय योजना वर्ष 2011 तक की सम्भावित आबादी हेतु लागू की गई थी। अब सन् 2011 बीत गया, इस अवधि में कई नई बस्तियां बसीं व आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ी। अतः नया सर्वे करवाकर शहरी पुनर्गठित योजना स्वीकृत की जावे।

8. आवासन मण्डल एवं रामदेव रोड स्थित बस्तियों में तेजी से आबादी बढ़ी है। इन दोनों स्थानों पर नये उच्च जलाशयों का निर्माण कराया जावे।

9. पाली शहर में करीब 1,000 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें करीब 20,000 श्रमिक कार्यरत हैं। इनके पेयजल हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए। पुनायत रोड स्थित नये औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल हेतु पाइपलाइन बिछाई जावे एवं उच्च जलाशय का निर्माण कराया जावे।

10. पाली शहर के पेयजल स्टोरेज के प्रमुख स्रोत लाखोटिया तालाब में करीब 10 बस्तियों के गंदे नाले का पानी आकर मिलता है। यही पानी पाली की जनता को पेयजल हेतु दिया जाता है। लाखोटिया तालाब में गंदे नालों के आने वाले पानी को रोकने हेतु ठोस कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छोटू सिंह भाटी। श्री छोटू सिंह भाटी।

(अनुपस्थित)।

श्री बाबूलाल बैरवा

(अनुपस्थित)।

श्रीमती कमसा मेघवाल।

भोपालगढ़ में विद्युत कनेक्शन पर अघोषित रोक की समाप्ति

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में जोधपुर वितरण निगम के उपखण्ड भोपालगढ़ व बावड़ी के अन्तर्गत करीब सैकड़ों थ्री-फेज ट्रांसफार्मर एवं सिंगल-फेज ट्रांसफार्मर लम्बे समय से खराब पड़े हैं तथा इन खराब पड़े ट्रांसफार्मर्स की लम्बे समय के अंतराल के बावजूद भी मरम्मत नहीं करायी जा रही है। खुले आसमान में पड़े होने के कारण भी कई ट्रांसफार्मर जो मरम्मत योग्य थे,

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

वे भी आज मरम्मत करने के लायक नहीं हैं। दूसरी तरफ, किसानों के ट्रांसफार्मर जलने के बाद नये ट्रांसफार्मर कई दिनों; महीनों तक वापस नहीं लगाने के कारण उनकी फसलें जल चुकी हैं तथा किसानों को काफी नुकसान हो गया है। अभी हाल ही में बीकानेर जिले में किसानों को समय पर विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण निगम पर करोड़ों रुपये के नुकसान के मुआवजे हेतु प्रकरण दर्ज करवाया गया है। भोपालगढ़ क्षेत्र में समय पर थ्री-फेज ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत नहीं करने के कारण किसानों की फसलें बरबाद हुई। उसका आकलन करवाकर किसानों को निगम से मुआवजा राशि दिलवाई जावे।

मण्डोर उप-खण्ड, भोपालगढ़, बावड़ी, पीपाड़ शहर में लम्बे समय से घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं तथा इसमें ज्यादातर फाइलें एस.सी./एस.टी., बी.पी.एल. व ढाणियों में निवास कर रहे लोगों की हैं। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र घरेलू एवं कृषि कनेक्शन, जिन पर अघोषित रोक लगा रखी है, उस रोक को हटाकर तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा।

जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिस्तर क्षमता में बढ़ोतरी

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के मुख्यालय पर वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें कनिष्ठ विशेषज्ञों के 8 पद स्वीकृत हैं। काफी वर्षों से इस स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी न किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के पद-स्थापित रहने से क्षेत्र में इसकी अच्छी साख है तथा काफी संख्या में अंत:रंग रोगी इलाज करवाते हैं। किन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर में वर्तमान में 75 बेड्स की ही स्वीकृति होने से कई मरीजों को वार्ड में फर्श पर रहकर भी इलाज करवाना पड़ता है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उप-खण्ड क्षेत्र जहाजपुर में जहाजपुर मुख्यालय के अतिरिक्त केवल पण्डेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है किन्तु वहां पर भी मात्र एक ही चिकित्सक का पद-स्थापन होने से सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र के निवासियों को इलाज हेतु जहाजपुर ही आना

(श्री शिवजीराम मीणा)

पड़ता है। साथ ही पंचायत समिति क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्ति निवास करते हैं, जो यहां से अत्यधिक दूर जिला मुख्यालय पर जाकर इलाज करवाने में भी असमर्थ रहते हैं।

अतः मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर में बेड्स की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 करवाने की स्वीकृति प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. जसवंत सिंह यादव।

बहरोड़ में पेयजल की व्यवस्था

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जमीन का जल स्तर नीचे जाने के कारण पीने के पानी की भयंकर समस्या हो गयी है। जलदाय विभाग एवं जनता जल योजना के नलकूप काफी संख्या में सूख गये और गिरते जल स्तर से और भी नलकूप सूखने के कगार पर हैं। अतः बहरोड़ में पेयजल एवं पीने के पानी की व्यवस्था के लिये सरकार कोई नई योजना तैयार करके, जो नलकूप पहले से स्थापित हैं उनको तुरंत गहरा कराया जावे या उनकी जगह नये नलकूप स्थापित किये जावें जिससे पीने के पानी की समस्या दूर हो सके। इसी प्रकार, नगरपालिका बहरोड़ में भी पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। बोरिंग काफी पुराने पड़ गये हैं तथा पानी सप्लाई करने की पाइप लाइनें जर्जर हालात में, टूटी-फूटी अवस्था में हैं। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो नगरपालिका क्षेत्र व गांवों के क्षेत्रों में प्यास से आक्रोश फैल जाएगा।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त गम्भीर समस्या का समाधान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: कर्नल सोनाराम जी चौधरी।

बाड़मेर में अध्यापकों के रिक्त पद

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा विगत दो वर्षों

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये गये हैं जिसमें प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करना, तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने के लिये नये विज्ञान एवं अन्य संकाय खोलना, आदि उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 29 माध्यमिक विद्यालय खोलकर एवं रा.उ.मा. विद्यालय, बायतू एवं रा.उ.मा. विद्यालय, पाटोदी में विज्ञान व गणित संकाय खोलकर जो नया इतिहास रचा है, उसके लिये मेरे क्षेत्र की जनता एवं मैं स्वयं शिक्षा मंत्री एवं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।

वर्तमान में तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के कई पद भरने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जो एक सराहनीय कदम है। 15 मार्च, 2012 से माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा की वार्षिक परीक्षाएं प्रारम्भ हो रही हैं जिससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की रातों की नींद हराम हो गयी है क्योंकि जिले में 35 प्रतिशत से अधिक अध्यापकों, विषयाध्यापकों, प्राध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। प्रारम्भिक शिक्षा में 4,53,603 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं एवं माध्यमिक शिक्षा में लगभग 2 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनका भविष्य अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण अंधकार में है। मेरे क्षेत्र में 32 माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान नहीं हैं। हीरा की ढाणी, पाटोदी, निम्बाणियों की ढाणी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा - जिला प्रारम्भिक शिक्षा- बायतू

पद	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	वि.वि.
2nd Grade	1640	422	202	24	
3rd Grade	11053	4347	1274	619	
P.E.T.	390	98	42	14	

माध्यमिक शिक्षा - जिला

	प्रधानाचार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	2nd Grade	P.E.T	पुस्तकालयाध्यक्ष2	3rd Grade	पुस्तकालयाध्यक्ष.3
स्वीकृत	81	334	483	1972	36	25	312	57
रिक्त	42	239	270	864	22	13	203	18

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

जिले के विभिन्न प्रकार के कुल पदों की स्थिति देखी जाये तो माध्यमिक शिक्षा में कुल 4,060 पदों में से 1,800 पद रिक्त हैं, प्रारम्भिक शिक्षा में 19,019 में से 7,697 पद रिक्त हैं, यानी 40 प्रतिशत के आसपास पद रिक्त चल रहे हैं।

(13.37 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है? अध्यापकों के रिक्त पद, ऊपर से अध्यापकों से सर्व शिक्षा, जनगणना, मकान गणना, पशु गणना, मिड-डे मील, चुनाव, आदि-आदि के कार्य भी लिए जाते हैं। पढ़ाई के कार्य दिवस देखें तो 365 दिनों में से मात्र 128 दिवस ही होते हैं।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि इस गम्भीर समस्या पर विचार कर यथाशीघ्र समाधान हेतु अध्यापकों की भर्ती कर पद-स्थापन देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अर्जुनलाल जी।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण बैकलाग की पूर्ति

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि आज से करीबन 8 वर्ष पूर्व जब श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार में थे, तब राज्य सरकार ने एस.टी.सी. एवं बी.एड. प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के पेट पर लात मारते हुए पैरा-टीचर्स लिये थे, जो उस समय प्रशिक्षित नहीं थे, जिनका मानदेय 1,200 रुपये था जो कि ग्राम पंचायतों द्वारा दिया जाता था। फिर ग्राम पंचायतों से इनका मानदेय बंद कराकर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने लगा। उस समय उनकी भर्ती में आरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। धीरे-धीरे राज्य सरकार द्वारा इनका मानदेय 1,200 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक कर दिया गया। आज से करीबन चार वर्ष पूर्व माननीय वसुन्धरा राजे जी की सरकार में पैराटीचर्स का नाम बदलकर इनको प्रबोधक का पद देकर तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियमित वेतन श्रृंखला में स्थायी कर दिया गया, जो कि करीबन 25 से 30 हजार के आस-पास हो सकते हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा संविधान के अन्तर्गत आरक्षण अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के 28.5 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से

(श्री अर्जुन लाल)

8,500 के लगभग प्रबोधक होने चाहिए थे, जिसकी पालना नहीं की गई। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में जो कि जारी है, बैक-लाग की गणना कर 8,500 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जाएं। अभी महिला आरक्षण का प्रबोधक स्थायीकरण में प्रावधान नहीं रखा था जिसमें न्यायालय द्वारा महिला आरक्षण का निर्णय पारित हो चुका है। इस बाबत् राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की जगह जो प्रबोधक लगाये गये हैं, उनको हटाने के नोटिस जारी हो चुके हैं।

अतः माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 8500 का बैक-लाग शामिल किया जाकर दलितों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

काश्तकारों की समस्याओं का समाधान

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य में काश्तकारों को हो रही विभिन्न परेशानियों एवं समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि हम सबके अन्नदाता कृषक को उसकी रोजमर्रा की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु सरकार उचित व्यवस्था करे।

राजस्थान राज्य में काश्तकार जब समर्थन मूल्य पर अपनी उपज को बेचने जाता है तो उसको अपनी जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी की जरूरत पड़ती है जिसके लिए उसको पटवारी के यहां पर चक्कर खाने को मजबूर होना पड़ता है। कई चक्कर लगाने के बाद पटवारी मिलता है और उसे उसको येन-केन-प्रकारेण राज़ी कर अपना काम निकलवाना पड़ता है। यह स्थिति हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान सरकार को भी हर काश्तकार की जमाबंदी, खसरा गिरदावरी एवं उसका सारा खाता इंटरनेट पर डालना चाहिए ताकि जब भी वह मंडी में जाए तो उसको कुछ नहीं लेकर जाना पड़े और सम्बन्धित एजेंसी जो फसल क्रय करती है, उसका विवरण वह इंटरनेट से निकाल सके जिससे काश्तकार को होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

इसी प्रकार, काश्तकार को विरासत से नामांतरण खोलने के लिए एवं

(श्री बंशीधर खण्डेला)

भूमि क्रय करने के बाद नामांतरण खुलवाने के लिए भी कई दिन तक पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि पटवारी को रजिस्ट्री की प्रति प्राप्त होने के बाद पंचायत की नेक्स्ट मीटिंग में उसकी तस्दीक हेतु रखा जाए एवं पटवारी द्वारा प्राप्ति की रसीद दिये जाने के आदेश भी जारी किये जाएं ताकि उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

इसी प्रकार, एक और महत्वपूर्ण समस्या जो रोज हर काश्तकार के सामने आती है, वह यह है कि काश्तकार को अपनी भूमि या खेत की पैमाइश एवं पत्थरगढ़ी के लिए तहसीलदार एवं एस.डी.एम. के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। कृषक अपने खेतों को छोड़कर अधिकारियों के आगे-पीछे दौड़ने को मजबूर होते हैं, जो कतई उचित नहीं है। ऐसी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए कि पैमाइश एवं पत्थरगढ़ी के लिए एप्लाई करने के बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्य सम्पन्न करने के लिए समयावधि निर्धारित हो एवं पटवारी को पाबंद किया जाए कि अधिकारी द्वारा आदेश मिलने के बाद एक निश्चित टाइम-बाउंड फ्रेम में पत्थरगढ़ी एवं पैमाइश उसको करनी ही पड़ेगी ताकि काश्तकार को राहत मिले एवं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सके।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उपरोक्त विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं पुन: सरकार से काश्तकारों के हितों की रक्षा एवं उनको रोजमर्रा होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामहेत सिंहजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

किशनगढ़ बास में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरे किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में कुछ बात रखना चाहता हूं।

किशनगढ़ बास में जो मेवात क्षेत्र पड़ता है उसमें हमारे जितने भी अपर-प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें कुल 30,249 बालक-बालिकाएं पढ़ते हैं और 1,029 शिक्षक हैं; जबकि पड़ोस में ही बहरोड़ में मात्र 9,290 बालक-बालिकाएं पढ़ते हैं जिसमें 764 अध्यापक हैं। तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारे यहां

(श्री रामहेत सिंह)

पर तीन गुणा अध्यापक होने चाहिए, लेकिन 29 बालकों पर मात्र एक अध्यापक है, जिनकी संख्या कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत सारे अध्यापक जिला परिषद में या अन्य स्कूलों में डेपुटेशन पर लगा देते हैं। मेवात में पिछड़े हुए बालकों का शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं है।

यही हालत सीनियर स्कूल्स में है। पूरे मेवात क्षेत्र में एक सीनियर सेकण्डरी स्कूल है, उसमें भी आर्टस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। मेवात के बालक-बालिकाएं अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो 18-20 किलोमीटर दूर जाकर किशनगढ़ में आना पड़ता है। ग्रामीण बालक-बालिकाओं, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए शिक्षा में साइंस फैकल्टी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेवात क्षेत्र के हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक सीनियर स्कूल खोलें और उसमें साइंस फैकल्टी भी खोलें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इसी तरह से मदरसा में भी यही बात है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि 156 मदरसे हैं जिनमें चार साल में मात्र आपने 56 पैराटीचर्स की नियुक्ति की है। 100 पैराटीचर्स के पद अभी भी रिक्त पड़े हैं और जिनकी नियुक्ति की है, उसमें भी आपने शर्त लगा दी कि जुलाई में जो नियुक्ति हुई हैं, उनको मूल जिले में पद स्थापित कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 56 पैराटीचर्स भी जो सरकार ने नियुक्त किये हैं, ये भी अपने आप में अलवर जिले से बाहर के लोग हैं, ये अपने जिले में चले जाएंगे तो मदरसों में भी पैराटीचर्स नहीं रहेंगे। तो वहां पर भी पढ़ाई का उचित प्रबंध नहीं होगा।

इसी तरह से मेवात विकास बोर्ड की बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। समाप्त करें, रामहेत जी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): यहां पर माडल स्कूल खोलने की बात की थी लेकिन उसको भी नहीं खोला। यहां पर पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा 60 लाख रुपये वसुन्धरा जी के राज में जमा किये गये थे, बालक छात्रावास के लिए। एस.सी. छात्र वहां पर रहते हैं, उसका भी काम आज तक शुरू नहीं किया।

मेवात क्षेत्र में जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, मेरा आपके माध्यम से

(श्री रामहेत सिंह)

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जुलाई से पहले शिक्षा क्षेत्र में उचित व्यवस्था करें और जितनी भी सीनियर स्कूल्स हैं उनमें साइंस सब्जेक्ट खोलें ताकि वहां के बालक भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ सकें।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, संजना जी, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय विधायक ने शिक्षकों की कमी की जो बात बताई है, भर्ती का काम चल रहा है, जैसे ही भर्ती पूरी हो जाएगी, हम जुलाई तक इनके अध्यापक लगा देंगे।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय मंत्री महोदय, साढ़े तीन साल हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी। बोलिये, संजना जी।

सोजत में पेयजल समस्या

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं सोजत विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के बारे में माननीय मंत्री महोदय को अवगत करवाऊंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव जीवन की सबसे महती आवश्यकता पेयजल है और पाली जिले के अन्दर सोजत विधान सभा क्षेत्र पाली जिले का सबसे अभावग्रस्त एरिया है जहां पर 2,700 से 2,800 टी.डी.एस. फ्लोराइडयुक्त पानी जनता पी रही है, यह हमारा दुर्भाग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि जवाई पाइपलाइन परियोजना जो पूर्ववर्ती सरकार में लागू हुई थी, उसके चौथे पैकेज के कार्य हेतु आपने बजट 2011-12 के अन्दर उसके कार्य आदेश जारी करवाये। उसका पाली से जो सोजत और सोजत से जैतारण तक था, उक्त कार्य आज भी बंद पड़ा है, जबकि यह कार्य अभी मई-जून की गर्मी से पहले-पहले इस जवाई पाइपलाइन का पानी सोजत

(श्रीमती संजना आगरी)

की जनता को मिलना तय हुआ था। मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त जवाई परियोजना का जो काम बंद पड़ा है, उसे अतिशीघ्र आप ठीक करवायें।

इसके साथ ही मैं सोजत नगरपालिका के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि सोजत नगरपालिका के अन्दर आज भी आठ और नौ दिन से पानी की सप्लाई हो रही है और यह पानी की जो अनियमित सप्लाई हो रही है, वह अधिकारियों की निश्चित तौर से लापरवाही के कारण हो रही है क्योंकि अभी शहर के लिये हमारे पास में पानी भी है। 21 लाख लीटर पानी जो पाली-जवाई परियोजना से दिया जा रहा है, उसके अन्दर मात्र 17 लाख लीटर पानी ही मिल पा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस नगरपालिका के अन्दर जो अनियमित सप्लाई हो रही है, इससे आये दिन जनता के अन्दर भारी आक्रोश हो रहा है। बार-बार अधिकारियों को अवगत कराने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसके लिये आप अतिशीघ्र कार्यवाही करावें।

इसके साथ सोजत तहसील के मेरे कई गांव ऐसे हैं, सरदारसमंद, राजोला, दुरासनी, शिवपुरा, रेपड़ावास, सोजत, निमेड़ाकलां, रामपुरा, रायरा, लिलाबा, कुशालपुरा, चंडावल, पीपलिया और बगड़ी, इन गांवों के अन्दर पेयजल की भयंकर समस्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्रीजी को अवगत कराना चाहती हूं कि विभाग की लापरवाही से पेयजल का वितरण सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। इसमें से कई गांव जो कुशालपुरा, चंडावल, पीपलिया और बगड़ी हैं, यहां पर अधिकतर किसान और मजदूर वर्ग है जो कुओं पर निर्भर है, ढाणियों के अन्दर रहते हैं, वहां पर पानी की पाइप लाइनें भी बिछी हुई नहीं हैं। वहां पर उन कुओं का पानी आज की तारीख में पूरी तरह से सूख चुका है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि इन कुओं पर, ढाणियों पर जहां पाइप लाइन बिछी हुई नहीं है, वहां पर अतिशीघ्र टैंकरों के माध्यम से आप जलापूर्ति की व्यवस्था करावें तो मेरे क्षेत्र की जनता को पानी...

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। तो पानी की तकलीफ नहीं होगी। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं बताना चाहूंगी कि टैंकरों की जो व्यवस्था आप अभी करवायेंगे, आप कुछ वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा जो करवायेंगे, उसकी जिम्मेदारी पी एच ई डी विभाग को ही दी

(श्रीमती संजना आगरी)

जाये, ताकि गांवों के अन्दर कुछ प्रभावशाली लोग उस पानी का मिसयूज नहीं करें और गरीब जनता को पीने का पानी मिले।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। आपका नाम पुकार लिया, आप बोलिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के अन्दर जो हैण्डपम्प खराब हैं, उनको भी आप अतिशीघ्र ठीक करावें।

नीमकाथाना में बलात्कार की शिकार युवती द्वारा आत्मदाह

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राजस्थान के अन्दर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में सभी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी। जिस सरकार की, मैं सरकार की बुराई भी नहीं करना चाहती, मात्र इतना-सा निवेदन करना चाहूंगी कि जिस सरकार को एक पारदर्शी सरकार, संवेदनशील सरकार के नाम से जाना जाता है, उस सरकार के राज में इस तरह के कारनामे, किसी थाने के अन्दर और वह भी 11 महीने में 6 इसी एक ही तरह के मामले, तो शायद मैं मानती हूं कि इस राजस्थान का सिर शर्म से झुकने वाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों चेचट में माया हत्याकाण्ड हुआ और उस घटना ने, मैं मानती हूं, इस पूरे राजस्थान को शर्मसार किया। उसके बाद जैसे ही गत 28 और 29 तारीख को विधान सभा से मैं कोटा पहुंची, वहां जाकर मुझे पता चला कि उसी थाने के थानेदार का ड्राइवर किसी महिला को शराब के नशे या .... (व्यवधान) मैं बिलकुल उसी पर आना चाहूंगी महिलाओं पर, महिलाओं पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह नीमकाथाना पर है। चन्द्रकान्ता जी, आप सब्जेक्ट पर जाओ अन्यथा मैं दूसरे का नाम पुकार लूंगा। उसी तक सीमित रहें, उसी तक सीमित रहेंगी आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14 दिन पूर्व की घटना है और किस तरह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यह पूरा राजस्थान जानता है। हो सकता है, आप मेरी बात को न सुनना चाहें, मैं बिल्कुल मेरी बात पर आना चाह रही हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुमन बलाई, जो नीमकाथाना क्षेत्र की घटना है, जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है, 3.4.2012 को स्कूल से वह छात्रा लौट

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

रही थी और जब वह शाम को स्कूल से लौट रही थी तो उसी दौरान उस छात्रा के साथ जो राजाराम नाम का व्यक्ति था, उसने बलात्कार किया और उस लड़की को यह कहा गया कि अगर तूने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो मैं तेरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। बड़ी शर्म की बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। पीड़िता ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया, माता-पिता थाने पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रयास किया। उसी रात को उस लड़की ने अपने ऊपर केरोसीन छिड़ककर आत्मदाह कर लिया। दूसरे दिन फिर थाने में पीडि़त परिवार पहुंचा और बड़ा दुर्भाग्य है इस राजस्थान का, कि उस परिवार ने एफ आई आर दर्ज करवाने के लिये इतना निवेदन किया, उस थानेदार के हाथ जोड़े, उसके पैरों में ढोक दिया, उसके बावजूद भी एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं माननीय लाडकुमारी जी, उन्होंने लिखित में लैटर दिया और उस लैटर को ले-जाकर परिवार वहां पहुंचा, तब जाकर एफ आई आर दर्ज हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मात्र इतना-सा निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह के मामले हों और उनमें मुकदमा दर्ज नहीं हो और परिवार को फटकार लगाकर भगा दिया जाये, तो यह अच्छी बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां के जो एस एच ओ साहब हैं, एडिशनल एस पी साहब हैं, उनके द्वारा लगातार, पूरी यह लिस्ट है, मेरे पास एफ आई आर की कापियां भी हैं, पूरी 10 कापियां और एक ही समाज की जो दलित छात्राएं हैं, उनके साथ इस तरह का अत्याचार किया गया। उनमें से जो 10 की मेरे पास एफ आई आर्स की लिस्ट है, जो पूरी फाइल मेरे पास अभी रखी हुई है, उसमें से 3 लड़कियों का तो अभी कोई अता-पता ही नहीं है, जो स्कूली छात्राएं थीं। यह बड़ी शर्म की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14 दिन तक वह छात्रा मौत से जूझ रही थी एस एम एस हास्पिटल के अन्दर, लेकिन उस छात्रा के लिये किसी भी तरह की राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई। तीन दिन पहले जब वह परिवार मेरे पास पहुंचा, हमने प्रशासन से बात की, तब जाकर मात्र 50 हजार की सहायता उस छात्रा के परिवार वालों को दी गयी। आप देखिये, कल उस लड़की की मौत हो गयी और कितनी शर्म की बात है, उस लड़की की जैसे ही मौत हुई, उसकी डैड-बाडी को लेने के लिये उसके परिवार वाले वहां गये तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। हो सकता है, प्रशासन को कहीं न कहीं इस तरह का शक हो कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

ये कहीं डैड-बाडी को लेकर कुछ प्रदर्शन करें या किसी तरह का कोई माहौल गन्दा हो हो, सकता है, उनको इसीलिये डैड-बाडी नहीं दी।

वह परिवार कल से विधान सभा के बाहर धरने पर बैठा हुआ है। रात को आठ बजे से डेढ़ बजे तक मैं खुद वहां थी, मैंने खुद ने वहां जाकर देखा, आप देखिये, जितने भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, वहां पर सिविल ड्रेस में वहां का जो एस एच ओ है, वह घूम रहा है और लगातार उस परिवार को धमकियां दे रहा है, मैं खुद देखकर आई हूं, उस परिवार को धमकियां दे रहा है कि या तो राजीनामा कर लीजिये वरना आगे क्या होने वाला है, इसका कोई नहीं बोल सकता कि क्या होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी शर्म की बात है।

मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी और यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो पीड़ित परिवार है जिस पीड़ित छात्रा की मौत हुई है, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाये, 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये और जो एस एच ओ और एडिशनल एस.पी. हैं, जिनके राज में इस तरह के कृत्य हुए, उस थाने के अन्दर इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको वहां से निलम्बित किया जाये। यह मेरा हाथ जोड़कर सदन से निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस गांव के अन्दर ...(व्यवधान) मांग करती हूं और उन दोषियों को सज़ा दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये एक बार। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अगर उन दोषियों को बचाते रहेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस एम एस हास्पिटल में उस लड़की की डैड-बाडी पड़ी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस लड़की की बाडी अभी भी एस एम एस हास्पिटल में पड़ी हुई है। मैं पुरजोर निवेदन करती हूं इस सरकार से, इस तरह के अत्याचार महिलाओं के ऊपर नहीं किये जायें। यह पूरी लिस्ट मेरे पास है। देखिये, लोग गांव को छोड़-छोड़कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। उस लड़की की बाडी को दिलाया जाये और इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें कि उसे कितनी राशि दी जायेगी, किस तरह की मदद उसको दी जायेगी। यह दलित महिलाओं के बारे में आपको बताना चाह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सुखराम जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

महोदय, पूरी 10 की लिस्ट, आप देखिये, गांव छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं लोग। कौन सहारा है उनका?

श्री उपाध्यक्ष: वे इसी पर बोल रहे हैं। माननीय सुखराम जी, आप इस पर बोल रहे हो या पानी वाले विषय पर बोल रहे हो? किस विषय पर बोल रहे हो? (व्यवधान) एक मिनट सुनिये ना।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी से तत्काल घोषणा करवायें।

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपा करके विराजो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल रात से आई.जी. साहब से बात कर रही हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुखराम जी, इस पर बोलेंगे कि उस पर बोलेंगे? इसी पर बोलेंगे ना आप? अब जो मैं कह रहा हूं, उनकी भी पर्ची है, उनसे जानकारी ले लूं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं पर अत्याचार हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इसी पर बोलेंगे या पानी पर बोलेंगे? इसी पर?

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची तो ..(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): महिलाओं पर अत्याचार, यह बिल्कुल सहन नहीं किया जायेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): मुझे जो समय दिया गया था, वह स्थगन पर दिया गया था। मेरी पर्ची तो अलग है जलप्रदाय योजना पर।

श्री उपाध्यक्ष: आप इस पर बोलोगे? किस पर बोलना चाहते हो? (व्यवधान) आप इस पर बोलना चाहते हो, पानी पर बोलना चाहते हो?

श्री सुखराम (बसेड़ी): पानी पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पानी पर, फिर विराजें आप। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 11 महीने में इस तरह से छात्राओं के साथ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: फिर बाद में बुलाऊंगा आपको।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि छात्राओं ने स्कूल में, कालेज में जाना बन्द कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमराराम जी, आप बोलेंगे?

(14.00 बजे)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): वहां तुरन्त चौकी खोली जाए और जो पीड़ित परिवार हैं, जितने भी पूरे मुकदमे हैं, पिछले जो कारनामे हैं, उन सब पर कार्यवाही की जाय। यह मेरा निवेदन है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जवाब तो आये, राज्य सरकार से जवाब तो दिलाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसी पर बोल रहे हैं ये, इसी पर बोल रहे हैं। इसी पर बोल रहे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसी पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: हां, बिलकुल इसी पर बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक विद्यालय की लड़की है जो विद्यालय से पढ़कर के अपने घर जा रही थी, सुमन देवी, जस्सीपुर गांव की है, गोविन्दपुरा स्कूल से पढ़कर के जा रही थी और इसके साथ जिस तरह से व्यभिचार हुआ और अवसाद में उसने जिस तरह से तेल डालकर जलने का काम किया और कल उसका देहांत हो गया।

न सिर्फ यह सुमन देवी की घटना है, इससे पिछली वाली 15 अगस्त को एक दलित लड़की 15 अगस्त, स्वाधीनता दिवस मनाकर के अपने महाविद्यालय से घर जाते हुए उसके साथ जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ; एक नहीं है, नीमकाथाना में लगातार पढ़ने वाली लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हों, तीन तारीख की घटना हो और वहां का एस.एच.ओ., इन्जार्च उसकी एक दिन तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करे, एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए भी लोगों से सिफारिश करवानी पड़े...

श्री उपाध्यक्ष: थाना कौनसा है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): थाना नीमकाथाना है। नीमकाथाना में तीन तारीख की घटना है और चार तारीख को एक दिन बाद ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये, इनको नहीं बोलने देना चाहते हो क्या आप?

श्री सुखराम (बसेड़ी): दस घटनाएं हैं ...(व्यवधान) गृह मंत्री, मुख्य मंत्री स्वयं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको इस पर, पर्ची पर नहीं बोलना क्या? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रही हूं, मैं धरने पर बैठूंगी यहां विधान सभा के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष: हां, हां, वह ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): जब तक उस परिवार को मदद नहीं की जायेगी सरकार द्वारा, दोषियों को सज़ा नहीं दी जायेगी ... (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना में पिछले दो साल में दस घटनाएं हुई हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं? गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप अंकित नहीं होने देना चाह रहे हो। (व्यवधान) आप क्या चाहते हो?

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): दो साल में 10 घटनाएं हुई हैं ऐसी और वहां पर इतना भय व्याप्त है कि लड़कियां स्कूल जाना बंद ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हो, मैं अगला मामला लूं? मैं चाहता हूं कि कोई बात है तो सब अपनी बात बोल लें। आप बोलने नहीं देना चाहते। अमराराम जी इसी पर बोल रहे हैं। आप बोलिये, आप बोलिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल में दस घटनाएं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: केवल अमराराम जी का अंकित होगा। इसी पर बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लगातार घटनाएं हैं। नीमकाथाना में नर्सिंग पुरी में घर के अन्दर से जबरन उठाकर ले गये, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और इस तरह से न केवल उस लड़की के साथ व्यभिचार किया गया, एक पुलिस के बड़े अधिकारी की गाड़ी को, लाल बत्ती की गाड़ी को ले जाकर उन परिवारों को धमकी देता है कि अगर इसमें आपने आगे कार्यवाही की तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं लगातार नीमकाथाना

(श्री अमराराम)

में एक नहीं, अनेकों घटनाएं हैं। घर से उन दलितों के परिवार की महिलाओं को उठाना, कालेजों से जहां से स्वतंत्रता दिवस मनाकर जाने वाले लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हो, स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की अपने घर जा रही हो, उसके साथ इस तरह की दुर्घटना हो और उसके बाद वहां का पुलिस का इंचार्ज 24 घंटे तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करे, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। पुलिस के बड़े आफिसर के लोग जाकर के धमकी दें, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो और उसके बाद भी उसको मदद नहीं हो, मैं समझता हूं, ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, गृह मंत्रीजी, तुरन्त कार्यवाही की जाय और आइंदा से ऐसे नहीं हो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं, एस.सी. के साथ जिस तरह का व्यभिचार हो रहा है, वहां एस.सी. का सेल का डीवाई.एस.पी. भी लगाया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी रोक नहीं लग रही है। जिस तरह से 64 साल के बाद कोई सामंती प्रवृत्ति है, ऐसा दलित बच्चियों के साथ जो होता है, मैं समझता हूं, वे सामंती संस्कार के लोग उनको प्रताड़ित करके समझौते के लिए बयान बदलाने के लिए जिस तरह के दबाव डालते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चार तारीख के बाद आज तक उसके 164 में बयान भी शायद नहीं हुए क्योंकि उनको बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए जिस तरह से पुलिस कार्यवाही कर रही है और वे आज यहां विधान सभा के सामने बैठे हुए हैं। इसलिए, गृह मंत्रीजी, घटना जो हुई है, पांच लाख का प्रोविजन है वह पांच लाख रुपये की भी घोषणा करें और ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें जिससे सबक मिले, दोबारा कोई ऐसा करने का काम नहीं करे। तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय जवाब दें और पांच लाख रुपये की ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए। आप नहीं चाहते क्या कि जवाब आए सरकार का? (व्यवधान) आप पर्ची पर बोलो न।

श्री पेमाराम (धोद): एक अकेली घटना नहीं है, दस घटनाएं हैं।

(श्री पेमाराम)

उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिला राजस्थान में...(व्यवधान) जवाब दिया है राजस्थान की सरकार ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक बात को आप तीनों बोलो। आप तीनों को जितना टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप तीनों बोलते रहोगे?

श्री पेमाराम (धोद): राजस्थान की सरकार ने जवाब दिया है कि राजस्थान में गरीबों और महिलाओं पर उत्पीड़न ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा। केवल मंत्रीजी का, मंत्रीजी का।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का। विश्वनाथ जी, आप चाहते हो सरकार जवाब नहीं दे? केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने नीमकाथाना क्षेत्र की जिस घटना के बारे में यहां पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया, इस क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सुमन नाम की बालिका के साथ जो घटना हुई, इस घटना का न सिर्फ हम सब को दुख है, बल्कि घटना के क्रम में, जैसा कि माननीय सदस्या ने फरमाया, एक एफ.आई.आर. संख्या 260 चार तारीख को दर्ज की गयी। तीन तारीख की घटना के साथ बालिका ने जो कि स्वयं के ऊपर तेल डालकर के स्वयं को जला लिया था, परिवारजन उसको तत्काल एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर लेकर आ गये थे और चार तारीख को उसके चाचा के थाने में पहुंचने के साथ घटना दर्ज कर ली गयी थी। इसके साथ ही, ऐसा नहीं है ...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरी बात के बाद में ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप विराज जाएं। आप विराजें, भाई साहब। अब कोई बात है, वह बात आयेगी रिकार्ड में तब ही तो आप उस बात पर अपनी बात रखेंगे।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते हो? आप जवाब नहीं सुनना चाहते हो? (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप विराजिये, आप विराजिये। श्री सुखराम जी ...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते हो? (व्यवधान) अब आप जवाब नहीं सुनना चाहते हो।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम जी, सुखराम जी। (व्यवधान) आप जवाब नहीं सुनना चाहते हो तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जब सरकार जवाब दे रही है, उसके बाद में, इसके बाद में बात करनी थी। अब सारे, तीनों बोलने लग गये आप। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। (व्यवधान) पूरा सदन है, तीन आदमी नहीं हैं; अपराधियों के खिलाफ आप तीनों नहीं हो, अपराधियों के खिलाफ पूरा सदन है। (व्यवधान) आप बात नहीं सुनना चाहते हो। श्री सुखराम जी। (व्यवधान) आप शांत रहिये। माननीय सदस्य, आप शांत रहिये या आप शांत रहिये। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, डा. विश्वनाथ मेघवाल एवं श्रीमती संजना आगरी द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: रमेशजी, आपके मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप मंत्रीजी से बड़े हो क्या? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा, केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा, केवल मंत्रीजी का अंकित होगा। केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने मंत्रीजी से बड़े हो गये क्या? जवाब आने दो। आप जवाब आने दो न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा, बाकी अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा। मंत्रीजी बोलेंगे तो अंकित होगा, नहीं तो नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, जैसा कि माननीय सदस्या ने इस घटना के बारे में जिक्र फरमाया, सुमन जी की मौत और मौत के उपरान्त दर्ज एफ आई आर के बारे में आपने जो बात फरमाई, एफ आई आर दिनांक 4.4.2012 को दर्ज की गयी। इस रिकार्ड को मैं नहीं बदल सकता हूं, यह रिकार्ड है। आपका यह आरोप लगाना कि एफ आई आर लेट दर्ज हुई, यह गलत है। पीड़ित जो बालिका है उसको उनके परिवारजन, जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, सीधे इलाज के लिए एस एम एस अस्पताल लेकर आए 3 तारीख को ही और 4 तारीख को उन्होंने वहां से जाकर सम्बन्धित थाने में एफ आई आर दर्ज कराई, जो कि दर्ज हो गयी। एफ आई आर दर्ज होने के साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्काल जांच प्रारम्भ किये जाने के साथ जैसा कि नियम है, डी एस पी स्तर के अधिकारी के द्वारा जांच की जानी थी, तत्काल जांच प्रारम्भ की गयी और 6 तारीख को मुजरिम को बीकानेर में पकड़ लिया गया और उनको 7 तारीख को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। (व्यवधान) आप बात सुनें, आप इधर-उधर ध्यान न दें।

मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह बात, पूर्व के कुछ और इस प्रकार के प्रकरणों के विषय में उठाई गई और जांच अधिकारी द्वारा जांच सही तरीके से नहीं की जा रही है, यह विषय भी उठाया गया। हालांकि इसमें

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

एक मात्र, इसमें एक मात्र जिस मुजरिम का नाम दर्ज कराया गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है।

साथ ही इस पर एक बात और की गयी कि इस पर सरकार की ओर से कोई सहायता की राशि नहीं दी गयी, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलवाए जाने की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ कर दी गयी थी। 9 तारीख को जिला कलक्टर, सीकर ने सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, सीकर को इसके बारे में अपनी ओर से तत्काल प्रेषित किया और पीड़ित पक्ष को 10 तारीख को आर्थिक सहायता के रूप में पचास हजार रुपये स्वीकृत किये गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिए आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो इस बारे में प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए चूंकि पीड़िता की असामयिक मृत्यु हुई है, अतः पीडिता के परिवार को राजस्थान सरकार के आदेशानुसार आर्थिक सहायता जो देय है उसको जारी किये जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस पचास हजार के अतिरिक्त ढाई लाख रुपये की और राशि, जिसमें से उसका पचहत्तर प्रतिशत, 1 लाख 87 हजार 500 रुपये के लिए आदेशित कर दिया गया है।

साथ ही साथ, फिर भी क्योंकि यह बहुत गम्भीर घटना है, यदि इस बारे में लेश मात्र भी माननीय सदस्या, जिन्होंने इस विषय को उठाया है, उनको लेश मात्र भी सन्देह है तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वयं ऐसी किसी भी घटना के लिए बहुत ज्यादा गम्भीर हैं और उसकी पूर्ण पारदर्शिता से जांच हो, इस बात के लिए कृत संकल्प हैं, अतः यदि आपको जांच अधिकारी पर लेश मात्र भी सन्देह है तो आई जी स्तर के अधिकारी से जांच करवाए जाने की मैं इस सदन में घोषणा करता हूं और सात दिवस में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, यह भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो आई जी के स्तर का हो गया। (व्यवधान) अब आप सुनिए। नरपत सिंह जी राजवी को इजाजत दी है केवल, उनका अंकित होगा। (व्यवधान) उसके बाद दे देना आप जवाब।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, जांच के लिए खुले मन से मंत्रीजी ने कहा, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो भी अधिकारी ऐसे आफेन्स में सहयोग करे या उसको दबाने की कोशिश करे, उसको नहीं बचायेंगे तो सरकार की कभी बदनामी नहीं होगी। लेकिन एक इवेंट नहीं है, यह आप स्वयं इसको देखें, जो भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, दस इवेंट्स हैं और अकेले एक वर्ष में मेरे ख्याल से चौदह महीने में सात इवेंट हुई हैं, 2010 में एक हुई और 2009 में दो हुई। यह तो जो जानकारी माननीय सदस्य के पास थी, उन्होंने इस विषय को उठाया। उनमें से अधिकांश बालिकाएं नाबालिग हैं। उनमें से अधिकांश बालिकाओं ने, या तो कुछ को परिवार वालों ने, एक है नीमकाथाना, चौदह वर्ष की आयु, एफ आई आर नम्बर 181, छात्रा ने तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। यह घटना है 10.4.2009 । 15.8.2009, छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, पीड़िता पक्ष ने गांव से पलायन किया। 24.1.2010, सामूहिक बलात्कार, छात्रा ने पढ़ाई छोड़ी तथा आरोपी पक्ष द्वारा राजीनामे का दबाव बनाया। 13.1.2011, उम्र 25 वर्ष, पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने का प्रयास। अन्य घटना, 14 वर्ष की उम्र, 12.6.2011 की, एफ आई आर नम्बर 556, नाबालिग छात्रा के साथ गुमशुदगी का मामला, कार्यवाही नहीं हुई, अभी तक बच्ची का पता नहीं लगा। एफ आई आर नम्बर 413, उम्र 15 वर्ष, 2.7.2011, नामजद आरोपी गिरफ्तार नहीं, लड़की अभी तक बरामद नहीं। एफ आई आर नम्बर 751, उम्र 15 वर्ष, 17.10.2011, पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों को बचाने का प्रयास। एफ आई आर नम्बर 824 उम्र 14 वर्ष, घटना की तिथि है 26.11.2011, नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला, नामजद आरोपी गिरफ्तार नहीं, छात्रा अभी तक बरामद नहीं। एफ आई आर संख्या 831, उम्र 25 वर्ष, 7.12.2011 की घटना, परिवादी के पक्ष के विरुद्ध झूठा मुकदमा बनाकर मामले को दबाने का प्रयास। और दसवां जो मामला है, उसके बारे में आपने चर्चा की।

एक चेन आफ इवेंट्स है, इसमें अगर कोई अधिकारी दोषी है, कौन-कौन वहां पोस्टेड रहा है, किसका दायित्व था, कब एफ आई आर दर्ज होनी थी, घटना का समय क्या है, आज एम एल सी का केस यहां पर हास्पिटल में भर्ती हो जाए, इलाज चालू हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एम एल सी केस नहीं, यहां

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पर खुद चौकी है, उसके बाद में जाकर कराने की आवश्यकता है। कम से कम ऐसे मामलों में आइडेन्टिफाई करें उस अधिकारी को, ऐसे अधिकारियों को और जो भी हैं उनको सज़ा मिले।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कुछ कहना था, मंत्रीजी? नहीं, वे कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह पर्ची पर डिबेट होती है क्या? दूसरे भी आइटम हैं, दूसरे भी लेने हैं।

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने और प्रकरणों के बारे में विषय उठाया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुमारी वर्षा, जिस प्रकरण में जानकारी आपकी ओर से प्रेषित की, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि दो के खिलाफ चालान पेश किया गया है। दूसरा विषय आपने उठाया कुमारी ममता का, इसमें तीन गिरफ्तार किये जा चुके हैं। जहां तक आपने विषय उठाया है कुमारी कविता का, चार के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। जहां तक विषय आपने श्रीमती बाला का उठाया, चार के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। जहां तक विषय आपने कुमारी पूजा का उठाया, इसमें भी मैं आपकी जानकारी में लाऊं कि एक को गिरफ्तार किया जा चुका है।

साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो 164 के बयान के बारे में विषय उठाया गया था, 164 के बयान दर्ज हुए और वे एज ए डाइंग डिक्लेरेशन इसमें काम में आयेंगे। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

(माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती संजना आगरी व डा. विश्वनाथ मेघवाल का धरना समाप्त)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओटाराम जी देवासी। विराजिये, मंत्रीजी। माननीय ओटाराम जी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल लिये, इस पर बोल लिये। आप एक पर बोल सकते हो, बोल लिये। ओटाराम जी...

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं इस पर नहीं, मेरी जलप्रदाय योजना पर पर्ची है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे पर्ची कैसे खतम कर दी? मेरा तो मैटर ही अलग है। मेरा तो मैटर ही अलग है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मैं सिरोही जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची है।

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओटाराम जी का अंकित होगा।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सिरोही जिले में...

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

सूचना

सिरोही में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सिरोही जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सिरोही जिले में कल रात को जो घटना हुई यह करीब तीसरी घटना है, सिरोही विधान सभा क्षेत्र के शिवगंज में रीको में चौकीदारी करने वाले बच्चे की हत्या की गयी। जिस बच्चे की हत्या की गयी, वह बहुत गरीब परिवार का लड़का था। रीको में चौकीदारी करता था। इससे करीब 4-5 दिन पहले सिरोही जिले के उड़वाड़िया गांव के खेत के अन्दर भील समाज के एक व्यक्ति की और हत्या की गयी। इस तरह सिरोही जिले में बार-बार ये हत्या की घटनाएं हो रही हैं, चोरी, लूटपाट और हत्या बार-बार सिरोही जिले में हो रही हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार के मंत्रीजी को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूरे सिरोही जिले में बार-बार चोरी, लूट और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। कल शाम को ही जिस बच्चे की हत्या की गयी, वह एक गरीब परिवार का सदस्य था और शिवगंज में रीको के अन्दर चौकीदारी करता था। रात को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी। इसी तरह से उड़वाड़िया में खेत में सोये हुए भील समाज के किसान की भी खेत में हत्या की गयी। पूरे विधान सभा क्षेत्र में आये दिन, पहले भी करीब...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें, ओटाराम जी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): 5 दिन पहले साथी विधायक जी की खान पर एक मजदूर की पत्थर गिरने से मृत्यु हुई। इस तरह एस टी और एस सी पर बार-बार ये घटनाएं हो रही हैं।

दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आगे से इस तरह की घटनाएं सिरोही विधान सभा क्षेत्र या सिरोही जिले में नहीं हों।

दूसरी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये अब। श्री दौलत राज समेजा।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): आहोर विधान सभा क्षेत्र के लोग पानी की मांग को लेकर एस डी एम कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठे हैं, उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

गंगानगर में मादक पदार्थों की तस्करी की बढ़ती घटनाएं

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष जी, मैं पर्ची के माध्यम से आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस ने दिलबाग सिंह सन आफ प्रीतम सिंह निवासी सितो, कोटगुड्ढा, जिला तरणतारण, उम्र 30 वर्ष; नरवेल सिंह पुत्र बलदेव सिंह, निवासी रुकमेवाला, फिरोजपुर, उम्र 22 वर्ष, इन दो व्यक्तियों को फजिल्का पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास 20 किलो हेरोइन जब्त की गयी जिसकी कीमत अनुमानित 1 अरब रुपये है। इन्होंने गिरफ्तार होने के बाद बताया कि यह हेरोइन रायसिंहनगर के काकूसिंहवाला जहां पर बार्डर की पोस्ट है, वहां से पाकिस्तान के द्वारा तस्करी के माध्यम से आयी। तस्करों द्वारा 27 आर बी गांव तक इसको पहुंचाया गया। उसके पश्चात् गंगानगर जिले के 6 चैक पोस्ट रायसिंहनगर, गजसिंहपुर, करणपुर, केसरसिंहपुर, गंगानगर और साधु वाली चैक पोस्ट, जहां पर पंजाब की सीमा लगती है, को क्रोस कराकर वहां तक पहुंचाया गया है। उपाध्यक्ष जी, इससे पूर्व हिन्दुमल कोट में 18 किलो हेरोइन जब्त की जा चुकी है, 23/2 को हिन्दुमल कोट में 6 किलो हेरोइन जब्त की जा चुकी है।

जिले में मादक पदार्थों की बढ़ती हुई तस्करी के सम्बन्ध में मैं गृह मंत्रीजी से चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में खुली चर्चा की जाए और जिले के जो हालात बनते जा रहे हैं, इसके बारे में विचार किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। माननीय श्री सुखराम जी। आप बोलिये। बोलिये आप। केवल सुखराम जी।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): ×××

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

डांग क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजना के कार्य सम्पादन में ठेकेदार द्वारा अनियमितताएं

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में 84 गांवों की जो पेयजल योजना है यह पेयजल योजना यहां डांग क्षेत्र के लिये पूर्व मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा राजे ने स्वीकृत की थी। बसेड़ी विधान सभा का 75 परसेंट क्षेत्र डांग क्षेत्र है जहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत बनी हुई है। ऐसी समस्या को देखते हुए हमारी पूर्व मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धरा राजे जी ने 84 गांवों के लिये पेयजल योजना स्वीकृत की थी, डांग एरिया जलप्रदाय योजना। उसके लिये 14 लाख रुपये पहले स्वीकृत हुए, उसके बाद 84 लाख रुपये फिर स्वीकृत हुए और उसकी कार्य पूर्ण होने की तिथि 27.2.2010 थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि तीन-तीन बार उस संवेदक की कार्य विस्तार अवधि बढ़ायी गयी परन्तु उस संवेदक ने राज्य की सम्पत्ति का हनन किया है। मनमाने तरीके से जिन गांवों में पाइपलाइन डाल रहा है, वहां पर सी सी रोड और अन्य प्रकार की राज्य की जो सम्पत्ति है, उसको नष्ट कर रहा है। जबकि नियमानुसार यह होता है कि टर्म्स आफ कंडिशंस के माध्यम से अगर उस राज्य की सम्पत्ति का नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार करता है। बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में उस ठेकदार की इतनी दादागिरी है कि सी सी रोड उसने खोद दी, रोड उसने खोद दिये और जब कोई सरपंच उसके विरोध में बात करता है तो सीधे-सीधे वह धमकी देता है कि आपके इच्छा हो जो करो, मेरे तो ऊपर से यहां पर सम्बन्ध हैं, आपको जो करना है वह करो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं...

श्री उपाध्यक्ष: कन्क्लूजन करो।

श्री सुखराम (बसेड़ी): चम्बल की बजरी पर प्रतिबंध होने के कारण उसमें पानी की जो टंकियां बनायी जा रही हैं, उसके लिये लोकल बजरी का

(श्री सुखराम)

उपयोग कर रहे हैं जिसमें मिट्टी की मात्रा 55 परसेंट होती है। अगर 55 परसेंट मिट्टी की मात्रा वाली बजरी का उपयोग संवेदक पानी की टंकी बनाने में करेगा तो निश्चित रूप से इसमें घपला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, लाइन है, डांग एरिया है, डांग एरिया में कार्य प्रारम्भ करने से पहले टेक्निकल रूप से उसका सर्वे कराना चाहिये। ठेकेदार ने न तो सर्वे कराया और न वहां पर किसी भी प्रकार का टेक्निकल अधिकारी नियुक्त किया, सिर्फ मजदूरों के भरोसे वह काम...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ आश्वस्त होना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे ठेकेदार जो अनियमितताएं कर रहे हैं, घटिया सीमेंट, रोड़ी जिसकी इम्पेक्ट वेल्यू 36 से 40 होती है उसका उपयोग कर रहा है, 55 परसेंट मिट्टी वाली रेत का उपयोग कर रहा है, ऐसी महत्वपूर्ण योजना में इस तरह की अनियमितताएं कर रहा है...

श्री उपाध्यक्ष: ध्यान में आ गया सरकार के, आप विराजें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: गेहूं के बारे में खूब पर्चियां आयी हैं। अब जिसकी सबसे पहले पर्ची आयी है, मैं चाहूंगा कि वह बोलें। बाकी सब बोलेंगे तो सदन का माहौल वापस गरमायेगा और सरकार के ध्यान में, माननीय खाद्य मंत्रीजी भी हैं, सरकार के बहुत से मंत्री बैठे हैं...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): थोड़ा-थोड़ा आप सबको दें...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठिये तो सही। देखिये आप, कब डिमाण्ड शुरू होगी, कब दूसरा बिजनेस है, बिल भी हैं। इसलिये यह पर्ची सबसे पहले दी थी अशोक जी डोगरा ने। माननीय अशोक जी डोगरा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पर, उपाध्यक्ष महोदय, जिस चीज पर बोलना चाहते थे...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सबको दो-दो मिनट का टाइम दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको बोलने नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आज जो किसान प्रदर्शन करने आ रहे थे गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर, यह राजस्थान सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदना चाहती। आज वहां किस तादाद के अन्दर...(व्यवधान) अपनी बुनियादी मांगों को लेकर यहां पर आता है, सरकार गिरफ्तार कर लेती है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों करोड़ का गेहूं कोटा में भीग गया और सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं तौल रही है। (व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): आप किसानों के ठिकाने ले लेते हैं... (व्यवधान) सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आज जो समर्थन मूल्य का रिकार्ड लक्ष्य रखा गया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते हो कि इस सब्जेक्ट पर बोलें? (व्यवधान) आप दोनों माननीय सदस्य नहीं चाहते डोगरा जी बोलें। अगला बिजनेस ले लूं? (व्यवधान)

सूचना

किसानों को गेहू के समर्थन मूल्य पर विक्रय में अनुभूत कठिनाइयां

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बूंदी में 600 से 800 ट्रोलियां मण्डी के बाहर खड़ी हैं 13 तारीख से, किसानों का माल खरीदने वाला कोई नहीं है। बारिश रोज आ रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, उनके वहां एफ आई वाले कट्टे नहीं उठा रहे हैं। माल जो पड़ा है मंडी में, वह उठ नहीं रहा है। बोनस के लिए एफ सी आई वालों ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई आर्डर नहीं आया है। कोई नकल नहीं ले रहा है। पहले यह सिस्टम बनाया था कि नकल लेकर के टोकन देंगे। एक कमरे में खिड़की खोल दी, ताला लगा दिया कि इसमें नकलें फैंक जाओ। कोई नकलें झेलने वाला नहीं है, कोई टोकन नहीं दे रहा है। 20 लाख मिट्रिक टन गवर्नमेंट ने कहा कि खरीदेंगे, इसमें 5 लाख मैट्रिक टन तो अकेले बूंदी में ही है। किसान रोज परेशान हो रहे हैं,

(श्री अशोक डोगरा)

उनको मजबूरी में 1,100 रुपये में गेहूं बेचना पड़ रहा है बाजार में व्यापारियों के पास। (व्यवधान) व्यापारियों ने ही ठेका ले रखा है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत पूरे राजस्थान की है ...(व्यवधान) किसान की यह हालत है ...(व्यवधान)

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): किसान परेशान हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री राजपाल सिंह शेखावत, श्री घनश्याम तिवाड़ी ...(व्यवधान) श्री कालीचरण सराफ, श्री अशोक परनामी, श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, जयपुर के पृथ्वीराज नगर के नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, राजपाल सिंह जी शेखावत।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि एक-एक व्यक्ति बोलेंगे। माननीय राजपाल सिंह जी शेखावत।

श्री करणसिंह (छबड़ा): जो सरकार ने डिक्लेयर किया है, उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: राजपाल सिंह जी। केवल राजपाल सिंह जी का अंकित हो ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो चाहता हूं सरकार कहे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह तरीका है क्या? एक-एक बोलें। (व्यवधान) आप ऐसे ही चलाओगे क्या? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते नहीं हो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी भी मामले का निर्णय एक-एक के बोलने से होता है। दस बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप किसान की बात करते हो, अच्छा और कोई किसान नहीं है? (व्यवधान) सारे सदन में आप ही हो एक किसान! (व्यवधान) अब आप विराजिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते ही नहीं हो। (व्यवधान) मंत्रीजी, आपको बोलना है? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये आप। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब बात तो आपके साथियों ने ही नहीं सुनने दी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी की बात सुनो, नहीं तो मैंने अगला पुकार लिया है, मैं आगे बढ़ता हूं। सदन को ऐसे चलने दें। मैं खुद चाहता था इसमें तो, आप चाहते ही नहीं हो। चार-चार बोलने लग गये। मंत्रीजी, बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये ना एक बार, बाद में पूछ लेना।

श्री उपाध्यक्ष: इनके बाद बोल लेना ना आप, अगर कोई बात कहनी हो तो कह दीजियेगा लेकिन ऐसे नहीं, एक-एक बोलोगे और दो घंटे भी लगेंगे तो सदन में मिलेंगे। आप इस तरह से बोलोगे, हर पाइंट पर बोलोगे, फिर, देखो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी सदन चलायें तो सदन का तरीका होता है। आपसे ज्यादा समस्याओं का समाधान यह सदन चाहता है। आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने गेहूं की खरीद के बारे में ध्यानाकर्षित किया, आपने कहा कि वहां बोनस भी नहीं दिया जा रहा है, खरीदा भी नहीं जा रहा है। आपकी जानकारी में मैं लाऊं कि गत वर्ष 15.04 से खरीद केन्द्र शुरू किये गये थे, इस साल माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से 1 अप्रैल से खरीद केन्द्र शुरू किये गये हैं। आपने कहा कि कोटा में कोई खरीद नहीं हो रही है, 1 लाख 10 हजार मिट्रिक टन गेहूं अब तक कोटा डिविजन में खरीदा जा चुका है। पेमेंट बोनस का 100 रुपये क्विंटल, आपकी सरकार ने तो 5 साल में एक रुपया भी नहीं दिया बोनस, यह अशोक जी गहलोत का ही करिश्मा है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय मंत्री महोदय, कोटा डिविजन में गेहूं हुआ है 20 लाख टन और आप लोगे केवल 2 लाख टन। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जायें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप बात तो सुनिये पूरी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरी बात सुनो। (व्यवधान) जवाब आने दो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): बाकी का गेहूं कैसे खरीदोगे? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): पूरी बात सुनिये। (व्यवधान) कोई रहे तो आप पूछें, मैं बताऊंगा। मध्य प्रदेश में, वहां की सरकार 5 साल से आपकी सरकार थी, तब भी वहां की सरकार दे रही थी। आपकी सरकार 5 साल रही, 1 रुपया बोनस का नहीं दिया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप तो अब की बात करो ना, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): इस साल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 100 रुपये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उसका जवाब दे रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपने किसानों के नाम पर क्या किया, उसकी पोल भी खोलनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये तो सही मेरी बात। (व्यवधान) बात करना ना ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कोटा डिविजन में एक भी किसान को बोनस अभी तक नहीं मिला है। (व्यवधान) यह गलत जानकारी दी है अधिकारियों ने।

श्री उपाध्यक्ष: आप देख लो। फिर क्या करें बतायें। (व्यवधान) जब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो आप सुन लो। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आज की खरीद तक जिन किसानों का किया है, एक भी किसान का कोई बोनस बाकी नहीं है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): हमने बात की है, एक भी किसान को बोनस नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये तो सही। (व्यवधान) हमने एडवांस एफ सी आई को, तिलम संघ को 20 करोड़ रुपये मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से रात को ही इन एजेंसियों को दिया है। उससे पहले पेमेंट कर दिया। एक भी किसान का जो पेमेंट हुआ है, उसका एक रुपया भी बोनस का बाकी नहीं है। आपकी जो खरीद की बात है, मैं यह मानता हूं कि आपके यहां केन्द्रों की ज्यादा मांग है। जो भी जन-प्रतिनिधि साहिबान यह कहेंगे कि हमारे यहां सेंटर ज्यादा खुलें, सरकार पूरे खुले दिल से सेंटर खोलेगी, किसानों का गेहूं खरीदेगी, बोनस देगी। बाहर जाने की समस्या अभी नहीं आने देंगे। अब माननीय सदस्य जो भी कहें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रभुलाल जी ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपके खरीद केन्द्र कितने हैं? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये तो सही ...(व्यवधान) आप सुनिये तो पूरा। (व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): चार-चार दिन, पांच-पांच दिन हो गये ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रभुलाल जी, पहले मंत्रीजी की पूरी बात आ जाने दो। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सरकार का इरादा था कि हम 15

(श्री परसादीलाल)

लाख मिट्रिक टन गेहूं खरीदेंगे, जैसी बजट में भी घोषणा थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों की भावनाओं को देखते हुए, गेहूं की आवक को देखते हुए 20 लाख मिट्रिक टन कर दिया ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): लाख मिट्रिक टन हुआ है ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य की बात का जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): जो बाकी गेहूं है, उसका क्या होगा? (व्यवधान) आप 33 प्रतिशत ले रहे हो, 77 प्रतिशत का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः प्रभुलाल जी, आपका यह मसला है कि सेंटर और खुलें ताकि खरीद में ज्यादा असुविधा नहीं हो। यही तो बात है जो कि मंत्रीजी ने कह दी कि जो भी सजेशन होगा, जितनी भी जरूरत होगी, उतने खोल देंगे। अब कोई बात बची क्या? आप विराजें, इनकी बात सुनें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य, आप ही नहीं, जो भी माननीय सदस्य सेंटर की मांग करेंगे वहां पर सेंटर कायम करेंगे।

श्री उपाध्यक्षः एक मिनट विराजें, मंत्रीजी। हां, प्रभुलाल जी, बोलिये। (व्यवधान) हां, बोलिये, प्रभुलाल जी। इतनी बात हो गयी, अब क्या कहना है? पिनपाइंटेड कह दीजिये कोई बात। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, पिनपाइंटेड ही कहूंगा।

श्री उपाध्यक्षः अब अगला बिजनेस लेना है। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि हाड़ौती में बूंदी जहां 56 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं पैदा हुआ और जैसा मंत्रीजी ने अभी सदन में कहा कि 1 तारीख से पूरे राजस्थान में समर्थन मूल्य में क्रय चालू कर दिये गये, मैं मंत्रीजी को अपडेट करना चाहूंगा कि बूंदी जिले में नैनवां, हिण्डौली, देई, बासी में 16 तारीख से खरीद शुरू हुई है। गलत सूचना है आपके पास।

उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर दो, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपको बूंदी जिले के बारे में कि वहां पर तिलम संघ को आपने परचेज करने की अनुमति

(श्री प्रभुलाल सैनी)

दे रखी है। तिलम संघ ने वहां के जो ठेकेदार हैं, वहां के जो व्यापारी हैं, उनको उन्होंने ठेका दे रखा है। जितना वे खरीद रहे हैं, वे रात को पर्चियां काटकर ठेकेदारों से खरीद रहे हैं। किसानों को चार-चार दिन तक मंडियों में बैठा रहना पड़ता है। जब उनसे बात होती है, कलक्टर से बात होती है तो उन्होंने कहा कि एफ सी आई गेहूं खाली नहीं करा रही है। यह सारी अव्यवस्था है, सरकार इस पर ध्यान दे।

हम यह चाहते हैं कि केन्द्र आप खोलेंगे, उसके लिए तो धन्यवाद लेकिन। पुनः आपसे निवेदन यह करेंगे कि एक तो आप रेगुलर परचेज करायें; दूसरा बोनस के पैसे की बात है, एक नया पैसा भी बूंदी में 16 तारीख से आज दिन तक किसी भी काश्तकार को नहीं दिया गया है...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। (व्यवधान) आप विराजिए, आप ही की बात कर रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): और यह कहा गया है कि हम इनको विकास पत्र जारी करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय को मंत्रीजी दिखवा लें और जो आपके पास सूचना है, उसको करेक्ट कर लें।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था ठीक हो जाए।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): को-आपरेटिव सहकारी समितियां वहां पर जो हमारी सक्षम हैं, उनको यदि आप क्रय करने की अनुमति प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को सही समय पर उनकी उपज का मूल्य भी मिलेगा, नहीं तो 1,100 रुपये में आम बाजार में किसान को इस सारे राजकीय घटनाक्रम की परेशानियों से मजबूर होकर बाजार में बेचना पड़ रहा है। सुधार की हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे अपील करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप यह चाहते हो, भाई, बाजार वाले व्यापारी ले सकें...(व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में भी बारदाना नहीं पहुंच पा रहा है। बारदाना की बहुत ज्यद्दा समस्या चल रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री राजपाल सिंह शेखावत, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री कालीचरण सराफ, श्री अशोक परनामी व श्री मोहनलाल

(श्री उपाध्यक्ष)

गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, जयपुर के पृथ्वीराज नगर के नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री राजपाल सिंह जी शेखावत।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पृथ्वीराज नगर, जयपुर का नियमितीकरण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत पृथ्वीराज नगर के नियमन और विकास के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब आप करेंगे? मैं ही करूं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं ही बोल लूं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, ध्यानाकर्षण के बाद वक्तव्य आप दोगे, मंत्रीजी। मंत्रीजी, वक्तव्य आप देंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मंत्रीजी वक्तव्य देंगे पहले, हम सवाल-जवाब करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक मिनट विराजें। (व्यवधान) मंत्रीजी का वक्तव्य आने के बाद।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी के बोलने के बाद, मंत्रीजी के बोलने के बाद। सिस्टम है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): दो दिन पहले भी, मैं ध्यानाकर्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, एक मिनट कर लूं?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, इसके बाद।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात।

श्री उपाध्यक्ष: बोल ही नहीं सकते, नियम हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अच्छा, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: आप समझें, फिर और भी बोलेंगे। माननीय मंत्रीजी, वक्तव्य दें। (व्यवधान) वह बाद की बात है। सिस्टम की बात है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिनमें राजपाल सिंह जी शेखावत भी हैं, ने एक काल अटेंशन मोशन दिया है और उसमें कुल मिलाकर दो बातें आपने लिखीं। पहली बात तो यह लिखी कि साहब, उच्च न्यायालय में जवाब देने में सरकार ने टालमटोल रवैया अपनाया और दूसरी बात यह लिखी आपने कि निस्तारण में ढाई वर्ष से भी ज्यादा का विलम्ब कर दिया। तीसरी बात आपने यह और लिखी कि साहब, असंवेदनशील बनी हुई है सरकार। मैं इन तीन बातों के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आसन के माध्यम से।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को भी जानकारी होगी, 2002 में गहलोत साहब की सरकार काम कर रही थी, इस पृथ्वीराज नगर को डि-एक्वायर कर दिया गया था। डि-एक्वायर क्यों किया गया था, इसके बारे में भी आपको जानकारी है कि भाई, नियमितीकरण होगा; जहां जो बैठा हुआ है, वहीं उसका कम्पाउण्ड किया जाएगा; उसको लैण्ड अलाट की जाएगी और उन लोगों को रिलीफ दी जाएगी, वगैरह, वगैरह, वगैरह, इसीलिए किया गया। लेकिन इसका प्रसंज्ञान ले लिया हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय में 2002 से लेकर 2010 तक यह मुकदमा वहां पर चलता रहा। 2003 ज्यों ही आया, हमारी सरकार तो चली गई और आप विराजमान हो गये, तो 5 साल तक तो आप इसका फैसला करवा नहीं पाये और हमने इसका जब डेढ़ साल में फैसला करवा दिया तो उसके लिए आप कहते हो कि टालमटोल का रवैया है। हमने इसका फैसला करवा दिया अक्टूबर, 2010 में। कुल मिलाकर 2009 की शुरुआत में हमारी सरकार आई, 2008 में मान लें, 2009 ही मानें उसे, दिसम्बर, 2008 में सरकार आई तो 2009 से लेकर 12 महीने, वह और 2010 की साल के 10 महीने, वह, कुल मिलाकर 22 महीनों में हमने फैसला करवा दिया जो आप 60 महीनों में फैसला नहीं करवा पाये। पहली बात तो यह है। (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री उपाध्यक्ष: कालीचरण जी। माननीय मंत्रीजी, आप तिवाड़ी साहब से कह रहे हैं या और किसी से कह रहे हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके सवाल का जवाब आप राजीव अरोड़ा से ले लेना।

यह जो ढाई साल का विलम्ब आप बता रहे हो, लेकिन बता तो देते कि कौनसा विलम्ब है, एक बात।

दूसरी बात यह है कि यह इतना काम्प्लिकेटेड मैटर है, इतना जटिलताभरा हुआ मैटर है कि इसको कोई आसानी से सुलझा नहीं सकता, पृथ्वीराज नगर को। आपकी सरकार ने भी घोड़े खोल लिये, 1998 में शायद यह लैण्ड एक्वायर हुई थी, 1998 से लेकर आपकी सरकार जब भैरोंसिंह जी की सरकार थी, उन्होंने भी प्रयत्न कर लिये, बाद में वसुंधराजी की सरकार आई, उन्होंने भी प्रयत्न कर लिये, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि यह सरकार इस समस्या का हल करके वहां के लोगों को राहत देगी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

यह देखिए, कोई मामूली खेल नहीं है, इसमें कई तरह के विचार, कई बातें हैं। एक सबसे पहली बात तो यह है कि 2010 के अक्टूबर में जब इसका फैसला हुआ तो इस बात पर भी विचार करना पड़ा, क्योंकि सरकार की मंशा तो यह थी कि इसको डि-एक्वायर कर दिया जाए और उच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया कि नहीं, डि-एक्वायर नहीं किया जाए, यह सरकार की भूमि है, अवाप्त माना जावे। तो इस बात पर भी विचार करना पड़ा कि आया, इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए या नहीं की जाए। वक्त लगता है, आप खुद विधि मंत्री रह चुके हैं, तिवाड़ी साहब, वक्त लगता है, इस बात के लिए कि अपील की जाए या नहीं की जाए और कहां की जाए, उच्चतम न्यायालय में। बहुत मुश्किल है। अप्रैल, 2011 में इस बात का फैसला हुआ कि साहब, इसकी अपील नहीं की जाए, रास्ता निकाला जावे ताकि इससे वहां के लोगों को, किसी भी प्रकार से अवाप्त मानते हुए वहां के लोगों को सबसे ज्यादा रिलीफ किस प्रकार से दी जाए, यह रास्ता निकाला जावे।

इसी बीच में, आपको ध्यान होगा कि जयपुर का नया मास्टर प्लान बन रहा था। यह जो कुछ था, यह तो 2011 तक के मास्टर प्लान के अनुसार था, पृथ्वीराज नगर। अब जब नया मास्टर प्लान बन रहा था तो नये मास्टर प्लान में भी पूरे पृथ्वीराज नगर में, जो कि 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसमें एक-डेढ़ लाख पापुलेशन, देखिए, 23 हजार मकान बने हुए हैं, 23 हजार मकान, मकान, स्ट्रक्चर्स, वगैरह मिला करके, तो आखिर इतने बड़े

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

एरिये के लिए भी मास्टर प्लान में कहीं न कहीं कोई तो रखना था। अगर प्रोविजन नहीं रखते तो लैण्ड यूज चेंज के लिए फिर वही मुसीबत आती, फिर कोर्ट की स्टेबाजी होती और ये सब परेशानियां होतीं।

तो इन सब परेशानियों को दूर करने के साथ-साथ 4-5 बिन्दु ऐसे थे जिन पर विचार करना बहुत आवश्यक था और इन बिन्दुओं पर कोई एक या दो रोज में कोई फैसला नहीं कर सकता। कुल मिलाकर टाइम कितना सा हुआ है, टाइम कुल मिलाकर के 18 महीने, 18 महीने में आज हम इस पृथ्वीराज नगर को निपटाने के लिए अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यह आपने सवाल उठाया था, प्रताप सिंह जी ने अभी तीन-चार रोज पहले ही यहां पर सदन से निवेदन किया था, मैंने कहा, हम अंतिम चरण में हैं। अब हमारी तैयारी है कि हम इसको कैबिनेट में ले जाएं और कैबिनेट में ले जाकर इसको पास करवा लें और पास करवा ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपका अंतिम चरण है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, ये अंतिम चरण आप ही का है। आपने अपने आपको सही पहचाना है।

विचारणीय बिन्दु क्या-क्या हैं, यह देखने की बात है। आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितने जटिल बिन्दु हैं जिनको सुलझाना कोई आसान खेल नहीं है। अवाप्ति के समय जो खातेदार रिकार्ड पर था अवाप्ति के समय 1997 में, ...(व्यवधान) 1988, सारी, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, 1988 ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको पता है, तो क्यों पूछ रहे हो?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, 1988 में किया गया। 1988 में जो खातेदार रिकार्ड पर था जिसके नाम पर सेक्शन 4 निकला, 5 निकला, 6 निकला, वगैरह, वगैरह, जो भी हों, एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स चलती रहीं, उसी व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए या उसके द्वारा निमित्त किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए जिसको कि सेक्शन 74 के बाद वह व्यक्ति अपना अधिकार या टाइटल ट्रांसफर कर चुका है। बहुत बड़ा इश्यू है। आपको ध्यान होगा, 2002 में जब एयरपोर्ट के एक्सटेंशन की बात चल रही थी कि सात हजार फीट से लेकर एयरपोर्ट को नौ हजार फीट तक जब तक आप नहीं करेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां पर नहीं आ पाएंगी। तो चार सौ करीब स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से 230 स्ट्रक्चर्स पर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

तो मकान बने हुए थे और 170 स्ट्रक्चर ऐसे थे जिनमें बाउण्डरीवाल थी, बाउण्डरीवाल के साथ-साथ एक-एक कमरा बना हुआ था। खातेदार दूसरा था, खातेदार ने उनको बेच दिया लेकिन कम्पंसेशन अल्टिमेटली खातेदार को देना पड़ा क्योंकि कानून यह कहता था। इसलिए यह इतना बड़ा इश्यू है कि खातेदार ने सन् 1988 से लेकर आज तक, पता नहीं, कितने आदमियों को ट्रांसफर किया है। और फिर कम्पंसेशन देंगे किसे? मामूली बात नहीं है, इसको तय करना। एक इश्यू तो यह था।

दूसरा इश्यू मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि कितने क्षेत्रफल का नियमन किया जाए। मान लीजिए, मेरी 5,000 स्क्वायर मीटर वहां पर भूमि है, आपकी 300 स्क्वायर मीटर है तो आखिर कोई लिमिट तो होगी कि सरकार में अवाप्ति में मान ली जाए और लैण्ड अलाटमेंट करना चाहते हैं, तो लैण्ड अलाटमेंट किस क्षेत्रफल तक किया जाए। यह भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। बड़ा काम्प्लिकेटेड इश्यू है जिसका आसानी से हल नहीं किया जा सकता।

तीसरी बात यह थी कि कम्पाउंड के केसेज में जिन भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है, निर्माण हो गया तो कम्पाउंड होगा, खाली जमीन है तो लैण्ड का अलाटमेंट होगा। इसमें पहले तो लैण्ड का अलाटमेंट होगा, फिर कम्पाउंड होगा। तो जो लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं, उनसे क्या दरें ली जाएं? राजपाल सिंह जी की चिट्ठी आ गई कि हमने जो 60 रुपये तय किया था, उससे अगर ज्यादा किया तो बैंड बजा देंगे, हल्ला कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। इस प्रकार की जन-प्रतिनिधियों की भावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): करना भी नहीं चाहिए। जन-प्रतिनिधियों की भावनाओं को नजरअंदाज करना भी नहीं चाहिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मंत्रीजी, राजपाल सिंह जी ने तो सिर्फ चिट्ठी ही लिखी है....

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात सुनो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैंने आंदोलन किया है पृथ्वीराज नगर का। ये चिट्ठियों से जीतना चाहते हैं, राजपाल सिंह जी चिट्ठियों से पृथ्वीराज नगर नहीं बचेगा; जिसने आंदोलन किया है वह इसी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

विधान सभा में बैठा है और वह इसी सरकार में बैठा है, इसी सरकार में नियमन हो जाएगा। आप तो भैरोंसिंह जी शेखावत के टाइम पर नहीं करवा पाए हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। (व्यवधान) आप बैठिये, जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप पृथ्वीराज नगर को तुड़वाना चाहते थे, मैं लड़ रहा था। मैं लड़ रहा था, तब आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे। बाद में अशोक जी आए, फिर मैडम आईं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रतापसिंह जी खाचरियावास।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): इतने दिन कहां गए थे आप? (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अब आप मत बोलिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब अंकित करो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल शांतीकुमार जी धारीवाल का अंकित होगा। केवल धारीवाल जी का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कितने क्षेत्रफल का नियमन किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब पूरा जवाब तो सुनें। पूरा जवाब सुन लो। फिर बात नहीं करोगे क्या? फिर उनसे कोई पूछताछ नहीं करोगे न? (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह सब अंकित नहीं हो रहा है, केवल शांतीकुमार जी धारीवाल का अंकित हो रहा है। वह ही होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कितने क्षेत्रफल का नियमन किया जाए। तीसरी बात यह थी, जो भी बहुत काम्पिल मैटर है कि जिन भूखण्डों का नियमन हो चुका और जिन पर लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं तो एक तो उनकी क्या दरें ली जाएं और ऐसे भूखण्ड जो खाली पड़े हुए हैं, उनकी क्या दरें ली जाएं। आखिर फर्क तो डालना पड़ेगा न। जो लोग 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं और जिन्होंने अपना भूखण्ड खाली इसलिए कर रखा है कि वे कानून की पालना करना चाहते थे। कानून की पालना करने वाले ने उस पर निर्माण इसलिए नहीं किया कि निर्माण वर्जित था, हाई कोर्ट के आदेश से भी वर्जित था, सरकार की तरफ से भी वर्जित था। तो क्या उनके साथ भी वह ही व्यवहार किया जाए?

चौथी जो काम्पिल बात थी कि गैर-आवासीय उपयोग में आने वाले निर्माणों की तो क्या कीमत ली जाए? सामान्यतया व्यवसाय में जो आरक्षित दर है, क्या उनके हिसाब से ली जाए या किस प्रकार से ली जाए?

तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 24 वर्षों से जो यह प्रकरण लम्बित है, once and for all इसको निपटाना चाहते हैं। 2011 तक जो पृथ्वीराज नगर के प्रपोजल्स थे, जो ड्राइंग्स थीं, आज वे तो नहीं रही हैं। 2011 का जो मास्टर प्लान था, आज वह तो रहा नहीं। 1988 से लेकर 2011 तक पता नहीं, कितने निर्माण हुए होंगे। तो पूरे पृथ्वीराज नगर की पूरी प्लानिंग दुबारा से करना, री-प्लानिंग करना, यह मामूली खेल नहीं था। इसलिए हमने हाई कोर्ट के उन आदेशों की पालना की। हाई कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि "strictly in conformity with the provisions of the law", आज जो कुछ करोगे बिलकुल कानूनी तौर पर करोगे। उसी कानूनी सीमाओं में रहकर के हमने इस पर काम शुरू किया।

सबसे पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो वर्षों में लगातार री-प्लानिंग के सम्बन्ध में अनेकों बैठकें हुई हैं और कई विकल्पों पर विचार किया गया। जन-प्रतिनिधियों की भी राय ली गई, वहां के लोगों को भी बुला-बुलाकर राय ली गई। सैकड़ों की तादाद में वहां पर जो डेपुटेशंस आएं, शिष्टमण्डल आएं, उनसे भी पूछा गया कि किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर के 18 महीनों में, सिर्फ 18 महीनों में यह सब खेल हुआ, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

इसी के साथ-साथ वैसे देखा जाए तो इसमें यह भी प्रतिबंध था कि

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

वहां पर बिजली-पानी अलाउ नहीं होंगी लेकिन वह बिजली-पानी हमने शुरू करवाईं। बिजली के नये कनेक्शन ले लो, पानी की लाइन भी ले लो। पानी वाला भी हो गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पानी वाला अभी तक नहीं हुआ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं हुआ तो दे देना, दिलवा दूंगा। बिजली-पानी की व्यवस्था, सड़कों का डामरीकरण भी वहां पर है, सड़कें ग्रेवल की भी हैं। इसी के साथ-साथ सुख-शांति भी है, बहुत शांति है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। जो कुछ तकलीफ है, वह मालवीय नगर की तरफ है। इनका फ्रस्ट्रेशन जाएगा नहीं, जा नहीं सकता, यह तो आप भी जानते हो कि क्यों नहीं जाएगा। मेयर की कुर्सी क्या चली गई, बस, गजब हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे सदन में व्यक्तिगत बात करना तो मना है न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इशारों में कह रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हाई कोर्ट ने भी पूछा कि जे डी ए के पास कितनी जमीन है। एक समाचार पत्र ने दिया कि इस तरीके का एफिडेविट जे डी ए ने दे दिया कि वहां पर तो सारा अतिक्रमण हो गया और हमारे पास कोई जमीन नहीं है, बिल्कुल गलत है। एफिडेविट की लैंग्वेज मैं पढ़कर बता देता हूं, कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इस पर कभी भी जे डी ए के द्वारा 1988 से लेकर आज तक एक इंच जमीन का फिजिकल पजेशन नहीं लिया गया, सब पेपर पजेशन था। पेपर पजेशन था और मुआवजा किसी को दिया नहीं गया। सिर्फ दो गांव थे, एक मीनावाला और एक गांव और था जिनके अवार्ड आपने कोर्ट में जमा किए। सिर्फ दो के किए, बाकी जो 22 गांव थे; उनके किसी के भी कम्पंसेशन की रकम नहीं दी गई और न ली; वहां के काश्तकार ने भी नहीं ली। साफ-साफ लिखा गया है, जो एफिडेविट बताया गया है कि इस तरीके का एफिडेविट दे दिया गया है, एफिडेविट की लैंग्वेज मैं पढ़कर बता देता हूं- "That the JDA is not in actual physical possession of the land required in Prithvi Raj Nagar Yozana and only symbolic paper possession is there." सिर्फ इतनी सी बात है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि पांच स्टेजेज होती हैं। इस प्राब्लम को साल्व करने में पांच स्टेजेज से गुजरना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली उन स्टेजेज पर काम होगा। पहली स्टेज तो होगी लैण्ड अलाटमेंट की। नियमन नहीं हो सकता है। राजपाल सिंह जी, अवाप्ति की जमीन का नियमन नहीं होता है, उसका अलाटमेंट होता है। अगर निर्माण हो भी चुका होगा तो जमीन का अलाटमेंट होगा और निर्माण का कम्पाउंड होगा। तो अलाटमेंट की कार्यवाही, कम्पाउंड की कार्यवाही साइमल्टेनियसली चलेगी। फिर उसके बाद में रिहैबिलिटेशन होगा। रिहैबिलिटेशन किस बात का होगा? इस सड़क की चौड़ाई, मान लीजिए, 2011 तक के मास्टर प्लान में 200 फीट की दे रखी थी, किसी सड़क की 200 फीट दे रखी है, किसी सड़क की 100 फीट दे रखी है, किसी की 80 फीट दे रखी है, किसी की 60 फीट की दे रखी है और

(15.00 बजे)

मकान बन गए। अब वे मकान बन गये तो उस स्ट्रक्चर्स को वहां से हटाकर तो उनको रिहैबिलिटेट तो किया जाएगा कहीं न कहीं, और रिहैबिलेट कहीं किया जाएगा तो पृथ्वीराजनगर के बाहर तो नहीं किया जाएगा, कम से कम पृथ्वीराज नगर में ही रिहैबिलिटेट किया जाएगा। यह बहुत बड़ी प्रोब्लम है। मैं आपको संख्या बताना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि जैसे 200 फीट की रोड थी, ओरिजिनल प्रपोजल्स में जो 200 फीट की रोड थी, आज वह किसी जगह 90 फीट रह गई, किसी जगह 100 फीट रह गई; जहां 100 फीट की रोड थी वह किसी जगह 60 फीट रह गई, किसी जगह 70 फीट रह गई। अगर उन सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ते हैं तो 5 हजार से ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको तोड़ा जाए और तोड़ने के बाद में रिहैबिलिटेट किया जाय। रिहैबिलिटेट करने के लिए जमीन चाहिए, जमीन है नहीं, जमीन उपलब्ध नहीं है। 70 परसेंट तो वहां पर निर्माण हो चुके हैं और 10 परसेंट भूखण्ड खाली पड़े हुए हैं और 20 परसेंट पर खेती हो रही है।

मेरा आपसे निवेदना है कि 5 स्टेजेज से गुजरने के लिए बड़ा वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जितना तेजी से इन दिनों में काम हुआ है और जो कि अंतिम चरण में है, बार-बार बात यह कह रहा हूं, यह तभी संभव हो सका है कि जब पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे तन-मन, पूरी लगन के साथ हम लोग करने के लिए प्रतिबद्ध थे।

रिहैबिलिटेशन की बात बतायी, लैण्ड अलाटमेंट की बात बतायी, स्ट्रक्चर को कम्पाउंड की बात बतायी, फिर तीसरी बात यह सब कुछ होने के

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बाद, फिर डवलपमेंट। डवलपमेंट का मतलब रोड बनाओ, नाली बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, सामुदायिक भवन बनाओ। चौथी बात, फिर कम्पंसेशन दीजिए। कम्पंसेशन किसको दीजिए, यह बहुत कम्प्लिलीकेटेड मैटर है।

मेरा आपसे निवेदन है, यह विश्वास रखने की आवश्यकता है कि यह सरकार इस समस्या के हल व निकट भविष्य में वहां के लोगों को सीधे-सीधे राहत देने के लिए, करने के लिए कटिबद्ध है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा कठिन काम था और शांती धारीवाल जी जैसे काबिल मंत्री इस दिशा में आगे बढ़ सकते थे। उन्होंने कहा कि बहुत कठिन था, इसलिए बड़ा समय लगा। आपने कहा कि हमारे जमाने में समस्या का समाधान 5 साल तक नहीं कर पाये। इस समस्या का समाधान तो, 1998 में कैबिनेट मीमो बन गया था, समस्या के समाधान में स्वेज फार्म, लालकोठी और पृथ्वीराज नगर की योजनाएं भी बनी थीं।

श्री उपाध्यक्ष: कोई जानकारी हो तो...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं जानकारी इसलिए देना चाहता हूं कि वहां पर कुछ लोगों ने, अपनी रोटियां सेंकने के लिए स्वेज फार्म वालों ने स्वीकार कर ली, लालकोठी वालों ने स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ ढोलकी बजाने वाले लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए पृथ्वीराज नगर ... (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह भाषण देने से काम नहीं चलेगा। यहां पर भाषण देने से काम नहीं चलता, आप वह ही हो जिनके ऊपर वहां की पब्लिक ने मिट्टी डालकर रवाना किया था। आपका राज था और आदरणीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे, 200 गुण्डों को लेकर आप आये थे, आपको वहां से लोगों ने भगाया था। आज आप वहां से विधायक बन गये, इसलिए यहां बोलने से यह तय नहीं होगा कि पृथ्वीराज नगर के लिए आप करना चाहते हैं। जिन्होंने ढोलकी बजायी थी, उन्होंने आपको कभी घुसने नहीं दिया। आपके पास सरकार थी, बंदूक थी, आप खुद पावर में थे, आपको कभी घुसने नहीं दिया। (व्यवधान) आप मत करो ज्यादा +++ बाबूसिंह जी। आपको कभी घुसने नहीं दिया। मेरे दम पर रोका, हमको रोकना आता था। इसलिए यहां राजनीति मत कीजिए। आपको पूरा जवाब मिल गया। आप राजनीति करना चाहते हैं पृथ्वीराज नगर के मुद्दे पर और आपने 3 साल से कुछ किया

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

नहीं। आपका टाइम था 5 साल तक, आप कुछ नहीं बोले, आपने एक भी काम नहीं किया। 2002 में अशोक गहलोत मुख्य मंत्री आये, अशोक गहलोत ने इसको डिएक्वायर किया; फिर कांग्रेस का राज आया, कांग्रेस करना चाहती है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, वे बोलें अपनी बात, किसी आंदोलन को टार्गेट न करें। हमने ढोलकी बजायी, दम था। दम था, इसलिए आपको घुसने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, वे अपनी बात करें।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पृथ्वीराज नगर के आंदोलन के लिए बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए, आपका ही अंकित होगा, किसी का नहीं। (व्यवधान) मेरा अंकित होगा, किसी का नहीं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट विराजिए। आप शिक्षक मत बनिए। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं हो रहा है मेरे अलावा। मैं आपसे निवेदन करूं, आप पुराने हैं, आज कोई नया सदस्य है तो भी उसे तीन साल हो गये, तीन साल से ज्यादा समय हो गया। 131 साफ है, पहले तो जिसकी सदन में चर्चा नहीं हुई हो, उसी का मामला लिया जाता है। सदन में पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किसी न किसी पाइंट पर हो चुका है, लेकिन यह जयपुर की ज्वलंत समस्या है, सरकार भी चाहती है कि इसका हल हो। जब आप मिले तो चूंकि इतनी ज्वलंत समस्या है और बहुत से लोग इन्वाल्व हैं और अब कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, वहां भी निर्णय हो गया, इसलिए इस समस्या का समाधान हो, सरकार का भी ध्यान जाए, इसलिए रखा है। लेकिन इसके बाद में मंत्री का वक्तव्य होता है। ठीक है, मैंने पहले बोलने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में आपको कुछ जानकारी करनी हो तो जानकारी होगी, इसके बाद बहस और भाषण कैसे होगा, मुझे बताओ। मैंने अर्ज कर दिया, इसलिए कृपया आप उसी लाइन पर चलें। देखिए, कितना टाइम हो गया, 3 बज चुके, 4 बजे के

(श्री उपाध्यक्ष)

पहले नहीं ले पाएंगे। दूसरा बिजनेस भी है, और भी हैं। (व्यवधान) आप केवल जानकारी लेंगे। आप रूल्स पढ़ लीजिए। आसन कोई भी बात कहेगा, ध्यान में नहीं आएगी उसकी बात। (व्यवधान)

इसलिए, माननीय राजपाल जी, जो बात उसमें नहीं है उसके बारे में आप कहें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पृथ्वीराज नगर के बारे में चर्चा करना चाहता था और लगातार चर्चा कर रहा हूं। तीन साल से आपकी सरकार आयी है, पत्र मुख्य मंत्रीजी को भी लिख रहे हैं, मंत्रीजी को भी लिख रहे हैं। अब यह सही है कि यह अंतिम चरण में कोई चीज है, अंतिम चरण कई लोगों के चरणों को उखाड़ देता है और जहां तक भागने-भगाने की बात है, मैंने भी कइयों को भगाया है, चुनाव के मैदान से भी भगाया है, बाकी जगह से भगाया है; भगाने की चर्चा न करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह विचार-विमर्श का विषय नहीं है। मैंने आपको अर्ज कर दिया, रूल्स एण्ड प्रोसीजर से चलिए। यह विचार-विमर्श का विषय नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल राजपाल सिंह जी का अंकित होगा। (व्यवधान) केवल राजपाल सिंह जी का। राजपाल सिंह जी, आप इस मामले को गर्म मत करिए। आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो सीधी बात करिए। (व्यवधान) केवल राजपाल जी का अंकित होगा, आपका किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा काल अटेंशन मोशन है जिस पर सरकार ने जवाब दिया है। मैं सोचता हूं कि सदन को आर्डर में लाएं, यह जिम्मेदारी आपकी है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आर्डर में आ रहा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं और जिसको बड़ी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जटिलता के साथ पेश किया मुख्य मंत्रीजी ने, इस जटिलता की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। यह जमीन का एक्वीजिशन भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हुआ था। यह 1988 की समस्या है, 1988 में उस जमीन का एक्विजिशन किया जहां पर कालोनियां लगातार पहले से बसना शुरू हो गई थीं, जहां कालोनियां बसनी शुरू हो गई थीं और जो गरीब आदमी है, राजस्थान का आदमी अपने रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में जयपुर की ओर आ रहा था, सरकार सो रही थी, सरकार उसके आवास का इंतजाम नहीं कर रही थी और इसीलिए लोग सोसाइटी के माध्यम से उस इलाके के अन्दर जमीन खरीद रहे थे, मकान बना रहे थे और खरीदते हुए, मकान बनाते हुए 1988 के अन्दर यह आपके टाइम में अवाप्त हुई थी। इस सारी समस्या की जटिलता का कोई कारण बनता है, तो सबसे बड़ा कारण आपका बनता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अवाप्ति हुई 1988 में और 1989 में हमारी सरकार चली गयी। 90 से लेकर 98 तक आप ही काबिज रहे। इसके बाद जब हम 98 में आये तो हमने 2002 में इसको डिएक्वायर कर दिया। डिएक्वायर करके हाई कोर्ट में मामला चला गया। फिर 5 साल तक आप ही रहे। 5 साल क्या किया आपने?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं बता रहा हूं आपको। मैं सोचता था, धारीवाल साहब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तो स्पष्टीकरण मांग लीजिए। (व्यवधान) आपको बोलना है तो उसी ढंग से बोलें, गर्म मत करिए क्योंकि समय कम है। आज डिमाण्ड महत्वपूर्ण है। डिमाण्ड पर भी माननीय सदस्य बोलेंगे। क्या सुबह तक चलाएंगे सदन को?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या का जनक कौन था, इसकी चर्चा करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कोई भी हो, आप तो स्पष्टीकरण करें। जो स्थिति है, किसने क्या किया, उसको छोड़िए आप। आप अपनी समस्या को कहें, उसको छोड़ो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): उपाध्यक्ष जी, छोड़ा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बड़ी जटिल समस्या है, इसीलिए कोर्ट आपसे जवाब मांगता

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रहा, एफिडेविट पेश करो, इस समस्या का निदान बताओ। 31 तारीख को कोर्ट ने पूछा, 31 अगस्त, 2009 को जवाब नहीं दे पाये; 11 सितम्बर, 2009 को पूछा, सोते रहे; 18 सितम्बर, 2009 को फिर पूछा, जवाब नहीं दिया; 26 अक्टूबर, 2009 को फिर पूछा, सरकार सोती रही। कोर्ट ने अल्टिमेटम दिया। 25 महीने आप जवाब नहीं दे पाए, आपको 25 महीने लग गये कि आपकी मंशा क्या है? कोर्ट ने पूछा था समस्या का समाधान कैसे करोगे, यह मंशा बताने में 25 महीने लगे हैं, 25 महीने तक सरकार ने पृथ्वीराज नगर के बारे में आपकी मंशा क्या है, यह मंशा बताने में जिसको 25 महीने लग जाएं और आज कह रहे हैं, 25 महीने में समस्या का समाधान होना जटिल था। जिस तरह की समस्या का समाधान आपने दिया है, उस समस्या का समाधान चल रहा है। आपने बताया, लैंड एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड लैंड का मुआवजा किसको देना है? हाउसिंग बोर्ड में रोज ही हो रहा है। लैंड एक्वायर्ड है और मुआवजा दे रहे हैं किनको, उनको दे रहे है जिन्होंने जमीन बेच दी थी, खातेदारों ने, उनको। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे नियमितीकरण की जरूरत भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: राजपालजी, आप पांच मैम्बर हो, आप एक्सप्लेनेशन मांग लीजिए। इसमें भाषण नहीं होगा जिससे उसमें सदन गर्म हो। फैसले के बाद में सरकार क्या कर रही है, क्या यह चाहती है या नहीं चाहती है, यह बात करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि नियमितीकरण करने की आपकी इच्छा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बिन्दायका में भी बताया था, मुख्य मंत्रीजी ने भी बताया, आपने भी बताया कि आपकी नियमन की मंशा है, एक-दो महीने में नियमन आप कर देंगे। कल भी आपने विधान सभा में कहा है कि हम एक महीने में अगली कैबिनेट मीटिंग में नियमन कर देंगे। लेकिन नियमन तो आपने गत बार मंत्री थे, तब भी किए थे, जयपुर में शिविर लगाए थे आपने। अलाटमेंट कर देंगे, अलाटमेंट के जरिए नियमन कर देंगे, लेकिन आपने नियमन के शिविर पहले लगाए। नियमन के शिविर में क्या किया आपने? सोसायटी का पट्टा आपने ले लिया, उसकी जेब से पैसे निकाल लिए और जे डी ए का पट्टा उसको थमा दिया। जहां पर आपकी पिछली सरकार में नियमन के बाद में शिविर के जरिए जिन लोगों का पैसा आपने जेब में डाला,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

वहां सड़क नहीं है, नाली नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो पट्टा किस बात का दिया? सिर्फ पट्टे का आदान-प्रदान का? सोसायटी का पट्टा आपने जेब में ले लिया और जे डी ए का एक छपा हुआ कागज आपने उसको थमा दिया, लाखों रुपए आपने ले लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार का नियमन, जयपुर शहर की बाकी कालोनियों का आपने नियमन करके जयपुर की जनता को लूटा है, राजस्थान की जनता को लूटा है, उसी प्रकार से आप पृथ्वीराज नगर की जनता को भी नियमन के नाम पर लूटना चाहते हैं। कृपा करके उनको, माफ कीजिए, वह बहुत गरीब जनता है। ये गरीब हैं, ये निम्न वर्ग के मध्यम लोग हैं। इसलिए अवाप्त जमीन पर जानते हुए, सरकार का खतरा जानते हुए, आपकी तलवार को जानने के बावजूद, डरते हुए मकान बना रहे हैं 100 गज में, 150 गज में, 200 गज में। आप केवल नियमन का प्लान लेकर नहीं आये, इतनी जटिलता को आप डील कर रहे हैं। आप काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है और आपकी क़ाबिलीयत पर मुझे भी कोई शक नहीं है लेकिन इतनी जटिलता को आप पूरा करना चाहते हो और पूरा कर लोगे आप।

साथ में मैं माननीय धारीवालजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियमन के साथ-साथ या इसके रि-अलाटमेंट के साथ-साथ, कम्पाउंडिंग प्लान मान लें, अलाटमेंट प्लान मान लें, आपका जो भी है, इस अलाटमेंट प्लान के साथ-साथ डवलपमेंट का आपका क्या प्लान है? क्योंकि आज तक जितनी भी कालोनियों का नियमितीकरण आपने किया, रेगुलराइजेशन किया, अलाटमेंट आपने किया, वहां सड़क-नालियां आप नहीं बना पाये। वहां पैसा इकट्ठा करके काफर्स में जरूर ले गए लेकिन आप नहीं कर पाये। यहां तक कि पृथ्वीराज नगर के मामले में भी हाईकोर्ट ने सीधा-सीधा 2009 में कहा। 2009 में, अभी आप पढ़कर के सुना रहे थे कोर्ट का डिसिजन, मैं भी कोर्ट का सुना दूं, कोर्ट ने, आपने कहा, 7.8.2008 को यह कहा "...direct the Jaipur Development Authority to take all necessary steps to develop the colonies." 2008, "Notwithstanding anything..., आप कैसे रेगुलराइज करेंगे, कैसे अलाटमेंट करेंगे, क्या होगा, कोर्ट का जजमेंट क्या होगा इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं, ''Notwithstanding anything... Straight forward JDA was directed by the High Court on 7.8.2008 to develop the area. उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। 2009 में फिर दुबारा कहा कोर्ट ने आपको, 29 अक्टूबर, 2010 को हाई कोर्ट ने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दुबारा डायरेक्ट किया आपको और कहा "....to take necessary steps to develop the area." आपने क्या किया? तब से लेकर आज तक, 2008 से लेकर के 2012 का अप्रैल है। उस इलाके में नियमितीकरण के बिना विकास होना चाहिए। लगातार हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद आपने एक सड़क नहीं डाली। नाम मात्र की कोई सड़क डाल दी हो तो कह नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ग्रेवल की रोड सोसायटी की बनाई हुई है, आपकी बनाई हुई नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2008 के डायरेक्शन से लेकर के 2012 तक, चार साल तक कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद आप सोते रहे, पृथ्वीराज नगर की तरफ आंख मूंदे रहे। अब चूंकि आपका अंतिम चरण आ गया है, इस अंतिम चरण में तो कम से कम आप विकास की चरणबद्ध योजना की घोषणा साथ-साथ करें। आपको हाई कोर्ट ने डिसिजन दिए हुए डेढ़ साल हो गया, डेढ़ साल में इतनी काम्प्लिकेटेड चीज थी कि अभी तक आप साल्व नहीं कर पाये?

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, राजपालजी। समाप्त करें, माननीय घनश्याम जी बोलेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): बोल लेंगे, साहब। और आप क्या करेंगे?

आप नियमितीकरण के नाम पर कुछ नहीं कर सकते। आप नियमितीकरण के लिए, जयपुर में दो लाख मकान, पृथ्वीराज नगर के अलावा दो लाख लोग अभी भी नियमितीकरण की तलाश में हैं, और उनका ले-आउट प्लान बनाने की हिम्मत आप में नहीं है। कंसल्टेंट कम्पनी को हायर किया है आपने नक्शा बनाने के लिए। कुछ कालोनियों का नक्शा बनाने के लिए कंसल्टेंट कंपनी को आपने हायर किया और उनका नक्शा बनवा रहे हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज नगर के नियमन की दरें किस तर्ज पर करेंगे? वहां निम्न वर्ग के मध्यम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं जो जानते हुए कि अवाप्त जमीन है, फिर भी वहां उन्होंने जमीनें खरीदीं। मैं कहना चाहता हूं कि नियमन करेंगे या आबंटन करेंगे? आबंटन की दर क्या होगी? आबंटन की दर वही होनी चाहिए जो गरीब आदमी पर लागू हो। यह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लालकोठी नहीं है जहां पर आप सैकड़ों रुपए लगा दें। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे मानवीय दृष्टिकोण से, आप संवेदनशील मंत्री हैं, आप समस्या का समाधान भी जानते हैं। हो सकता है, धीरे किया हो आपने, आपकी नजर की इनायत थोड़ी देर से हुई हो, यह हो सकता है पर आपकी काबिलीयत पर कोई संदेह नहीं है, आपकी नीयत पर भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस काबिलीयत का पूरा उपयोग हो। आप उसका आबंटन का प्लान बनायें, उस आबंटन के प्लान के साथ-साथ यह भी तय करें कि आबंटन की जो दर हो, वह इस प्रकार से हो कि जो गरीब तबका है वह उसको सह सके। उसके साथ-साथ आप इंटिग्रेटेड काम्प्रीहेंसिव डवलपमेंट का प्लान बनायें और बतायें कि आबंटन कब तक कर देंगे, शिविर लगाकर के कब तक कर देंगे? आबंटन का पूरा पैसा आने के बाद कब तक सड़क बना देंगे, कब तक नाली बना देंगे, कब तक सीवरेज डाल देंगे, कब तक रोशनी डाल देंगे आप? इसका चरणबद्ध काम्प्रीहेंसिव डवलपमेंट प्लान हम जब तक नहीं लाएंगे, तब तक इसका आबंटन होने के बाद भी वही की वही हालत होगी जो जयपुर की और राजस्थान की बाकी कालोनियों की है, जहां से हमने जनता की जेब से पैसा निकाल लिया।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): आप घनश्यामजी को बुला लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर थोड़ा दिमाग आप और लगा लें। आपने कहा, जटिल समस्या थी, इस जटिल समस्या का आप निराकरण कर रहे हैं यह अच्छी बात है। इस निराकरण के साथ डवलपमेंट का काम्प्रीहेंसिव प्लान और गरीब की जेब में हाथ नहीं डाल देना चाहिए। यह गरीब हमारी गलती के कारण, सरकार की गलती के कारण अवाप्ति की जमीन पर बैठा है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगली कैबिनेट में जो भी आप निर्णय करना चाहते हैं, यह जनहित को दृष्टिगत रखते हुए, उसके आर्थिक हालात को देखते हुए और उस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को देखते हुए, जैसा कि आप बार-बार कह रहे हैं कि विश्व-स्तरीय शहर बनाना चाहते हैं, जिस शहर के अन्दर 40 वर्ग किलोमीटर में दो लाख से ज्यादा लोग पानी के लिए तरस रहे हों, बिजली के लिए तरस रहे हों, सड़क के लिए तरस रहे हों, वह विश्व-स्तरीय शहर नहीं बन सकता, तीसरे स्तर का शहर जरूर हो सकता है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इसलिए इसको विश्व-स्तरीय बनाना चाहते हैं तो डवलपमेंट का काम भी लेकर के आयें। पहली बार लेकर आये, राजस्थान में हमने नहीं किया है यह, हम आवंटन का प्लान लायें, नियमितीकरण का प्लान लायें। उसके साथ-साथ उसका काम्प्रीहेंसिव डवलपमेंट का टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम और उसके लिए टास्क फोर्स बनायें, ऐसी टास्क फोर्स जो देखे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब मैं सोचता हूं कि जो आपकी चिंता है, जो आपकी मंशा है, जिसकी आपने जैसी चर्चा की कि आपकी मंशा है, यह बड़ी जटिल समस्या थी, जटिल समस्या का आपने निदान करने की कोशिश की है और आप अंतिम चरण में आ गए हैं, उस अंतिम चरण में इस चरण को भी आप जोड़ लेंगे तो मैं सोचता हूं कि यह ज्यादा ढंग की योजना बन पाएगी। धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा कि हम पृथ्वीराज नगर का नियमन करना चाहते हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं। आपकी नीयत ठीक है और मुझे लगता है कि अब आप नियमन करना चाहते हो, तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद। लेकिन मैं तीन-चार बात आपको कहना चाहता हूं। एक तो यह नियमन कब तक कर देंगे, इसकी आप घोषणा करें आज। दूसरा, आपने बिजली के कनेक्शन पर तो रोक हटा दी पर पानी के कनेक्शनों पर अभी भी रोक है। वहां जो रहते हैं वे प्राइवेट ट्यूबवैल के माध्यम से आज पानी ले रहे हैं। तो कृपा करके यह भी बता दें कि पानी की रोक आप कब तक हटा देंगे? तीसरा, आपने यह कहा कि वहां पांच हजार मकान ऐसे हैं जहां सड़क, मान लीजिए, 200 फीट होनी चाहिए थी वहां पर 100 फीट रह गई; कहीं पर 150 फीट होनी चाहिए थी वहां पर 90 फीट रह गई; कहीं पर 100 फीट होनी चाहिए थी उसकी जगह 50 फीट रह गई, तो मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा कि जब आप इसकी पूरी प्लानिंग करें तो उसमें जो मकान पांच हजार बन गए, वे टूटे नहीं और व्यावहारिकता के आधार पर हम सड़कों की चौड़ाई तय करें। यह भी मैं आपको कहना चाहूंगा। और चौथा, यह जितना मामला काम्प्लिकेटेड हो गया, जैसा आपने खुद ने कहा, तो इसके लिए एक अधिकारी को आप नोडल आफिसर के रूप में नियुक्त करें और उसके पास केवल यही काम हो कि पृथ्वीराज नगर का नियमन किस प्रकार से हो। तो यह नियमन हो पाएगा, अदरवाइज आपने यदि अधिकारियों की फौज पर यह काम छोड़ दिया तो यह काम नहीं हो पाएगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

दूसरा, आपने नियमन की दर के बारे में कुछ भी नहीं कहा और आपने उसको गोलमोल कर दिया कि हम अलाटमेंट करेंगे। मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हम लोगों ने यह तय किया था कि 40 रुपए वर्ग गज 200 वर्ग गज तक और 60 रुपए 200 वर्ग से ऊपर। तो आप यह बतायें कि यह नियमन आप कितने रुपए गज के हिसाब से करेंगे? 40 रुपए या 60 रुपए के हिसाब से करेंगे या यह रेट बढ़ाएंगे?

ये तीन-चार बातें थीं, इनके बारे में आप जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलना है, परनामीजी? आप आखिरी में बोलेंगे, मेरा जहां तक ख्याल है। मोहनजी बोलिए आप। सब बात हो गई, आप तो पिन-पाइंटेड एक-आध कोई बात हो तो बता दें। सारी बात हो गई अब, वही बात है, एक ही बात है। इनका नाम आये तो थोड़ा ठीक रहता है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): एक मिनट, साहब। मंत्री महोदय, मैं दो-तीन बातें आपसे पूछना चाहता हूं। आपने इस मामले को अपने भाषण के माध्यम से सुलझाने की बजाय उलझाने का प्रयास किया है। कम्पंसेशन, अलाटमेंट, कम्पाउंडिंग, अलाटमेंट, रिहैबिलिटेशन, अगर इस आधार पर, माननीय मंत्रीजी, सरकार की सोच है तो यह पृथ्वीराज नगर आज नियमित हो, न कल हो। कभी भी नहीं होगा, इस तरह से इन पांचों पाइंटों के आधार पर। यदि आपकी सोच सही है, हृदय से आप चाहते हो पृथ्वीराज नगर को नियमित करना तो जिस प्रकार से आपने को-आपरेटिव सोसायटीज का आर्डर निकाला, आपके ही पुराने आर्डर को याद दिलाना चाहता हूं, और बैठा करके सारे आर्डर्स निकालें, जहां जो बसा है वहीं रहेगा उसको वहीं नियमित किया जायेगा, उतनी ही चौड़ाई की सड़कें जाएंगी, उसी में पानी- बिजली की व्यवस्था होगी, सीवर लाइन की व्यवस्था होगी और उचित रेट पर जो चालीस रुपये और दो सौ वर्ग गज से ऊपर 60 रुपये तय किया था हमारी सरकार ने, वैसा करके यदि आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा इस मैटर को आप उलझाने का प्रयत्न न करें, मजाक न करें गरीबों के साथ में। कृपया न्याय करते हुए उस मामले को सुलझाने का प्रयत्न करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक जी परनामी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उपाध्यक्ष महोदय, इस पृथ्वीराज नगर स्कीम को ...

श्री उपाध्यक्ष: नयी बात बताना, जो बोल गये, वह नहीं। रिपीट मत करना।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): नयी बात बता रहा हूं। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पृथ्वीराज नगर स्कीम में क्या किया? जब भैरोंसिंह जी की सरकार थी तो जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरा एक प्लान बना दिया गया था कि किस प्रकार से पृथ्वीराज नगर का नियमितीकरण किया जाएगा, किस प्रकार से अलाटमेंट किया जाएगा। रेट भी तय कर दिये गये थे। मंत्री महोदय, आप केवल मात्र 1996 का जे डी ए का पूरा मास्टर प्लान उठा कर देख लें, उसमें पृथ्वीराज नगर स्कीम के नियमितीकरण का पूरा प्लान बना दिया था, पर तथाकथित भू-माफियाओं के माध्यम से आंदोलन किये गये और उस स्कीम को वहीं पर ड्राप करवाया गया। फिर आपकी सरकार आयी, आपने उसको डि-एक्वायर किया, तब से यह पृथ्वीराज नगर स्कीम की प्रोब्लम चल रही है।

अब मैं तो मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप नियमितीकरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं परन्तु इसके साथ-साथ वहां के विकास का भी एक मास्टर प्लान यहां पर आप रखें और उसको कितने समय में पूरा...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, समाप्त करें। माननीय श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): इसके साथ-साथ मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि और भी जयपुर में विकास समितियां बनी हुई हैं और भी समितियों के माध्यम से मकान काटे गये हैं परन्तु उनका भी नियमितीकरण नहीं किया गया है...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। माननीय श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): और जिनका नियमितीकरण कर दिया गया है, वहां पर आज तक सड़क नहीं है, नाली नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, पार्कों का संधारण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, वह कह दिया मोहन जी ने। माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मंत्री महोदय इस बात की घोषणा करें कि वहां भी विकास के काम करवाए जाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये आप, प्लीज। आप बोलें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं बोल लूं दो मिनट, आप तो लास्ट में कन्क्लूड कर दें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनका काल अटेंशन मोशन है उनको तो आप लिमिटाइज कर रहे हैं और जिनका काल अटेंशन मोशन से कोई सम्बन्ध नहीं है, वे दिन में चार-चार बार बोलें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरे बोलने से भी डर लगता है क्या? (व्यवधान) अब मत डरें, राजपाल जी, आप सात जने हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: आपस में डिस्कशन न करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका अधिकार है और यह अधिकार किसी की कृपा से नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, अब यह अधिकार आप तय करें, आसन, यह ध्यानाकर्षण है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नियम की बात बता रहे हैं वे, नियम की। नियम की बात बता रहे हैं। कोई विशेष बात है तो आप बताओ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, विशेष बात ही कह रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष: बाकी, नहीं तो नियम की सही बात कह रहे हैं वे।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): वे मंत्रीजी आ जाएं, उसके बाद बोल लूं मैं?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी यहीं हैं, आप बोलें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये से तीन बात कहना चाहता हूं मंत्रीजी से।

श्री उपाध्यक्ष: सीधे पिन-पाइंटेड बोलें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मंत्रीजी के पास मत कहना। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप क्यों चिन्तित हो रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, जो यह पृथ्वीराज नगर का मामला है, जयपुर के हार्ट से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज नगर का नियमन सौ रुपये की दर पर किया जाय। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 40 और 60 नहीं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बात तो समाप्त होने दो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कोई बात नहीं। मैं तो सौ रुपये बोल रहा हूं, आप 40-60 बोलो।

श्री उपाध्यक्ष: मोहन जी, आप बात को लम्बी मत करो, कृपया।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ये 1990 से लेकर 1998 तक जब आप विधायक थे, तब आपको 40-60 में करवाना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो सीधी बात करो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तब आदरणीय भैरोंसिंह जी की सरकार में तोड़ने के लिए आ रहे थे आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने तय किया था 40 और 60 रुपये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): किसने तय किया था?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपने ...(व्यवधान) नहीं किया, गलत बात।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार सब जान चुकी है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सौगंध खाकर कह दो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) नियमन दर 40 और 60 की गई थी। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) आपका तो कोई लेना-देना ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 40 और 60 में किया था, सब-कमेटी बनी थी।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, मैं खतम कर रहा हूं दो सेकंड में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तो अपनी बात बता दीजिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सौ रुपये तक पृथ्वीराज नगर का नियमन किया जाए, पृथ्वीराज नगर में तोड़-फोड़ कतई नहीं की जाए और इस समस्या का समाधान आप जल्दी से जल्दी करें और पृथ्वीराज नगर का नियमन करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप शांत रहिये। घनश्याम जी दो मिनट बोलना चाहते हैं। आप बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय घनश्याम जी, आप बड़े वक्ता, लम्बे वक्ता भी हो लेकिन आज सबसे छोटे वक्ता कैसे बनोगे, शोर्ट में बोलना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा है, जो सबसे छोटे मिनिस्टर दिखते हैं न, वे सबसे बड़े मिनिस्टर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ये आपका बहुत सम्मान करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी इनका सम्मान कर रहा हूं। सबसे बड़ा बता रहा हूं न। जितनी इनकी हाइट है न, उससे ज्यादा इनकी गहराई है और इसलिए मैं इनका बहुत आदर करता हूं और इतने बड़े हो गये हैं ये, फिर भी इनको 'बच्चू भाई साहब' ही सब कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं ताली नहीं बजा सकता, नहीं तो मैं बजाता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। आपने जो जटिलताएं बताई हैं, उन जटिलताओं से मैं सहमत हूं। गलतियां हमारे से भी हुई, गलती आपसे भी हुई। सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय, वन्स एक्वायर्ड आलवेज एक्वायर्ड, एक्विजिशन हो गया तो वह डि-एक्वायर नहीं हो सकता। हमने भी की गलती, आपने भी की गलती।

अब सवाल यह है कि हम सब मिलकर वहां के जो रहने वाले लोग

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं, 23 हजार मकान वहां बने हुए हैं, अपन सब अच्छी तरह जानते हैं। अब 35 हो गये होंगे, 40 हो गये होंगे। उनमें बहुत से लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं और उनका दो सौ गज का, किसी का तीन सौ गज का, इस प्रकार के मकान बने हुए हैं। कुछ लोगों की ये समस्या हो गयी है कि जो अपना पहले का मास्टर प्लान है, उसमें जो रोड जितनी चौड़ी रखी गई है, उस जगह भी उनको पट्टे दे दिये गये और उन्होंने मकान बना लिये। इसलिए जे डी ए ने यह भी ठीक काम किया कि इस इलाके को विशेष करके उन्होंने रख लिया, सड़कों की चौड़ाई का अभी नाप नहीं किया तो अपने पास यह अधिकार अभी है कि हम जितना व्यावहारिक रूप से सड़क को चौड़ा कर सकते हैं, उतना चौड़ा कर सकते हैं और ये पांच हजार जो बीच में आ रहे हैं, उनको अपन बचा सकते हैं।

एक जो मूल समस्या है, वह समस्या यह है कि जयपुर में रहते हुए ये लोग जयपुर के बाहर के नजर आते हैं। मानसरोवर इनके सामने है। मानसरोवर के सामने ये मान्यावास, मांग्यावास या जितने भी सारे गांवों के, आपके 22 या 24 गांव हैं, ये सारे ठेठ आगे तक चले जाते हैं, सिरसी के सामने तक। तो ये जो सारे गांव हैं, इनको ऐसा महसूस होता है कि इधर तो हम शहर में रह रहे हैं और इधर हम गांव में रह रहे हैं। अब मानसरोवर का पूरा विकास है, सड़क भी है, सीवरेज भी है, लाइट भी है, पानी भी है। जो ये विवाह-शादियों के गार्डन मेन रोड पर बने हुए हैं, उनके अन्दर अपन घुसते हैं तो हालत खराब है। यह बात सही है, जो ये रोड्स के आपने नाम दिये हैं, ये रोड्स आपके समय में अभी बनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।

लेकिन हमको सबको मिलकर एक बात करनी पड़ेगी, मैं पूर्ण सहमत हूं आपसे कि इनका नियमन नहीं होगा, हमको आबंटन करना पड़ेगा, वह आबंटन की रेट हमको तय करनी पड़ेगी। आबंटन के साथ जो अपन पैसा लेंगे, उस पैसे के साथ वहां पर विकास का काम भी हमको करना पड़ेगा। ये सारे काम हैं। अब यह अंतिम चरण में है और मैं आपका अंतिम चरण नहीं मानता। साहब, सुन लो, आपका मैं अंतिम चरण नहीं मानता, मैं तो आपकी बहुत लंबी उम्र की कामना करता हूं। सरकार का अंतिम चरण होगा, आपका नहीं है। सरकार का तो पांच साल का सबका ही होता है, अब डेढ़ साल बचा हुआ है, अंतिम चरण ही है। आपके लिए तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको बहुत लम्बी उम्र मिले।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सरकार कोई सी भी आये, उसका पांच साल का ही होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पांच साल का ही होता है, उसका चरण अंतिम ही है। अब कई बार अकाल मृत्यु भी हो जाती है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अकाल मृत्यु एक बार हुई थी राजस्थान में, वह भी भारतीय जनता पार्टी की हुई थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अकाल मृत्यु दो बार हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दो बार हुई है, 1992 और 1977 वाली भी हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अकाल मृत्यु होती है कई बार, दो बार हो गई। तो इसलिए कोई बात नहीं है, पर अंतिम चरण है।

मैं आपसे यह चाहूंगा कि आपने जो पांच जटिलताएं बताई हैं, उन जटिलताओं को सोल्व करते हुए हमको इसका रेट कुछ कम रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि, मैं आपकी एक बात से पूर्ण सहमत हूं कि जिन लोगों ने प्लाट खाली रख लिये हैं, उन पर अन्याय नहीं होना चाहिये। उन्होंने क्या पाप किया है, उन्होंने यह किया कि हमको कानून की पालना करनी है इसलिए हम खाली रख रहे हैं। तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिये। और इसके रेट ठीक करें। रेट का मतलब, जैसा राजपाल जी ने कहा कि पट्टा लेना-देना नहीं होना चाहिये। हम सोसाइटी के आधार पर एक बार जे डी ए का पट्टा दे रहे हैं तो उसके साथ हम एश्योर करें।

दूसरा, आप समस्या का समाधान इसलिए कर सकते हैं, मंत्रीजी, कि कई बार मंत्री अच्छा हो जाता है लेकिन अफसर ठीक नहीं होते हैं तो काम गड़बड़ हो जाता है; कई बार अफसर ठीक होते हैं और मंत्री ठीक नहीं होता तो काम गड़बड़ हो जाता है। इस समय आपकी तारतम्य ठीक लगी हुई है, अभी आपका थोड़ा ठीक है, बीच में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ नहीं हो जाये, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी कर लो ताकि हमारा यह काम जल्दी से निपट जाये। और कोई बाबू आकर बैठ गया पद पर, जो 28 वर्ष में 56 बार ट्रांसफर करा ले और उतनी ही पेंशन लेकर चला जाये, तो मुश्किल काम है। इसलिए अभी आपके तारतम्य ठीक है।

हम इस मुद्दे को कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहते, अब यह राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है। मैं समझता हूं कि हम सबको मिलकर पृथ्वीराज नगर की समस्या का समाधान करना है और सरकार को इस समस्या के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समाधान में हम सबकी जो भी मदद चाहिये, वह मदद हम देंगे और बिना राजनीतिक स्वार्थ के हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। इसका ही समाधान नहीं हो, जयपुर में बाकी और 1,500 कालोनियां हैं एग्रीकल्चर वाली उनका भी समाधान हो। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपने कहा कि ठीक है, हमने छूट दे दी, लेकिन मैं उस क्षेत्र में घूमता रहता हूं, वहां पानी की बड़ी समस्या है। सारा का सारा इलाका बीसलपुर से नहीं जुड़ा हुआ, पानी की छूट नहीं है, पानी की पाइप लाइन भी नहीं है और इसलिए हमने प्रदर्शन करके पी एच ई डी मंत्रीजी को कहा भी था। दूसरा, जैसा आप और जोन का मास्टर प्लान बना रहे हैं, इसके मास्टर प्लान की मीटिंग भी बुलायें और सब विधायकों को बुला लें। तो इसमें जो-जो सुझाव देने हैं, वे हम देंगे। यह कोई राजनीतिक इश्यू नहीं है।

मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर जयपुर की इस समस्या का समाधान करना चाहिये और हम सरकार को इस समस्या का समाधान करने में सहयोग करने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजपाल सिंह जी ने कहा डवलपमेंट प्लान का, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि रोड नेटवर्क का प्लान आलरैडी बन चुका। रोड नेटवर्क को डवलप करने के लिये जो स्ट्रक्चर्स हटाने होंगे, उनके लिये और जिन लोगों का रिहैबिलिटेशन करना होगा, उनके लिये भी लैंड आइडेंटिफाई की जा रही है। अंतिम चरण का मेरा मतलब यही है कि इन सब बिन्दुओं पर काम होकर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनो तो सही, आप सुनिए तो सही, माननीय सदस्य।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी बात का भी जवाब दूंगा। डवलपमेंट प्लान बनाया भी गया है, नालियों का, बिजली का, पानी का, आदि का प्रबंध करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है।

जैसा अभी मोहनलाल जी गुप्ता ने कहा कि साहब, इच्छा नहीं है और

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

अगर हो तो जैसा है, उसी को नियमित कर दो, जैसे कालोनियों को किया, यह किया, वह किया। आखिर डवलपमेंट प्लान भी बनेगा, कम्पाउंडिग भी होगा, अलाटमेंट भी होगा, रिहैबिलिटेशन भी होगा और कम्पंसेशन भी दिया जायेगा। इन सब समस्याओं को अगर नहीं निपटाया गया तो यह हाई कोर्ट में दुबारा आ जायेगा। हाई कोर्ट ने साफ लिखा है कि "Strictly in conformity with the provisions of law." अगर आप इसको समझते हो तो कभी इस तरह की बात नहीं करोगे आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। केवल शांति धारीवाल जी का अंकित होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब निर्माणों का और भूमि के आबंटन का, निर्माण के कम्पाउंड करने का और भूमि के आबंटन का, इन सब संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही इसको 2025 में स्पेशल एरिया रखा गया है। यह स्पेशल एरिया ऐसे ही नहीं रखा जाता है, स्पेशल एरिया रखने के कुछ रीजन होते हैं कि क्यों आप इस एरिया को स्पेशल एरिया बताना चाहते हो। स्पेशल एरिया इसीलिए रखा कि इसका रि-प्लानिंग होगा, यह होगा, वह होगा। इसके लिये अलग से प्रोविजन रखा ताकि यह जो कुछ भी होगा, वह मास्टर प्लान का पार्ट बन जायेगा, इसलिए स्पेशल एरिया रखा गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दो-तीन बातें जो कालीचरण जी ने उठाईं कि साहब, जोन नंबर 7 और जोन नंबर 8, इन दोनों की रोडों का जो रिअलाइनमेंट किया गया है, उसमें जो पांच हजार से भी ज्यादा स्ट्रक्चर टूटते, उनको कम करके हम 1,967 पर पहुंचे हैं। 1,967 स्ट्रक्चर्स ऐसे आयेंगे जिनको कि दूसरी जगह रिहैबिलिटेट करना ही पड़ेगा, वरना ठीक है, 200 फीट की सड़क है उसको 150 फीट पर ले आये, 120 फीट पर ले आये...

श्री उपाध्यक्ष: कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप सुनो पूरी बात।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो वह शंका जो आपने रखी है कि पांच हजार स्ट्रक्चर्स टूटेंगे, वह बिलकुल गलत है। उसको मिनिमाइज करके किस तरह से किया जाये...

एक बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, परनामी साहब ने

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कहा कि यह कर दिया था, वह कर दिया था, 1996 में हमने प्लान बना दिया था; कोई प्लान आपकी सरकार के द्वारा कभी भी नहीं बनाया गया। (व्यवधान) मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कभी भी नहीं बनाया गया।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने आपकी बात को शांति से सुना, आप मेरी बात सुनिए। 1996 की जो आप बात कह रहे हैं, मास्टर प्लान में सिर्फ प्रोविजन रखे गये। आपने इसका नियमितीकरण करने का या कम्पाउंड करने का कोई प्लान किसी सरकार के द्वारा नहीं रखा गया।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल धारीवालजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आखरी में मैं राजपाल सिंहजी से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस बात को कह रहे हैं ना कि 2007 में हमने यह कर दिया था, 2007 में क्या किया था आपने, कालीचरणजी आप भी सुन लो, जो 40 रुपये की रकम बता रहे थे ना आप, यह है आपका कैबिनेट मीमो जो 2007 में आपने मंजूर किया था, उसको पढ़कर बताता हूं मैं आपको। ''पृथ्वीराज नगर योजना में भू-खण्डों का नियमन नगरीय विकास विभाग के परिपत्र ... 4.10.2002 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सम्बन्धित जोन की सामान्य आबंटन दर...।'' 7 नम्बर जोन की अलग दर है, 8 नम्बर जोन की अलग दर है, कोई 40 रुपया नहीं है। (व्यवधान) आप पूरी बात सुन लीजिए। जोन की सामान्य आबंटन दर, इसके बाद प्रशासनिक शुल्क, एक मुश्त लीज राशि और चौथा सीवरेज चार्जेज और फिर, इसके अतिरिक्त 30 रुपया प्रति वर्ग गज लिया जाकर नियमन किया जायेगा। यह कैबिनेट मीमो आपने मंजूर किया था। आप जनता में चाहे जितना भी प्रचार कर लो कि हम 40 रुपये में कर रहे थे, हम 40 रुपये में कर रहे थे, कोई नहीं मानने वाला। यह डाक्यूमेंट है आपका।

मैं आपसे फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी आशाओं के अनुरूप काम करने की इच्छा हम रखते हैं। आपको कतई निराश नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पृथ्वीराज नगर की समस्या का निराकरण करेंगे और निराकरण करने के बाद वहां पर डवलपमेंट का काम शुरू करेंगे।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि वह गये जमाने, जब 200 रुपये स्क्वायर मीटर पर डवलपमेंट के काम हुआ करते थे। आज 1,200 रुपये स्क्वायर मीटर का जे डी ए का खर्चा आता है डवलपमेंट का। मामूली बात नहीं है और अगर पूरे पृथ्वीराज नगर की डवलपमेंट की रकम हम फलायें, जो जे डी ए खर्च करेगा तो कम से कम 6000 करोड़ रुपये बैठेगी। कहां से आयेगा 6000 करोड़ रुपया? उसके बावजूद भी यह सरकार नीयत रखती है कि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दें और जल्दी से जल्दी राहत दें। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इंतजार कीजिए, निकट भविष्य में इस पृथ्वीराज नगर की समस्या से जयपुर वासियों का पीछा टूटेगा।

श्री उपाध्यक्ष: इसी आशा के साथ कि यह इंतजार जल्दी समाप्त हो, याचिकाओं का उपस्थापन । श्रीमती संजना आगरी एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

याचिका

सोजत में स्नातकोत्तर कक्षाएं

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोजत में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2012 । डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर: स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2012 । डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओम बिरला विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 47 ।कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किए गए।

अनुसूची 1 व 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोज अपने माननीय डा. दयारामजी एक-एक, दो-दो विश्वविद्यालय के बिल लेकर आते हैं, रोज उन पर वही बात कहना, मैं समझता हूं, सदन में उचित नहीं हैं। लेकिन फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने कुछ मूलभूत मुद्दे उठाए थे। हम इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खोलने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जितने विश्वविद्यालय आ रहे हैं, सोचा यह गया था कि विशेष जो पढ़ाई हमारे सरकार के विश्वविद्यालय नहीं करा सकते उस क्षेत्र में आकर ये लोग काम करें तो उसका एक समाधान होगा। अब वे सारे के सारे जनरल विश्वविद्यालय हो गए। इसलिए हमने आग्रह किया कि कम से कम एक तो इनका विशिष्टता क्रम जिसे कहते हैं, एक्रेडिटेशन, उसके लिए कोई कमेटी राज्य सरकार को गठित करनी चाहिए थी। यह बात हमने बार-बार आपको कही लेकिन इसका किसी प्रकार से जवाब नहीं। 25 विश्वविद्यालय हैं, सरकार इनका एक्रेडिटेशन करके साल में एक बार इनकी वरिष्ठता सूची करें कि ये इनकी विशेषताएं हैं, तो जो बच्चे इनमें पढ़ने जाएंगे, उनको पता लगेगा कि हम किसलिए इस विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक्रेडिटेशन काउंसिल राजस्थान में बने, जो उनका इस प्रकार का काम करें।

दूसरी बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि एक नियामक आयोग इसका बनना चाहिए। हम इनको अनुदान तो नहीं दे रहे, तो अनुदान आयोग तो नहीं हो सकता लेकिन एक नियामक आयोग के गठन की आवश्यकता है। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियमों में परिवर्तन करके प्राइवेट विश्वविद्यालय को भी वह अपनी ओर से सहायता और अनुदान देने का तय कर रहे हैं। तो आज जो विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय के नाम से बन रहे हैं, उन विश्वविद्यालयों को विभिन्न मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी मदद मिलेगी। तो राज्य सरकार का एक नियामक आयोग नहीं होगा, राज्य सरकार की कोई अथोरिटी नहीं होगी, जो इन विश्वविद्यालयों को नियंत्रित कर सके। इस बात को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय प्रवेश को नियंत्रित नहीं करते। उदाहरण के लिए हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग, इनकी प्राइवेट कालेजों को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में हमने नियमित कर दिया। उदाहरण के लिए, हम पी एम टी की परीक्षा लेते हैं, अब तो सारे देश भर की एक ही परीक्षा होगी, वह अलग बात है, हम परीक्षा लेने के बाद में सरकारी कालेजों में जो बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद बचे हुए बच्चों को हम इन मेडिकल कालेजों में भेजते हैं। वहां पर उनकी रेट अपन ने तय करके दी हुई है कि आप इतना पैसा लेंगे। सरकार में कम लगता है, उसमें थोड़ा ज्यादा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लगता है, लेकिन वह तय है। उसके बाद में उनको 10 सीट या 15 सीट हमने छोड़ दी कि आप, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कोटे की सीट, इसको आप भर सकते हो, और उसको वे डोनेशन से भरते हैं। बात ठीक है, पहले एक जमाना यह था कि शिक्षा के लिए लोग दान देते थे, अब जमाना यह है कि शिक्षा देने के लिए लोग दान लेते हैं। जमाना बदल गया। पहले जमाना यह था कि बाबा लोग प्रवचन करते थे उपकार के लिए, अब जमाना यह है, आजकल समाचार है, बाबा लोगों के समाचार कई आ रहे हैं कि दो हजार रुपये दो और एडमिशन लो। तो यह परोपकार भी बदल गया। यही चिकित्सा की बात थी, चिकित्सा भी लोग सेवा के लिए करते थे। अब वह जमाना बदला। तो बदले हुए जमाने के हिसाब से सरकार का कोई नियंत्रण होना चाहिए। तो इन विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश की परीक्षा तय करने के लिए काम करना चाहिए।

दूसरी बेईमानी की बात आ रही है, वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हर जो इंजीनियरिंग कालेज है, हर मेडिकल कालेज है, वह विश्वविद्यालय बनना चाहते हैं और ये विश्वविद्यालय इसलिए बनना चाहते हैं कि अब ये प्रवेश के मामले में सरकार के नियंत्रण से बाहर जाना चाहते हैं। ज्यों ही सरकार के नियंत्रण से प्रवेश के बारे में बाहर निकल गए, उस समय इन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा।

फिर हमने इन किसी भी बिल में सामाजिक उत्तरदायित्व इन पर सौंपा ही नहीं। आज सर्वोच्च न्यायालय यह फैसला कर रही है कि प्राइवेट स्कूल बड़े-बड़े चाहे मिशनरी चला रहे हो, चाहे कोई इंस्टिट्यूशन चला रही हो, इनमें इतना परसेंट तो आपको गरीबों को प्रवेश देना पड़ेगा। मुझे खुशी है जयपुर में पहली बार इन बड़ी-बड़ी स्कूलों में सामान्य वर्ग के, जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनका थोड़ा-बहुत एडमिशन हुआ है। इन यूनिवर्सिटीज में हमने कहीं भी यह क्लाज नहीं रखा कि हमारा कोई नियंत्रण इनमें किसी भी प्रकार का होगा क्या। तो वह नियंत्रण कौन करेगा, उस नियंत्रण की व्यवस्था भी हमको इनमें करनी पड़ेगी। फिर जब यह काम करेंगे तब जाकर यह व्यवस्था ठीक होगी।

क्योंकि मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्राइवेट विश्वविद्यालयों के पक्ष में हूं, खिलाफ नहीं और सर्वोच्च न्यायालय का जिस प्रकार का निर्णय है, उसके अनुरूप ये खुलने चाहिए, उसके भी मैं पक्ष में हूं, लेकिन लोक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कल्याणकारी राज्य के नाते इन पर जरूरी है। इनका नियंत्रण रोज-रोज की एक्टिविटी में नहीं लेकिन सामाजिक संरक्षण दायित्व का निर्वहन करने के लिए और आम गरीब आदमी को भी इनका लाभ मिल सकें उसके लिए। और कुछ ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए, इनके अन्दर जो काम करने वाले लोग हैं, उनका कैडर तो हम तय कर सके, वह कैडर तय करने का अधिकार भी अगर हमारे पास नहीं होगा तो इनमें कौन पढ़ाएगा, उस पढ़ाने वाले को क्या मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी भी हमको तय करनी पड़ेगी।

ये पांच पाइंट अगर अपन ने तय कर लिए तो इन विश्वविद्यालयों की हमारे को उपयोगिता होगी। इसलिए मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में काम करें।

एक अंतिम निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि कितने दिन हो गए, हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में, इनकी आज हालत बहुत खराब है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में 3-4 प्रोफेसर बचे हुए हैं। हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। तीन बार तो हमने विज्ञापन निकाल दिए। मैं मंत्री, तब भी निकाले, वह भर्ती नहीं हुई। फिर दुबारा निकला, वह भर्ती नहीं हुई; तिबारा निकला, वह भर्ती नहीं हुई। तीन बार-चार बार इनके विज्ञापन निकल चुके, भर्ती नहीं हुई। यह आज केवल इसी यूनिवर्सिटी की हालत नहीं है, अजमेर यूनिवर्सिटी की यही हालत है, उदयपुर की भी यही हालत है, जोधपुर की भी यही हालत है। सरकार के 13 विश्वविद्यालय हैं, उन सारे विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि उनमें प्रोफेसर नहीं हैं, लेक्चरर्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं और स्व-वित्त पोषित के हिसाब से जो लोग अगर काम करते हैं, उस हिसाब से वे विश्वविद्यालय चल रहे हैं। यह जो कमजोर इन विश्वविद्यालयों की स्थिति होगी, तो धीरे-धीरे ये विश्वविद्यालय हमारे जो केन्द्र थे शिक्षा के, वे समाप्त हो जाएंगे।

इसलिये आप यह भी स्पष्ट करें कि हमारे उच्च शिक्षा के ये जो केन्द्र बने हुए हैं विश्वविद्यालय, इन सबके बारे में आज सरकार का क्या विचार है? जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर है, आज कोई 4-5 साल पहले जिनको हमने नियमित किया था, जो एडहाक लगे हुए थे, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। वे करीब-करीब रिटायरमेंट एज पर चले गये हैं। तो उसका विज्ञापन कब निकालने का विचार करते हैं, निकालें कि नहीं निकालें, यह विचार करते हैं और इन सब विश्वविद्यालयों के बारे में आप क्या काम सोचना चाहते हैं, यह मेरा आपसे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब देंगे, मंत्रीजी?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष: सारी बात तो आ गयी है। राजवी साहब बोल लें, फिर उसके बाद बोल लेना। आप विराजिये। राजवी साहब। (व्यवधान) अब सभी बोलेंगे तो... (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बिल्स पर ही नहीं बोलें, थोड़ा बहुत नहीं बोलें... आप कहो तो बैठ जाएं। कोई बात नहीं, कर लो, पास तो आपको कराना ही है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, आप कोई पिन-पाइंटेड उठा लें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पिन-पाइंटेड नहीं, बिल है यह तो।

श्री पेमाराम (धोद): साहब, इसमें कहां दिक्कत है?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बिलकुल जड़ तक पहुंचूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं, फिर रहने दो।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल है, कोई मुखबंद करके तो इसको पास करना नहीं है। इस पर राय देंगे ही। हमारे दिमाग में जो विचार हैं, वे तो बोलेंगे ही। फिर सदन में लाने की कहां आवश्यकता थी?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं बोल लूं, फिर आप अपना ज्ञान भी दे दें। परमिशन ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत जैसे देश की आबादी, मानव संसाधन विकसित किये बिना प्रगति किसी भी हालात में नहीं हो सकती, यह सही बात है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कामर्शियलाइजेशन नहीं हो; आबादी का कितना प्रतिशत बिलो पावर्टी लाइन है; इसके बाद में मिडल क्लास है। दुनिया की सबसे ज्यादा मिडल क्लास पापुलेशन भारत में ही विराजमान है। लोग 40-40 लाख, 36 लाख रुपये देकर एम.बी.बी.एस. या टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते। इनके इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बिल लाकर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

आप इनको जो जिस प्रकार की छूट देने की कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कुछ वर्षों के बाद में जब बच्चे वहां से निकलकर आना शुरू होंगे तो निश्चित तौर पर इन सरकारों को भी इसके उत्तर देने पड़ेंगे।

एण्ट्री एग्जाम, मंत्री महोदय, आल इण्डिया एण्ट्री एग्जाम्स, टैट, कन्सर्न्ड हैं, वे भी एण्ट्री एग्जाम लेते हैं टेक्निकल एजुकेशन में। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित हो गया जिसमें एसोशिएशन अगर करती है, एग्जाम लेती है, उसमें भी अगर किसी ने पार्टिसिपेट कर लिया तो वह भी उसमें दाखिला ले सकता है। स्टेट मेकेनिज्म क्यों नहीं डवलप करते आप कि राजस्थान के टेक्निकल एजुकेशन की यह बाडी है जो इस प्रकार के मेडिकल कालेजेज का एग्जाम लेगी? अगर किसी को खोलना है तो खोले, नहीं खोलना है तो नहीं खोले लेकिन क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।

कई मेडिकल कालेजेज की शिकायतें आयीं। मैं भी हैल्थ में रहा हूं, हैल्थ एजुकेशन मेरे पास रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बनी हैं, उनमें शिकायतों के निराकरण का, सेविंग क्लाज है क्या आपके पास, इनेबलिंग क्लाज है क्या जिसमें आप कुछ कर सकते हैं? इंडिविजुअल एफिलिएटेड कालेज के खिलाफ तो आप एक्शन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी के विरोध में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास पावर्स नहीं हैं। आपने कुछ रखा ही नहीं। बिल फटाफट पास करवा रहे हैं। इससे क्वालिटी आफ एजुकेशन गिरेगी और क्वालिटी आफ एजुकेशन गिरने के साथ-साथ बंदरबांट भी होगी और बेइमानी भी होगी।

हंसने की बात नहीं है। आपके बच्चों को, आप मंत्री नहीं रहें, उसके बाद में प्राइवेट मेडिकल कालेज में पढ़ाकर देखें, डेण्टल कालेज में पढ़ाकर देखें। इण्टरनल असेसमेंट में या तो मिलेंगे 10 प्रतिशत, या मिलेंगे 90 प्रतिशत; डिपेण्ड करता है कि आप उनको कितना खुश रखते हो, आप उनको कितना दबा सकते हो। टापर्स, जो टाप करने वाले का जो मेटल है, वह भी सबसे कम उसका रख लेंगे; आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, पैसे देने के बाद में अटेंडेंस पूरी हो जाएगी। मेरे समय में मैंने कम से कम 10 ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम अलग से करवाया मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, क्योंकि शिकायतें थीं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसी कालेज को डिक्लेयर करने के बाद में आप कर पाएंगे क्या?

ऐसे-ऐसे भी एंट्रेंस हुए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक गये हैं और पूरा

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बैच, आज अगर उसको अनुमति मिली है और 10 दिन बाद में अगर काउंसिलिंग हो रही है, वह अपने नाम और संख्या नहीं देता, कितनी सीट मेडिकल कालेज ने अलाट की है या टेक्निकल कालेज ने अलाट की है और उसके बाद में, काउंसिलिंग होने के बाद में वह अपनी इच्छा से एडमिशन लेता है। क्या यह सही है? कर लीजिए इंक्वायरी। 3-4 साल इंक्वायरी में लग जाएंगे, 1-2 साल कोर्ट केस में लगेंगे और फिर बाद में वे बच्चे आकर खड़े होंगे कि साहब, हमारे कैरियर के साथ यह क्या खिलवाड़ किया जा रहा है कि हमारी उसमें मान्यता प्राप्त नहीं हो रही है। इन बातों पर आपको चिन्ता करनी होगी।

सेमेस्टर एग्जाम्स अलग दूसरी जिस यूनिवर्सिटी में ये कंडक्ट हो रहे हैं, वह सेमेस्टर एग्जाम्स स्टेट तय करे, ऐसा मेकेनिज्म डवलप करें। पेपर भी आप देंगे और वहां सिस्टम स्टेट की तरफ से होगा और स्थान भी दूसरा होगा। जहां पर खुली, ओपन नकल जिस प्रकार से होती है, वह नहीं हो सकती है। क्वालिटी एजुकेशन उसके बिना सम्भव नहीं है। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वह सिंघानिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह दो-तीन और ट्रिपल-आई. टी. है उनके बारे में कहीं संशय नहीं है कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअल खोल रहे हैं, इसको कामर्शियल लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कर रहे हैं, उसमें तो कम से कम, कोई न कोई ऐसा इनेबलिंग क्लाज तो आप रखें जिससे आप स्टेट की तरफ से, इंडिविजुअल मंत्री नहीं, केबिनेट अगर महसूस करे कि इस पर एक्शन लेना है तो कुछ ले सके। फी-स्ट्रक्चर की मानिटरिंग का या उस पर कण्ट्रोल करने का आपके पास कुछ भी नहीं है।

राइट-टू-एजुकेशन तो बिल पास हो गया, संविधान में संशोधन हो गया लेकिन राइट-टू-हायर एजुकेशन, इस तरह से बंदरबांट से आप करेंगे क्या? जहां पहली से आठवीं तक तो फेल ही नहीं कर सकते, जो अनुदानित हैं उसके अन्दर लाटरी से करें, अच्छी बात है, सिस्टम बना लेकिन यह अब मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास है उनके बच्चे भी अच्छी स्कूलों में जाने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। वे अगर इस चक्कर में फंस गये तो अभिमन्यु की तरह उनकी सेहत का ह्रास होने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा।

मैं तो इसलिये आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस कामर्शियलाइजेशन में जितनी रोक लगा सकें, लगाने का प्रयास करें। आज

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बिल पास हो जाएगा, कोई बात नहीं, पांच साल बाद में, दस साल बाद में स्थितियां ये आएंगी। स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा मेकेनिज्म डवलप करना पड़ेगा, जिसमें मनमानी फीस नहीं ले सकते, उस पर भी कण्ट्रोल हो।

अब यू.जी.सी. ने कह दिया कि सेल्फ खर्चा सारा कर रहे हैं, स्व-वित्त पोषित हैं। स्व-वित्त पोषित होगा तो कम से कम यह तो नहीं हो सकता कि इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में संस्कृत पढ़ाएंगे, संस्कृत का अध्यापक पढ़ाएगा, क्योंकि ज्ञाता तो वह उसका है। नौकरी देनी है क्योंकि हमारा रिश्तेदार है। यह सम्भव नहीं है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी एक विभाग की आप जांच करवा लें, उससे ही आपको अनुमान लग जाएगा। संस्कृत विभाग में। अधिकांश वहां के लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स संस्कृत में बोल ही नहीं सकते और वे संस्कृत को चला रहे हैं। वहां से जो पढ़कर जाएगा, उसकी स्थिति क्या होनी है, वह आप देखें। यही स्थिति मैथेमेटिक्स और दूसरे विषयों की है। टेक्निकल एजुकेशन में जितनी यूनिवर्सिटीज और कालेजेज आपने खोले हैं, राजस्थान में उतनी फैकल्टी अवेलेबल ही नहीं है। वही स्थिति होगी, जैसी नर्सिंग कालेजेज की हुई थी। एक-एक लेक्चरर ने तीन-तीन जगह अपना नाम लिखवाया हुआ है ताकि कम से कम यू.जी.सी. को, जो उनकी कण्ट्रोलिंग बाडी है उसको बता सकें कि मेरे पास इतना स्टाफ एम्प्लायड है, मेरे पास इतना स्टाफ है। क्लास लेने वाले तो नहीं होंगे।

इसलिये इन बातों का ध्यान रखें तो राजस्थान का ज्यादा हित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय पेमारामजी। अभी मूल बात तो आ गयी। वैसे आपका अधिकार है, थोड़ा शार्ट में कर लें तो कृपा होगी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल तो यह भी आ गयी कि इनके पास बहुमत है, फिर सदन में लाने की कहां आवश्यकता थी? सरकार वहीं सीधा आदेश निकाल देती। (व्यवधान) यह सदन में आया है तो निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में जो विचार हैं, वे सदन में रखने के लिये आपसे आज्ञा चाहूंगा।

(16.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में हमारे प्रदेश में एक लोक कल्याणकारी राज है और हमारी सरकार प्राइवेट विश्वविद्यालय लाकर जिस रास्ते पर जा रही है, निजीकरण के रास्ते पर जा रही है। दो तरह की शिक्षा,

(श्री पेमाराम)

एक गरीब के बेटे के लिए अलग तरह की शिक्षा होगी, अमीर के बेटे के लिए अलग तरह की शिक्षा होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कानून बनाकर छूट देने का मतलब, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कौन लेक्चरार होगा, आरक्षण की क्या स्थिति होगी; आज सरकारी यूनिवर्सिटी है यह राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान की सरकार में निहित है, उसमें भी आरक्षित वर्ग के अध्यापक, प्राध्यापकों की पूर्ति नहीं है, प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का मतलब उस गरीब के घर से आने वाले एक को भी, सिंगल मैन को भी काम नहीं मिलेगा; न उसके बेटे को उसमें पढ़ने का, क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। इसलिए प्राइवेट कॉलेजों की मान्यता देने का मतलब लूटने के लिए, कानूनन रूप से सरकार जो छूट दे रही है, वह अमीर लोगों को जो छूट दे रही है, मैं समझता हूं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। फूलचन्दजी भिण्डा, बोलेंगे आप?

श्री पेमाराम (धोद): मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने का... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो समाप्त कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात समाप्त नहीं हुई क्या अभी? आप उस सब्जेक्ट पर नहीं हैं, आप रूल्स को पढ़ लीजिए।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है इस बात का कि बहुमत है, इस बात पर, हमारे विरोध करने के बावजूद भी लेकिन निश्चित तौर पर जो जनता की चिंता है, वह तो मैं सदन में रखना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में प्राइवेट कालेजों की यह जो लम्बी लिस्ट लगाकर यह लूट की...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप निर्देश नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): यह राजस्थान की सरकार विधान सभा में कानून बनाकर छूट देने का यह जो कु-प्रयास कर रही है, मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री फूलचन्द भिण्डाजी। (व्यवधान) आप थोड़ा शार्ट ही करिये। उसका कोई ऐम गलत नहीं है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

शार्ट ही कर रहा हूं, वही कर रहा हूं मैं। हम राजस्थान में इतना बड़ा भू-भाग रखते हैं और हमें केवल विश्वविद्यालय खोलने वालों की दो करोड़ रुपये की एफ.डी. की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि चिंता करनी चाहिए कि डूंगरपुर भी यहां पर ही है, बांसवाड़ा भी यहां पर ही है, प्रतापगढ़ भी यहां पर ही है, करौली भी यहां पर ही है, सवाई माधोपुर भी यहां पर ही है। जिसको भी आगे अगर किसी को विश्वविद्यालय लेना है तो रीजनल बैलेंस की बात करें। एक तो यह निवेदन है मेरा।

दूसरा निवेदन यह है कि प्राइवेट सेक्टर को तो खोल दिया हमने 1992 में, तो निश्चित तौर पर सरकारी जो सिस्टम हमारा है, उसको भी प्रतियोगिता में खड़ा करना चाहिए और उसको अप-डेट करना चाहिए। लेकिन हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें फैकल्टी की बिलकुल कमी है। मैं आपको निवेदन करूं कि हम पाठ्यक्रम भी अप-डेट नहीं कर रहे हैं। जब ये प्राइवेट विश्वविद्यालय नये-नये पाठ्यक्रमों के नाम पर जनता को लूटेंगे तो हमें हमारे सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, उनको भी अप-डेट करना चाहिए।

तीसरी बात, जो मुख्य बात है, हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की। इसके निरीक्षण के लिए भी क्योंकि अभी केन्द्र भी, यू.जी.सी. मनमानी करती थी, अन्य संस्थाएं बनवाने का भी, उसको भी रेग्यूलेट करने के लिए केन्द्र सरकार और सिस्टम ला रही है। इस कारण से हम भी इस बात का ध्यान करें कि वे कोई मनमानी नहीं करें।

एक पराकाष्ठा प्राप्त वर्ग है, जिसके बारे में हम 1967 से लड़ रहे हैं; इंदिराजी जब प्रधान मंत्री थीं, तब से लड़ रहे हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं की जा रही है। बी.पी.एल. का परिवार है, एस.सी., एस.टी. का परिवार है, वह कहां से लाएगा लाखों-करोड़ों रुपये? इस कारण से, जब हम एक्ट बना रहे हैं तो इसमें यह भी प्रावधान डाल सकते हैं कि यह जो पराकाष्ठा प्राप्त वर्ग है, इसको संरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको रियायत मिलेगी कि नहीं। इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलेंगे?

श्री पेमाराम (धोद): बिल पर तो बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष: आप, पेमारामजी, शिक्षा क्यों देते हो ज्यादा? एक-दो अक्षर सब समझते हैं, सदन में आते हैं। हर बात की शिक्षा नहीं देनी चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब 2012 में अपन ने कई विश्वविद्यालय बना दिये, अच्छा यह होता कि इन सारे विश्वविद्यालयों की एक और सूची कहीं इधर-उधर रह गई हो तो उन सबको समाहित करके एक साथ ही रखकर उस पर डिस्कशन करवा लेते क्योंकि चर्चा भले ही करो पर परिणाम तो कुछ निकलेगा नहीं।

आज इन विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए इस हाउस की आवश्यकता है, कल वह विश्वविद्यालय क्या करेगा, उसको कोई अधिकार है या आपको कोई अधिकार है? यानी, आज उसको जिस प्रकार का अधिकार हम दे रहे हैं, हमारा इन पर किसी भी प्रकार का, न तो प्रवेश पर कण्ट्रोल होगा, न हमारा एग्जामिनेशन पर कण्ट्रोल होगा, न हमारा सलेक्शन पर कण्ट्रोल होगा, न हमारा फीस पर कण्ट्रोल होगा, न उसके मैनेजमेंट बोर्ड पर होगा। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, हम सारे हमारे अधिकारों को तो सारा का सारा उसके हाथ में सुपुर्द कर रहे हैं और बिलकुल उसको निरंकुश बनाकर रख रहे हैं। जिस परपज से अपन ने विश्वविद्यालय खोलने का मानस बनाया है कि एजुकेशन का विस्तार हो, हमारे हर बच्चे को अवसर मिले, अधिक से अधिक राजस्थान एजुकेशन में आगे बढ़े लेकिन इनके पांच साल, दस साल चलने के बाद क्या आपके पास कोई ऐसा अधिकार रहेगा कि ये जो निकले हुए बच्चे हैं, ये सड़क पर होंगे या कहीं काम पर होंगे, इन बच्चों की कहीं दुनिया में और देश में कद्र होगी या नहीं? जिस संस्था के द्वारा निकलने वाले बच्चों को अगर कहीं पर भी रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या उस विश्वविद्यालय को बंद करने का कोई अधिकार आपके पास है? इस विश्वविद्यालय को समाप्त करने का अधिकार आपके पास है कि आप इसको कल बंद कर सकते हो? तो आप ऐसा हथियार उसके हाथ में दे रहे हो जिससे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कम से कम चोटी तो पकड़ कर रखो आप। पूरा भाग जाए तो भाग जाए पर लास्ट में कम से कम कहीं तो वह हाथ लगे।

मैं आपको बहुत मन से कह रहा हूं कि यह जो गलती हम कर रहे हैं न, इसका परिणाम आप भी नहीं भुगतोगे और मैं भी नहीं भुगतूंगा पर इसमें पढ़ने वाला बच्चा जरूर भुगतेगा और वह आपके और मेरे सामने आकर एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समस्या बनकर खड़ा होगा। क्योंकि जहां पर मेरिट के आधार पर सलेक्शन नहीं होगा, जहां पर टीचर्स के सलेक्शन का कि तुम कल से आ जाना, 25 हजार रुपया मिलेगा, तुमको 22 हजार रुपया मिलेगा, तुमको 18 हजार रुपया मिलेगा, तुमको 9 हजार रुपया मिलेगा, मतलब जैसे बनिये की दुकान पर भी कोई आता है तो चार माल देखता है और उसमें से जो पसन्द करता है, उसकी रेट ही पूछता है पर यहां पर तो जो जाएगा, उसको, तू आ जाना, तू मत आना, तू कल निकल जाना, तू कल हट जाना। यानी वहां पर जो सर्विस कर रहे हैं, उनकी सर्विस की गारंटी क्या होगी? उनकी सर्विस के रूल्स क्या होंगे? उन रूल्स का पालन कौन करवाएगा? अगर वह सेठ मर्जी आये उसको निकाल देगा और मर्जी आये उसको रख लेगा, तो फिर वहां पर जो काम करेगा वह अपने मन से काम कर सकेगा? यानी तलवार एक तरह से लटकी रखी।

मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप दो-चार और बाकी रह गये हों, पूर्णिमा तो अभी कर देते हैं, बाकी एक और जो पीछे आ रहा है वह भी कर देते हैं और कहीं खांचे-कूंचे में रह गये हों तो दस-पांच एक साथ लाकर के निकाल दो ताकि कम से कम यह तो हो कि 2012 एक ऐसा साल रहा कि जो प्राइमरी स्कूल खोलने में भी कोई आदमी दिमाग पचाता है पर विश्वविद्यालय खोलने में कुछ भी नहीं।

ये जो पांच काम हैं, इन पांचों कामों पर इतना ही काम कर लो कि जितने भी विश्वविद्यालय आपने बना दिये न, उन विश्वविद्यालयों का बोर्ड आफ कण्ट्रोल के एक बार पूरे डिटेल्ड फिगर मंगवा लो कि इसके बोर्ड आफ कण्ट्रोल में कौन-कौन लोग हैं और इनके पारिवारिक रिश्ते एक-दूसरे से क्या हैं; क्या सम्बन्ध हैं इनके, ये इस परिवार से कहां पर जुड़े हुए हैं? इनका अगर आप पोस्टमार्टम करोगे न, तो ऐसा लगेगा कि एक ही कुनबे के लोगों ने आकर के, कोई उस कोटे में आ गया, कोई उस कोटे में आ गया और हमारा एक अकेला डायरेक्टर है, उसको भी जाना नहीं है, अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है। वह वहां पर जाकर क्या करेगा? चाय पीकर वापस आये भले ही।

अगर इसी तरह की यूनिवर्सिटी बनाने का हम लोगों ने मन बना लिया तो मेरी प्रार्थना है कि जो हो गया, वह हो गया लेकिन कम से कम इसको कण्ट्रोल करने के लिए कोई न कोई एक ऐसी बाडी ऐसी बनाओ जो इनके सारे के परीक्षा के ऊपर, इनके सारे के सारे एडमिशन के ऊपर, इनकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, इनके टीचर्स सलेक्शन के ऊपर, इनकी व्यवस्थाएं, मीटिंग समय पर होती हैं या नहीं या केवल घर जाकर दस्तखत होकर पूरी प्रोसीडिंग्स पास हो जाती हैं, यह जब तक आप नहीं करोगे तो मैं सोचता हूं कि अपन एक बहुत बड़ी भूल करते जा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। क्योंकि बहुमत के आधार पर पास तो होगा लेकिन इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी क्यों अलग से करवाते हो आप? उसका नाम भी इसके साथ ही कर देते। यानी मैं यह सोच रहा हूं कि यह विश्वविद्यालय का रोज अलग-अलग लाने का क्या औचित्य है? एक बार दसों एक साथ लाकर कह देते कि इन दसों विश्वविद्यालयों का, लगभग-लगभग पैरा वही हैं, उन्हीं को पढ़ना है तो जिनको भी बोलना हो तो कम से कम दस बार तो नहीं बोलेंगे। एक ही बार बोल-बुलाकर खतम हो जाएगा। जो होना है वह होगा; इस देश को जो बनना है वह बनेगा।

मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ जवाब दे सको तो यह देखो कि इनकी इन सारी व्यवस्थाओं के ऊपर, यह जब मान्यता मिल जाने के बाद, यह अधिकृत हो जाने के बाद इन पर कण्ट्रोल करने की ताकत आपके पास क्या है, उसका वर्णन कर दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, 2005 में बना और उस एक्ट के बनने के बाद में 2007 में 4 विश्वविद्यालय बनें। इसके बाद में 2008 में 9, 2009 में 3, 2010 में 3, 2011 में 8 और 2012 में पांच-छह। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एक्ट बनाकर और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक गाइडलाइंस जारी कर दीं और जो भी उस गाइडलाइंस को पूरा करता है, संस्था रजिस्टर होगी, संस्था प्रस्ताव भेजेगी, संस्था के प्रस्ताव का परीक्षण होगा कमेटी के माध्यम से, फिर आशय पत्र जारी होगा, आशय पत्र के बाद में फिर कमेटी बनेगी और उसके बाद में एक्ट बनेगा।

अभी फिलहाल में जो कुछ भी आप फरमा रहे हैं, माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह बिलकुल ठीक हो सकता है, लेकिन इस एक्ट में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी इसके बाद में नहीं बनेगी। पर फिलहाल में मैं यही कह सकता हूं कि भविष्य में हम हायर एजुकेशन

(डा. दयाराम परमार)

रेग्यूलेटरी कमीशन बनाने के बारे में चिन्तन कर रहे हैं और उस कमीशन का स्वरूप किस तरह से होगा, उसको क्या अधिकार और शक्तियां होंगी, यह सारा सदन बैठकर चिन्तन करेगा। लेकिन जो भी कुछ आप फरमा रहे हैं, बिलकुल सही है, हमने उनको एक्ट बनाकर कानूनी अधिकार दिया और सरकार का कंट्रोल नहीं रहा तो शिक्षा का स्तर किस तरह से होगा, गुणवत्ता क्या होगी, किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ में मिस-बिहेवियर होगा, यह सारा एक चिन्तन का विषय है।

(16.10 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कमीशन बनाने की मैंने बात कही है, इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उस पर नियन्त्रण करने की कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2012 पारित किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

विधेयक पर विचार

संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 47 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गईं।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक 2012 को पारित किया जाए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, जो पहले कहा, उसके अलावा, हटकर मैं सब्जेक्ट पर बोलना चाह रहा हूं। यह केरिकुलम के बारे में कौन तय करने वाला है? जो भारत में सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाये जा रहे हैं, उसके बारे में, एनोटोमी इंजीनियरिंग, आज दिन तक मेडिकल यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट नहीं है, आपके किसी मेडिकल कालेज में नहीं है। एनोटोमी इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग, वह भी नहीं है। क्या रिसर्च करेंगे, क्या डवलपमेंट करेंगे? 125 करोड़ की आबादी को आप कहां पर लेकर जाने वाले हैं? इसको रेग्यूलेट करने के लिये तो कीजिये। हायर एजुकेशन मींस हायर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

एजुकेशन और उस हायर एजुकेशन का लाभ मिले देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, उसके बारे में तो चिन्ता करनी चाहिये। आप उसको रेग्यूलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में अधिकार ही नहीं रहेगा। नया सब्जेक्ट पैट्रोलियम इंजीनियरिंग बीकानेर में सिर्फ एक कालेज में सब्जेक्ट रहा है। रूड़की में सबसे पहले रहा। बीकानेर में कोशिश करके तीन साल पहले हमने शुरू किया। वहां से बच्चे निकलने भी लगे। सिरेमिक इंजीनियरिंग, उसका भी सब्जेक्ट चालू किया। वह हमारे हाथ में था और स्टेट के रेग्यूलेशन में था, इसलिये हम कर पाये।

ये सुपर-स्पेशलिटीज हैं, जिनकी आज की तारीख में न यू.जी.सी. को जानकारी है, न मेडिकल काउंसिल को ध्यान है, न जो सी.टी.आई.टी. जो इंजीनियरिंग कालेजेज को डील करती है, न उनके ध्यान में है। आने वाले टाइम में ऐसा ही अंधेरा अगर चलाने वाले हैं तो चलायें। मैंने तो एजुकेशन पूरी कर ली और मेरे बच्चों ने भी पूरी कर ली, लेकिन आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: सम्माननीय मंत्री महोदय, इतने विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय के आपके बिल आये हैं। आपने कभी यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है क्या कि जो प्रीवेलेंट फील्ड्स हैं, जिनकी आज की तारीख में और आने वाले कई बरसों तक 21वीं शताब्दी में आवश्यकता पड़ेगी? मैं कुछ आपको निवेदन कर रहा हूं, ओशियनोग्राफी पर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। अभी तक जितने विश्वविद्यालय के बिल आये हैं, या महाविद्यालय के आये हैं, उनकी शिड्यूल सेकण्ड में वार साइंस का नहीं है, न्युक्लीयर साइंस का भी नहीं है, अर्थ साइंस का भी नहीं है। हम इन विश्वविद्यालयों में ठीक वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो जनरली बाकी कालेजेज और विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। जब भी नये विश्वविद्यालय के आयें, कम से कम इन सब्जेक्ट्स के बारे में उनसे कमिटमेंट लीजिये। शिड्यूल में डालने से नहीं होगा, अनिवार्य रूप से इन सब्जेक्ट पर करायें। न्युक्लीयर साइंस की तो जो सिविल एप्लीकेबिलिटी है, डिफेंस एप्लीकेबिलिटी तो आप पढ़ा नहीं सकते, सिविल एप्लीकेबिलिटी को तो आप कम से कम करिये। थैंक यू।

प्रश्न यह है कि संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक 2012 को पारित किया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक 2012 को पारित किया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 । अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री महेन्द्र जीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुदान की मांग संख्या-28, 41 एवं 50 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,81,62,69,000/- (अक्षरे दो अरब इक्यासी करोड़ बासठ लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 28 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,61,92,64,000/- (अक्षरे अटठाइस अरब इकसठ करोड़ बानवे लाख चौंसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

मांग संख्या 50–ग्रामीण रोजगार की प्रस्तुति

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

को रुपये 3,01,06,11,000/- (अक्षरे तीन अरब एक करोड़ छह लाख ग्यारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 50 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

श्री सभापति: डा. जसवन्त सिंह यादव।

मांग संख्या 28, 41 व 50 पर विचार

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मैं अनुदान की मांग संख्या 28, 41 और 50 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राजस्थान गांवों का प्रदेश है और यह भी सभी जानते हैं कि राजस्थान की 72 फीसदी आबादी गांव में रहती है और गांव में ही अपना जीवन-यापन करती हैं। प्रदेश की टोटल आय का एक चौथाई से अधिक भाग कृषि या उनसे सम्बन्धित कार्यों से सरकार को प्राप्त होता है और राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद को भी लिया जाए तो उसमें भी करीबन 28 परसेंट कृषि से प्राप्त होता है।

अब राजस्थान के अन्दर जो लोग रह रहे हैं, यह पंचायती राज की जितनी भी योजनाएं बनती हैं, आज तक जितनी योजनाएं बनी हैं, उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि रोजगार बढ़ाए जाएं जिससे गांव के लोगों की गरीबी दूर हो सके। 57 परसेंट तो ऐसे लोग हैं जिनको कृषि या उससे सम्बन्धित और स्रोतों से रोजगार मिल जाता है, बाकी रहे 43 परसेंट, उनके लिए ये योजनाएं बनती रहती हैं। जिस योजना को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक ही बात कही जाती है कि गांव के आम आदमी की गरीबी दूर होगी, रोजगार मिलेगा और गांव का विकास होगा। यह सिलसिला आज से तो चला नहीं आ रहा, स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरूजी के समय से चला आ रहा है।

अब इतनी योजनाओं के बाद भी आज तक ना तो गांवों की गरीबी दूर हुई, ना बेरोजगारी दूर हुई और ना गांव के आम आदमी का विकास हो पाया। और यह भी हुआ कि सब लोगों ने, हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं, कि, साहब, जब 70 परसेंट लोग गांव के यहां चुनकर आ गये और गांव वालों ने इसी कल्पना के साथ वोट दिये कि जब गांव से जन-प्रतिनिधि चुनकर जायेगा, विधायक बनेगा, यह भी उसके पास आखिरी हथियार था कि शायद इससे

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

हमारे दिन सुधर जायेंगे और हमारे गांव की कायाकल्प हो जायेगी। यह सब करने के बाद अब तो राम भरोसे, गांव की हालत तो सब की वह की वह ही है।

मैं भी गांव से ही आता हूं। अब जितनी भी योजनाएं हैं, मैं तो इसमें देख रहा हूं कि जो भी योजनाएं हैं, चाहे वह स्व-रोजगार द्वारा गरीबी उन्मूलन, वह ही गरीबी उन्मूलन आता है इसके अन्दर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; दूसरा आता है रोजगार सृजन द्वारा गरीबी निवारण, वह ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना; सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना; इसी तरह से क्षेत्रीय विकास द्वारा गरीबी एवं क्षेत्रीय असन्तुलन नियंत्रण हेतु कल्याण योजनाएं, चाहे वह इंदिरा गांधी आवास योजना हो, चाहे मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना हो, चाहे राजस्थान ग्रामीण आजीविका योजना हो, चाहे मिटिगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान हो; फिर अन्य डी.आर.डी.ए. प्रशासन से भी ले-देकर सब का उद्देश्य एक ही रहा कि गांव से गरीबी दूर हो जाए। गरीबी तो दूर हुई नहीं, बेचारे गरीब हटते जा रहे हैं। गरीबी दूर हुई है तो सरकार की हुई है या अधिकारियों की हुई है, बेचारे गांव के गरीब को तो कुछ मिला नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है कि जब तक हमारी इच्छा-शक्ति प्रबल नहीं होगी, हम पंचायती राज से जब तक भ्रष्टाचार को समूल नष्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इसके अन्दर कामयाबी नहीं पा सकते। जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं आती हैं, वे पूरी नहीं हो पातीं। उसका मुख्य कारण है कि या तो राजस्थान अपना अंशदान नहीं मिला पाता या जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है या पंचायत समितियों के अन्दर कर्मचारी की संख्या पूर्ण नहीं होती, कर्मचारी नहीं होते। इसी कारण से सारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं।

मैं खुद विधायक हूं, एक-एक साल पहले हमने विधायक निधि कोष से कोई घोषणा की, उसमें दे दिया और वे आज तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना, गरीब आदमी मकान बना रहा है, आपने एक किश्त जारी कर दी, चार-दीवारी खड़ी करके रह गया, एक-एक साल तक उसको इंदिरा गांधी आवास योजना की पूर्ण किश्तें नहीं मिल पा रहीं और जो मिलती हैं, वह उसमें भी अंशदान मांगा जाता है वहां के अधिकारियों के द्वारा। तो इस

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

पर आप रोक लगाएं कि आखिर क्या कारण हैं, एक साल से जिनको हम गरीब कह रहे हैं, जिन गरीबों को मकान देना चाहते हैं और इतना बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि हम बस तुरन्त महलों में रखना शुरू कर देंगे गरीब आदमी को और उनको एक-एक साल तक किश्त नहीं मिल पा रही। तो इसकी तरफ आपको एक ध्यान देने की जरूरत है, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए।

इसी तरह से जो सरपंच हैं, बेचारे काम कराते हैं, जो सेक्रेटरी काम कराते हैं, उनका शेष पैसा, यू.सी. देने के बाद भी अंतिम किश्त के लिए चक्कर लगाते रहते हैं पंचायत समिति और डी.आर.डी.ए. के और जब तक वे उनको कुछ भेंट नहीं देते तब तक उनको आखिरी किश्त नहीं दी जाती है। तो इस पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए।

आपने एक अंतिम हथियार अपनाया, वह क्या अपनाया कि भाई, जब तक गांव के आदमी को शहर की तरफ पलायन करने से रोका नहीं जायेगा तब तक गांव का विकास भी नहीं हो सकता, गरीबी भी दूर नहीं होगी। पहला बजट, दूसरा बजट, तीसरा बजट और यह चौथा बजट आ गया, आपने पहले बजट से बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू की कि हम तुरन्त भर्तियां शुरू करेंगे; चार बजट निकल गये, सरकार जाने वाली है लेकिन भर्तियां आज तक हुईं नहीं।

फिर आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इसका प्रचार किया कि साहब, हम माननीय सदस्यों को यह बता रहे हैं कि पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पांच विभाग अक्टूबर, 2010 को सौंप दिये गये हैं और कह दिया कि पंचायत राज इससे बहुत मजबूत हो जायेगा, पर, मंत्रीजी, आप बैठे हुए हैं, यह यहां आलोचना ही मत समझिये, इस यथार्थ के अन्दर और इस सच्चाई के अन्दर आपको जाना पड़ेगा। आपने कहा कि हम इनको फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज दे रहे हैं, मैं आपसे एक ही इसका उदाहरण मांगता हूं कि मान लीजिए, कोई हैल्थ के अन्दर ही, आपके चिकित्सा में कहीं ए.एन.एम. की कमी है तो सरपंच उसको कर सकता है क्या? क्या कोई ए.एन.एम., डाक्टर काम नहीं कर रहा तो सरपंच उसको हटा सकता है क्या? वह तो क्या हटायेगा, आप भी नहीं हटा सकते, उसके खिलाफ आप भी एक्शन नहीं ले सकते। जब आपको डायरेक्ट कंट्रोल की कोई पावर ही नहीं है तो इस ड्यूअल को करने से केवल गरीब का सत्यानाश ही होना है। या तो इतनी ताकत दे दो, आप में दम हो तो। केवल वाहवाही लेने के लिए कोई काम करते हो। हम सरपंच को

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

ताकत दे सकते हैं? कोई ताकत दे रखी है कि वह सरपंच कुछ कर सकता है? आप ही उनका कुछ नहीं कर सकते हो तो सरपंच क्या करेगा? तो इसके अन्दर सोचो। इन बातों से, ढिंढोरा पीटने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। असली तो वहां फिजिकल और प्रैक्टिकल जो काम होता है, उसको दुनिया देखती है।

तो मेरा आग्रह है कि ये पांच दिये हैं, या तो इनकी सारी अपाइंटमेंट की, ट्रांसफर-पोस्टिंग की सारी ताकत डी.आर.डी.ए. से कर दो। एक्शन कोई ले नहीं सकता। मैं भी जिला प्रमुख रहा हूं, मैंने भी इस चीज को प्रैक्टिकली देखा है।

इसके बाद सहभागिता योजना है, अब आप कह रहे हो कि हमने 35 करोड़ बढ़ा दिये, आपने या तो सभी पंचायत समितियों को निर्देश दिये थे कि आप केवल इतने ही पैसे जमा कराएं जितने पैसे सरकार के पंचायत समिति के हिस्से में आते हैं। दुनिया भर के गांवों से पैसे जमा हो गये। इसके अन्दर मिलीभगत भी थी। कितनी ही जगह तो यह हुआ है कि सरपंचों ने अपनी जेब से कर दिया कि एक लाख दूंगा, दस लाख मिलेंगे, अपने आप उसको बराबर कर लूंगा; वे फंसे हुए हैं, रोते फिर रहे हैं, एक-एक साल तक उनको पैसा नहीं मिल रहा। तो आप वह काम करो, एक लिमिट करो बी.डी.ओ. के पास में कि कितने पैसे से ज्यादा आप जनता के जमा नहीं करायेंगे। आपने जमा करा दिये, दुनिया भर के जमा हो गये, वे बेचारे रोते फिर रहे हैं अब।

फिर आया कि साहब, इस गांव का पलायन रोकने के लिए क्या किया जाए, तो केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना की शुरुआत की और शुरुआत की कि भाई, अगर यह योजना आ गयी तो इससे तो गरीबी भी दूर हो जायेगी, गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और गांव के लोगों का पलायन भी रुक जाएगा । पर आपकी गलत नीतियों, आपके महकमे में भ्रष्टाचार के कारण यह भी योजना दम तोड़ती नजर आ रही है, अगर इसके ऊपर आकलन करेंगे तो। यह सत्य है कि अधिकांश गांव का आदमी अपनी अच्छी जिन्दगी जीने के लिए शहर की तरफ भागता है, वह यह सोचता है कि शहर में जाऊंगा तो शायद इस गांव की गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी और इसको रोकने के लिए ही आपने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

में संसद द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया और 25 अगस्त, 2005 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस पर मोहर लगा दी और 27 अगस्त को यह लागू हो गयी। उसके बाद तो जो केन्द्र सरकार ने इसको प्रचारित, प्रसारित किया कि पता नहीं, अब तो क्या हो जाएगा कि शायद गांव के अन्दर से गरीबी समूल नष्ट हो जाएगी, कोई आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, हरेक को रोजगार मिल जाएगा, इस अधिनियम के आते ही गांव का आदमी...। क्योंकि प्रचार आपने इतना किया, चाहे वह इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो, मीडिया हो, चाहे वैसे हो, अपने भाषणों में कि गांव के आदमी तो सपनों में खो गये कि अब हमारे अच्छे दिन आ गये।

इस अधिनियम के प्रावधान के लिए, यह भी सही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चालीस हजार करोड़ की योजना बनाई और योजना की शुरुआत देश के 200 जिलों से की गयी। अब चूंकि समझा दिया युवराज साहब को, उन्होंने कहा, यह तो योजना बहुत अच्छी है, इसको तो पूरे देश में लागू किया जाए, तो पूरे देश के सब जिलों में लागू हो गयी। हमारे यहां भी यह योजना शुरू में छह जिलों के अन्दर लागू हुई थी, इसके बाद सारे राजस्थान के अन्दर सभी जिलों के अन्दर इस महत्वपूर्ण योजना को कि बेरोजगारी भी दूर होगी, गरीबी भी दूर होगी, इसका विस्तार कर दिया। शुरू में तो इसके परिणाम भी अच्छे आए, नो डाउट, परिणाम अच्छे आए लेकिन आज जब इस योजना के प्रगति सम्बन्धी आंकड़ों का अवलोकन करते हैं, महसूस करते हैं कि इस योजना के अन्दर भी ग्रहण लग चुका है, यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, यह भी प्रशासन की लापरवाही से दम तोड़ रही है। पारदर्शिता के नाम पर केवल पंचायत राज जन-प्रतिनिधियों को ही कटघरे में हम खड़ा करते रहें, उनको ही छलते रहे।

अपने यहां तो नरेगा की शुरुआत ही बहुत जोर-शोर से हुई। इसमें शुरू में सरपंचों ने, ग्राम सेवकों ने, गांव के लोगों ने भी खूब भागीदारी निभाई, अच्छे परिणाम भी लाए, अच्छा काम भी किया और सफल क्रियान्वयन हुआ। उसके रिजल्ट भी अच्छे आए और लोगों को लगा कि अब तो हमको काम मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आज इसमें कमी आ गयी। जबकि आपके पास इतना स्टाफ है, पंचायत समितियों के पास खूब स्टाफ है, जिला परिषदों के पास भी खूब है, स्टाफ नहीं है तो केवल पंचायतों में नहीं है। लेकिन कभी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आपने ध्यान दिया कि जिन कलक्टरों ने, जिन सी ई ओज ने, जिन अधिकारियों ने इस योजना को आनंदमय योजना समझ लिया, गरीबी उन्मूलन की जगह उन्होंने यह समझ लिया कि यह तो हमारे ऐश और आराम की योजनाएं हैं, आपकी तरफ से उन पर एक्शन नहीं हुआ। इसलिए योजना के अन्दर दिनोंदिन गिरावट आती जा रही है। इतना ही है। एक तरफ गरीब आदमी धूप में काम कर रहा है, गरीब आदमी भूखा-प्यासा रहकर काम कर रहा है, दूसरी तरफ आपके यहां जिला परिषद, कलेक्ट्रेट के अन्दर ए सी खरीदे जा रहे हैं, कहीं लैपटाप खरीदे जा रहे हैं, कहीं सोफे खरीदे जा रहे हैं, ए सी गाड़ियों का अनुबंध हो रहा है और दुनिया भर के काम हो रहे हैं।

इसी तरह पौधारोपण के अन्दर लूट सी मच गयी। कोई सरपंच ने थोड़े ही खरीदा था, ग्राम सेवक ने थोड़े ही खरीदा था। ये पौधे खरीदे, पांच रुपये का पौधा पैंतीस रुपये में खरीदा। उन पौधों का अगर आज फिजिकल वेरिफिकेशन करें तो उनमें से आज एक भी जिन्दा नहीं है। वहीं पैसा जो पौधों के लिए था, वह अगर गरीबों में बांट दिया जाता तो शायद उन गरीबों को बहुत बड़ा फायदा मिलता। पचपन परसेंट काम आप पंचायतों से कराते हैं, पैंतालीस परसेंट आप नरेगा का दूसरे विभाग से कराते हैं पर कभी आपने यह देखा कि यह जो पैंतालीस परसेंट है, सरपंच को चोर कहा, पंचायतों को चोर कहा लेकिन कभी जो दूसरे विभागों से, पी डब्ल्यू डी से ग्रेवल सड़कें बनवाईं, क्या वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाईं कि नहीं कर पाईं? क्या उनका काम संतुष्टिपूर्वक हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह वन विभाग के जो काम हुए, वे अपने कामों को पूरा, चाहे खाई खुदवाना हो, चाहे दीवार बनवाना हो, चाहे पौधा रोपण हो, मेरे यहां की बात बता रहा हूं, मंत्री महोदय, एक बार जो नरेगा के पौधे लगाए थे, नरेगा द्वारा, यह मेरा एलीगेशन नहीं है, मेरा काम केवल आपकी बुराई करना ही नहीं है, मैं भी आपका हिस्सा हूं, इस प्रदेश का हिस्सा हूं, जो पौधे लगे थे अगर उन पौधों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें, सड़कों के दोनों तरफ एक भी पौधा नहीं बचा।

अब आप केवल अपनी संतुष्टि के लिए यह कहें कि हमारा काम तो रोजगार देना था; रोजगार देना था, वहां तक तो ठीक है लेकिन पौधों की जो खरीद हुई है उसमें रोजगार थोड़े ही मिला है, उसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है। आज वे पौधे कहां गये? उनका कौन जिम्मेवार होगा? उनका क्या होगा?

आप कहते हो कि हमने तो बहुत अच्छा पंचायत राज को कर दिया

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

और हम तो गांवों के प्रति बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो मैं आपके कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। इन आंकड़ों को मन से देखना, केवल यह मत देखना कि एक विपक्ष का आदमी बोल रहा था । आप देखना, एक भी इसमें असत्य नहीं है। जब आपकी 2007-08 के अन्दर यह योजना शुरू हुई तो इसके अन्दर अकुशल श्रम और मजदूरी, करीबन 984.2 लाख रुपये खर्च हुए और अर्द्ध-कुशल श्रम, मिस्त्री एवं मेट, करीबन 45.529 लाख खर्च हुए; सामग्री खरीदी गयी 411.1 में। कार्मिकों पर एक पैसा नहीं खर्च हुआ, व्यवस्थाओं पर एक पैसा नहीं खर्च हुआ। टोटल आपका पैसा खर्च हुआ 1440.92 । वे मात्र थे बारह जिले और वह कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद में 2008-09 क्योंकि आखिरी टाइम में आपकी सरकार आयी है, जो टोटल परिवार आपसे रोजगार चाहता था, वह आपके यहां रजिस्टर्ड हुआ 84.68 लाख और आपने नियोजित किया, जिनको काम दिया, वह थे 63.69 । अब 100 दिन जिन्होंने पूरे किये, इतने लोगों में जो रजिस्टर्ड हुए थे 84 लाख, केवल 25.94, ये केवल 100 दिन पूरे कर पाए। आपके अकुशल श्रम और मजदूरी के अन्दर जो खर्च हुआ, वह 4,265 लाख है और कुशल और मिस्त्री इनमें जो खर्च हुआ, 110.47 लाख; सामग्री खरीदी 1,662 लाख और कार्मिकों पर लाखों में खर्च हुए 66.35, व्यवस्थाओं में आपके खर्च हुए 60.69; टोटल खर्च आया 6,164.40 लाख। यह भी भारतीय जनता पार्टी का शासन था क्योंकि आखिरी के अन्दर आपको राज मिला है।

अब आपके टाइम की शुरुआत देख लीजिए। आपकी सरकार पारदर्शी थी, आपकी सरकार काबिल थी, आपकी सरकार गांवों की गरीबी दूर कर रही थी, आपके युवराज का भी आदेश था, तब आपने ये लक्ष्य प्राप्त किये हैं। 2009-10 इसके अन्दर 89.28 लाख, ये तो रोजगार चाहने वाले थे जो बढ़े, घटे नहीं और बढ़े, उसके बाद इनमें जो रोजगार मिला वे थे 65.22 लाख और 100 दिन का जिन्होंने कार्यदिवस पूर्ण किया, वह करीबन 26 लाख से घटकर साढ़े सत्रह लाख पर आ गया। यह आपकी शुरुआती उपलब्धि है। अब अकुशल और मजदूरों के लिए आपने 3,930 और मिस्त्री, वगैरह, इन पर खर्च किया 169.6, अब सामग्री में खर्च किया 1,454 और आपने प्रशासनिक व्यय के अन्दर, कार्मिकों पर खर्च किया, जो बढ़ा दिया एकदम, 78.39, आपने व्यवस्थाओं पर खर्च किया 36.68 और टोटल खर्च हुआ 5,669.03 । यह आपकी सरकार थी।

इसी तरह 2010-11 के अन्दर टोटल परिवार रजिस्टर्ड हुए करीबन

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

92.74 लाख, आपने रोजगार क्या दिया उसके अन्दर, रोजगार के लिये समायोजित किये 58.24 । किस तरह रेशो गिरता जा रहा है। और जो सौ दिन का कार्य पूर्ण करने का परिवारों को अवसर मिला, वे आदमी हुए कुल ही 5 लाख, दिन-प्रति-दिन गिरते चले गये। टोटल मजदूरी पर खर्च हुए 2,272, अर्द्ध कुशल मिस्त्री 108, सामग्री में खर्च हुए 756; यानी टोटल खर्च हुआ 3,289 । यह पारदर्शी और मजबूत सरकार की कहानी रही आपकी सरकार में 2010-11 में।

अब आपका 2010-11 हो गया, क्योंकि समय ज्यादा नहीं हुआ है, फिर भी आपने कहा रजिस्ट्रेशन तो हो गया 95.87 लाख और नियोजित हुए 48 और इसके अन्दर टोटल सौ दिन पूर्ण करने वालों में करीबन पौने तीन लाख, टोटल खर्च हुआ 3,114 । यह भी आपका राज है।

आंकड़ों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 में क्रमशः 8,468 लाख, 8,928 लाख, 9,274 लाख, 5,887 लाख परिवार पंजीकृत हुए, जबकि उपरोक्त वर्षों के अन्दर जो नियोजन हुआ, उन परिवारों की संख्या घटती चली गयी, यानी कि लोगों को रोजगार नहीं मिला और सौ दिवस पूरे करने वालों के बिलकुल ही ऐसा हो गया, उसमें भी लगातार घटत चली गयी।

तो ऐसे में जब आपका इतना स्टाफ, इतनी पारदर्शिता, इतना आप गांवों का चाहते हैं तो आपके फिर ये आंकड़ें क्यों आ रहे हैं? ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये तो आपके ही हैं। इस योजना के कुशल संचालन के लिये प्रशासनिक मद में भारी राशि आपने स्टाफ के नाम पर खर्च कर दी और इतनी राशि खर्च कर दी जो हर साल बढ़ती चली गयी, 2008-09, 2009-10, 2010-11 में इनमें 66.35 लाख खर्च हो गये, फिर उसके बाद 7,839 गरीबों का पैसा खर्च हो गया, उसके बाद 126.39 लाख खर्च हो गया और अब गाड़ी डेढ़ से पार कर गयी। इस योजना के कुशल संचालन हेतु लगातार खर्चों में बढ़ोतरी होती जा रही है, लगातार। आम आदमी को आप सौ दिन का रोजगार नहीं दे पाये इतना भारी खर्चा करने के बाद भी।

ग्राम पंचायत के स्तर से राज्य स्तर में वर्तमान स्टाफ गठन, आपने संविदाकर्मी लगा रखे हैं उसमें। तो इतना सब लगाने से, इतना सब खर्च करने से, आप अपने विभाग की एक बैठक लो। हम भारी-भरकम स्टाफ, भारी-भरकम खर्चा, भारी-भरकम व्यवस्थाओं पर खर्च करते हैं, इससे आम आदमी को

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

रोजगार मिल नहीं रहा। अगर इनमें कटौती करके वह आम गरीब आदमी के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो शायद सरकार की बहुत, जिला परिषद् में जाओ, पंचायत समिति में जाओ, अलग। क्योंकि महात्मा गांधी रोजगार योजना है, प्रचार ज्यादा किया हुआ है, अलग फौज खड़ी की है। केवल अगर स्टाफ नहीं है तो पंचायत स्तर पर नहीं है।

आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है, ये आपके आंकड़े हैं और आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि इतना सब खर्चा होने पर उपलब्धि नहीं है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं पारदर्शिता की कमी है, कहीं न कहीं पंचायतों में सरंपच पर विश्वास नहीं किया गया, कहीं न कहीं विश्वास की कमी है, कहीं न कहीं किसी स्तर पर कमी है। और क्यों नहीं होती? आपका जो कलक्टर, सी ई ओ और बड़े अधिकारी, सदन में भी यह बात उठी थी। माननीय कटारिया साहब ने भी यह बात उठायी थी, दुनिया भर की अनियमितताओं में पकड़े गये हैं। दुनिया भर की बातें सामने आयीं। 4 रुपये का पौधा 35 रुपये में खरीदा गया; जहां ए सी, लैपटाप और इन चीजों की जरूरत नहीं थी, जहां घर को सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने मात्र केवल जो बड़े अधिकारी थे उनको तो चेतावनी दे दी, किसी पी डब्ल्यू डी के अधिकारी को दुनिया भर की गलती। आज तक पौधे कहां चले गये? किसी के खिलाफ कोई एफ आई आर लाज नहीं करायी, किसी कलक्टर के खिलाफ नहीं करायी, किसी आपने विभाग के अधिकारी के खिलाफ नहीं करायी। आपने केवल अगर किसी को मारा, किसी पर हथियार चलाया तो वे लोग जो इस जनता के जन-प्रतिनिधि थे, जनता ने जिनको चुनकर भेजा था, जिन पर विश्वास करके भेजा था। केवल मात्र आपके विभाग ने तो यह सोच लिया सरपंच के अलावा सब तो साहूकार, और सरपंच व सेक्रेटरी हैं चोर। उनसे दुनिया भर की, आपने कहीं वसूलियां निकाल दीं, कहीं आपने केस दर्ज करा दिये। उससे क्या हुआ? एक कहावत बनी थी कि 'नरेगा जो करेगा वह मरेगा, और जो नहीं करेगा वह मरेगा'। अंत यह हुआ कि नरेगा करने वाला तो मरेगा कि नहीं मरेगा, पर नरेगा योजना मरती जा रही है। जो गरीब थे, जिनके खुशियां छायी थीं कि इस योजना से शायद हमको कुछ लाभ मिलेगा, वह योजना दम तोड़ती जा रही है और वे इस काम से वंचित रह जायेंगे।

अब आप पी डब्ल्यू डी और वन विभाग से काम कराते हैं। सरकार तो वही है, काम ही तो दे रहे हैं उनको, उनका काम केवल एक सीमित रखने के

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

लिये। नरेगा के नाम पर उन्होंने भी दुनिया भर की फौज इकट्ठी कर ली, जबकि उनके पास तो एक्स ईएन हैं, जे ईएन हैं, अकाउंट्स आफिसर्स हैं। उनको तो स्टाफ की जरूरत ही नहीं थी, उनको तो कोई चीज एक्सट्रा खरीदने की जरूरत ही नहीं, उनका तो अपना महकमा चल रहा है। एक से एक विशेषज्ञ भी हैं, एक से एक जानकार भी हैं। बड़े-बड़े पुल बना देते हैं, बड़ी-बड़ी सड़कें बना देते हैं। नरेगा के काम को उन्होंने अपने लिये बला समझा। दुनिया भर का उलटा-सुलटा स्टाफ भर लिया। लक्ष्य तो वे प्राप्त कर नहीं रहे हैं और अपनी तरफ से मूक दर्शक बने हुए हैं। यह 45 परसेंट जो काम हो रहा है उसकी तरफ भी तो देखो, इसके अधिकारियों को तो एक बार जांचो कि इसमें यह फौज की जरूरत क्या है? उन अधिकारियों को आप किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं? किस बात के लिये उनका पूरा आफिस बना पड़ा हुआ है?

अब मेरा तो एक ही निवेदन है, जो मर्जी में आए आप करना, अंतिम किश्तें नहीं मिलतीं सरपंच को चाहे कितनी यू सी भर ले, चक्कर लगाता रहे; बी पी एल का मानो या न मानो, उनको आज तक, साल-साल हो गये, अंतिम किश्तें नहीं मिल पायी हैं; सहभागिता वालों को नहीं मिल पा रहा है पैसा। आपके टाइम पर हो नहीं पा रहे हैं। इस तरफ आप ध्यान दो। आपका मन खराब नहीं है लेकिन कण्ट्रोल नहीं है। इसके लिये आपको ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। एक-एक पंचायत का आपको सर्वे खुद को करना पड़ेगा, आपको वन विभाग का भी सर्वे करना पड़ेगा, आपको पी डब्ल्यू डी का भी सर्वे करना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारियों से हर जिले की लिस्ट मंगवानी पड़ेगी कि कहां आपने मजदूरी के अलावा किस-किस मद में किस-किस काम के लिये खर्च किया और उनकी क्या आवश्यकता है। एक-आध पर अगर गाज गिरा देंगे आप, एक-आध कलक्टर को आप बींध देंगे, एक-आध किसी अधिकारी को आप काल कर लेंगे जो अनियमितता कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से प्रशासन के अन्दर भय हो जायेगा।

मेरे कुछ सुझाव भी हैं, मैं गलत होऊंगा, मैं जानता हूं, व्यावहारिक चीजें इसमें क्या हैं। कोई भी योजना गलत नहीं है। अगर ये सारी योजना रह जाए, आप देखो, गरीबी मिटाओ, रोजगार दो, 43 परसेंट लोग जो गांवों के इससे सम्बन्ध रखते हैं, बाकी 57 परसेंट तो वहां के, अपने ही काम मिल जाते हैं उनको। अब ये लक्ष्य ही हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन की कमी है, कहीं न कहीं सरकार की कमी है चाहे वह कोई

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

भी सरकार हो। आपको जब पता है, एक क्वेश्चन उठाया कि हम अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लेंगे, तो क्या फांसी तोड़ देंगे? अधिकारी हमारे खिलाफ नहीं लेते हैं क्या? मजबूत करो अपने आपको। मजबूत करने की जरूरत है। जनता ने आपको अधिकार दिया है। आप मंत्री बने हो, जनता के वोट पर बने हो, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने कर्तव्य से जनता की निष्ठापूर्वक सेवा करें।

आप अंकेक्षण की बात करते हैं कि होना चाहिये, कर लो। मैं नरेगा के अन्दर आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। एक जन-प्रतिनिधि जो सरपंच है, वह आदमी छोटा चुनाव लड़ता है, पचास उसके दुश्मन होते हैं, सबका वह दुश्मन बन जाता है। कहीं वह विधायक की मर्जी का होता है, कहीं सरकार की मर्जी का होता है और कहीं नहीं होता है। गांव का विकास उसको कराना होता है। आप वर्तमान में पंचायतों में नरेगा के कार्य को बार-बार ही, एक बार नहीं, कहीं सामाजिक अंकेक्षण कराते हो, कहीं भौतिक सत्यापन कराते हो, कहीं आंतरिक अंकेक्षण कराते हो, कहीं विशेष जांच कराते हो, कई अन्य विभिन्न अंकेक्षण कराये जाने के बाद, जब बार-बार सरपंच की जांच होती है तो सारी पंचायत इसी जटिलता में फंस जाती है। आप इसके लिए एक नीति तय कर लो कि हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार यह है। उसकी तो रोज कोई शिकायत करेगा, सेक्रेटरी को भी वहीं रहना है, सरपंच को भी वहीं रहना है, उनकी तो रोज शिकायतें होंगी। आप एक बार तय कर लो कि हमने फलां एजेंसी से इनकी जांच करानी है और उस जांच में अगर वे सही पाये गये तो उसको राजनीतिक हथियार मत बनाओ। बार-बार उसका ह्यूमिलिएशन होता है और वह काम करने में हिचकिचाता है। इसमें यह तय कर लो कि हमें 6 महीने में या साल में दो बार ही करानी है, रोज शिकायतें आने पर हम नहीं करायेंगे। वह आपकी मर्जी जिससे करायें। इसमें आपको थोड़ा सुधार करना चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

सभापति महोदय, पंचायत राज में तो पहले दिन ही भ्रष्टाचार की जड़ें शुरू हो जाती हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: 45 मिनट।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): थोड़ी देर में, सभापति महोदय। यह तो मेन-मेन हैं। प्रधान और प्रमुख का चुनाव, जब राजीवजी ने ...

श्री सभापति: एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 28, 41 व 50 पर विचार

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैं दो-चार मिनट ही बोलूंगा। बोलने के लिए तो बहुत था। जिला प्रमुख रहा था इसलिए मुझे खुद का एक्सपीरिएंस था।

एक माननीय सदस्य: वे भी रहे हैं प्रधान और जिला प्रमुख।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कुछ न कुछ अच्छी ही सलाह दूंगा, गलत नहीं दूंगा।

माननीय स्वर्गीय राजीवजी ने 73वां संशोधन किया तो उनकी मंशा क्लीयर थी कि पंचायत राज मजबूत होगा तो विकास होगा। यह भी है कि धारा 28 और 29 के तहत प्रधान और प्रमुख के चुनाव होते हैं। जो सदस्य चुने जाते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि पहले दिन ही खरीद-फरोख्त शुरू हो जाती है। बिना पैसों के कोई भी सदस्य वोट नहीं डालता है। अब इसमें हम और आप कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन प्रस्ताव बनाकर के एक शुरुआत तो कर सकते हैं, जैसे नगरपालिका, नगर परिषद के अन्दर हुआ डायरेक्ट इलेक्शन। संशोधन तो नहीं कर सकते लेकिन एक प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेज सकते हो कि यह प्रयोग इन संस्थाओं में हुआ, अगर इसमें आप कुछ कर सकते हो तो हमारा भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, जो कि स्टार्टिंग है, जड़ है।

सभापति महोदय, इसी तरह एक बहुत छोटी बात है, निर्माण नीति। जो

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

भी पंचायतें काम कराती हैं, उसके अन्दर 1996 के अध्याय 10 के नियम 174 से 192 तक में क्लीयर है, पूरी बात बोलता, लेकिन आपके सरपंच को यू सी हो, सी सी हो, सेक्रेटरी सारा काम कर दे, ईमानदारी से कर दे, खूब ईमानदारी से, एक पैसा भी वह उसमें खाये नहीं, लेकिन जब वह जे ईएन के पास जाता है यू सी और सी सी जारी कराने के लिए, तब भी पैसा चाहिए। यह हकीकत है, यह एलीगेशन नहीं है। चेक लेता है तो अकाउंटेंट भी पैसा मांगता है, जे ईएन भी पास करने के पैसे मांगता है, बी डी ओ भी पैसा मांगता है। बिना पैसे के एक भी काम को मंजूरी नहीं मिलती है या उसका पेमेंट नहीं होता है।

सभापति महोदय, यह केवल आज की ही बात नहीं है कि आप इसे अपने तक लें। मेरा निवेदन है कि इसमें ऐसा कोई ठोस कदम जिस दिन आप उठा देंगे, जिस दिन इस भ्रष्टाचार को खतम कर देंगे तो गांव में निर्माण अच्छी क्वालिटी के होने लग जायेंगे। सरपंच चाहे कितना ही ईमानदार हो, कितना ही बढ़िया काम करा ले, उसको बिना पैसे दिये चेक मिल ही नहीं सकता, उसका काम पास हो ही नहीं सकता। इस सत्यता से आप मुकरें तो मुकरें लेकिन यह वास्तविकता है। अब योजना आप बनायें कि इसमें क्या कर सकते हैं।

सभापति महोदय, दूसरा, ग्राम सभा, जो महत्वपूर्ण चीज है, ग्राम सभा एवं गणपूर्ति। आपके यहां साल में एक बार ग्राम सभा हो जाये, दो बार ग्राम सभा हो जाये। पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार ज्यादा से ज्यादा साल में दो बार होनी चाहिए। अब आप क्या करने लग गये कि साल में दस-दस बार कराने लग गये। इससे क्या हुआ कि गांव के लोगों की ग्राम सभा के अन्दर रुचि खतम हो गयी, गणपूर्ति होती नहीं है। टोटल, सारी की सारी ग्राम सभाएं असंवैधानिक होती हैं। खूब देख लिया, खूब पूछ लिया। जब यह तमिलनाडु स्टेट के अन्दर चेंज हो गयी, तो यह आपके हाथ में है। गणपूर्ति के लिए तमिलनाडु स्टेट की ग्राम सभा के गणपूर्ति प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए धारा 8 में आपको संशोधन करना चाहिए जिससे लोगों का विश्वास बढ़े और विश्वास बढ़ेगा तो लोग वहां आयेंगे। अन्यथा तो वे सोचते हैं कि यह तो रोजाना का धंधा बन गया। गणपूर्ति होती नहीं है तो उसको वे ऐसे ही एडजस्टमेंट करते हैं।

सभापति महोदय, प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें एक चीज है जो आप कर

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सकते हो, जिसके अन्दर भारत सरकार की भी जरूरत नहीं है। 1996 के अध्याय 15 के नियम 316, 367 में प्रशासनिक व्यवस्था दी हुई है। 1996 की धारा 78 के अन्तर्गत एक पंचायत में एक ग्राम सेवक होता है, आपको 100 परसेंट करनी थी। फिर जिस तरह से आपके और महकमों के अन्दर है, इसी तरह से आपकी जिला परिषद के अन्दर 5-6 पंचायत समितियां होती हैं, कहीं 14 से 15 पंचायत समितियां होती हैं। हर पंचायत समिति में 20 से 25 पंचायतें होती हैं, कहीं 38 से 40 होती हैं। इनको अगर राजस्व विभाग की तरह आप कर सकते हो, यह माडल पेश कर सकते हो भारत सरकार के सामने भी, इससे लोगों का भला हो जायेगा।

श्री सभापति: आप कन्क्लूड करें, प्लीज।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप कानूनगो सर्किल की तरह 5 से 6 ग्राम पंचायतों का एक सर्किल बनाकर के पंचायत का प्रभारी अधिकारी सृजित अगर कर दें तो वह उनको सम्भालता रहेगा और काम ज्यादा अच्छी तरह से होते रहेंगे। हर पंचायत को भी पता है कि आपने पद स्वीकृत कर रखे हैं, ग्राम सेवक होता है, कम्प्यूटर आपरेटर की आप बात करते हो, मशीन होनी चाहिए, चपरासी होना चाहिए, नरेगा का एक सचिव होना चाहिए, इनको आप भरो। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि काम हो, विकास हो तो कौन रोक रहा है? हम तो रोक नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो रोक नहीं रही है। आपकी ही घोषणा है, आपको भर देने चाहिए। जब सरकार चली जायेगी तब भरोगे तो फायदा क्या होगा? वह फायदा फिर हमको मिलेगा, आपको तो मिलने वाला नहीं है। आप भरकर अपना काम करो।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आप सम-अप करें। Exactly at 5 o clock I will call the other.

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा तो आपसे आग्रह यह है कि पंचायत राज गांव की जरूरत है, गरीबों को इसकी जरूरत है। गरीबों को रोजगार चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। पंचायत राज का उद्देश्य भी यही है। चाहे विभिन्न योजनाएं चालू कर लो और आप कहते रहो कि हमने यह दे दिया, वह दे दिया लेकिन प्रैक्टिकली गांव को कितना इसका फायदा मिल रहा है? आपसे मेरा आग्रह है कि जब तक आप खुद मूवमेंट नहीं करेंगे, आपकी सरकार की यदि यही परिणति रही, केवल ढिंढोरा पीटने की, बड़े अधिकारियों को बचाने की, आम गरीब की बात नहीं

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सुनने की, सरपंच, ग्राम सेवक और वहां के लोकल लोगों को जब तक आप चोर समझते रहोगे, इस लक्ष्य को ना आज प्राप्त कर सके हो, ना कल प्राप्त कर सकोगे। मेरा निवेदन है कि पंचायतों के सरपंचों पर विश्वास कायम करो। उनको तंग करने की नीयत से नहीं; राजनीति हथियार के रूप में नहीं; ग्राम सेवक एक छोटा सा पदाधिकारी है, जरा सा एम एल ए साहब से भिड़ गया, सत्ता पक्ष के से, उसको भेज दिया बाहर के जिले में। कोई नीति होनी चाहिए, नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28, 41 और 50, इनके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। ग्रामीण क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं और जो आज का सब्जेक्ट है, वह भी ग्रामीण क्षेत्र का है। जहां पर ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम हों, सामुदायिक भवन हों, ग्रामीण रोजगार हो, वहां पर पंचायत राज की बात करना बहुत ही आवश्यक है। मुझे गर्व है कि मैं नागौर जिले से चुनकर आया हूं। 2 अक्टूबर, 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पंचायत राज की स्थापना नागौर से की थी। उस वक्त मेरे पिता श्री हनुमान सिंह चौधरी जिनको 25 साल की उम्र में पहली बार निर्विरोध प्रधान बनने का मौका मिला था, उसके बाद में इस पंचायती राज

(17.00 बजे)

में मैं खुद भी पंचायत समिति का सदस्य रहा हूं, मेरी मां भी प्रधान रही है, मेरी भाभी भी प्रधान रही है, यानी मेरे परिवार के तीन-तीन सदस्य प्रधान रहे हैं। मैं खुद भी सदस्य रहा हूं, मुझे काफी अनुभव है इस पंचायती राज का।

अभी मेरे बोलने से पहले बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य जब यहां पर बोल रहे थे तो कई बार उनके मुंह से राजीव गांधीजी का, राहुल गांधीजी का नाम आया। तो वे कई बार प्रशंसा भी करना चाह रहे थे क्योंकि वे पहले उसी पार्टी के सदस्य रहे हैं, बाद में अब दूसरी पार्टी के अन्दर आए हैं।

जिस नरेगा की बात की जाती है, यह हंसी की बात नहीं है, नरेगा योजना में कमियां निकालना, नरेगा में काम कर रहे मजदूरों के लिए दूसरे प्रकार की बातचीत करना, नरेगा में काम कर रहे अधिकारियों के बारे में एशोआराम की बात करना, मैं इसको बिलकुल ठीक नहीं मानता। नरेगा का

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिला है तो गांव में, ढाणी में रहने वाले उस व्यक्ति को मिला है जिसका गांव से पलायन हो रहा था, जो शहरों की तरफ जा रहा था। गांव के गांव खाली हो रहे थे, ढाणियां की ढाणियां खाली हो रही थीं, उनको दूसरी जगह काम करने के लिए जाना पड़ रहा था। जब हिन्दुस्तान की लोक सभा में राहुल गांधीजी द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया और इस योजना को पूरे देश के अन्दर लागू किया गया ...(व्यवधान) आप एक बार बैठ जाएं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था।

श्री सभापति: जिस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी गई है, उसके अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आप कोई विशेषज्ञ हो क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि व्यवधान न आये। अगर किसी प्रकार का व्यवधान आता भी है तो आप आसन के ऊपर यह बात छोड़ें, आसन व्यवधान को दूर करेगा। आप अपनी बात प्रारम्भ करें। (व्यवधान) अगर कहीं किसी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप किया गया तो अंकित नहीं होगा, आदरणीय, मैंने स्पष्ट कह दिया।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, विराज जाइए। (व्यवधान) अब आपको क्या हो गया? विराज जाएं। आसन किस काम के लिए है? सम्माननीय सदस्य, आप विराज जाइए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सदन चलाना चाहते हैं तो आप सम्मानपूर्वक चलाइए। आपस में इस प्रकार के आक्षेप, न तो सदन इस बात को टालरेट करेगा और न आसन करेगा।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, जिस नरेगा की बात कर रहे थे, आज नरेगा का काम राजस्थान में चलने के बाद गांव और ढाणी में काम कर रहे उस मजदूर को कितना फायदा मिला है, यह गांव से चुनकर आया हुआ जन-प्रतिनिधि अच्छी तरह से जानता है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

(17.04 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

आज इस पंचायती राज में सबसे मजबूत कड़ी है तो वह वार्ड पंच है, सरपंच और वे सदस्य हैं जो चुनकर आते हैं। उनके माध्यम से हमें यह पता लगता है कि गांव के अन्दर किस प्रकार की कौन-कौनसी समस्याएं मौजूद हैं। आज नरेगा का कार्य चलने के बाद मजदूरों को गांव में रोजगार मिला है और उनका पलायन रुका है। गांवों में आज ग्रेवल सड़कें बनने लग गई; जो कच्चे और संकड़े रास्ते हुआ करते थे, वे पक्के और चौड़े हो गये, ग्रेवल सड़कें बिछ गईं और गांव के अन्दर विकास करने हेतु नाड़ी खुदाई हो गई, तलाई खुदाई हो गई। उनके माध्यम से गांव में विकास के काम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

नरेगा के अन्दर मजदूरों को जो पहले 100 रुपये मिलता था, फिर 119 हुआ, अब 133 हुआ। तो मेरा आपके माध्यम से इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि मजदूरों की टास्क रेट या टास्क के आधार पर उसकी जो रेट तय की जाती है, उसमें शिथिलता बरतें। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि केन्द्र सरकार को आप मजदूरों के हित में इस बारे में अपना सुझाव राज्य सरकार की ओर से दें।

राजस्थान के माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने, जिस डिमाण्ड पर आज चर्चा हो रही है, मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की है। यह मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवक-युवतियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे; एक लाख युवा बेरोजगारों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है; यही नहीं, आर आर एल पी, एन आर एल पी या एम्पावर योजना में स्वरोजगार हेतु 3 लाख व्यक्तियों को लाभांवित किया जाएगा जिसमें 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

इस हिन्दुस्तान में महान् प्रधान मंत्री रहे हुए राजीव गांधीजी, जिन्होंने इस देश के 18 साल के नौजवान को अपना वोट डालने का अधिकार दिया था, उनके नाम से हर पंचायत हैडक्वार्टर पर दस-दस लाख रुपये की लागत से राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये गये। इन राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का कितना महत्व है, यह राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छी तरह से समझा है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

आज ये राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनने के बाद गांव में रहने वाले व्यक्ति को वह फायदा मिला है जो फायदा शहर के व्यक्ति को सचिवालय के रूप में मिलता है। वह अपनी जमाबंदी की नकल लेने के लिए शहर की ओर दौड़ता है, पटवारी को ढूंढता है। अब कम्प्यूटर देने का काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में रख दिया है तो मेरी मांग है कि कम्प्यूटर और कम्प्यूटर आपरेटर की शीघ्र नियुक्ति की जाए ताकि गांव वाले व्यक्ति को, जिसको जमाबंदी की नकल चाहिए, उसे पटवारी के पास नहीं जाना पड़े, उसी आई टी केन्द्र में कम्प्यूटर आपरेटर को पांच रुपये, दस रुपये, जो भी उसकी फीस होती है, वह उसको जमा कराये, पटवारी और तहसीलदार, दोनों के डिजिटल साइन से उसको वह जमाबंदी की नकल उस आई टी केन्द्र के अन्दर मिलने लग जाएगी। उसके पानी का बिल हो या बिजली का बिल हो, वे उसमें जमा होने लग जाएंगे; वहां मिनी बैंक भी खुल जाएगा। अभी मैं मेरे क्षेत्र के अन्दर कई आई टी केन्द्रों में मिनी बैंक का उद्घाटन करके आया हूं, सहकारिता के अन्दर। इस बजट में इन आई टी केन्द्रों के विस्तार का निर्णय भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिया है, जिसमें कृषि और राजस्व सम्बन्धी सुविधा भी उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त, नरेगा में जल स्रोतों के रखरखाव का भी विशेष प्रावधान रखा गया है। सोनिया गांधीजी की मौजूदगी में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को पांच विभाग हस्तान्तरित करने का एक निर्णय लिया था, जिसमें फण्डस, फंक्शंस और फंक्शनरीज को इसमें शामिल करके पूरा पावर दे दिया पंचायती राज को। अब कम्प्यूटर लग जाएंगे, 23 हजार पद सृजित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से गांव में ग्राम पंचायतें काफी मजबूत होंगी। उससे काफी फायदा गांव के लोगों को मिलेगा।

दूसरा, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि श्मशानों और कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाने का जो पहले निर्णय लिया गया था, उसमें छाया और पानी का भी निर्णय ले लिया, उसमें 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। जहां पंचायत नहीं हैं, वहां पंचायतें भी बनायी जा रही हैं।

गांवों के अलावा शहरों पर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरा ध्यान दिया है। शहरों में भी मुख्य मंत्री शहरी बी पी एल योजना लागू कर दी है जिसमें 5 लाख लोगों को, जो शहरों में गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उनको भी इसका फायदा मिलेगा।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

बी पी एल परिवारों के एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और पूरे राजस्थान में जहां पर भी आवश्यकता होगी, वहां 20 नए आई टी आई केन्द्र खोले जाएंगे 130 करोड़ रुपये के। राज्य के ऐसे बेरोजगार स्नातक युवा जिनके परिवार की आय लगभग 1 लाख रुपये है, उनको पांच सौ रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो एक बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय लिया गया है, उसका मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। विशेष योग्य बेरोजगार स्नातकों के लिए 600 रुपये प्रति माह का प्रावधान रखा गया है।

इस कांग्रेस की सरकार ने अब ही नहीं, जब भी, राजस्थान के अन्दर हो, चाहे हिन्दुस्तान में, जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है, गांवों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। अभी पिछले दिनों प्रशासन-गांव-के-संग कैम्प लगे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, हम कैम्पों में नहीं जाएंगे, कैम्प कांग्रेस का प्रचार करने के लिए लगाये गये हैं। यह मास्टर भंवरलालजी बैठे हैं सामने, ये हमारे नागौर जिले के प्रभारी मंत्री थे, ये वहां पर आये थे उस वक्त, हमें कैम्प में जो फायदा मिला; खाली प्रचार प्रसार ही नहीं था, मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में बात थी कि गरीब आदमी का काम गांव की गांव में किस प्रकार हो सकता है, 16-16 डिपार्टमेंट्स को गांव के अन्दर पूरे दिन भर भेज दिया था। गांव के लोगों का गांव के अन्दर काम हुआ; 5 लाख नि:शक्तजनों की पहचान की गई पूरे कैम्पों में; 2,94,000 प्रमाण-पत्र जारी किये गये 52 दिन ये कैम्प लगे, बंटवारा, पुत्री हक त्याग हो, चाहे नाम दुरुस्तीकरण, जाति प्रमाण-पत्र हो चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, चाहे को-आपरेटिव की पास बुक बनने का मामला हो, चाहे वितरित करने का मामला हो, चाहे लोन देने का मामला हो, ये एक लाख बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क पट्टे वितरित करने का कार्य हो, अतिक्रमण हटाने का कार्य हो, और भी कई प्रकार के कार्य इस प्रशासन-गांव-के-संग कैम्प में हुए हैं।

मुख्य मंत्रीजी की बी पी एल ग्रामीण आवास योजना जिसमें राजस्थान के 10 लाख लोगों को आवास मिलेंगे, यह भी बहुत अच्छी योजना है। अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी, 2009, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको इस योजना का काफी फायदा मिल रहा है राजस्थान के अन्दर। मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना, 2 रुपये किलो गेहूं, हिन्दुस्तान में शायद ही ऐसी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कोई सरकार होगी जो एक गरीब व्यक्ति को दो रुपये किलो गेहूं दे रही है, यह भी उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, इसमें कुछ सुझाव, इस योजना के अन्दर मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय के समक्ष कि राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में जो बहुत ही प्रशंसा हो रही है राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की, उनमें कम्प्यूटर और कम्प्यूटर आपरेटर की तत्काल सुविधा की जाए। वहां पर फर्नीचर भी तुरन्त लगाया जाए ताकि लोगों को बैठने का और काम करने का मौका मिल सके। दूसरा, हर पंचायत के अन्दर ग्राम सेवक की आवश्यकता रहती है, एक ग्राम सेवक एक पंचायत में रहेगा तो उस पंचायत का बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। इसलिए जहां पर ग्राम सेवक नहीं हैं, वहां पर ग्राम सेवक लगाने की भी बहुत आवश्यकता है।

दूसरा, नरेगा के अन्दर एक योजना चल रही है, अपना-खेत-अपना-काम, यह बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के अन्दर उन एस सी, एस टी, सीमांत, लघु कृषकों को फार्म पोंड हो, चाहे कुंड बनाना हो, जिससे पानी का स्टाक हो सकता है, वहां पर वृक्ष लग सकते हैं, पीने का पानी मिल सकता है, मेड़बंदी बन रही है, डेढ़ लाख रुपये का इनको पैसा मिल रहा है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, यह योजना, इस योजना को आप अन्य जो लोग हैं, अन्य जो श्रेणी के लोग हैं, उनके लिए भी इसको खुला करने की कोशिश करावें, केन्द्र सरकार से बात करके ताकि इस योजना का गवर्नमेंट क्षेत्र के, दूसरे समाज के, दूसरी जाति के और दूसरे जो लोग आ रहे हैं, दूसरी श्रेणी के जो लोग आ रहे हैं, उनको भी इस योजना का फायदा मिल सके।

दूसरा, इंटरलोकिंग की जो साइज है वह कम कर दी गई है। अगर सड़क कहीं पर चौड़ी है, साइज कम है, हम छोटी बनाएंगे तो बाद में रास्ता बचता है। इंटरलोकिंग की साइज की, मेरी आपसे मांग है कि इसमें भी आप ध्यान दें। नरेगा के अन्दर जो टेण्डर में तीन महीनों तक रोक लगाई गई है, इसको भी तुरन्त हटाई जाए। यह गांव का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, मंत्री महोदय, इसके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दें।

इसके अलावा, सीसी ब्लाक के अन्दर जो 60-40 का रेशो है, आज इसकी बहुत अच्छी प्रशंसा हो रही है, इस स्कीम की, पक्के कामों में लेकिन

(श्री महेन्द्र चौधरी)

60-40 के रेशो में कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। इसलिए उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। और जो सौ दिवस किये गये हैं, उन सौ दिवसों को भी बढ़ाया जाए क्योंकि, लोग ज्यादा से ज्यादा काम की मांग करते हैं।

दूसरा, एक मेरी महत्वपूर्ण मांग है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन 1981 की जनगणना के आधार पर 1993-94 में हुआ था, उसके बाद किसी प्रकार का कोई पुनर्गठन नहीं हुआ है। उसके बाद में जिस भी पार्टी की सरकार आई है, उस पार्टी की सरकार ने कलक्टर के माध्यम से प्रस्ताव बना लिये, पूरे राजस्थान से प्रस्ताव मांगे गये, कुछ जिलों ने प्रस्ताव भेज दिये, कुछ ने नहीं भेजे; वह मामला ड्राप हो गया। ऐसा दो बार हो चुका है, दो बार यह मामला हो चुका है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, राजस्थान राज्य पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 101 के अन्तर्गत पंचायतों का पुनर्गठन किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी समय किसी भी पंचायत का विभाजन कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है और अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी भी पंचायत के विभाजन/पुनर्गठन के प्रस्ताव पर 30 दिवस का नोटिस जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद पंचायत का पुनर्गठन और विभाजन कर सकती है। यह इसलिए आवश्यक है कि आजादी के 65 साल बाद भी आज एक मतदाता को अपना वोट डालने के लिए 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। पांच-सात किलोमीटर, आठ किलोमीटर तक तो वह जा सकता है लेकिन 30-30 किलोमीटर तक जाना, यह बहुत ही सोचने का विषय है। उसको आवागमन का कोई साधन नहीं मिलता 30 किलोमीटर जाने के लिए पीने का पानी नहीं मिलता, और भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो वार्ड पंच और सरपंच को चुनने के लिए जब 30 किलोमीटर उसको जाना पड़ रहा है, मतदाता को तो हमारे लिए बहुत सोचने की बात है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर पंचायतों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पंचायत का कोई भी गांव पंचायत मुख्यालय से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं हो। इस प्रकार का भी मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि जल ग्रहण कमेटियां या जल ग्रहण के जो कार्य हो रहे हैं गांवों के अन्दर, उनकी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मानिटरिंग होनी चाहिए; वे अच्छी गुणवत्ता की बनें, उसके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 'हरित राजस्थान', जिसके ऊपर वृक्षारोपण की देखभाल होती है, वह अस्थाई श्रमिकों की भर्ती भी करानी चाहिए ताकि वहां पर राजस्थान भी हरा-भरा हो सके और वृक्षों की भी देखभाल हो सके।

दूसरा, अभी पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में यह हुआ, नरेगा में यह हुआ, आज इस योजना के अन्दर यह हो रहा है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी पांच साल की सरकार में ऐसा क्या हो गया था कि आप लोगों ने बी पी एल की संख्या घटा दी? जिस राजस्थान में आपने जब सत्ता सम्भाली थी तो 21 लाख बी पी एल थे ओर जब आप सत्ता छोड़कर गये तो इस 21 लाख की बी पी एल की संख्या को आपने 17 लाख कर दिया। क्या आपके समय में गरीबी मिट गई? क्या ऐसा कौन सा आपने साधन काम में लिया उन 4 लाख गरीबों के साथ में, जिनको आपने बी पी एल श्रेणी से हटा दिया? मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले आपके द्वारा हटाये गये उन बी पी एल को स्टेट बी पी एल का दर्जा दिया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जिसका फायदा मिला। आज कोई भी बी पी एल व्यक्ति जो अगर बीमार हो जाता है, डाक्टर के पास जाता है, डाक्टर कहता है कि पांच लाख रुपये लगेंगे, दस लाख का आपका गुर्दा खराब हो गया है, आपके कैंसर हो गया है, आपके तकलीफ हो गई है, वह गरीब आदमी मुख्य मंत्रीजी ने जो योजना शुरू की है, मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष योजना, उसके अन्दर आएगा, डाक्टर का एस्टिमेट लगाएगा और चाहे पांच लाख रुपये लगें चाहे दस लाख रुपये, उस गरीब का इलाज इस कांग्रेस के शासन के अन्दर किया जा रहा है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय अमीन खांजी को जो पहले पूर्व में पंचायत राज मंत्री रहे, धन्यवाद देना चाहता हूं महेन्द्रजीत जी मालवीय को और उनसे उम्मीद करता हूं कि इस योजना के अन्दर जो हमने सुझाव दिये हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे।

भारतीय जनता पार्टी का जब भी राजस्थान में राज बना है, पंचायत राज को पंगु बनाया है आप लोगों ने। कांग्रेस ने जब 1998 में 29 अधिकार दिये थे पंचायत राज को, आप लोगों ने अपने शासन में उसको जीरो कर

(श्री महेन्द्र चौधरी)

दिया, उनको हटा दिया आप लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपका वित्तीय कुप्रबंधन इस प्रकार का रहा पंचायत राज में कि आप लोगों ने हर व्यक्ति पर 12 हजार रुपये प्रति व्यक्ति का कर्जा लाद दिया है।

आप लोगों ने नारा दिया था, एक लाख लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष, आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, कितना रोजगार दिया आप लोगों ने? क्या पांच साल में पांच लाख लोगों को रोजगार दे दिया? अगर दे दिया है तो आप खड़े होकर बता दीजिए कि हमने यह कर दिया है। यह राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जो घोषणा पत्र लागू किया है, हर वर्ष के बजट के अन्दर जो बात रखी है, आप देख लेना, अभी शासन सवा तीन साल का हुआ है, अभी पौने दो साल का कार्यकाल बाकी है, एक भी ऐसा काम नहीं रहेगा, एक भी ऐसी बात नहीं रहेगी जिससे आप लोग यह कह सकें कि कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार ने काम नहीं किया।

मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके शासन के अन्दर रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 2 लाख 80 हजार बेरोजगारों ने एप्लाई किया था, आपकी सरकार ने 5 साल में सिर्फ 16,700 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया। हर वर्ग को असत्य बोलकर, चाहे युवा हो, मजदूर हो या गरीब हो, हर आदमी को आप लोगों ने ठगने की कोशिश की है। केन्द्र सरकार ने आपको पैसा दिया, राज्य सरकार को, हर योजना के अन्दर, उस पैसे को आपने पूरा काम में नहीं लिया। ऐसे बराबर आप पर आरोप भी लगते रहे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर यह बात आयी, यह गांवों का मामला है और हम लोग गांवों से चुनकर आते हैं, किसी भी मामले में गांव का हर व्यक्ति, ढाणी का हर व्यक्ति बहुत परेशान है। जब कांग्रेस की बात आती है तो उनको बड़ी खुशी होती है और साथ में विपक्ष के साथियों को इन मुद्दों पर बोलने के लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार कहा करते थे कि हमारा तो विरोध करने का धंधा रह गया है, कोई बात हम कहेंगे पक्ष की तो वे कहेंगे कि हमारा विरोध करने का धंधा रह गया है, इसलिए विरोध करेंगे।

इसलिए ये जो तीनों मांगें हैं, 28, 41 और 50, ये गांव से जुड़ी हुई मांगे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से यही कहना

(श्री महेन्द्र चौधरी)

चाहता हूं कि जो हमने सुझाव दिये, उन सुझावों पर ध्यान देकर इस ग्रामीण क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28, 41 व 50, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण रोजगार पर चर्चा में भाग लेने हेतु मैं अपने क्षेत्र और राज्य की समस्याओं से मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगा।

पंचायत राज अधिनियम, 1994 की अनुसूची 51, 52 में तीनों स्तर पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषदों को 29 विषय देने के प्रावधान थे, आपने मात्र 5 विषय फण्ड्स, फंक्शनरीज सहित स्थानान्तरण मात्र के दिलाये। पंचायत राज, जन-प्रतिनिधियों को कमजोर कर ब्यूरोक्रेट्स को अधिक अधिकार दिये, उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। 5-5 कलक्टरों को मुख्य मंत्री द्वारा करोड़ों के मामलों में गबन कर राशि हानि के मामले में क्लीन चिट दी गई है। क्या इस प्रकार जन-प्रतिनिधियों को भी ऐसे प्रकरणों में क्लीन चिट देंगे?

आपके कार्य के लिए वन विभाग व राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की तरह श्रम सामग्री की छूट क्यों नहीं दी जानी चाहिए? जिला परिषदों को शिक्षा भर्ती प्रक्रिया से किसलिए रोका गया है?

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में नरेगा है, नरेगा सांस ले-लेकर चल रही है, नरेगा नाम की कोई चीज नहीं है। बड़ी अच्छी योजना बनी जिसके कारण आप उधर राज कर रहे हैं, नरेगा की वजह से राज कर रहे हैं, लेकिन उसको आपने बिलकुल पंगु बना दिया। जब से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इससे जुड़ा, पता नहीं कि क्या नजर लग गई, बिलकुल वह खतम ही हो गई। कहां चल रहे हैं नरेगा के काम, कहां मिल रहे हैं रोजगार, क्या स्थिति है, इस बात पर पूरा चिन्तन करने की बात है। केवल यहां बैठकर ढिंढोरा पीट दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुझे आप बताओ, क्या टास्क आ रहा है? नरेगा का काम लोग कर रहे हैं, आपकी ईंटों की रेट क्या है? पक्के कामों में सैकड़ों डिग्गियां खुद गईं और डिग्गियों के अन्दर कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। डिग्गियाँ खाली पड़ी हैं, उनको बनाया नहीं जा रहा है क्योंकि आपका सरपंच पर तो विश्वास नहीं है। आप टेण्डर करते हैं, 2,600 रुपये की

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

रेट आप देना चाहते हैं और रेट है 3,300-3,400, तो कहां से हो? आज जब से सरपंच बने हैं, आप पूरा अध्ययन करा लीजिए, एक भी सरपंच ने एक रुपये का काम पंचायत में करवाया हो। सीमेंट महंगी, सरिया महंगा और ईंट महंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो आपने टेण्डर सिस्टम किया है, यह केवल सरपंचों को अधिकार दें, वे अपना टेण्डर करके अपने हिसाब से काम कराएं। इतने साल हो गये, एक भी काम नहीं हो रहा है। हां, एक काम जरूर हुआ है, सरपंच यहां आये थे अधिकार मांगने, उनकी पिटाई जरूर हुई है। यह बहुत अच्छा काम किया है। एक काम, आपने जिला परिषद और पंचायत समितियों को गाड़ियां दीं हैं, उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा, लेकिन न तो जिला परिषद की कोई सुनता है, न पंचायत समिति की कोई सुनता है। हम मीटिंग के अन्दर जाते हैं, चिल्ला-चिल्लाकर, रो-रोकर आ जाते हैं, अधिकारी किसी की बात सुनना नहीं चाहते क्योंकि अधिकारी पर आपका विश्वास नहीं है और अधिकारियों को आप पर विश्वास नहीं है। पहले विश्वास जीतो। यह राज बिलकुल अजीब किस्म का हो गया है। अधिकारी कहें कि मैं काम करूं तो कल मेरी इंक्वायरी हो जाए, वह डरता है और आपने इस तरह के बंधन में बांध दिया कि अधिकारी डर रहा है, सेक्रेटरी डर रहा है।

अभी मेरे मित्र तारीफ कर रहे थे, सेक्रेटरी है ही कहां, आपकी पंचायतें तो खाली पड़ी हैं, 60 परसेंट पंचायतें खाली हैं। एक-एक सेक्रेटरी 4-4, 5-5 पंचायतों का कार्य देख रहा है और कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। बी डी ओ अपनी मर्जी चला रहा है, सी ई ओ अपनी मर्जी से चला रहा है और कागजों में सब कुछ है, बाकी कुछ होना-जाना नहीं है। कृपा करके इस स्थिति को सुधारने के लिए, हम केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मेरे मित्रों ने काफी आंकड़े रखे हैं, मेरे मित्र ने इधर की बात कही है, लेकिन केवल मात्र तारीफ कर देने से राज की व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है।

यह परिसीमन की बात है, मैं इसे दोहराऊंगा। मैं गंगानगर से विधायक हूं, 19 पंचायतें, 112 गांव हैं। मेरे गांव के जो लोग हैं वे सादुलशहर पंचायत समिति में 50-60 किलोमीटर तक जाते हैं। यह कहां का इंसाफ है? एक गांव आधा मेरे में और आधा गांव सादुलशहर में आता है। डिपो किसी का, तहसील किसी की और पंचायत समिति किसी की। महेन्द्रजीत मालवीय साहब, मंत्री महोदय, आपको बहुत बढ़िया चांस मिला है, आप सज्जन आदमी हैं, विद्वान भी हैं और एक ऐसे इलाके से आते हैं जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पर आपसे

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बड़ी उम्मीदें हैं, मुझे भी आशा है कि जब भी आप अपना भाषण देंगे, कम से कम परिसीमन वाला काम आज कर ही देंगे क्योंकि बड़े लम्बे अर्से से यह डिमाण्ड चल रही है और इससे पूरे राजस्थान की जनता दुःखी है, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों।

अब नरेगा की बात करते हैं, राजीव गांधी केन्द्र तो आपने बना दिये, बनाये कहां हैं, जगह थी नहीं, शहर के बाहर बना दिये। वहां खोते खड़े होते हैं। कहां है आपके पास इंतजाम? बड़ी-बड़ी बात करते हैं, कम्प्यूटर लग जाएगा, कम्प्यूटर आपरेटर आ जाएगा और यहां बिजली के बिल, पानी के बिल भरे जाएंगे। आप मेरे साथ चलकर देखें, किसी एक में भी कुछ हो रहा है क्या? केवल दीवारें हैं, उनको सूंघकर आ जाओ। इससे कोई व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है।

हमने कह दिया, हम 10 लाख मकान बनाएंगे; कितने बने, मेरे खयाल से तो 30-50 हजार बने होंगे। तीन साल में कहां से 10 लाख बना देंगे? (व्यवधान) आप कह रहे हैं, 2-3 हजार बने होंगे। तो इस तरह की थोथी घोषणा करके हम पब्लिक की वाहवाही लेना चाहते हैं। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक चुप करके बैठी है, जब मौका आएगा तो वह टीं-टीं जब बुलाएगी तब सब पता लग जाएगा। इसलिए अब वक्त है, अपने आपको सम्भाल लो ताकि कम से कम कहीं मैदान में खड़े रहो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी घण्टी कहां से बजी, बोला तो हूं ही नहीं। आपका आदेश हो तो बैठ जाऊं।

श्री सभापति: बोलो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, खेतों में जो खालें हैं वे पूरी हंड्रेड परसेंट आप नरेगा से करवाकर दें, ताकि किसान खुशहाल हों। जब किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, प्रांत खुशहाल होगा, जिला खुशहाल होगा। किसान चारों तरफ से मर रहा है इसलिए उसको किसी तरीके से बचाओ। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। मैंने पिछले सेशन में भी कई बार यह सुझाव दिया था कि कृपा करके इसको किसान के साथ जोड़ो। अगर आप नरेगा को किसान का हिस्सा बनाते हो, थोड़ा पैसा किसान दे, थोड़ा पैसा आप दो तो काम अच्छा हो सकता है। मैंने

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

दिल्ली में जाकर जयरामजी रमेश के सामने यह बात रखी थी तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी विधान सभा से संकल्प भेजो, आपकी बात बिलकुल वाजिब है और मैं कर दूंगा। इससे पैदावार ज्यादा होगी। आज किसान को मजदूर नहीं मिल रहा है और मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है। बड़ी गजब की बात है कि हम खुश हैं कि बहुत बड़ी योजना चल रही है, पर आप इसका पूरा खाका तो देखो, इसका रिजल्ट तो देखो कि इसका रिजल्ट हो क्या रहा है। यह बड़ा विचारणीय विषय है।

ग्रामीण क्षेत्र में टेंडर प्रथा शुरू करने से विकास कार्य थम गये हैं, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। जब से टेंडर का कार्य किया है, विकास कार्य बिलकुल जीरो पर खड़े हो गए हैं। कृपा करके इस पर जल्दी से जल्दी राज्य सरकार निर्णय ले। राज्य सरकार ने तीन महीनों से नए टेंडर होने रोक रखे हैं और जब टेंडर होंगे ही नहीं तो काम कहां से होंगे?

इसके अलावा, चीजों के रेट भी बढ़ गए हैं। राजस्थान की एक भी पंचायत में अगर किसी सरपंच ने कोई भी काम शुरू करवा दिया हो तो आप यहां आंकड़े दे दो। मेरे ख्याल से हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में यह बड़ी भारी मुसीबत हो रही है। लोग सरपंचों को कहते हैं तो सरपंच कहते हैं कि मैं क्या करूं? हम गांवों में जाते हैं, जितने भी विधायक हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, हमने जो अपनी राशि दी, उस राशि को दिए हुए आज 8-8 महीने, साल-साल भर हो गया पर उस राशि का काम नहीं हो रहा है। लोग हमसे पूछते हैं, विधायक तो यों ही टरका कर चले जाते हैं, जैसे सरकार टरका रही है वैसे विधायक भी टरका देते हैं और काम नहीं होता है। काम किसलिए नहीं होते, क्यों नहीं होते, इसकी गहराई में आप जाइए। जब एमपी, एलएलए लैड का पैसा है और जब हमने पैसा दे दिया तो फिर आपकी तरफ से यह आदेश होना चाहिए कि तुरन्त काम हो, तुरन्त उसकी फाइनेंशल सैंक्शन जारी हो और जल्दी से जल्दी कार्य हो। इसकी जब तक आप सुचारु रूप से मानिटरिंग नहीं करेंगे तो यह काम तो होगा ही नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके इस काम को आप अपने हाथ में लें। जिला गंगानगर में नवम्बर माह में ईंटों की रेट 2,850 रुपये थी, उसके पहले 2,600 थी, फिर 2,800 हुई और अब 3,200-3,300 चल रही है और टेंडर की फाइल यहां आई हुई है। तो सरपंच काम कैसे करेगा? गांवों में काम कैसे होगा? यह बड़ी विडम्बना है।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आपने 10 लाख मकानों की बात की है, उसमें मैं एक बात पुन: आपको याद करवा दूं कि आपने जिला परिषद को कह दिया, हुडको से लोन लेकर के जिला परिषद के जिम्मे लगा दिया। जबकि जिला परिषद के पास तो भुनी भांग ही नहीं है तो वे कर्जा कहां से चुकाएंगे? यह मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह का फैसला किया है।

फिर कहते हैं कि हम पट्टा देंगे मकानों का। जो भी किसान गांवों में रहते हैं, अपने छोटे-छोटे गरीब लोग हैं, हरिजन लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके पास मकान का पट्टा नहीं है। 10 रुपये के एक स्टाम्प पर लिखा हुआ है, उसको आप मानते ही नहीं हैं तो उसको आप पैसा कहां से देंगे? आप उसको पैसा नहीं देते हो। मान लो, किसी के पास पट्टा है तो उसको एक किश्त दे देते हैं और दूसरी किश्त के लिए वह मारा-मारा फिरता है। जब तक वह कर्मचारियों की जेब नहीं भरे, तब तक उसको दूसरी किश्त नहीं मिलती। उसके बाद फिर बैंक वाले लेते हैं। हर जगह लूट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है कि सारी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएं लेकिन आप प्रयास तो करें ताकि जितना भी हो, जितना भी नहाएं उतना पुण्य, तो कुछ शुरुआत तो करो कम से कम। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अलावा आप इस पूरे प्रोग्राम का विश्लेषण कीजिए तो मेरे ख्याल से आपके सामने तस्वीर उभरकर आएगी कि पूरे राजस्थान की स्थिति करीबन-करीबन एक जैसी है।

आप कहते हो कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे मजदूर को, 100 दिन का रोजगार कहीं मिल रहा हो तो आप एक ही बता दो। आजकल तो मजदूर आ ही नहीं रहे, मजदूर तो आपसे बिलकुल खफा हो गया। हमारी इतनी बड़ी योजना थी, हम गांवों से शहर में पलायन करते थे, उससे रुक गए लेकिन यह तो अब धोखा हो गया, यह तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, काम हो ही नहीं रहा है। इसलिए जब कोई चीज मिल नहीं रही तो हमें पूरी तरह से चिंतन करना चाहिए।

इसके साथ-साथ यह जो आपने वृक्षारोपण की स्कीम की है, उसके लिए, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे 5-7 रोड्स पर वृक्षारोपण का कार्य आपके विभाग द्वारा कराया गया है लेकिन मजे की बात यह है कि एक भी पेड़ वहां लगा हुआ हो, या लगाए थे और वे बच गए हों,

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

तो आप सर्वे करवा लो। मैं आपको 2-3 जगह बता देता हूं, आप किसी व्यक्ति को यहां से भेजकर पूरी तरह से चैक करवा लें कि वहां लगे हैं या नहीं लगे। यदि नहीं लगे और लाखों रुपये सरकार के खर्च हो गए तो कहां गए? किस व्यक्ति के कारण से ऐसा हुआ है, उसको सज़ा होनी चाहिए तब उसको पता लगेगा कि वास्तव में यह जो कुछ हुआ है इसकी सज़ा मुझे मिलेगी।

अब अन्ना तो वहां बैठा है, देश भी कह रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार और बढ़ गया। कमाल ही हो गया। अब लोगों ने सीधा खाता खोल दिया, पहले कम लेते थे और अब डबल लेने लग गए। अब डर नाम की चीज रही ही नहीं है। इस चीज पर अपने को चिंतन करना चाहिए।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर, मेरी सबसे बड़ी डिमांड यह है कि कृपा कर आप पंचायतों का परिसीमन करवाकर पंचायतों का सुदृढ़ीकरण करके लोगों को राहत दें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सकें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, तीन वर्ष पूर्व डेढ़ लाख रुपये में डिग्गी का निर्माण निर्धारित किया गया था परन्तु अब वही डिग्गी ढाई-तीन लाख रुपये में पूर्ण होगी। तो 'न तो नौ मण तेल होगा और न राधा नाचेगी'। जब तक आप इस बात का इंतजाम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? खेतों में खुदी हुई डिग्गियों का कार्य पूर्ण करवाया जाए; सरपंचों पर विश्वास किया जाए; राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर कर्मचारी नियुक्त किए जाएं; टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर पंचायतों के माध्यम से कार्य सम्पन्न करवाए जाएं।

श्री सभापति: यह तो आप बोल चुके न।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): विधायक कोटे से राशि देने पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास रुका हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के नाम पर बनाई गईं धर्मशालाओं पर सरकारी पैसा नहीं लगा सकते तो जो वहां शादियां होती हैं, गमी होती हैं और पंचायतों पर अपन पैसा नहीं लगा सकेंगे तो वे लोग कहां जाएंगे? क्योंकि वहां टैंट हाउस तो इतने हैं ही नहीं। इसलिए कृपा करके उसको भी दिखाएं।

मजदूरों का भुगतान भी समय पर नहीं किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र गंगानगर की 18 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य लगभग ठप पड़े हैं। पूर्व में मनरेगा में जो भ्रष्टाचार की जांचें चल रही हैं, वे बिलकुल वहीं खड़ी हैं।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मनरेगा में किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए और उन्हें 100 दिन का कार्य दिया जाए। किसानों के साथ अगर उनको मिला दोगे, किसान नरेगा के साथ मिलते ही आपकी बिलकुल वाह-वाही हो जाएगी और किसान राज़ी हो जाएगा, जिससे इधर के और उधर के, सभी लोगों को बहुत भारी लाभ मिलेगा। यह यहां से प्रस्ताव जाए क्योंकि मेरे ख्याल से आपके हाथ में यह नहीं है। इसलिए भारत सरकार को भेजें। बात हुई है, आप बात करें, वे बिलकुल तैयार हैं, यह कार्य बिलकुल सुचारु रूप से हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं तो थोड़ा सा ही बोला हूं।

श्री सभापति: श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28, 41 और 50 ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास और ग्रामीण रोजगार पर चर्चा हो रही है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की सरकार व पंचायती राज मंत्री महोदय ने राज्य की जनता के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने, गांवों की जनता के आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने, आर्थिक विकास योजनाओं को बनाने में भागीदारी देने, लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण की दिशा में ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने, राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तशासी संस्थाओं की तरह कार्य करने की दिशा में पहल की और इसके अतिरिक्त, कई जन हित के कार्यों के उद्देश्यों की लक्ष्य प्राप्ति की। भारत सरकार एवं राजस्थान की सरकार, पंचायती राज योजनाओं, महानरेगा योजनाओं में बदलाव करके गांवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है और बजट में योजनाओं हेतु राशि का प्रावधान किया है। नई-नई योजनाओं का श्रीगणेश करके ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की तरह सुन्दर बनाने का काम हाथ में लिया है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 23 अप्रैल, 1994 को लागू हुआ है। इस अधिनियम के लागू होते ही धारा 124 के द्वारा पहले लागू राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 और पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 को समाप्त कर दिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा समस्त पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिकार और शक्तियों का काम दिया गया था; वे पंचायती राज संस्थाएं आत्मनिर्भर

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

संस्थाओं की तरह काम कर सकें, इस बाबत पूर्व प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधीजी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की नींव मजबूत करने हेतु दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय मैं प्रधान था। माननीय महेन्द्रजी कह रहे थे कि मैं भी प्रधान था और मेरे परिवार से प्रधान था। मैं भी यह निवेदन करूंगा कि मेरे पिताजी थे, मेरी मां भी प्रधान थी, मेरे काकाजी भी प्रधान थे, मैं भी प्रधान रहा, मेरी पत्नी भी प्रधान है और मेरा छोटा भाई भी प्रधान है।

श्री सभापति: खानदानी प्रधान हो आप।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): तो हम लोगों को भी वहां बुलाया गया राजस्थान से। सरपंचगण भी साथ थे, जिला प्रमुख महोदय भी साथ थे। वहां सभी के विचारों को सुनकर के माननीय राजीव गांधीजी ने 73वें संविधान में हमारी सबकी भावनाओं को सम्मिलित करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, भारत के इसी 73वें संविधान संशोधन के प्रारूप को लागू किया। इस अधिनियम की शक्तियों को सार्थक बनाने हेतु 30.12.1996 को राजस्थान पंचायती राज नियम लागू किए गए। इसके संचालन हेतु माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा 74वें संविधान संशोधन के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में 2 अक्टूबर, 2010 को आम जनता से जुड़े पांच विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, एवं कृषि विभाग, जिला स्तर की निधियां, गतिविधियां एवं स्टाफ, पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित किये गये।

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु पंचायती राज अधिनियम, 1994 में व्यापक संशोधन के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। टेण्डर प्रक्रिया के बारे में अभी भाई साहब जो बात कर रहे थे, पंचायती राज अधिनियम, 1996 के अध्याय 10 में जो व्यावहारिक, पंचायती राज के मस्टररोलों की सामग्री, बिलों की, रिकार्ड संधारण की बहुत भारी जटिल प्रक्रिया है। इस नियम 1996 के निर्माण संविदा क्रय के सम्बन्धित नियम 174 से 192 में संशोधन कर सरल पारदर्शी प्रावधान लागू किए जाने की व्यवस्था की है। पंचायती राज के समस्त जन प्रतिनिधियों की समस्याओं से रूबरू होते हुए माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इन टेण्डरों में परिवर्तन करने का मानस बनाया और इस वजह से इन टेण्डरों पर रोक लगाई थी तीन महीने के लिए।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

मैं इस बात के लिए मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि आपने यह टेण्डर प्रक्रिया पर रोक लगाकर के इसके सरलीकरण के लिए जिस तरह से नगर निगम और अन्य संस्थाओं के निकायों के टेण्डरों की जो प्रक्रिया है, या तो उसको लागू किया जाए या फिर इसके अन्दर सबसे बड़ी चीज ब्लाकवाइज बी एस आर बना ली जाए। ब्लाकवाइज बी एस आर बनाकर के और सी एस टी, आर एस टी दर पर जो पूर्व में भी प्रावधान है कि 50 हजार तक के तीन कोटेशन लेकर के सामग्री ग्राम पंचायत खरीद सकती है, तो ऐसा कोई प्रावधान लागू कर दिया जाए कि जो आपकी बी एस आर है वह बी एस आर बन जाए और सरपंच और ग्राम पंचायत जाकर के सी एस टी, आर एस टी वाली फर्मों से उसको क्रय करें और उसकी निविदा को ऐसा प्रारूप देवें ताकि टेण्डर प्रक्रिया की वजह से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

महानरेगा की और सामाजिक अंकेक्षण की जो बात आई, वास्तव में यह सही है कि सामाजिक अंकेक्षण, भौतिक सत्यापन, आंतरिक अंकेक्षण, विशेष जांच दल, सी एल जी की पर्फोर्मेंस आडिट और लोक आडिट, कई तरह की आडिटें ग्राम पंचायतों के ऊपर हो रही हैं। ये जो आडिटें हो रही हैं और आडिट होने के बाद क्या हो रहा है, अभी सामाजिक अंकेक्षण की जो आडिट हुई, उन आडिटों या दूसरी जो आडिट हुई उनमें रिकवरी निकाली है। रिकवरी निकाल दी, एफ आई आर दर्ज कर दी, 16 सीसी के नोटिस दे दिए, 17 सीसी के नोटिस दे दिए। मेरी सोच अलग है, मेरी सोच यह है, व्यक्तिशः, न तो 16 सीसी के नोटिस से काम चलेगा, न 17 सीसी के नोटिस से काम चलेगा, न एफ आई आर से काम चलेगा, न रिकवरी से काम चलेगा; हमारे को प्रदेश में ऐसी कंसेप्ट लानी पड़ेगी कि किस तरह से सामाजिक अंकेक्षण में हमारा पंचायती राज सफलता की सीढ़ी चूमे। इसके लिए बदलाव की जरूरत है, मंत्री महोदय, और बदलाव यह कि हमारी कंसेप्ट यह होना चाहिए, काम खतम होने के बाद आडिट वाले आडिट कर रहे हैं, जाकर यह कह रहे हैं कि इसमें सीमेंट, मसाला, बजरी और गिट्टी एक-आठ के मसाले की जगह एक बारह का लगाया है, इसलिए इसकी इतनी रिकवरी निकाल दी जाए। न तो उनके पास कोई लेबोरेटरी है, न उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि उससे वह उसको तोल-मोल करके और रिकवरी निकाल दें और उस रिकवरी के आधार पर एफ आई आर दर्ज हो जाए और उन अधिकारियों को नोटिस मिल जाए। बिना लेबोरेटरी टैस्ट के ये जो अंकेक्षण हुए हैं, बहुत ही गलत है। बिना लेबोरेटरी जांच के

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

आप कोई भी तथ्य किस पैरामीटर से तय कर सकते हैं? आदमी अपनी सोच से किसी के साथ किस तरह का व्यवहार करे, किसके साथ कैसा व्यवहार करे और वह उस व्यवस्था को बदनाम करने के लिए भी इस तरह का कदम उठा सकता है। तो मेरी सोच यह है कि जितने भी पंचायती राज के निर्माण कार्य चलें, उसकी प्री-आडिट हो। वर्क स्टार्ट होते ही, फाउंडेशन खुदते ही आपका जे टी ओ या आपका कनिष्ठ अभियंता खुद फाउंडेशन चैक करे, खुद साइन करें और उसके बाद प्लिंथ लेवल कम्प्लीट होने के बाद फिर उसकी आडिट हो, फिर उसको चैक करें और कम्प्लीट होने के बाद फिर उसकी आडिट हो, अकाउंट्स का आदमी साथ रहे और रूफ लेवल कम्प्लीट होने के बाद उसका फिर आडिट कर लें, फिर चैक कर लें और लेबोरेटरी में जो भी ब्लाक्स भेजने हैं, टैस्ट करा लें, टैस्टिंग रिपोर्ट मंगा लें। फिनिशिंग के बाद फाइनल बिल, यू सी, आडिट, सब एक साथ करके और उस काम का निपटारा हो ताकि हमारे को इन इतनी आडिटों के उसमें से गुजरना नहीं पड़े। वह प्री-आडिट कंसेप्ट हमको लागू करना पड़ेगा। प्री-आडिट कंसेप्ट लागू करेंगे तो काफी कुछ भ्रष्टाचार में सुधार आएगा। यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से आडिट के सम्बन्ध में निवेदन है।

गांवों के विकास के लिए किस तरह की सड़क बन रही है, कई धर्मशाला बन रही है, कहां सरकारी बिल्डिंग बननी हैं, कहां कौनसी व्यवस्था होनी है, इसका कोई प्लान नहीं है। एक मास्टर प्लान गांवों का तैयार हो।

अभी भाई साहब कह रहे थे कि आप इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, सारे कालेजों को और विश्वविद्यालयों को मान्यता देते जाओ। मेरा सरकार से और मंत्रीजी से निवेदन है कि राजस्थान में दुनिया भर के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप उन इंजीनियरिंग के बच्चों को एक महीने या डेढ़ महीने के लिए हर ग्राम पंचायत में भेजें अनुभव के लिए, उनका एक प्रैक्टिकल हो और वे गांवों में जाकर के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित, मास्टर प्लान से सम्बन्धित, कहां सड़कें बनेंगी, कहां क्या होगा, जो विश्वविद्यालय या कालेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसी कंसेप्ट तैयार करें कि वह जाकर के, हर बच्चा, हर इंजीनियर हमारा जो फाइनल यीअर में आ रहा है, वह दो गांवों का मास्टर प्लान बनायेगा, वह पंचायतों का मास्टर प्लान बनायेगा, वह मास्टर प्लान सभी पटवारी, ग्राम सेवक और गांव वालों के सहयोग से बनायेगा, एस डी ओ, तहसीलदार रेवेन्यू रिकार्ड उपलब्ध करायेंगे।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

इस तरह की व्यवस्था होगी तब जाकर हम एक तरीके से विकास को अंजाम दे पाएंगे।

हर ग्राम पंचायत में जैसे अभी एम बी ए विकास अधिकारी लगा रहे हो आप, विकास अधिकारी के साथ-साथ सबसे ज्यादा जरूरत है, ग्राम पंचायतों के पास तकनीकी कार्य इतने हैं सभी तरह की योजनाओं के कि एक-एक जे टी ओ पांच-पांच, सात-सात पंचायत में लगा रखा है, आप एक-एक या दो-दो पंचायत में एक जे टी ओ अगर परमानेंट लगा देंगे तो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी होगी और इतनी जो परेशानियां आ रही हैं इनसे भी निजात मिलेगी।

माननीय सदस्य कह रहे थे महानरेगा के काम की कि हमारे समय में जब शुरू हुई, तब आंकड़े ये थे, धीरे-धीरे घटते गये। बिलकुल सही फरमा रहे हैं आप, आपने महानरेगा योजना को समझा ही नहीं, इसको अकाल राहत की तरह पूर्व सरकार ने चालू कर दी और उसकी सज़ा आज लोग भुगत रहे हैं। अगर उस समय इस एक्ट को पढ़ लिया होता और इस एक्ट के हिसाब से अगर काम प्रारम्भ होते तो आज इन समस्याओं का सामना प्रदेश के पंचायती राज को नहीं करना पड़ता। उन कमियों का मुआवजा आज के लोग भुगत रहे हैं। आज आपने अपनी बात कही, ये नरेगा योजना नहीं एक्ट है, आपने अपनी बात अपने टैक्ट से कही। जिस तरीके से भी कही, डाक्टर हैं आप, आपका टैक्ट अच्छा था लेकिन इस योजना को आपको समझना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किसको समझा रहे हो? किसको योजना समझा रहे हो?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं, टैक्ट तो क्या है कि इधर रहे हुए हैं न, तो टैक्ट तो है ही। मेरा यह आपसे निवेदन है कि महानरेगा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कैलाशजी, आपका तो 6 का रिकार्ड है न प्रधान का? ये पति-पत्नी, दोनों जिला प्रमुख रहने का रिकार्ड है। पति-पत्नी दोनों जिला प्रमुख रहे हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच और विचार, सरकार ने महानरेगा योजना में अपना-खेत-अपना-काम योजना, जो कैटेगरी-4 के काम हैं, उसमें इसको लिया है। बहुत अच्छा गांव के गरीब

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

आदमी के खेतों में सुधार होगा, गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो गरीब आदमी, बी पी एल आदमी यह सोचता है कि मेरे खेत में मैं डोल डाल दूं, मैं बाड़ लगा दूं, मैं चारदीवारी कर दूं, मैं टांका बना लूं, यह पैसा उस बी पी एल परिवार के पास नहीं है। उन बी पी एल परिवारों के लिए अपना-खेत-अपना-काम की योजना राजस्थान में लागू हुई है इस वर्ष, उन गरीबों के खेतों के उत्थान के लिए बहुत बढ़िया है लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव भी है। मेरा यह सुझाव है कि उन खेतों में निर्माण कार्य तो आप करायें लेकिन इसके साथ, माननीय मंत्री महोदय, कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी इन सबको लगायें; लगाकर के कृषि पर्यवेक्षक से उसकी मिट्टी की जांच करवाएं; मिट्टी की जांच करा करके अगर जिप्सम का ट्रीटमेंट चाहिए तो जिप्सम का ट्रीटमेंट दें, वर्मी कंपोस्ट चाहिए उस मिट्टी को तो वर्मी कंपोस्ट दें। जो उसमें कमी है, उसको साइंटिफिक तरीके से दूर करके कौनसी फसल उस खेत में पैदा हो सकती है, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करके उस काश्तकार को वह सारी जानकारी दी जाए जिससे वह काश्तकार उस फसल को पैदा करके, एक बी पी एल गरीब परिवार का व्यक्ति लाभ अर्जित कर सके और अपना आर्थिक उत्थान कर सके।

बी पी एल परिवार के अन्दर खेतों की तो व्यवस्था है लेकिन हमारे इलाके की एक व्यथा है, व्यथा यह है कि हमारे इलाके को डार्क जोन घोषित कर रखा है। डार्क जोन घोषित कर रखा है, काश्तकारों को मेन अपने खेतों की पिलाई के लिए कुओं की व्यवस्था चाहिए। कुआ गहरा करना या कुआ नया खोदना, इसको इस योजना में हमें शामिल करना पड़ेगा। हाइड्रोलाजिस्ट की रिपोर्ट पर डार्क जोन में ट्यूबवैल खुद सकता है, कुआ खुद सकता है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि हाइड्रोलाजिस्ट की रिपोर्ट ले ली जाए। आस-पास के जहां कुओं में पानी है, जलस्तर है, उस एरिया के उन काश्तकारों को पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, हाइड्रोलाजिस्ट का कोई प्रतिनिधि और पंचायत राज का कोई प्रतिनिधि बैठकर तय कर ले कि यहां पानी हो सकता है तो वहां उन काश्तकारों को इस योजना का भी लाभ दिया जाना उचित रहेगा। जो सहरिया और अन्य लोगों को 200 दिन का रोजगार मिल रहा है, वह दो सौ दिन का जो रोजगार है वह बी पी एल परिवार हेतु राजस्थान में लागू किया जाए। क्योंकि बी पी एल को सौ दिन का और नार्मल व्यक्ति को भी सौ दिन का। इसमें कुछ हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा और इन गरीबों को दो सौ दिन के रोजगार के लिए हमें चाहे भारत सरकार से परमिशन लेनी हो, जो भी व्यवस्था करनी हो, तो, मंत्री महोदय, इस ओर आप कार्यवाही करें।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना, यह भी मुख्य मंत्रीजी की सोच है। 3,400 करोड़ रुपये खर्च करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दस लाख मकान बनाने का जो निर्णय लिया और इस साल दो लाख अड़तीस हजार मकान बनकर तैयार हो रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से ये दस लाख मकान बनेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस साल हमारे मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से 10 लाख मकान तो मुख्य मंत्री आवास योजना के बन रहे हैं और 95,702 मकान इंदिरा आवास के, तिवाड़ी साहब अतिरिक्त राजस्थान को मिलें यह एक खुशी की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतने आदमी ही नहीं है अपने पास रहने वाले। आदमी कहां से लाएंगे?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आदमी तो हैं न। आपने कम कर दिये, हमने वापस बढ़ा दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पर आदमी कहां से लाएंगे? मकान तो आप बना रहे हैं पर आदमी?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आपने कम किये जो बराबर कर दिये। तो यह जो प्रयास माननीय मंत्रीजी ने किया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी का आभार भी व्यक्त करता हूं लेकिन एक चीज जो फील्ड में दिक्कत है, वह भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। फील्ड में यह दिक्कत है कि बीस वर्ग मीटर का जो आपने उनको नक्शा दिया है, बीस वर्ग मीटर का, माननीय मंत्री महोदय, मकान पैंतालीस हजार रुपये में नहीं बन सकता है और बी पी एल का आदमी उस मकान को पैंतालीस हजार में बना नहीं सकता है। तो मेरा यह निवेदन है कि जैसे आपने शौचालय को इसमें जोड़ा है, महानरेगा से, इस अपना-खेत-अपना-काम योजना में भी आपने जो काश्तकार को सुविधा दी है, तो इस मुख्य मंत्री आवास योजना में जो लेबर-लेबर का पार्ट है अगर वह आप महानरेगा से इसको जोड़ देते हैं तो एक बहुत बड़ा फायदा उसको होगा कि उसको घर से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। लेबर-लेबर में वह खुद मजदूरी करेगा और अपना सौ दिन का रोजगार भी पूरा करेगा, अपने परिवार सहित और अपना मकान भी खुद खड़ा रहकर अच्छा बना सकेगा। यह मेरा आपसे निवेदन है, लेबर पार्ट को इससे अलग से जोड़ दिया जाए।

राजीव गांधी सेवा केन्द्र जो सोच है, यह सोच बहुत अच्छी सोच है

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

और यह जो सोच है, वास्तव में राजस्थान में 9,177 ग्राम पंचायतों में ये बन गये और पंचायत समितियों के 248 बन गये। इन राजीव गांधी केन्द्रों के कारण गांवों के आम आदमी को शहरों की तरफ नहीं भगना पड़ेगा, वहां उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसी राजीव गांधी सेवा केन्द्र में कृषि विभाग का अधिकारी, पटवारी का रेवेन्यू रिकार्ड, पानी के बिल और नरेगा की सारी पेमेंट, नरेगा की सूचना, सारे काम उस एक छत के नीचे होंगे। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि इस तीन हजार को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी बजट

(18.00 बजे)

में रखा है, बाकी सबको एक साथ रखें, यह एक बहुत अच्छा कदम उनका है। ये राजीव गांधी सेवा केन्द्र हैं इनको अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाये। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक 'करिश्मा' प्रोजेक्ट लागू किया था और वह करिश्मा ही निकला। 50 करोड़ रुपये आपने खर्च किये, मेरे एरिये में भी लगे वे, डांडिया लटक रहे हैं, बाकी किसी ने उस पर बात नहीं की और किसी ने उसका लाभ नहीं लिया। राजस्थान के 50 करोड़ रुपये बरबाद हो गये। मैं यह चाहता हूं कि राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में उसको देखकर सीख ले लेनी चाहिये और हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सारे राजीव गांधी सेवा केन्द्र चलें, सुचारु रूप से खुलें और सारी व्यवस्थाएं ठीक हों क्योंकि राजस्थान पहले 'करिश्मा' प्रोजेक्ट में मात खा चुका है।

भूमि रूपांतरण के मामले में भी एक निवेदन करूंगा कि तहसील में जमीनों को कृषि से आबादी में जो परिवर्तन करते हैं, तो इसमें 50 परसेंट राशि तुरन्त प्रभाव से उस ग्राम पंचायत को हस्तांतरित होनी चाहिये। यह राशि उन लोगों को मिलती नहीं है। समय पर उन लोगों को राशि मिले।

आबादी भूमि के विक्रय में भी हमें संशोधन करने की जरूरत है। नगरीय भूमि में निष्पादन के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए 1996 के आबादी भूमि नियम 140 से 158 तक में समुचित संशोधन कर इनका सरलीकरण किया जाये और पंचायतों को इसमें व्यापक अधिकार दिये जायें ताकि आबादी भूमि विक्रय में ग्राम पंचायतों को होने वाली परेशानियों का निराकरण हो सके।

जन सहभागिता योजना के बारे में आप निवेदन कर रहे थे, पूर्व सरकार के समय में एक योजना चली थी, योजना में 50 प्रतिशत राशि जन सहयोग से और 50 परसेंट राज्य सरकार देगी। 5 लाख तक के वे कार्य थे, उसमें ढाई लाख विधायक कोष से लिये जाते थे और वे कार्य कब्रिस्तान और

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

श्मशान के लिये आपने अधिकृत किये थे। मैं मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इसमें पूर्व सरकार से चार गुणा बढ़ाकर बजट लिया और बढ़ाकर 10 परसेंट राशि लेकर 90 परसेंट राशि राजस्थान सरकार दे रही है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अंतिम पड़ाव है, उसका सुधार निश्चित जरूरी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मंत्रीजी ने पंचायत राज के जन-प्रतिनिधियों के लिये, पंचायत राज के जिला प्रमुख को मैं कई बार देखता, खटारा गाड़ियों में रास्ते में मिलते, प्रधान रास्ते में मिलते। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सारे जन-प्रतिनिधियों के लिये पांच लाख दो हजार की राशि से 248 पंचायत समितियों में बोलेरो गाड़ी उपलब्ध कराई है और बोलेरो गाड़ी के साथ-साथ उनको ऐसी व्यवस्थाएं भी दी हैं जिससे उनके जो ट्यूर के प्रोग्राम थे, प्रधान का 60 दिन था उसको 120 दिन किया। जिला प्रमुख का 120 दिन था, 240 दिन किया। यह तो नई गाड़ी लो, गांवों में घूमो और जन-समस्याओं की जानकारी करो और उन जन-समस्याओं का निराकरण करो, ऐसी सोच वर्तमान सरकार की रही। वर्तमान सरकार ने यह एक अच्छा कार्य किया जिससे आम आदमी आ जा सकता है और उन प्रतिनिधियों को जाने में कोई दिक्कत नहीं। पंचायती राज के जितने भी जिला प्रमुख थे, प्रधान थे, सरपंच थे, हम हमारे भत्ते बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन इनके भत्ते बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो वह माननीय अशोकजी गहलोत ने किया। जो आपके समय में जिला प्रमुख को 4 हजार की राशि मिलती थी, आज 7,500 की राशि मिलती है, प्रधान को जो 2600 रुपये की राशि मिलती थी, आज उसको 5,000 की राशि मिलती है; सरपंच को आप 600 रुपये की राशि देते थे, उसको आज मानदेय के रूप में सरकार 3,000 रुपये की राशि देती है।

विधायक कोष योजना के बारे में भी अभी जिक्र चला था। मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 2003 में जो बी एस आर थी वह बी एस आर 2005 में चेंज हुई, 30 परसेंट रेटें बढ़ीं; 2005 की 2007 में चेंज हुई, 25-30 परसेंट रेटें बढी। 2007 की 2009 में चेंज हुई, फिर 25-30 परसेंट रेट बढी; 2009 की 2011 में चेंज हुई,

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

फिर 25-30 परसेंट रेट बढ़ी। 2003 में विधायक कोष की राशि से जो काम होता था, उस प्रपोशन में डेढ़ सौ परसेंट निर्माण कार्यों की दरें बढ़ी हैं। निर्माण कार्यों के प्रपोर्शन में, सदन को फैसला लेना चाहिये, मुख्य मंत्रीजी को हम सब निवेदन करें कि जितनी बी एस आर की दरें बढ़े उतनी ही विकास कार्यों की विधायक कोष की राशि बढ़े। ऐसा एक फार्मूला सैट करें जिससे स्वतः राशि बढ़ जाये, बार-बार बढ़ाने की जरूरत न पड़े और विधायक क्षेत्र की समस्याओं को हल कर सके। 2003 में जो आदमी दो विश्राम गृह बना सकता था, आज वह उस राशि में एक भी पूरा नहीं करा पा रहा है। यह स्थिति बी एस आर की दरें बढ़ने की वजह से हुई है। ऐसा ही फार्मूला वेतन भत्ते बढ़ाने का भी हो जाये। महंगाई की दर के हिसाब से भत्ते बढ़ जाये पंचायत राज के प्रतिनिधियों के ...(व्यवधान) मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, आप गलतफहमी पाल रहे हो। पंचायत राज के प्रतिनिधि बार-बार मांग करते हैं और बाद में हम उसमें से कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। जैसे नरेगा को सेंसेक्स से जोड़ा, वैसे ही महंगाई से पंचायत राज के प्रतिनिधियों की यह व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रविन्द्र सिंह बोहरा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 28, 41 और 50 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत-बहुत आपका आभारी हूं।

काफी अरसे तक मैं राजाखेड़ा पंचायत समिति का प्रधान था, इसलिए मैं किताबी बात नहीं पढ़ूंगा, जो मैंने देखा है वही पढ़ूंगा। मेरी वेदना, मेरा दर्द किताबी नहीं होगा, वही होगा जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है। यह पंचायती राज, महेन्द्रजी कह रहे थे, नागौर से; आप सब जानते हैं; अच्छी बात है, उनके घर से शुरू हुआ, सारे प्रांत के लिये शुरू हुआ। हम सब लोग बहुत-बहुत आभारी हैं उस वक्त के मुख्य मंत्रीजी सुखाड़ियाजी के जो जवाहर लालजी को लाये, एस. केड़िया जी साहब को लाये, पंचायती राज की शुरुआत की। पंचायती राज की शुरुआत, कल्पना, परिकल्पना गांव में ही न्याय, गांव में ही विकास, गांव में ही साधन इन सबको सोच कर हुई थी। महात्मा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिये हुई थी। आज करीब-करीब 53 साल हो गये, 53 साल के बाद आदमी अर्द्ध वृद्ध हो जाता है, जवानी पूरी करके बुढापे की तरफ

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

आ जाता है, मैं दुर्भाग्य तो नहीं कहूंगा लेकिन संकट यह है कि इस वक्त यह लड़खड़ायी हुई स्थिति में है।

अच्छी बात दो-तीन हैं। पहली बात तो इसके जो मंत्री हैं वे पंचायती राज से आये हैं; दूसरी, राज्य सरकार ने बड़ी उम्मीद से राजस्थान डवलपमेंट सर्विसेज शुरू कीं, नये लड़के आये हैं। और भी खुशी की बात यह है कि आज मैं देख रहा हूं कि पंचायती राज जैसे विषय के ऊपर इतने सीनियर अफसर इतनी संख्या में बैठे हुए हैं। मैं दाद देना चाहता हूं उनके प्रिपेरेशन की, बधाई देना चाहता हूं हाउस की तरफ से और इस सबके बाद मैं अपनी बात इन चार लाइनों से शुरू करता हूं-

जो सफर की शुरुआत करते हैं, वही मंजिल पार करते हैं;
एक बार चलने का हौंसला रखो मुसाफिरों, तो रास्ते भी आपका इंतजार करते हैं।

मैं समझता हूं कि पंचायती राज में अभी भी अच्छे अफसरों की कमी नहीं है, मंत्रीजी की कमी नहीं है, अगर कोई कमी है तो हमारी सोच में बदलाव लाने की कमी है। यह पंचायती राज अच्छी अवस्था में होगा तो सारे राजस्थान के लिए अच्छा है और लड़खड़ाता जैसा आज दिख रहा है, अगर उसका सुधार नहीं हुआ तो इस प्रजातंत्र की जड़ें बहुत खोखली हो जाएंगी और किसी का विश्वास वोट देने पर नहीं रह जाएगा।

आज मैं जो परेशानी पंचायती राज में देखता हूं, सबसे पहले ग्राम सभा से शुरू करता हूं, ग्राम सभा के अन्दर आज जो चयन हो रहा है, जो एक भीड़ एकत्रित होती है, उसके आधार पर सरपंच अपनी मनमानी करते हैं। क्योंकि धीरे-धीरे लोगों का विश्वास कम हुआ तो लोग ग्राम सभा में जाते नहीं हैं। कोई ऐसा मेकेनिज्म हम डवलप करें ताकि समाज के सब तरह के लोग आम सभा में आ सकें।

मेरा ख्याल है, आज आप सबको विदित होगा, आप जानते होंगे कि गरीब तो बाहर है और अन्दर बी पी एल की लिस्ट में अमीर आ गया। जिसके घर में जीप है, जिसके घर में ट्रैक्टर है, चार चौक की हवेली है, वह तो बी पी एल में और जिसके छान की झोंपड़ी भी नहीं है, वह बी पी एल से बाहर है। यह सब स्थिति इस प्रजातंत्र को बड़ी दुर्गम स्थिति में ले जा रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हम सब जवाबदेह हैं। कभी–कभी तो बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है कि एक आदमी जिसके तन पर कपड़े नहीं हैं, पैर में चप्पल नहीं है, वह कहता है, मैं गरीबी रेखा में नहीं हूं,

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

और एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेता है जिसके पास, दुनिया को मालूम है, सब साधन-सम्पन्न है, वह बी पी एल की लिस्ट में है।

सब सरकारें संवेदनशील होती हैं, कोशिश करना चाहती हैं लेकिन नीचे तक जाते-जाते, नीचे तक परकोलेट होते हुए, राजीवजी ने भी कहा था कि 15 पैसा पहुंचता है गरीब तक। राजीवजी को गए हुए बहुत साल हो गए इतने साल बाद भी स्थिति वही है, 15 के 14 हो गए, 15 के 16 नहीं हुए। इतने काबिल अफसर, ऐसे कमिटेड मंत्री, उनसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं, इस विषय में आप ऐसा कुछ करिये कि आने वाला कल जब हमसे जवाब पूछे तो हम जवाब देने की स्थिति में हों, वरना हमारी संतान हम पर थूकेंगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, राजस्थान लुटता रहा और वे देखते रहे। चयनित लोग हैं, खुले आम उनकी लूट होती है। कौन नहीं जानता कि बी पी एल का आदमी, इंदिरा आवास उसे मिलता है, जो पैसा उसे मिलता है, सबसे पहले उससे वसूली होती है, तब जाकर पैसा मिलता है; चार-चार, पांच-पांच हजार, जैसा ग्राहक पट जाए। कहते हैं, चैक से पेमेंट होता है, चैक से पेमेंट होता है तो बीच में यह बिचौलिया या कोई भी व्यक्ति क्यों आ गया? आज तक यह समझ में नहीं आया। आज एक गरीब काश्तकार बैंक में कृषि कार्ड बनवाने जाता है अगर वह पैसा देने की स्थिति में है तो उसका एक सप्ताह में बन जाता है, और अगर पैसा देने की स्थिति में नहीं है तो कह देते हैं, शनिवार को आना, सोमवार को आना, अगले महीने आना; उस बेचारे का कोई काम नहीं होता। यह सब हम लोगों की दैनिक जिंदगी में सबके सामने आता है और हम देख-देखकर निकल रहे हैं। इस पर कोई अंकुश, किसी प्रकार की रुकावट, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हम किसका जवाब देने की स्थिति में आएंगे?

आज इस बात की जरूरत है, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, पंचायती राज में जो अधिकारी बड़े बड़े लगाए जाएं, उनसे उनकी चोइस पूछ लीजिए; मन के विपरीत आप किसी की पोस्टिंग करेंगे, वह केवल औपचारिकता पूरी करेंगे, समर्पण नहीं होगा। पंचायती राज हिन्दुस्तान है हिन्दुस्तान, सबसे भाग्यवान मंत्री मानता हूं जो पंचायती राज पाता है, सीधा-सीधा आम जनता से सम्पर्क करने वाला होता है। अगर उसकी डोर सीधी उनसे लग रही है तो उनसे भी, ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाए जो उसके प्रति समर्पित हों, जिनके दर्द हो, जो सोचते हों कि कल गरीब के लिए हमें क्या करना है। आपके पास अच्छे से अच्छे अधिकारी हैं, आप बुरा

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

मत मानिये, ऐसे भी अधिकारी हैं जिनका कि नाम लेने में शर्म आती है। कृपया पंचायती राज के लिए आप सबसे अच्छे अधिकारियों को तलाशें, बहुत से काम तो आप तक आएंगे ही नहीं, अपने आप अधिकारी वर्ग तक ही हो जाएंगे।

आज एक सरपंच अच्छा काम करने वाला, एक सरपंच धन्धा करने वाला, अच्छा काम करने वाला सरपंच पीछे हट जाता है, धन्धा करने वाला आगे बढ़ जाता है क्योंकि वह हर जगह भ्रष्ट आचरण से पंचायती राज का काम नहीं कर रहा वह तो केवल अपना धन्धा कर रहा है। आज देखिये, आप अपनी पंचायत समिति में देख लीजिए कि कितने ईमानदार सरपंच हैं और कितने बेईमान सरपंच हैं। सारा पंचायती राज पंच और सरपंच से ही चलता है, प्रधान बाद में है, प्रमुख बाद में है, एम एल ए बाद में है, एम पी बाद में है।

राजीवजी ने बहुत तैयारी से इस पंचायती राज को मजबूती देने की कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूं, मैं भी गया था, साथ में था उसमें, दुर्भाग्य से उसका जो कुछ ड्राफ्ट तैयार किया गया, वह पंचायती राज के प्रतिनिधियों के सामने नहीं लाया गया। एक विधान सभा बना दी, एक लोक सभा बना दी, एक पंचायत बना दी, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। पहले त्रिस्तरीय होती थी, पंच और सरपंच मिलकर प्रधान बनाते थे, सरपंच और प्रधान मिलकर प्रमुख बनाते थे; एक सीढ़ी थी, एक लिंक था।

आज की तारीख में पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य जिस दिन तक पंचायतों के चुनाव, जिला परिषदों के चुनाव होते हैं उस दिन तक तो उनकी उपयोगिता है, उसके बादे उन बेचारों को कोई नहीं पूछता। एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, हमने इतना पैसा खर्च किया, कोशिश की, हम कुछ बनें और आज हमें कोई पूछने वाला नहीं है। सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार में आप अपनी बात, अगर मेरी ठीक जंचती हो तो रखे, यह फ्रस्ट्रेशन सारे हिन्दुस्तान में मिलेगा। जब तक आप इसको व्यावहारिक नहीं बनाएंगे, पंचायती राज बिगड़ता जाएगा, सुधार की तो इसमें कहीं गुंजाइश रहेगी ही नहीं।

एक पंचायत के बाद दूसरी पंचायत, दूसरी पंचायत के बाद तीसरी पंचायत, जो परिसम्पत्तियां बन रही हैं, कहीं किसी तरह का रजिस्टर, कहीं उनकी सुरक्षा, देखरेख होती हो, मेरी जानकारी में नहीं है। एक सरपंच जो कर जाता

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

है, दूसरा सरपंच समझता है कि यह मेरा काम नहीं, कोई लेना-देना नहीं। आज करोड़ों-अरबों रुपयों की परिसम्पत्तियां ऐसी पड़ी हैं जिनका कोई मालिक नहीं, किसी में भूसा भरा हुआ है, किसी में भैंस बंधी हुई है। न सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है, न पंचायत की तरफ से हो रहा है, किसी स्तर पर नहीं हो रहा। एक तरफ हम बनाते जा रहे हैं, एक तरफ बरबाद करते जा रहे हैं। यह किसका धन है, यह जनता का धन है, इसको बचा लीजिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सारे विधायक बैठे हुए हैं, राजस्थान का प्रश्न है, जमीन करीब-करीब नहीं के बराबर रह गयी है। जमीन को देने की कोई चेष्टा आप करेंगे, उस दिन तो बहुत अच्छा लगेगा। आज स्थिति यह है, मेरे यहां मैं दो 132 के.वी.ए. स्टेशन लाया हूं, पावर स्टेशंस, एक-एक के लिये 14-14 बीघा जमीन चाहिए। सरकार की जमीन है, सरकार को जाएगी। मुझे छह महीने लग गये। मेरे रास्ते में कोई आड़े नहीं आया, सबने मदद की, सब आफिसर्स ने मदद की लेकिन कानून और कायदे इतने हैं कि छह महीने लग गये जमीन दिलाने में। अभी दूसरी वाली जमीन तो दिला ही नहीं पाया। कल को आपके स्कूल खुलेंगे, कल को आपकी सड़कें बनेंगी, कल को आपके कोई भी चिकित्सालय बनेंगे, अब सरकार के पास सरकारी जमीन इतनी कम रह गयी है कि किसी भी मद में, मेहरबानी करके, बांटने से पहले देख लीजिए कि रिजर्व में आपके पास जमीन है कि नहीं है। सारे राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रेवेन्यू ने, जब मैं जमीन का अलाटमेंट करवाकर उठा तो उन्होंने कहा, एम.एल.ए. साहब, यह तो आपका बूता था कि आप छह महीने में ले जा रहे हो, इसको दो साल कोई नहीं सूंघता। इतनी मुश्किल से वह जमीन मिली। मैं आज, सभापतिजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं....

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी तीसरे नम्बर पर बोल रहा हूं। इतनी घण्टी बजाएंगे तो कैसे बोलूंगा मैं? शुरुआत ही नहीं हुई मेरी।

श्री सभापति: रविन्द्र सिंहजी, सदस्य सूची काफी लम्बी है, बहुत लम्बी है। आप सुझावों पर आइये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): यह धौलपुर का जिला बहुत पिछड़ा हुआ है।

श्री सभापति: आप सुझावों पर आइये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आप लोग बड़े भाग्यवान हो कि पश्चिमी राजस्थान के हो।

एक माननीय सदस्य: आप लिखकर मंत्रीजी को दे दीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हमारी स्थिति यह है, मैं तो आपको वह बता रहा हूं, जो मैं भुगता हूं। अगर मेरी बात में सत्यता हो तो मान लीजिएगा।

आज पानी पिलाने की व्यवस्था पंचायती राज के जिम्मे है। जनता पेयजल योजना आपने पंचायत के सुपुर्द कर दी। स्थिति आज की तारीख में यह है, सभापतिजी, वह कहते हैं कि खर्चा, एक आदमी की तनख्वाह का दे देंगे, बाकी कोई जलेगा, फुंकेगा, फलाना होगा। मेरी जनता जल योजना, रीजनल स्कीम्स हैं, दो को छोड़कर सब बंद पड़ी हैं। करोड़ों-अरबों के पैसे लग गये, सरकार का तो नुकसान हो गया, खाने वाले को मजा नहीं आया। मेरे से नौ हजार लोग हैण्ड-पम्प मांग रहे हैं, दस एम.एल.ए. अगर पूरा फण्ड मुझे दे दें तो शायद मैं कर पाऊंगा, वरना अगले 45 साल में दे पाऊंगा। न मैं जिंदा रहूंगा, न मैं एम.एल.ए. रहूंगा।

मेरी आपसे करबद्ध विनती यह है कि पंचायती राज को अगर आपको रफ्तार देनी है, जिंदा रखना है, उसको टेक्निकल सपोर्ट दीजिए। एक सरपंच आता है, वह अपनी मनमानी करता है पांच साल। विधायक महोदय कोई जोरदार हों तो एक-दो काम वह कह दें तो मान लेगा। उसके बाद दूसरा आता है, फिर वह नये काम करता है। पानी का स्थायी इलाज, बिजली का स्थायी इलाज, आज हम हैण्ड-पम्प देना चाहते हैं कि साहब, हैण्ड-पम्प की जगह आप बिजली ले लो, वे पावर का कनेक्शन लेने को तैयार नहीं हैं। इसलिये कोई टेक्निकल सपोर्ट पंचायतों को दें और डूज और डोंट्स करिये कि केवल इस क्षेत्र में आप ये काम करो, मनमाने काम मत करो। पिछली बार जिन सरपंचों ने पानी के लिये कुण्ड बनाये थे, आज उनको कोई देखने वाला नहीं है, खाली पड़े हैं। करोड़ों रुपये लग गये, मैन-डेज लग गये लेकिन उसका लाभ जनता को एक पैसे का भी नहीं मिला।

माननीय, काफी बरस हो गये पंचायती राज को, मेरे अन्य साथियों ने भी इस ओर ध्यान दिलाया है आपका, पंचायतों का रि-आर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जब आपने विधायिका का रि-आर्गेनाइजेशन कर दिया तो पंचायत तो बनियान की तरह है जिसमें जरा सा फांस भी हो, चुभता है। कुर्ते में हैं सारे विधायक और जवाहर-कट के अन्दर एम.पी. हैं, बाकी बनियान का कपड़ा है,

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

वह तो सरपंचों का है। इसलिये उनका पुनर्गठन करना बहुत जरूरी है। मेरे यहां तो हालत यह है कि एक राजाखेड़ा पंचायत समिति है मेरे क्षेत्र में और दूसरी पंचायत समिति है आपके धौलपुर की। हम लोग चाहते हैं, माननीय मंत्रीजी, यह पुनर्गठन का विषय आप अवश्य लें और मेरे यहां मनिया या मरेना दूसरी पंचायत समिति बने। इवनली डिस्ट्रिब्यूटेड हों, लोगों के कामकाज में लाभ हो। एक कोने में पड़ता है राजाखेड़ा, उसमें, राजाखेड़ा में करीब-करीब इतनी पंचायतें हैं, वे राजाखेड़ा में रहें, बाकी मनिया या मरेना में रहें। इसी तरह पंचायतें, काफी बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं जिनमें दो-दो, तीन-तीन पंचायतें बन सकती हैं, उनका पुनर्गठन बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को समय रहते कर लोगे तो लोगों को लाभ होगा वरना सारा पैसा विकास के नाम पर शहरी क्षेत्र खा रहा है, देहात के लोग तमाशा देख रहे हैं। देहात में भी इन्सान रहते हैं, महाराज, यह नहीं है कि शहरी क्षेत्र में ही इन्सान रहते हैं। वहां हमें कोई एतराज नहीं है, उनके सुख-दुःख में आप भागीदारी करें लेकिन हमको इतना नेग्लेक्ट न करिये। इस राजस्थान की विधान सभा में दो सौ में से कम से कम 60-65 प्रतिशत लोग, माननीय विधायक ग्रामीण क्षेण से आते हैं, पंचायती राज क्षेत्र से आते हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब बिलकुल आप कन्क्लूड कर लें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): अब मैं आपको केवल इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारे धौलपुर जिले की हालत क्या है।

एक माननीय सदस्यः इतना तो सुनिये, साहब।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मरु विकास कार्यक्रम, धौलपुर नहीं; सूखा सम्भाव्य कार्यक्रम, धौलपुर नहीं; मगरा क्षेत्र विकास योजना, धौलपुर नहीं; मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, नहीं; सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, नहीं। मैं सब लिस्ट इसलिए पढ़ रहा हूं, साहब...

श्री सभापतिः लिखी हुई है तो आप दे देना मंत्रीजी को।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): साहब, यह तो लिखा हुआ नहीं है, यह तो याद है कि ये हैं ही नहीं हमारे, हमारे यहां ये योजनाएं ही नहीं हैं। ये योजनाएं सब आप ले जाते हो।

श्री सभापतिः चलिये, अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): अब हमारा केवल इतना निवेदन है कि हमारे संग न्याय करो, हमें जिंदा रहने का मौका मिले। (व्यवधान) हम यह नहीं कहते कि हमें आप मुकुट पहना दो, हमें जिंदा रहने दो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री सभापति: श्री पेमारामजी। पेमारामजी, मेरा निवेदन है, बोलने वाले बहुत माननीय सदस्य हैं, जो सुझाव आ चुके हैं, उनसे हट करके जो सुझाव हैं, वे आप दे दो, सीधे-सीधे।

श्री पेमाराम (धोद): जितना आपका आदेश होगा, उतना ही।

श्री सभापति: नहीं, मेरा निवेदन है, बहुत सारे हैं और रात को 12-1 बजेगा, इस हिसाब से बोलने वाले रहे तो। इसलिये जो बोल चुके हैं, उनसे हट करके सुझाव दें।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28-कृषि विकास, मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास और मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार में अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ मैं भी मेरी तरफ से राय और सुझाव देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, निश्चित तौर पर गांवों के विकास का मूल आधार ग्राम पंचायतें हैं लेकिन जिस तरह से, हमारा सवाल किसी की आलोचना और प्रत्यालोचना का नहीं है, सरकारें जो भी रही हैं, उन सरकारों ने ग्राम पंचायतों में जिस तरह से योजना बना करके, अभी, सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण के रूप में पेश करूंगा कि सरकार ने जिला प्रमुख और प्रधान को गाड़ी दी, उसके लिये तो सरकार धन्यवाद की पात्र है कि वाकई में ग्रामीण जन-प्रतिनिधियों के लिये सोचा लेकिन जिला परिषद का चुनाव जीत करके आने वाला जिला परिषद का मेम्बर आधे विधान सभा क्षेत्र का पार्ट होता है, पंचायत समिति का चुनाव जीतकर आने वाला पंचायत समिति का एक मेम्बर दो पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज संस्थाओं को यदि मजबूत करना है तो निश्चित तौर पर उन प्रतिनिधियों, वरना जहां से मैं चुनकर आया हूं वह पंचायत समिति भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की है, हमारे वहां पर जब मीटिंग होती है तो पंचायत समिति के जो डायरेक्टर हैं, वे मीटिंग में भी, पहले हमें कहकर बुलाना पड़ता है वरना वे कहते हैं कि आने-जाने का भाड़ा ही देना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि वाकई में यदि हमें पंचायती राज संस्थाओं को

(श्री पेमाराम)

मजबूत करना है तो चाहे पंचायत समिति का डायरेक्टर है, चाहे जिला परिषद का डायरेक्टर है, निश्चित तौर पर पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद और पंचायत समिति में टी.एफ.सी., एस.एफ.सी. की राशि भी आती है, निश्चित तौर पर जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी रिकमंडेशन पर कोई एक-एक दो-दो काम भी वहां पर उनके इलाके में सैंक्शन हों तो शायद मैं समझता हूं कि यह बेहतर रहेगा और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने में एक बढ़िया चीज रहेगी।

एक, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो पंचायती राज संस्थाओं में ठेका प्रथा कर रखी है, सरकार उस पर पुनर्विचार करे। गांवों का विकास होने में ठेका प्रथा एक बाधा के रूप में, दीवार के रूप में खड़ी है, उसको हटाने के लिए करें।

जहां तक, माननीय सभापति महोदय, नरेगा में काम करने वाले मजदूर चूंकि, मेरा सरकार से एक सुझाव है कि नरेगा योजना में जो भी राशि आयी है, चाहे जिला परिषद के सी.ई.ओ. को देख लें, चाहे एस.डी.एम. को देख लें, तमाम जगह उससे एयर-कंडिशनर आ गया, जबकि कानून में प्रावधान यह है कि मजदूर की तग़ारी और फावड़ा नरेगा योजना में आयेगा। मैं तो मेरी पंचायत समिति की ही बता सकता हूं, मेरी पंचायत समिति में जब से नरेगा योजना लागू हुई थी तब से औजार के लिए एक दफा ही पैसा जारी हुआ था। उसके बाद औजार के लिए पैसा जारी नहीं हो पाने की वजह से औजार उस नरेगा पर काम करने वाला मजदूर, उसे अपने खून-पसीने की कमाई का पैसा देकर घर से औजार लेकर आना पड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी।

इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, नरेगा में काम करने वाले मजदूर का, सबका बढ़ गया, किसी का पांचवां वेतन आयोग, किसी का छठा वेतन आयोग, सब बढ़ा लेते हैं, राजस्थान की सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नरेगा में काम करने वाले मजदूर का भी राजस्थान में, 133 रुपये में, माननीय सभापति महोदय, यह कहे कि 133 रुपया, मैं समझता हूं कि 133 रुपये में तो चाय और चीनी भी आती नहीं है। टास्क के नाम पर 133 रुपया भी उनको मिलता नहीं है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, नरेगा में वह आदमी काम करने के लिए, वह मेरी मां और बहनें काम करने के लिए जाती हैं, उनके पास शारीरिक श्रम बेचने के अलावा कुछ नहीं होता है, सरकार को विचार करना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी चाहिए,

(श्री पेमाराम)

क्योंकि यह यदि हम नहीं बढ़ायेंगे तो नरेगा में जो संख्या गिरती जा रही है, वह उसका हो नहीं पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं एक राय और देना चाहूंगा। नरेगा में काम करने वाला, चाहे कम्प्यूटर आपरेटर है, चाहे जे.टी.ए. है, अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य तो यह कह रहे थे कि एक ग्राम पंचायत में एक-एक जे.टी.ए. लगा दें, मैं समझता हूं कि सरकार के बल-बूते, बस का रोग नहीं है, एक-एक तो नहीं लगा पायें लेकिन एक-एक पंचायत समिति में भी यदि पांच-पांच जे.टी.ए. यदि कर देते हैं और उनको स्थायी कर देते हैं क्योंकि जे.टी.ए. की नौकरी अस्थायी, कम्प्यूटर चलाने वाले की नौकरी अस्थायी, ग्राम पंचायतों में बैठने वाले रोजगार सहायक की नौकरी अस्थायी, इसलिए ग्राम पंचायत में बैठने वाला छह नम्बर का फार्म भी भरने में ईमानदारी के साथ प्रयास नहीं कर पाता है। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि ये जो तीन पोस्ट्स हैं उनको स्थायी करने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और यदि ये स्थायी करेंगे तो निश्चित तौर से पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने में सुविधा मिलेगी।

जहां तक पंचायती राज और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का सवाल है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

इसी के साथ मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। गांवों में जो ग्रेवल सड़कें बनी हैं, पूरे राजस्थान में हर विधान सभा क्षेत्र में बनी है; डामर से बनने वाली सड़क के लिए तो प्रावधान है, माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग हर दस वर्ष के बाद में उसका, दस वर्ष से पहले यदि वह डामर की सड़क टूट जाती है तो उसके पेच निकालने का प्रावधान है लेकिन ग्रेवल सड़कें दस साल पहले भी यदि कोई किसी भी योजना में बन गईं, अकाल राहत में बन गईं, एम.पी., एम.एल.ए. कोटे में बन गईं या किसी भी कोटे में बन गई, आज की तारीख में उनमें एक-एक फुट खड्डे भी हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा योजना में ऐसी सड़कों के लिए कोई योजना बनाकर, क्योंकि गांवों में आवागमन का रास्ता सुलभ भी हो और लोगों को सुविधा भी मिले, उसके बारे में भी सरकार विचार करे।

इसी के साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जहां तक जमीनों का सवाल है, हर जिला परिषद में वह पैसा पड़ा है लेकिन असल में वह ग्राम पंचायत में, भू-उपयोग का पैसा ग्राम पंचायत में जाना चाहिए। यह सरकार

(श्री पेमाराम)

जब तक यहां से निर्देशित नहीं करेंगी, तब तक जिला परिषद यह समझकर चलती है कि यह हमारी निजी आय है और जिस ग्राम पंचायत में जाना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए, जिस मोहल्ले में पीने के पानी की टंकी बनाने का पंचायत को अधिकार होना चाहिए, वह पीने के पानी की टंकी भी वह ग्राम पंचायत उसके अभाव में नहीं बना पाती। इसलिए मेरी राय है कि वह ग्राम पंचायत की भूमि जो कन्वर्जन होती है और उसका पैसा जिला परिषद में है, वह ग्राम पंचायत में भिजवाने का करें।

इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, पुनः यही कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से सरकार योजना बनाकर और इस नरेगा को भी योजना बनाकर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर पंचायतों का विकास होगा और आम जनता को सुविधा मिलेगी। यही कहते हुए, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

(अनुपस्थित)

श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या-28, मांग संख्या-41 और मांग संख्या-50 पर सरकार के पक्ष में...(व्यवधान) हां, इसके समर्थन में बोलना चाहता हूं। समर्थन है, आपके कहने से समर्थन में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मैं हमारे यशस्वी और संवेदनशील माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रदेश के लिए, खास-तौर से जो स्कीम्स आम आदमी को टच करती हैं, आम आदमी को जिनका सबसे ज्यादा फायदा होता है, ऐसी स्कीम्स पिछले वर्ष में शुरू कीं। खास तौर से मैं यह कहना चाहूंगा कि 'मुख्य मंत्री आवास योजना', 'प्रशासन-गांवों-के-संग' और इस बजट में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है जिसमें एक लाख लोगों को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार देने का प्रावधान रखा है और साथ ही साथ जो अन्य स्कीम्स हैं, उनमें भी तीन लाख लोगों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव रखा है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष जब मुझे इस मांग संख्या पर बोलने का मौका मिला था, तब मैंने निवेदन किया था कि नरेगा के जो कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाए जिससे कि उनका काम के प्रति ध्यान केंद्रित हो और वे मन लगाकर काम करें। 23

(श्री टीकाराम जूली)

हजार से अधिक पदों का सृजन करके उन पर नियुक्ति के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेवात योजना जो खास तौर से हमारे अलवर और भरतपुर जिले के परिवारों के लिए है, उसकी राशि 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये की है। जन सहभागिता पर भी 20 करोड़ से 35 करोड़ रुपये की राशि की है जिसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। 422 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भवन और प्रत्येक जिला परिषद पर 25-25 लाख रुपये से प्रशिक्षण और विश्राम स्थल की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैं पूर्व में पंचायती राज से जुड़ा हुआ रहा हूं, मैं भी जिला प्रमुख था और माननीय मंत्री महोदय भी उस समय जिला प्रमुख थे, और क्या-क्या समस्याएं पंचायती राज के सामने आती हैं, क्योंकि ज्यादातर सदस्य कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से पंचायती राज से जुड़कर यहां तक पहुंचते हैं, कोई सरपंच रहकर आता है, कोई प्रधान बनकर आता है, कोई जिला प्रमुख बनने के बाद आता है, लेकिन जो मुख्य तौर से आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है, यहां आकर हम उसकी पैरोकारी नहीं कर पाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, मेरे कुछ सुझाव हैं, सबसे पहले तो जिला परिषद और पंचायत समिति, इनके जो सदस्य चुने जाते हैं, उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करके, बिना किसी पार्टी के, कोई भी पार्टी नहीं हो, स्वतन्त्र रूप से जिस प्रकार से सरपंच के चुनाव होते हैं, उस प्रकार से उनके चुनाव हों। साथ ही साथ, प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव सीधे तौर पर होने चाहिये। नगरपालिका और नगर परिषदों में इस पैटर्न पर चुनाव हुए हैं और इसका अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया है।

मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि अब 2011 की जनगणना हो गयी है और खास तौर से आज जो एक जरूरत है, वह ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की है, जिसमें खास तौर से तो एक चीज का ध्यान रखा जाये कि जो पंचायत समिति बने, वह विधान सभा का भी, उसी प्रकार से उसमें चाहे दो बनें, चाहे तीन बनें, विधान सभावाइज बनें, जिससे कि एम एम ए को भी मीटिंग में जाना होता है, आज मीटिंग की तारीख फिक्स है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पंचायत समितियां लगती हैं, एक ही तारीख को सब जगह मीटिंग होती है। एक विधायक तीनों जगह नहीं पहुंच सकता। इसमें भी उसी विधान सभा के आधार पर हो।

(श्री टीकाराम जूली)

हमें प्रशासन-गांवों-के-संग कैम्प लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम कैम्प लगाते हैं, उसमें पेंशन के इतने प्रकरण, उसमें पालनहार योजना के इतने प्रकरण, वे हमारे सामने आते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को कि इसमें हम पाबन्द करें कि ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, उस ग्राम पंचायत के पटवारी की यह ड्यूटी हो कि पूरी ग्राम पंचायत में जब भी कोई मौत हो, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र वहां पहुंचा दिया जाये। कोई विधवा है और पेंशन की कैटेगिरी में आती है, उसकी पेंशन हम बनवायें; उसके बच्चे हैं और पालनहार योजना में हम उनको लाभान्वित कर सकते हैं तो उनका फार्म हम भरवायें। आज स्थिति यह है कि पालनहार योजना में सिर्फ जागरूकता के अभाव में लोग छह महीने-साल भर लेट हो जाते हैं और जब कभी कैम्प लगते हैं तब उनको उन योजनाओं का लाभ मिलता है।

आज इतनी स्कीमें चल रही हैं, कोई टी एफ सी का पैसा है, कोई एस एफ सी का पैसा है, कहीं नरेगा है, कहीं एम.पी. लैड है, कहीं एम एल ए लैड है, कहीं अनटाइड फण्ड है, आज मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को, कि हर पंचायत में, हर पंचायत समिति में और हर जिला परिषद में अनटाइड फण्ड का 10-10, 15-15 लाख रुपया ग्राम पंचायत में, 50 लाख रुपये के आस-पास पंचायत समितियों में, करोड़-दो करोड़ के बीच में जिला परिषदों में दिया है। आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतना पैसा ग्राम पंचायतों के पास काम करने के लिये आया है। इसमें एक हिस्सा राशि ग्राम पंचायत की अभिशंसा और उसको छूट हो कि वह किसी भी कार्य पर खर्च करे। अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि हम अलग-अलग स्कीमों में ग्रेवल सड़क की भी मरम्मत नहीं करा सकते, आज सरपंच के सामने कोई दिक्कत है, उसको लग रहा है कि यह खड्डा पहले भरना जरूरी है या ग्रेवल सड़क की मरम्मत पहले होना जरूरी है, कहीं पानी भर रहा है, उसको लेवल करने की जरूरत है, तो वह काम उसकी अभिशंसा पर हो। हम पंचायत में 10 लाख रुपये दे रहे हैं, हम पंचायत में 15 लाख रुपये दे रहे हैं, उसमें एक-डेढ़ लाख रुपये सरपंच अपनी अभिशंसा से, चाहे उसको सफाई में खर्च करे, चाहे ग्रेवल सड़क की मरम्मत पर खर्च करे, चाहे कहीं कोई नाले का कटाव हो गया, उसकी रिपेयर पर करे, इस प्रकार की उसको छूट होनी चाहिये।

(श्री टीकाराम जूली)

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंचायती राज का जो सपना राजीव गांधीजी ने देखा था, उन्होंने 73वां संविधान संशोधन किया और एक ऐसी पावर बाडी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बनाईं, पर आज स्थिति यह है कि जिला परिषद की मीटिंग में तो लगभग सब अधिकारी आते हैं और उसका पूरा पालन होता है, लेकिन पंचायत समिति की मीटिंग में अधिकारियों द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, कभी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायतों की स्थिति यह है कि वहां तो कोरम ही पूरा नहीं होता है। वहां लगातार साइन करवाकर, खानापूर्ति कराकर केवल कागज पूर्ति की जाती है। तो उस पर ध्यान दिया जाये।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने हर ग्राम पंचायत पर नरेगा भवन, हर पंचायत समिति पर राजीव गांधी निर्माण केन्द्र 25 लाख की लागत से, सभी प्रधानों के लिये गाड़ी, प्रमुख के लिये गाड़ी, बहुत बड़ा काम आदरणीय गहलोत साहब ने, आदरणीय मंत्रीजी ने किया है जिससे कि सीधा जुड़ाव आम आदमी का इनसे हो पायेगा।

साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि इसी सदन में दो वर्ष पूर्व मैंने कहा था कि ग्राम पंचायतों का भी शहरों के पैटर्न पर मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान पिछली साल बना, पर सिर्फ हमने पूर्ति यह कर ली कि ग्राम पंचायत में ये-ये काम हैं और ये-ये काम होंगे, हम यह तय नहीं कर पाये कि कौनसा काम पहले होगा, कौनसा काम बाद में होगा; श्मशान घाट की जगह कौनसी रिजर्व रहेगी, रोड की जगह कौनसी रिजर्व है, कहीं पर अगर खनन हो रहा है तो उस खनन के रास्ते क्या रहेंगे, एक धर्मशाला बनेगी तो कहां बनेगी, सामुदायिक भवन बनेगा तो कहां बनेगा। हम आज तक यह तय नहीं कर पाये। हम अपनी मर्जी से या सरपंच अपनी मर्जी से अपना पक्ष रख लेता है, कोई अन्य व्यक्ति अपना पक्ष रखकर जिस चीज को भी जहां मर्जी चाहे, वहां बना लेता है। इसके लिये भी एक मापदण्ड तय हों।

मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि आज हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नरेगा भवन दिया है, 10 लाख रुपये की लागत से है, उसमें बैटरी है, सौर ऊर्जा का है, कम्प्यूटर रखे जायेंगे, पर हमने उसमें कहीं कोई चौकीदार की व्यवस्था के लिये कुछ नहीं किया है कि इस पर एक चौकीदार रहे। मैं चाहूंगा कि जो नरेगा भवन बने हैं, उन पर एक चौकीदार, कम्प्यूटर,

(श्री टीकाराम जूली)

इंटरनेट से तुरन्त हम उसको जोड़ें, क्योंकि हमारे बनाने से ही कोई यह नहीं है कि हमने बना दिया और हमारा काम खतम। कम्प्यूटर से जुड़ें, साथ ही उनमें पानी की व्यवस्था हम सुनिश्चित करें।

साथ ही एक चीज और कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी मैं इसे चूक भी कह सकता हूं कि हमने 10 लाख रुपये की लागत से नरेगा भवन तो दिया है, लेकिन कहीं भी उसमें हमने टायलेट का प्रावधान नहीं रखा। एक जो सबसे जरूरी चीज है, इसके साथ जुड़नी चाहिये थी, इसके साथ ही बननी चाहिये थी, उसको हम भूल गये। वे बनें और इसमें फर्नीचर आये, इसकी चारदीवारी बने और चारदीवारी के अन्दर वृक्षारोपण हम इसमें कर सकते हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में कहा है कि राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का हम सुदृढ़ीकरण करेंगे, तो उसमें ये चीजें आप जरूर इसमें दें।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने ग्राम पंचायतों में ठेका प्रथा शुरू कर दी कि ठेकेदार उसमें टेण्डर लगायेगा, फिर उसमें वह अपनी रेटें डिसाइड करेगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज से पहले सरपंचों ने खूब ईमानदारी के साथ काम किया है, बड़े-बड़े काम ग्राम पंचायतों के द्वारा किये गये हैं और खास तौर से मैं कहूं कि जो काम पी डब्ल्यू डी पांच लाख रुपये में करती है, वही काम उससे अच्छी गुणवत्ता का ग्राम पंचायत तीन लाख रुपये में कर देती है, किया है। आज ऐसी स्थिति है कि हमें सरपंचों पर विश्वास नहीं है और हमने कह दिया कि हम ठेकेदार बीच में लायेंगे। आप यह मानो कि ठेकेदार कोई गलत काम भी नहीं करता है, पर फिर भी एक कड़ी बीच में ठेकेदार की आ गयी, वह भी अपने बच्चों का पेट पालता है, तो वह भी उसमें कुछ न कुछ अपनी कमाई करेगा। वह रेशो इसी पंचायत की जो राशि है, उसी में से तो जा रहा है। तो उसको भी हमें देखना है कि बीच में ठेकेदार नहीं आये। बी एस आर की जो हमारी रेट है, उसमें ग्राम पंचायत टेण्डर कराये; ई-टेण्डर जो भी आप चाहते हैं, टेण्डर करके वे पर्चेज करें। पर्चेजिंग तो आज भी ग्राम पंचायत ही कर रही है न, पर हमने एक नया आदमी और बीच में बिठा दिया, ठेकेदार को और आज स्थिति यह है, मैं हकीकत जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि आज सरपंच ही सारा काम कर रहा है। टेण्डर भी खुद कर रहा है, पर्चेज भी खुद ही कर रहा है पर वह ठेकेदार के बिल के नाम की जो एक हिस्सा राशि है न, वह आप लोगों ने उसमें बढ़वा दी। आप लोग जरूर उसमें संशोधन करें।

(श्री टीकाराम जूली)

एक चीज और है, मेरे क्षेत्र में भी यह कई जगह है, सभी जगह तो नहीं है लेकिन कई ग्राम पंचायतों में आज स्थिति यह है कि जो अमानत राशि सरपंच द्वारा दी जाती है, मान लो कि उसका पीरियड पूरा हो गया, अगला कार्यकाल आ गया, अगला सरपंच पुराने सरपंच की राशि को रोककर बैठा है, वह उसका भुगतान नहीं करना चाह रहा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ही कम समय में खतम करूंगा। तो उसका भुगतान नहीं करना चाह रहा। हम कोई व्यवस्था ऐसी दें कि जिस सरपंच ने पैसा लगाया है, जो उसकी अमानत राशि है, उसने काम करा दिया तो वह राशि तो उसको मिले।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय नौ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय नौ बजे तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय नौ बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 28, 41 व 50 पर विचार

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि कई बार कोई स्कीम बंद हो जाती है, सरकार ने कोई स्कीम चलायी, जैसे मैं जब जिला प्रमुख था तब एस.जे.आर.वाई. योजना चलती थी और जब नरेगा आयी तो एस.जे.आर.वाई. योजना बंद हो गयी, पर एस.जे.आर.वाई. योजना में उस समय जो काम मन्जूर थे, वे काम मन्जूर थे और काम चल रहा था, उनका 40 परसेंट भुगतान या 80 परसेंट भुगतान हो गया, उनका बचा हुआ भुगतान कहां से हो? आज स्थिति यह है कि उस स्कीम को बंद हुए तो चार साल हो गये, पर लोगों की उसमें भी राशि बची हुई है। तो इस प्रकार की पूरे राजस्थान में, क्योंकि अलवर की ही बात नहीं है पूरे राजस्थान में कई जगह ऐसी बंद हो गयीं और कई स्कीमें ऐसी हैं जो बंद हो गयीं, तो उनका भुगतान किसी अन्य स्कीम द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरीके से कराया जाय।

(श्री टीकाराम जूली)

साथ की साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज ग्राम पंचायतों में खनन होता है, उस खनन का सरकार का यह है कि कुछ हिस्सा राशि उस ग्राम पंचायत के लिए आती है और आज वह राशि हम जिला परिषद में भेज रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि जिस जगह खनन हो रहा है, जिस जगह के लोग दूषित वातावरण में रह रहे हैं, जिस जगह के रास्ते उस खनन की वजह से खराब हो रहे हैं, वह पैसा हम जिला परिषद में भेज दें, वह अपनी मर्जी से दें या पंचायत समिति में भेज दें, वह अपनी मर्जी से दे, यह तो कोई बात नहीं हुई। जहां कोई नुकसान है, जहां के लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उसका फायदा भी उसी ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए, यह मैं आपसे खास तौर से कहना चाहूंगा।

मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज अपना-काम-अपना-खेत योजना नरेगा के अन्दर चलायी जा रही है जिसमें किसान अपने खेत में काम करा सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस योजना के साथ अब किसान तो अपने खेत में काम करा सकता है? क्या सरकार अपना काम नहीं करा सकती? इसी योजना के तहत सरकार अपना काम कराये और खास तौर से जलदाय विभाग में जो हमारे वहां पर ट्यूबवैल हैं, हैण्डपम्प हैं और कोई टांका है, पी.एच.ई.डी. के जो काम हैं, और कोई सरकारी काम है, उसमें हम इस योजना के तहत आदमी रखें और वे आदमी ग्राम पंचायत का सहयोग करें, वह उसमें काम कराएं। उसमें दो आदमी या तीन आदमियों का प्रावधान कर ग्राम पंचायत पर सफाई कर्मी करने का भी होना चाहिए। आज वहां स्थिति यह है कि अगर किसी पशु की मौत हो गयी तो शहर में तो नगरपालिका वाले उठा कर ले जायेंगे, गांव में कौन उठाकर ले जायेगा? कहीं कोई ब्लाकेज है, कहीं रास्ते, नाली हैं, जब हम यह चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें तो हम गांवों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? गांवों की साफ-सफाई पर भी तो हमें ध्यान देना चाहिए। नगर निगम में सब जगह, नगरपालिका में सफाई कर्मी हैं तो ग्राम पंचायत में भी जितना हो सके, दो, तीन, चार, जितना आप कर सकते हैं उतने सफाई कर्मी आप वहां पर लगाएं।

इस योजना के तहत, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अब तो इसमें यही है कि जो गरीब है या जो बी.पी.एल. में है, जो एस.सी., एस.टी. का है, वह अपने खेत पर काम करा सकता है, अपना-काम-अपना-खेत योजना में यह चीज और जोड़ दी जाए कि जिनका अपना खुद का खेत है, आज लावणी

(श्री टीकाराम जूली)

की रेट बहुत ज्यादा हो गयी है, जो सरकारी योजना नरेगा है उसके तहत कोई अगर अपने खेत में भी काम कराना चाहे तो जो हम उसको डोला बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो लावणी, बुवाई के लिए भी तो हम कर सकते हैं। तो उसमें एक जरूरत है कि वहां पर अपन इस योजना में उनको भी जोड़ें।

इसमें मुख्य तौर पर एक जो समस्या आ रही है, वह यह आ रही है कि पक्के काम की नरेगा में, पहले-पहले पक्के काम हो गये, पहली साल में खूब पक्के काम हुए, दूसरी साल में राजीव गांधी सेवा केन्द्र आ गया और यह कह दिया कि रेशो नहीं बैठ रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो नरेगा एक्ट है, हालांकि यह कोई योजना नहीं है, यह है कि किसी को काम की जरूरत है तो हमें उसको काम उपलब्ध करवाना है, पर मैं यह चाहता हूं कि एक इतनी बड़ी योजना है, यह हम सब का भला कर सकती है और मैं तो जो इस सदन तक पहुंचा हूं यह देन भी नरेगा योजना की है। नरेगा में, मैं जिला प्रमुख था, खूब काम, गांव में गया और किसी ने कहा कि साहब, हमारे ग्रेवल सड़क की जरूरत है, हमारे नाले की जरूरत है, पुलिया की जरूरत है, वे काम सैंक्शन हुए और उन लोगों को फायदा हुआ और वे लोग जुड़े। माननीय सभापति महोदय, एक-एक पंचायत में दो-दो करोड़ रुपये के काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं, यह एक ऐसी योजना है पर आज स्थिति यह हो गयी कि जैसे ही सरपंचों का टाइम पलटा...(व्यवधान) कांग्रेस राज में तो जैसे ही टाइम बदला, तो सरपंच नये थे, वे समझ नहीं पाये और इसके बीच में ही बी.जे.पी. के समय में नरेगा में जो भ्रष्टाचार हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कि वे सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस के सरकार में आने के बाद में खुलें और जिसकी जो आप लोग चर्चा करते हो न, यह कांग्रेस सरकार के आने के बाद का एक भी मैटर आपको नहीं मिलेगा, सारा मैटर पुराना है। इसमें जो खरीद में कहीं भी कोई कमीशनबाजी हुई, जो अधिकारियों ने कहीं कोई ए.सी. लगाया, कोई किया, वे सारे बी.जे.पी. के टाइम के हैं। मैं आपको प्रूफ लाकर दे सकता हूं कि यह सारी जितनी भी खरीद हुई थी, जो जोब कार्ड बने थे, जो पालने खरीदे, जो तिरपाल खरीदने चाहिए थे, चुनरी, वे सारे पता नहीं, कहां गये, पर वे सारी चीजें आप लोगों को देखनी होंगी।

हमें खुशी है कि इस सरकार में नरेगा में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उस पर प्रतिबंध लगा और एक साफ-सुथरी योजना है। आज नरेगा में कोई यह नहीं कह सकता कि 'नरेगा, जो करेगा वो मरेगा और जो नहीं करेगा वो भी

(श्री टीकाराम जूली)

मरेगा;' आज नरेगा यह है कि 'नरेगा, हर गरीब का पेट भरेगा'। तो इसलिए इस योजना पर हम विश्वास जताएं।

खास तौर से पक्के कामों की जो मैं बात कर रहा था कि जिस ग्राम पंचायत में, उस ग्राम पंचायत का रेशो अगर साठ- चालीस का बैठ रहा है, हमें उस ग्राम पंचायत में, एक-दो कच्चे काम और एक-दो पक्के काम देने चाहिए। हम जोहड़ कब तक खोदते रहेंगे? जोहड़ ही खुद गये सारे, गहराई इतनी हो गयी कि आने वाले समय में भगवान ने चाहा और अगर अच्छी बारिश हो गयी, उनकी गहराई 20-20 फीट, 25-25 फीट हो गयी, उसमें कोई बच्चा या कोई भी उसमें गिर सकता है, डूब सकता है। आज यह नहीं है कि हम उन्हीं को खोदते जाएं, आज यह नहीं है कि ग्रेवल सड़कें जो बन गयीं, कितनी बार हम उन ग्रेवल सड़कों को बनायेंगे? हमें इसका विस्तार करना चाहिए। खास तौर से ग्राम पंचायत में कोई रास्ता तो ऐसा है कि जो सड़ रहा है और कोई रास्ता ऐसा है जिसे दोबारा हमें बनाना पड़ रहा है। इसलिए हम इसमें साठ-चालीस के रेशो में ईंट, खरंजा, इन्टरलाकिंग टाइल, सी सी रोड, जो भी अपन बना सकते हैं, उस पंचायत के लिए हम करें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसमें हम एम.एल.ए. लैड को डवटेल करके यह काम हम स्वीकृत करें। आज नरेगा में हमें साठ चालीस का रेशो जो बैठाना पड़ता है, अगर कहीं साठ चालीस का रेशो नहीं मिल रहा तो उसमें एम.एल.ए. लैड से सामग्री के मद में आप पैसा ले लें, लेबर कम्पोनेंट आप नरेगा में ले लें तो जो काम ढाई लाख का है वो ही काम साढ़े तीन लाख रुपये का आम आदमी के लिए, ग्राम पंचायत के लिए हम कर सकते हैं और नरेगा का मुख्य उद्देश्य है रोजगार उपलब्ध कराना, तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप करें।

खास तौर से एक चीज और कहना चाहूंगा कि बी.एस.आर. रेट है, आज हर जिले की अलग वहां की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं पत्थर सस्ता है, कहीं सीमेंट सस्ती है, कहीं कोई चीज महंगी है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो हमें वो चीजें देखते हुए हर जिले की बी.एस.आर. रेट अलग, उस पर समय-समय पर हो, आज एक बार बी.एस.आर. रेट तय हो गयी, पूरी साल निकल जाती है, पिछले साल के जो बी.एस.आर. रेट के काम मन्जूर थे इस साल तक अब नहीं हो पा रहे हैं। सरपंच कहता है कि, साहब, बी.एस.आर. रेट में इतना

(श्री टीकाराम जूली)

फर्क आ गया कि जो ईंट 2600 रुपये की आती थी आज साढ़े तीन हजार रुपये की आ रही है। तो वो गैप सरपंच कहां से पूरा करेगा? फिर सरपंच उसमें भांजी मारेगा तो हम कहेंगे कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हम पूरा पैसा दें। आज हम सीमेंट का पैसा कम दे रहे हैं, आज हम लोहे का पैसा कम दे रहे हैं, आज हम ईंटों का पैसा कम दे रहे हैं और सरपंच उसको पूर्ति करने के लिए कहीं मिट्टी फालतू दिखा रहा है, कहीं दूरी कम बत्ती कर रहा है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हम पूरे पैसे सरपंच को दें और पूरा काम उससे हम लें।

(19.00 बजे)

साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा इतना पैसा ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग का हर ग्राम पंचायत में जा रहा है, आज वह पैसा आप चैक क्यों नहीं करवाते कि जो सड़क दस साल चलनी चाहिए थी, आज वह एक साल में कैसे टूट गयी, पांच साल में कैसे टूट गयी? कितनी बार एक ही सड़क को हम बनाते रहेंगे? आज जनसंख्या बढ़ी है, आज गांवों का फैलाव बढ़ा है, आज गांव जितना लाल डोरे के अन्दर था उससे ज्यादा तो बाहर आ गया। तो ये चीजें भी हमें देखनी हैं कि उसी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा लगे। मास्टर प्लान की जो बात थी, वह इसीलिए थी कि एक रास्ता बन गया उसके बाद दूसरे का नम्बर आना चाहिए और जिस ग्राम पंचायत में जिस प्रकार की जरूरतें हैं, उस प्रकार से उसमें काम होना चाहिए।

आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पवन कुमार दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, आज मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या-50 और 51 पर हमें भी बोलने का मौका मिला, मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव निश्चित रूप से दूंगा।

सभापति महोदय, आज का मुद्दा आम गरीब का है जो गांवों में रहता है और हम सब भी अधिकांश गांव से निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। यह सरकार भी वैसे आम गरीब की सरकार है, आम अवाम की सरकार है। तो निश्चित रूप से आम अवाम की सरकार आम अवाम के लिए कुछ करे, यह हम उम्मीद रखते हैं।

सभापति महोदय, जनवरी, 2011 में राज्य सरकार ने मजदूरों की

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

न्यूनतम मजदूरी सौ रुपये से बढ़ाकर 135 रुपये की थी लेकिन उसके बाद महंगाई में आज पच्चीस प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ोतरी हो गयी है। इसलिए हमारी मांग है कि उस पच्चीस प्रतिशत, जिस प्रकार से महंगाई दर बढ़ती जा रही है तो आप भी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से गांव में बैठा हुआ वह आम आदमी, नरेगा जैसी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं जिनका सीधा सा मकसद था कि जो गांव से पलायन करके शहरों की तरफ आ रहे थे वह पलायन रुके, गांव में उनको रोजगार मिले ताकि वे गांवों में रहें, मगर उनकी न्यूनतम मजदूरी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया और आज की महंगाई के अनुरूप उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं दुबारा फिर पलायन की बात सोचेगा, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ करेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ 16 नवम्बर, 2010 को राज्य सरकार व मजदूरों के मध्य एक समझौता हुआ था। इस समझौते में सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान की तरफ से श्रीमती अरुणा राय, श्री निखिल डे, आदि ने भाग लिया, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से भी मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, एवं आयुक्त नरेगा ने भी भाग लिया। इस समझौते के अनुसार भारत सरकार द्वारा नरेगान्तर्गत निर्धारित मजदूरी मूल्य दर को सूचकांक के आधार पर निर्धारित किये जाने के सैद्धान्तिक निर्णय उपरान्त राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय लिया गया था। परन्तु, सभापति महोदय, उस निर्णय पर सरकार वादा-खिलाफी कर रही है। सरकार को उस निर्णय को तुरन्त लागू करना चाहिए।

सभापति महोदय, यदि राज्य की न्यूनतम मजदूरी को सरकार बढ़ाती है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा में मिलने वाली राशि भी बढ़कर मिलेगी जिससे राज्य के करोड़ों मजदूरों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न राज्यों की न्यूनतम मजदूरी को ही मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी घोषित करने का इरादा रख रही है। सभापति महोदय, वैसे तो पिछले डेढ़ साल में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन बार बढ़ा, अच्छी बात है, महंगाई के अनुसार मंहगाई भत्ता बढ़े, लेकिन

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

मजदूरों की मजदूरी जनवरी, 2011 से आज तक इन्होंने एक बार भी नहीं बढ़ाई। इसलिए मेरी मांग है कि आम अवाम की सरकार मजदूरों के सम्बन्ध में अपना जब माननीय मंत्रीजी वक्तव्य दें तो इस ओर अपना ध्यान दें।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव है, महात्मा गांधी नरेगा में समस्त उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का है और ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम और द्वितीय परियोजना अधिकारी की भूमिका शून्य रह जाती है। जबकि इस योजना में अलग से अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक लेखाधिकारी को पदस्थापित किया हुआ है। यदि सरकार अधिशासी अभियन्ता को ही ए डी पी सी बनाए तो प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और अधिक सुदृढ़ ढांचा तैयार हो सकता है। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजना है, फिर इसी विभाग के अभियन्ताओं को पदोन्नत न करते हुए अन्य विभाग के अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का विलय किया जा चुका है। राज्य व जिला स्तर पर अलग-अलग अधिकारी, लेखा कर्मी, अभियन्ता स्थापना, आदि की व्यवस्थाएं संचालित हैं। सरकार सम्पूर्ण विलय कर अलग-अलग पदों पर हो रहे व्यय को कम कर सकती है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाके में विकास कार्य ठप पड़े हैं। यह हम सब जानते हैं, चाहे पक्ष का विधायक है, चाहे विपक्ष का विधायक है, बी एस आर दरों को लेकर आज हमारा ग्राम का मुखिया, सरपंच पूरी तरह असमंजस की स्थिति में हैं जिससे पूरे के पूरे गांवों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। इसी बात को लेकर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सामग्री क्रय प्रक्रिया के सम्बन्ध में इन्दिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में 28 मार्च, 2012 को माननीय मंत्रीजी एवं सरपंच एसोसिएशन के मध्य इनका समझौता हुआ। इसी सामग्री क्रय के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने अपने कुछ सुझाव भी दिये, कुछ नियम बताएं, इन्होंने पिछले वर्ष के टेंडर का आदेश दिया कि उसी टेंडर के आधार पर माल सप्लाई किया जाए ताकि गांवों में निर्माण कार्य हों। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पिछले वर्ष के टेण्डर को लागू करें तो इनका रेशो फिर गड़बड़ा जाएगा और वैसी स्थिति में, काम फिर उसी हालत के अन्दर आ जाएगा, जो पूरा काम

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

रुका हुआ है। इसलिए इन्होंने जो तीन महीने के लिए काम को रोका है, आज हमारा मजदूर भी गांवों में फ्री है, अगर ये काम को ज्यादा समय रोकेंगे तो फिर आगामी समय फसल का टाइम आ जाएगा और काम करने के लिए मजदूर इनको नहीं लेगा। इस आधार पर मुझे लग रहा है कि जो इनकी टेण्डर प्रक्रिया है, सामग्री क्रय प्रक्रिया है, यह, माननीय मंत्रीजी, आप जिला लेवल पर न करवाएं। जिला लेवल पर करवायेंगे तो आगे फिर आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज जिले की स्थिति भी 150-150 किलोमीटर दूर है; गांवों के अन्दर एक जगह की भौगोलिक स्थिति तो कैसी है और जिला मुख्यालय की कैसी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि पंचायत समिति स्तर पर तैयार बी एस आर दरों के अनुरूप ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर ही निविदाएं कर सामग्री आपूर्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

माननीय सभापति महोदय, पंजीकृत सामग्री आपूर्तिदाता का पैनल पंचायत समिति स्तर पर तैयार किया जाकर ग्राम पंचायत को पैनल अनुरूप अपनी स्थानीय मांग अनुसार सामग्री आपूर्ति कराए जाने के आप विभागीय आदेश दें। तो इस प्रकार गांवों का विकास होगा। जिला लेवल पर अगर करोगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा और गांवों का काम फिर रुकेगा।

इसके साथ-साथ आपसे एक और मांग करेंगे। सभापति महोदय, कुछ हमारा गंगानगर जिले का मामला है, महानरेगा के अन्तर्गत इसी के अन्दर अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 2008 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 168 डिग्गियां इन्होंने गंगानगर जिले में लघु किसान, सीमान्त किसान के लिए सिंचाई के लिए खोदी थीं मगर 168 डिग्गियां 2008 के बाद में आज भी वैसी ही पड़ी हुई हैं। तो, माननीय मंत्रीजी, जब आप जवाब दें तो इस बात पर अपना ध्यान जरूर दें, हमें बताएं। आम जो लघु किसान है, उसके पास बड़ी मुश्किल से आठ-दस बीघा जमीन है। ऐसी स्थिति में एक बीघा जमीन को हमने खोद लिया है, दूसरे में हमने मिट्टी डाल दी है। पिछले चार साल से दो बीघा हमारी खराब है। कितना भारी किसानों को नुकसान हुआ है। आज आप उसी मनरेगा के अन्तर्गत किसान को यह कह रहे हो कि मात्र डेढ़ लाख रुपया लो और इसका निर्माण कराओ, जो किसी भी सूरत में सम्भव नहीं है। इसलिए मंत्रीजी जवाब दें तो इस बारे में आप कोई संशोधन करें या कम से कम यह आदेश दे दें कि जो डिग्गियां आपने खुदाई हैं, उनको वापस बूरने

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

का काम करें ताकि यह डेढ़ लाख रुपया हमारा उधर लग जाए और वह किसान बच सके।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। गंगानगर जिले में ज्यादातर लोग ग्रामीण ढाणियों में रहते हैं, उस इलाके में सिंचाई जैसी समस्याएं हैं, पानी की पिलाई की बंदी आती रहती है इसलिये नरेगा के अन्दर पेयजल डिग्गियों के लिये अगर हमें सरकार ज्यादा से ज्यादा सुविधा देती है तो निश्चित रूप से उन मजदूरों को और उनको फायदा मिलेगा।

हमारे पूर्व साथी ने भी यह कहा था कि नरेगा के अन्दर सहायक सचिव होते हैं जो जे टी ओ लगे हुए हैं, मगर आज वे असमंजस में हैं। समय पर वेतन नहीं मिलता, काम अधिक है। ऐसी स्थिति में उस पर आप प्रभावी कार्यवाही करें। समय पर वेतन मिले, उनका वेतन बढ़ाएं और राज्य सरकार अगर उनको कहीं स्थायी करती है तो राज्य सरकार को ही फायदा है। वे कम रुपयों में आपकी अधिक सेवा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ नरेगा के अन्तर्गत मेरा सुझाव है कि हमारे पूरे जिले के अन्दर जितनी भी वाटर वर्क्स की डिग्गियां हैं, सारी की सारी खराब पड़ी हैं, बुरी हालत के अन्दर हैं। लम्बा समय हो गया। तो आप यह आदेश फरमाएं, नरेगा के अन्तर्गत इन पानी की डिग्गियों की कम से कम सफाई तो हो ताकि गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके।

अंत में मैं यह मांग करता हूं कि जिला परिषद् और पंचायत समिति के जितने भी सदस्य जीतकर आते हैं, वे तमाम सदस्य, एक जिला प्रमुख और प्रधान को चुनने तक ही उनकी भूमिका होती है। वे अपने आपको न्यूट्रल महसूस करते हैं, गांवों में जाने के लायक नहीं रहते। गांवों की जनता उनसे बहुत मांग करती है। हम यह नहीं कहते कि उनको मानदेय दिया जाए, कम से कम आप यह नियम बनाओ कि जितना कुछ फण्ड है, उनकी अनुशंसा पर हो। वे भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी सम्मान हो सके। मैं खुद पंचायत समिति का प्रधान रहा हूं और अभी सभी साथी कह रहे थे, कोई प्रमुख रहे हैं, कोई प्रधान रहे हैं, हम सब उन लोगों से जीतकर, इलेक्ट होकर ही प्रधान और प्रमुख बने हैं, उनका मान-सम्मान रहे ताकि जन-प्रतिनिधियों का भी मान-सम्मान बढ़े।

मैं उम्मीद करूंगा, मंत्रीजी, जब आप जवाब दें तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जवाब में शामिल करें। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 28, मांग संख्या 41 और मांग संख्या 50, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास और ग्रामीण रोजगार पर काफी सदस्यों ने चर्चा की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने अपनी सरकार में पंचायती राज को मजबूत करने के लिये जो कदम उठाये हैं, मैं समझता हूं, उससे पंचायती राज मजबूत होने जा रहा है। पूर्व में हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने जो बात कही थी कि हम केन्द्र से पंचायतों के लिये सौ पैसा भेजते हैं, पंचायतों तक पहुंचते-पहुंचते वास्तविक रूप से उनको दस पैसा ही मिलता है। आज केन्द्र की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने जो कड़े कदम उठाये, जो उनका सपना था कि हम केन्द्र से जो पैसा भेज रहे हैं वह पूरा का पूरा पैसा सीधा पंचायत को मिले, इसके लिये मैं केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। किसी भी योजना का पैसा हो, आज सीधे पंचायतों के खाते में राइट हो रहे हैं, उन खातों को आनलाइन कर दिया है। जो सेण्टर के बाद में स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या ब्लाक, उसके बाद ग्राम पंचायत होती थी, उन सब चीजों को खतम करके आज जितना भी पंचायत का जो हिस्सा है, वह सीधा पंचायत के खाते में जा रहा है; जितना भी पैसा जो केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार पंचायतों को देती है, वह पूरा का पूरा पैसा पंचायतों के अन्दर खर्च हो रहा है। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है।

इसके साथ, मुख्य मंत्रीजी ने अपने पूर्व काल में भी पंचायतों को मजबूत करने के लिये 29 विभाग दिये थे। उस समय मैं भी पंचायत समिति का प्रधान था। उसमें काफी जो फंक्शंस हैं, काफी चीजें पंचायतों में सुधार करने वाली, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे सड़क से जुडा विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, ये सारे विभाग जो डायरेक्ट ग्रामीण विकास से जुड़े हुए थे, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिये ये विभाग हैं, इन सभी विभागों को मुख्य मंत्रीजी ने दिया था। जैसे ही सरकार बदली, तो उसी समय इन सभी विभागों को धीरे-धीरे पंचायतों से हटा दिया। इससे पंचायती राज विभाग पंगु हो गया और पंचायती राज संस्थाएं जो मजबूत होनी चाहिये थीं, वे मजबूत नहीं हुईं।

आज पुन: जो 5 विभाग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंचायती राज संस्थाओं को दिये हैं, मैं समझता हूं, इससे जो भी गांवों में काम करने वाले

(श्री शाले मोहम्मद)

विभाग हैं, वे विभाग उन्होंने वापस पंचायतों को दे दिये। गांव में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी डायरेक्ट सरपंच, वार्ड पंच, सभी को जानकारी रहती है कि आज गांव में ए एन एम है कि नहीं है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है कि नहीं है, अध्यापक वहां है कि नहीं है। इससे, मैं समझता हूं, पंचायती राज विभाग मजबूत हुआ है।

खास तौर से कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। आज काफी सदस्यों ने महानरेगा योजना की चर्चा की है और मैं भी इस योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि यह योजना वास्तव में बहुत ही शानदार योजना है। सोनियाजी ने जो कहा था, अपने घोषणा पत्र में जो वायदा किया था, उस वायदे को कानूनी जामा पहनाकर आज लोगों को रोजगार देने की बात कही। आज वास्तव में लोगों को सौ दिन का बहुत अच्छा रोजगार लोगों को मिल रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी काफी सदस्यों ने चर्चा भी की है, गांव के अन्दर, गांव के काफी लोग अनपढ़ भी हैं, नरेगा में वे सब चीज जानते भी नहीं हैं। आज आपको आवेदन करना है, 6 नम्बर फार्म भरकर देना है, काफी लोग अपना फार्म दे नहीं पाते। ग्राम सेवक, सहायक ग्राम सेवक या सरपंच उन लोगों को 6 नम्बर फार्म के बारे में उन लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं देते हैं। लोगों की अभी भी स्थिति यह है कि अकाल राहत के जो पहले काम चलते थे, उसी प्रकार अकाल राहत की योजना चल रही है, जबकि इसका एक कानूनी एक्ट बन गया कि आपको सौ दिन का रोजगार तो सरकार देगी। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जगह लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाये। लोगों को रहता है कि सरकार काम खोलेगी, तब हम जाकर काम करेंगे, पर वास्तव में यह स्थिति नहीं होती है। हम लोग पंचायत समिति की मीटिंग में, जिला परिषद् की मीटिंग में या बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में आंकड़े देखते हैं कि नरेगा में जिले के अन्दर 20 परसेंट काम होता है, पिछली बार देखा तो हमारे जिले में 25-27 परसेंट ही काम हुआ था, जबकि वास्तव में 80-90 परसेंट काम होना चाहिये था, वह काम नहीं हो पाता था। लोगों को सौ दिन का, जो सौ दिन का रोजगार देना था वह सौ दिन पूरे नहीं हो पाते थे। इसमें सुधार लाना चाहिये। ग्राम सेवक, सहायक ग्राम सेवक और सरपंच को पाबंद करें कि जो भी आपके दायरे के काम हैं, उन कामों को कम से कम, मान लो, उनके वर्षा, अभी मौसम नहीं है, यदि रबी और खरीफ की फसलें, ये तीन-चार महीने छोड़ दें, उसके बाद जो दिन हैं उनमें

(श्री शाले मोहम्मद)

कम से कम लोगों को रोजगार देने के लिए उनके पास जाएं, उनको बताएं योजना के बारे में, उनको यह प्रेरित करें कि आप काम पर लगो, तो लोग आने को तैयार रहते हैं। सिर्फ उनकी जानकारी के अभाव की वजह से वे लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए गांवों में जब हम लोग जाते हैं तो वे अपनी पीड़ा बताते हैं कि सरकार ने तो काम शुरू नहीं किया, हमको तो काम मिला नहीं। जब यह बात हम सुनते हैं तो वास्तव में यह महसूस होता है कि हम तो काम देना चाहते हैं पर लोगों को वास्तव में काम नहीं मिल रहा।

दूसरी चीज, जो अभी सरपंचों के साथ में टेण्डर प्रक्रिया है, इस टेण्डर प्रक्रिया से सरपंचों को और लोगों को, जो हम रोजगार देना चाहते हैं उसमें दिक्कत आ रही है। क्योंकि ग्राम पंचायत के अन्दर जो भी आदमी टेण्डर ले रहा है, वह टेण्डर जो हमेशा सरपंच के सामने चुनाव लड़ा है वह व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराकर के कोशिश करता है कि मैं टेण्डर लूं, कई जगह वह टेण्डर भी लेता है, बाद में उनकी हमेशा ये ही रहती है कि इस सरपंच के कार्यकाल में काम नहीं होना चाहिए। इसलिए इस सोच को देखते हुए जब भी वे काम शुरू होते हैं तो वह कभी अपनी सामग्री नहीं डालता, मान लो, किसी ठेकेदार को बजरी डालनी है या पत्थर डालने हैं या सीमेण्ट लानी है, तो सही टाइम पर वह लाएगा नहीं। उससे क्या है, सरपंच हताश हो जाता है। फिर सरपंच देखता है कि सामने वाली पार्टी ने तो टेण्डर ले लिया और वह बजरी, सामान डालेगा नहीं, मैटेरियल डालेगा नहीं, काम होगा नहीं। तो उस योजना का जो अपन चाहते हैं, काम हो नहीं पाता। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपकी टेण्डर प्रक्रिया पूर्व में चल रही थी उसको पुन: लागू किया जाये ताकि जो आप चाहते हो, सरकार जो चाहती है, उसका वास्तव में सरपंचों को लाभ मिलना चाहिए। हम काम भी देखना चाहते हैं। यहां जो विपक्ष के साथी कहते हैं कि आज पंचायतों में काम नहीं होते, सबसे बड़ी बात यह है कि काम तो होते हैं, पैसा तो खूब है आज नरेगा के अन्दर, पिछली बार हमने देखा है कि यह योजना इतनी शानदार है कि जो 5 साल के अन्दर दो-दो, तीन-तीन करोड़ रुपये खर्च होते थे, आज एक साल के अन्दर तीन-तीन, चार-चार करोड़ रुपये सरपंचों का प्लान बन रहा है। यह बड़ी अच्छी बात है कि आज जितना भी हम काम कराना चाहते हैं, उतना काम हो सकता है। यह जो टेंडर प्रक्रिया बीच में पड़ती है, उसकी वजह से यह सब काम जो होने चाहिए, वे नहीं हो पाते हैं।

(श्री शाले मोहम्मद)

सभापति महोदय, दूसरी जो अपना-खेत-अपना-काम योजना है, इसमें भी डेढ़ लाख का काम आप व्यक्तिगत दे रहे हो, इसमें भी काफी अच्छा काम हो रहा है। इसमें भी लोगों को प्रेरित करके जो प्लान आप बना रहे हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा काम जोड़ें ताकि उन लोगों को इसका अच्छा फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जलदाय विभाग में कई कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। यदि वास्तव में हम रोजगार देना चाहते हैं और लोगों को पानी भी अच्छा मिले, सही चीज मिले, तो नरेगा को जलदाय विभाग के साथ जोड़ना चाहिए। पूर्व में इस प्रकार से होता था। पहले भी एस जी वाई योजना में या अन्य योजना में जो वहां के मजदूर हैं उनको जलदाय कर्मचारियों के साथ जोड़कर लगाते थे। वह जलप्रदाय योजना भी थी और जो पाइप लाइनें थीं, उनके लीकेज भी ठीक कर लेते, लोगों को गांव में पानी भी मिल जाता था। उससे अच्छा माहौल भी बना रहता था। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वापस नरेगा के अन्दर भी जलदाय कर्मचारियों की जहां कमी है, वहां पर वे लगें।

श्री सभापति: कोई नया सुझाव हो तो दो।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय, यह नया सुझाव है, यह सुझाव मेरे सिवा किसी ने नहीं दिया। जरूरी चीजें हैं, इसलिए कह रहा हूं। आज पंचायती राज पर वाद-विवाद हो रहा है और यह गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये चीजें कह रहा हूं।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे नरेगा है या अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आपके जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत समिति का प्रधान हो, चाहे जिला परिषद का जिला प्रमुख हो, उन लोगों को आपने सिर्फ प्लान अनुमोदन करने तक ही जोड़ा है। जो जन प्रतिनिधि हैं उनको डायरेक्ट योजनाओं के साथ जोड़ें। उनकी चाहे मानिटरिंग हो, चाहे चैक सिस्टम हो, सभी कामों में उनकी मानिटरिंग रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं या अन्य योजनाएं हैं, वे सब योजनाएं अच्छी चलेंगी।

सभापति महोदय, इसके अलावा जो जल ग्रहण योजना है, वह भी बहुत

(श्री शाले मोहम्मद)

अच्छी योजना है। मैं मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जैसलमेर में जल ग्रहण के अन्दर आई डब्ल्यू एम पी योजना के अन्दर काफी अच्छा काम हुआ। काफी परियोजनाएं वहां पर चल भी रही हैं। मैं समझता हूं कि अभी जो आपकी आई डब्ल्यू एम पी योजनाएं बनी हैं, उसमें हमारे लिए जो परिस्थितियां हैं, वे परिस्थितियां अलग हैं। राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, जैसलमेर जिले की जो आपसी दूरियां हैं वे बहुत ज्यादा हैं। ग्राम पंचायत से गांव की दूरी 50-50, 60-60 या 100-100 किलोमीटर है। अब आपने यह चीज कह दी कि जो कमेटी बननी चाहिए वह एक ग्राम पंचायत की कमेटी बननी चाहिए, अब ग्राम पंचायत की कमेटी बनती है तो ग्राम पंचायत के लोग ही उसमें काम करते हैं, 50 किलोमीटर दूर जाकर के वे उस गांव में काम नहीं करते। सभापति महोदय, मैं कुछ आपका समय लेना चाहूंगा, उससे क्या है, वास्तव में वहां के जन-प्रतिनिधियों की मांग है कि गांव की जो जल ग्रहण कमेटियां हैं, वे पृथक-पृथक बननी चाहिए, हर गांव की अलग समिति होनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। यदि पृथक-पृथक समितियां होंगी तो ही मैं समझता हूं कि आपकी जल ग्रहण योजनाएं चलेंगी।

सभापति महोदय, इसके अलावा, अभी जो आपका आदेश निकला है, क्षेत्रफल की दृष्टि को नहीं मानकर के, एस.सी., एस.टी. की आबादी को मानकर के योजना दे रहे हो। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, वे सात-आठ बिन्दुओं पर हैं। सात-आठ बिन्दुओं में जो भी जिस जिले की स्थिति है, उसके आधार पर करें। मैं यह नहीं कहता कि एस.सी., एस.टी. के अनुपात को मत देखो, लेकिन जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो उसकी भी भागीदारी हो, उसका जितना हक बनता है वह हक दें। हमारे जिले की स्थिति भिन्न है, तो हमारा भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाये।

सभापति महोदय, इसके अलावा सभी सदस्यों ने कहा है कि पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। मैं भी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार अमीन साहब ने और भरत सिंहजी ने कोशिश की पुनर्गठन पर काम करने की, काम होते-होते बीच में रुक गया। आज हमारे जिले की स्थिति यह है कि हम कहते हैं कि ग्राम सभा के अन्दर गांव के लोग जाने चाहिए, आज अगर 100 किलोमीटर पंचायत दूर है तो वहां से आदमी चलकर ग्राम सभा में कब पहुंचे। वहां तक आदमी पहुंचता नहीं है। उससे ग्राम सभा में जो भी योजनाएं

(श्री शाले मोहम्मद)

हैं उनकी जानकारी वह नहीं ले पाता है, चाहे पेंशन की बात आये तो उसमें अपना फार्म दे नहीं पाता है। जो भी पंचायत लेवल पर काम होना चाहिए वह नहीं हो पाता, वहां तक ना कोई रूट की बस चलती है, ना आने-जाने का कोई साधन होता है। इसकी वजह से सही टाइम पर वह पहुंच नहीं पाता है। आज 2011 की जनगणना भी आ गयी है, मंत्रीजी, आपके कार्यकाल में आप आज ही आदेश जारी करें, आप पंचायतों का पुनर्गठन करावें ताकि वास्तव में जो लोग इससे भुगत रहे हैं, उन लोगों को भुगतना नहीं पड़े। लोगों का वास्तव में हक बनता है, इतने साल तक परिसीमन नहीं हुआ है तो परिसीमन जल्दी हो। हम जहां भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने पुनर्गठन की बात की थी, पुनर्गठन नहीं हो रहा है। मुझे आशा है कि मंत्रीजी इस पर कदम उठायेंगे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य जो आपकी योजनाएं हैं, चाहे पिछड़ा जिला ग्रांट, चाहे सीमा क्षेत्र विकास, सब योजनाएं जैसलमेर में हैं। मैं चाहता हूं कि इन योजनाओं में और अधिक आप पैसा दें। हमारे क्षेत्र में पिछली बार पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी आयीं, वहां पर नहरी क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग है, उस बड़े भाग में उन्होंने घोषणा की कि जो भी कच्चे नेटल हैं, उन सबको पक्के कर देंगे। हम भी खुश हुए कि उन्होंने एक घोषणा की है तो हो जायेंगे, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, वे वापस आयीं तो उन्होंने नरेगा में आदेश निकाल दिये कि नरेगा से की जाये। वह बीच में रह गये। जो भी लोग वहां रह रहे थे, वे बाहर के लोग थे, उनके जाब कार्ड बने हुए नहीं थे और काम हो नहीं पाये। हम चाहते हैं कि जैसलमेर में नहरी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आप जो कच्चे नेटल हैं, जहां खाले को कवरिंग करने के डाट सिस्टम हैं, उन चीजों के लिए आप अलग से पैसा दें ताकि नहरी क्षेत्र में भी लोगों को उनका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, इसके अलावा भी दूसरी काफी ऐसी चीजें हैं, अनटाइड फंड के पैसे की बात है, मेरे साथी जूली साहब ने भी आपको कही, इसके लिए भी पंचायतों को पैसा आप अलग से दें। अनटाइड का पैसा जो जरूरी चीजें हैं उनमें लगना चाहिए। दूसरा जो एमएलए लैड है, उसमें भी एक लिमिट कर दी है कि सामुदायिक भवन है, मान लो, एक सामुदायिक भवन बना हुआ है तो उसके अतिरिक्त आप एस.सी., एस.टी. के लिए एक भवन बना सकते हो। इसके अलावा नहीं बना सकते। गांवों में हम जाते हैं तो लोगों की मांग रहती है। गांव में एक से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव वाले चाहते हैं कि

(श्री शाले मोहम्मद)

यह भवन बने। इस योजना में जो आप रोक लगाकर बैठे हो, यह रोक इस योजना में नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों की मांग है तो हम भी उन लोगों को दे सकें। लोगों की आशाएं रहती हैं कि हमको कुछ मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज पंचायतों के पास जो आय के स्रोत हैं वे बहुत कम हैं। पंचायतों के पास आय के स्रोत होने बहुत जरूरी हैं। मेरे से पूर्व सदस्य ने भी कहा कि पंचायतों के अन्दर जो खनन से रायल्टी आ रही है या अन्य चीजें हैं, उनमें आय के लिए कुछ होना चाहिए। पंचायतों को मजबूत करने के लिए, अन्य काम करने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। कई पंचायतें ऐसी हैं जहां जिप्सम निकल रहा है, उसका कुछ पंचायतों को पैसा मिल रहा है, कुछ पैसा जिला परिषद को मिल रहा है। डायरेक्ट पैसा पंचायत को मिले ताकि पंचायत के लोग जो चाहते हैं, वे अपना काम कर सकें।

इसके अलावा, मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्यों ने कहा है, उनकी तरफ भी मैं मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करूंगा कि चाहे पंचायतों का पुनर्गठन हो, चाहे अन्य योजनाएं हों, उन सभी योजनाओं को लागू करें। समय की कमी को देखते हुए जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुखराम।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, मांग संख्या 28, 41 और 50 पर सभी ने अपने विचार रखे हैं। विकास की जो मूल इकाई है वह ग्राम पंचायत है और जन-प्रतिनिधियों की जो मूल इकाई है वह वार्ड पंच है। वहीं से जन प्रतिनिधि आगे बढ़ता है, ग्राम पंचायत से ही विकास की बागडोर आगे बढ़ती है लेकिन आज विकास की यह बागडोर सिर्फ बागडोर बनकर रह गयी है।

सभापति महोदय, कहने को तो सरपंचों को 6 विभागों के अधिकार दे दिये लेकिन आज एक आकलन करवाया जाये कि पूरे राजस्थान में आज कितने सरपंच हैं जिन्होंने अपने इस अधिकार का उपयोग किया? अगर वे उपयोग करना भी चाहें और प्राइमरी स्कूल में जायें और अध्यापकों के हाजिरी के रजिस्टर को अगर मांगें तो मैं समझता हूं कि प्रधानाध्यापक वह रजिस्टर

(श्री सुखराम)

देने में भी आनाकानी करेगा। तो फिर क्यों ऐसे विभाग ट्रांसफर किये? अगर आपने विभाग ट्रांसफर किये हैं तो उनको इतना सशक्त बनाया जाये कि अगर सम्बन्धित विभाग का कोई भी कर्मचारी अनियमितताएं करता है या अपनी डयूटी में किसी भी प्रकार की अवहेलना कर रहा है, अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं कर रहा है तो सरपंचों को इतने अधिकार होने चाहिए, वह उसका अगर ट्रांसफर नहीं कर सके तो कम से कम उनको इतना अधिकार हो कि वह कार्यवाही के लिए कहे और उस पर प्रभावी कार्यवाही हो। पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, चाहे प्राथमिक स्कूल हैं, चाहे स्वास्थ्य केन्द्र हैं, कोई भी उस सरपंच की बात नहीं करता है, जो ग्रामीण विकास की बात है। ए एन एम कितनी गांवों में ठहर रही है, उनका कोई स्थान ही नहीं; सब लोग सिटी की तरफ भागते हैं। तो कैसे विकास की डगर आगे चलेगी?

(19.30 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सरपंच महोदय हैं उनके अधिकार बहुत सीमित हैं, चाहे वे पंचायत समिति के सदस्य हों, चाहे जिला परिषद के सदस्य हों। वे वेतन-भत्तों तक सिमट कर रह गए हैं। पंचायत समिति के सदस्य, जिस समय वे चुनाव लड़ते हैं, तब उनकी बड़ी तमन्ना होती है, जिला परिषद के सदस्य जब चुनाव लड़ते हैं तब उनकी बड़ी तमन्ना होती है, जिस समय वे जीतकर आते हैं, जिला परिषद में जिला प्रमुख के चुनाव हो जाते हैं, प्रधान के चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद उनको मीटिंग के भत्ते के अलावा दूसरी चीज मिलती नहीं है। अगर वह अभिशंसा किसी चीज की करता है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। उसके लिये जब जन-प्रतिनिधियों को अधिकार दिये हैं तो विकास में सहभागिता भी उसकी होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि ग्राम पंचायत के स्तर से विकास हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम कह नहीं पाये सदन में, वह एक अलग बात है परन्तु सेक्रेटरी कितनी बेईमानी कर रहा है। एक गरीब आदमी राशन कार्ड के लिए कितना परेशान होता है, अगर जोब कार्ड बनाता है तो वह कितना परेशान होता है। एक वृद्ध अपनी पेंशन के लिये 50 चक्कर काटता है तब वह सेक्रेटरी साइन करता है। नियम इतने कठिन कर दिये, वह पेंशनर जाये तो जाये कहां? उसमें एक नियम कर दिया कि बच्चा 18 साल

(श्री सुखराम)

का हो गया तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जब यह पेंशन लागू की तो कितने ऐसे वृद्ध हैं जिनके बच्चे उनको रोटी दे रहे हैं? अगर उनके बच्चे रोटी ही देते तो शायद उनको पेंशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्हें पेंशन की आवश्यकता इसलिए है कि उनकी रोजी-रोटी के साधन नहीं हैं और वह गरीब भूख से मर रहा है। उस भूख से बचाने के लिए सरकार ने प्रयास किया, उसका धन्यवाद लेकिन उसकी क्रियान्विति प्रभावी होनी चाहिए। उस नियम को आप हटाएं जिसमें 18 साल की बाध्यता है, क्योंकि 18 साल के बाद क्या होता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान ही क्या, पूरे भारत का युवा जब 25 और 30 साल के आसपास पहुंचता है तब वह अपने पिताजी को, माताजी को कैसे छोड़ता है, यह आपके सामने है; आप भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे तब देखते होंगे। आपके जो भी अधिकारी हैं वे भी अपने मां-बाप को लात देकर बाहर निकाल देते हैं। वे कैसे खायेंगे? इसलिए यह जो नियम की बाध्यता है 18 साल की, मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं, मैं समझता हूं कि जो भी विभाग है उसको यह लिखें क्योंकि इससे उनको बड़ी परेशानी हो रही है।

अब मैं दूसरी बड़ी समस्या पर आता हूं। ग्राम पंचायत एमएलए लैड से, एमपी लैड से, कंटिंजेंसी से, अनटाइड फण्ड से हैण्डपम्प लगवाती है। पी एच ई डी और ग्राम पंचायत के बीच में झगड़े होते रहते हैं। जब वह हैण्डपम्प खराब हो जाता है तो पंचायत के पास इतना पैसा नहीं कि वह हैण्डपम्प की मरम्मत करवा सके और पी एच ई डी करवाती नहीं है। वे यह बहाना करते हैं कि यह तो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया हुआ है, यह एमपी लैड से लगाया हुआ है, यह एमएलए लैड से लगवाया हुआ है, इसलिये इसकी मरम्मत की व्यवस्था नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन ग्राम पंचायतों को इतना फण्ड दिया जाए कि उससे वे पेयजल की जो मूल समस्या है उसको दूर करने के लिए वे हैण्डपम्प की रिपेयर करवा सकें, उन हैण्डपम्पों की देखभाल कर सकें, एक-दो मिस्त्री हैं उनको नरेगा के तहत लगा सकें।

ग्राम पंचायतों में सफाई की जो व्यवस्था है, जहां नगरपालिकाएं हैं या महानगर हैं वहां तो सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मी हैं परन्तु ग्राम

(श्री सुखराम)

पंचायत स्तर पर सफाई कर्मियों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था हो। जब सब स्कीमों में नरेगा में पैसा लग रहा है तो सफाई कर्मियों का वेतन भी उठा सकें, ऐसा ग्राम पंचायतों को अधिकार होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविदा पर लगे हुए सहायक सचिव, जे टी ओ हैं या जो अन्य संविदा कर्मी हैं, वे शायद, मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी आर्डर सहायक सचिव पर चला देता है, जे टी ओ पूरा काम देख रहा है, जे टी ओ जे ईएन से कहेगा, बी डी ओ का हुक्म जे टी ओ और सहायक सचिव पर चलेगा, सचिव को कहने की हिम्मत नहीं, बी डी ओ की बात वे मानते ही नहीं। फिर जब इतना काम कर रहे हैं, इतने कम वेतन पर काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं, मैं आपके माध्यम से यह मांग रखूंगा और मैं चाहूंगा कि जितने भी संविदा कर्मी ग्राम पंचायत स्तर पर लगे हुए हैं या संविदा पर लगे हुए हैं, उनको स्थायी किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज में नरेगा योजना वास्तव में गरीबों के लिये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी परन्तु आप आंकड़े उठाकर देखें तो 2011-2012 में कितना काम हुआ? शायद, मैं समझता हूं कि 35 प्रतिशत की जो गिरावट आई है, यह गिरावट आखिर आई क्यों? इसका दोषी कौन है? या तो इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति नहीं हो रही है या कोई योजना ऊपर से सही तरीके से कमाण्ड नहीं की जा रही है। इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार की कड़ी ठेकेदार से शुरू होती है। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि यह ठेकेदार की जो कड़ी डाली गई है, वह भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बात है। शायद वे कह नहीं पाये अपने मुंह से, परन्तु इस योजना का पैसा 15 से 25 प्रतिशत तक कमीशन में जाता है। चार प्रतिशत ठेकेदार इस बात के लेता है, बिल देने के नाम पर। सप्लाई वह ईंट की करता नहीं है, सीमेंट की सप्लाई करता नहीं है, वह सिर्फ 4 प्रतिशत इस बात के लेता है कि वह बिल दे रहा है। क्योंकि जब तक वह बिल नहीं देगा तब तक सरपंच पैसा नहीं उठा पायेगा। इसलिए यह जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको खतम करें और ग्राम पंचायत को यह अधिकार दें कि वह अपने स्तर पर कार्य करवा सके।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें, सुखरामजी। (व्यवधान) आपका नम्बर इनको दे रहे हैं?

श्री सुखराम (बसेड़ी): रोजगार की बात आती है, हम गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव में अगर रोजगार होता तो क्यों गांव के अधिकांश युवा, अधिकांश लोग, मजदूर हैं, शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं? क्योंकि नरेगा योजना दम तोड़ रही है। यहां पर जो भी सम्बन्धित अधिकारी हैं, प्लान बनाकर सरपंच इस हिसाब से भेजता है जिला परिषद के लिये, जिला परिषद में बैठा हुआ सी ई ओ उसको पास करने में छह-छह महीने लगाता है; एक्स ईएन या ए ईएन जो सम्बन्धित लगा हुआ है तब तक उस प्लान को पास नहीं करेगा जब तक उसकी हिस्सा राशि उसके पास नहीं पहुंच जाएगी और जब उसकी हिस्सा राशि उसके पास पहुंच जाती है तब ही वह उस योजना को लागू करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के तहत 'हरित राजस्थान' योजना चलाई। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 'हरित राजस्थान' योजना के तहत कितने करोड़ रुपयों के पौधे लगाये गये? उनमें से कितने पौधे जीवित हैं? अगर इनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाए तो मैं समझता हूं कि 10 या 15 प्रतिशत ही, विशेष परिस्थितियों में लगे हुए पौधे ही जीवित पाये जायेंगे, उनके अतिरिक्त 80 से 90 प्रतिशत पौधे नष्ट हो गये। क्यों नष्ट हो गये? फिर यह पैसा लगाया ही क्यों? जब पैसा लगाया गया तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है? ग्राम पंचायत जिम्मेदार है या उसके सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उनकी देखभाल क्यों नहीं हुई? तो इस पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो श्रमिक नरेगा में कार्य करते हैं उनको समय पर भुगतान नहीं मिले, यह सबसे बड़ी विडम्बना है। इसके तहत जो प्रक्रिया है वह ऐसी है कि उनका जो पैसा है, वह उनके पोस्ट आफिस के खाते में जाता है और पोस्टमैन उसको तब तक पैसा नहीं देगा जब तक उसमें से 100 रुपये या 200 रुपये नहीं रख लेगा। गरीब आदमी दिन भर मजदूरी करने के बाद, एम पी और एम एल ए या जितने अधिकारी बैठे हैं, वे ए सी गाड़ियों में घूमने वाले हैं परन्तु वह मजदूर अपने खेत में, अपना फावड़ा और तसला लेकर खून-पसीना बहाता है तब जाकर उसको 100 रुपये मिलते हैं और उन 100 रुपयों में से भी पोस्टमैन पैसा ले और कोई दूसरा आदमी पैसा ले, यह रोकना चाहिए। मेरा सुझाव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि जो भी नरेगा कर्मी हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके डायरेक्ट खाते होने चाहिए और उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए, तब

(श्री सुखराम)

जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। जब डायरेक्ट उसके खाते में पैसा चला जाएगा, तब ही मैं समझता हूं कि यह बीच का जो घपला है, वह बंद हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राजीव गांधी सेवा केन्द्र हैं, हम उनका स्वागत करते हैं परन्तु पंचायतों में जो राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये हैं वह ठीक है परन्तु आपने कभी उनका आकलन किया है या सिर्फ उनका उद्घाटन ही किया है? आप उनको देखें, ग्राम पंचायत से एक-एक किलोमीटर दूर बना दिये। मैं अपने धौलपुर जिले की बात कर रहा हूं, अभी राजीव गांधी सेवा केन्द्र का एक मंत्रीजी उद्घाटन करके आये,। दूसरे ही दिन उसके सौर पैनल, लाइटें और जो सामान था, उसको चोर उठा कर ले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे धौलपुर जिले के जो कलक्टर रहे हैं, वे आई ए एस अधिकारी अभी चले गये, उनको पता है, वहां कम्प्यूटर लगेंगे, उन कम्प्यूटरों की रक्षा कैसे होगी? उसमें जो सामान और स्टेशनरी लगेगी, उसकी रक्षा कौन करेगा? मैं समझता हूं कि मेरे बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के डांग क्षेत्र में जो राजीव गांधी सेवा केन्द्र हैं, उनमें शायद सरपंच और पंच नहीं बैठें लेकिन डकैत उनमें जरूर विश्राम करेंगे क्योंकि दूर इतने बना दिये। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राजीव गांधी सेवा केन्द्र हैं, वे कहीं हमारे डकैतों के विश्राम करने को ध्यान में रखते हुए तो नहीं बनाये गये हैं। दूसरा, उसमें किस तरह से क्रियान्विति हो, क्या उसकी रूपरेखा होगी, अगर उसे नकल चाहिए तो वह एक किलोमीटर दूर जाएगा क्या? तो पहले से यह देखना चाहिए कि जो सेवा केन्द्र बनाये जा रहे हैं, वे ग्राम पंचायत के बीच में होने चाहिए, उनके पास होने चाहिए, पंचायत हैडक्वार्टर पर होने चाहिए जिससे कार्य संचालन में परेशानी नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज और रखना चाहूंगा। विगत कुछ वर्षों से ग्राम पंचायत में सी सी रोड बंद कर रखी थी परन्तु जितने भी कच्चे काम थे, वह कच्चे काम अधिकांशतः पूरे हो गये हैं। जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है, हम कब तक कच्चे काम कराते रहेंगे? उन कच्चे कामों का जो रेशो है, 60-40 का जो रेशो है उस 60-40 के रेशो को पुनः चेंज किया जाए और अधिकांश उसमें पक्के काम हों, वे सैंक्शन किये जाएं और जो बंद हुई सी सी रोड है, इंटरलाक, ईंट, खरंजा है, वे ज्यादा सैंक्शन किये जाएं।

(श्री सुखराम)

उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन है, यह ग्राम पंचायतों का वास्तव में पुनर्गठन होना चाहिए, प्रत्येक सदस्य की मांग है। परन्तु यह ग्राम पंचायत का पुनर्गठन करते समय क्या समिति बनेगी या मात्र वह बैठा हुआ पटवारी उसी को लिखकर देगा, उसी को मान्य किया जाएगा? उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात रख रहा हूं, मंत्री महोदय तक कि जब ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो तो कमेटी बने और जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, उन जन-प्रतिनिधियों की भी राय लेकर के ही उनका पुनर्गठन किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): पटवारी और तहसीलदार के कहने से ही नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: रिपीटेशन से ही कोई बात नहीं होती। समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, एक विडम्बना और बताऊं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, प्लीज।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सिर्फ एक बात रख रहा हूं, उसके बाद समाप्त करता हूं। मेरे धौलपुर में एमएलए लैड का जो पैसा है, हम विकास की बात कर रहे हैं, धौलपुर जिले में जुलाई-अगस्त में प्रथम किश्त पहुंची थी एमएलए लैड की और जो द्वितीय किश्त पहुंचनी चाहिए, दूसरा बजट पास होने वाला है और 15 दिन पहले तक धौलपुर में एमएलए लैड की सेकण्ड किश्त नहीं पहुंची। आखिर ऐसा क्यों होता है? समय पर जब हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे स्वीकृत कार्यों को कराएंगे और कैसे वे कार्य पूरे होंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीया श्रीमती कांताजी भील।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 28-ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास और मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार पर सभी माननीय सदस्यों ने इससे सम्बन्धित जो भी समस्याएं थीं, सुझाव थे, अपने-अपने ढंग से इस सदन में प्रस्तुत किये। मैं भी इसमें सम्मिलित होते हुए समस्याओं से सदन को और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराऊंगी और साथ ही, कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी।

(श्रीमती कान्ता भील)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने निर्देशित किया है कि किसी भी विषय की पुनरावृति न हो लेकिन विषय की पुनरावृति उस विषय की गम्भीरता के अनुसार स्वाभाविक है। पहले कुछ माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उसमें मैं भी सबसे पहले कहना चाहूंगी कि टेण्डर प्रक्रिया समाप्त हो, इसलिए कि सारे के सारे काम इस टेण्डर प्रक्रिया में उलझकर के और बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण महानरेगा योजना सफर कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, समय पर सप्लाई नहीं होती है। अलग-अलग सीमेंट, ईंट, गिट्टी, इन सब के अलग-अलग टेण्डर किये जाते हैं और काम को शुरू करना होता है, कोई सीमेंट सप्लाई करता है तो ईंट वाला नहीं करता है, गिट्टी वाला नहीं करता है, कोई रेत वाला अटकाता है। तो इस तरह से काम समय पर नहीं पूरा हो पाता है। कई जगह कई लोग बिलो रेट डालते हैं, काम्पीटिशन में बिलो रेट डाल तो देते हैं लेकिन जब सामग्री का समय आता है उस समय उतनी बिलो रेट में उस सामग्री की सप्लाई करना प्रैक्टिकली सम्भव नहीं हो पाता है, तो वह इधर, उधर टल्ले मारता है। इसलिए भी काम नहीं होता है। दूसरा, किसी माननीय सरपंच का या कोई भी व्यक्ति जो उस काम को होने देना नहीं चाहता है, वह भी बिलो रेट डालकर सामग्री सप्लाई नहीं करेगा, तो क्या उसके बिलो रेट डालने से वह काम नहीं होगा समय पर पूरा?

तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति स्तर पर जो कमेटी बनी है, जो बी एस आर तय करती है, उसके द्वारा जो रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं जिनके पिन नम्बर हों, उनसे खरीदने का प्रावधान होना चाहिए और यह अधिकार सरपंच और सचिव को होना चाहिए जिससे काम समय पर पूरा हो सके। एक, इसमें जो टेण्डर लेते हैं, सामग्री सप्लाई का टेण्डर लेता है जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं होता है; वह व्यक्ति ईंट सप्लाई का टेण्डर लेता है जिसके ईंट भट्ठा लाइसेंस नहीं है; वे लोग खुद टेण्डर लेते हैं और दूसरी पार्टी से सामग्री लाकर के सप्लाई करते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता जो होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है और वह काम भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए बीएसआर पर पंचायत समिति स्तर पर, सचिव और सरपंच के द्वारा यह काम किया जाए। यह तय किया जाए।

दूसरा, इसमें एक विसंगति है कि एक तो ग्राम पंचायत तो अलग-अलग टेण्डर करती है, ईंट का, रेत का, सीमेंट का और दूसरे विभाग जो पी डब्ल्यू डी है या सिंचाई विभाग है, उनका टेण्डर अलग तरीके से होता है; उनका एक ठेकेदार ये सारी सामग्री ही सप्लाई करता है और ग्राम पंचायतों में

(श्रीमती कान्ता भील)

अलग-अलग टेण्डर होते हैं। जब योजना एक है तो यह अलग-अलग, यह विसंगति इसमें क्यों है? इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। यह कहां विसंगति हो रही है? मुझे पूरे राजस्थान के संदर्भ में नहीं मालूम लेकिन मेरे क्षेत्र में जहां माही के काम होते हैं वहां पर तो एक ही व्यक्ति से, एक ही ठेकेदार से यह सारी सामग्री सप्लाई की जाती है और पंचायत समितियों में अलग-अलग की जाती है तो इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है।

दूसरा जो बातें हो चुकी हैं, उनकी पुनरावृति मैं ज्यादा नहीं करूंगी लेकिन निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो तीन माह की रोक लगाई है माननीय मंत्री महोदय के निर्देश से उसको शीघ्र ही हटा दिया जाए क्योंकि 70 प्रतिशत काम इन तीन महीनों में होते हैं, अप्रैल, मई और जून, इसके बाद में तीन-चार महीने बरसात का सीजन होता है और इसके बाद दीपावली का समय आ जाता है और अंत में वित्तीय वर्ष का एंड आ जाता है, यह काम पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस रोक को हटा दिया जाए, जो भी आप निर्णय लेना हो, लेते रहना लेकिन तत्काल इस रोक को हटा दिया जाए ताकि काम पूरा हो वरना जो पुरानी बी एस आर पर हम काम पूरे करना चाहेंगे वह काम भी नहीं होंगे। पिछले साल भी बिलो रेट होने की वजह से सारे काम सफर हुए और इस साल भी अगर यह स्थिति हुई तो मैं नहीं सोचती हूं कि इस साल भी कोई नरेगा के काम हो पाएंगे।

पिछली बार अभी अपना-खेत-अपना-काम योजना के तहत सिंचाई नालियां बनाने का और कुओं को गहरा कराने का प्रावधान किया है, लेकिन कुआ गहरा तो कराया जा सकता है लेकिन नये कुएं डेढ़ लाख से कम राशि में नहीं खोदे जा सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले नये कुएं खोदने का प्रावधान था, तीन लाख रुपये उसकी स्वीकृति मिलती थी, उसे पुनः शुरू किया जाए ताकि जो नान-कमाण्ड एरिया है, जहां पर सिंचाई का और साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में कुआ खोद करके जो गरीब किसान जिसके पास में कम जमीन है, वह अपनी आजीविका चला सके। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो पहले से नया कुआ खोदने का प्रावधान था उन कुओं को पुनः शुरू किया जाए और विशेषकर हमारा जो टी एस पी एरिया है वहां पर काश्तकार, गरीब आदिवासी लोग रहते हैं और वहां पर कम जमीनें, लोगों का कृषि के अलावा आजीविका का कोई साधन उनके पास में नहीं है, अगर यह कुए खोदने का प्रावधान हमारे टी एस पी एरिया में किया जाता है तो निश्चित ही वहां के काश्तकारों को लाभ मिलेगा।

(श्रीमती कान्ता भील)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि आप पंचायत राज मंत्री भी हैं और टी ए डी के मंत्री भी हैं, टी ए डी में कुएं गहरे कराने की योजना है उसमें काश्तकार कुआ गहरा कराने के लिए सैंक्शन निकलाता है, लेकिन चूंकि वित्तीय वर्ष की शुरूआत अप्रैल से होती है, उसकी प्रक्रिया पूरी करते-करते उसको स्वीकृति मई अंत में या जून में मिलती है और जैसे ही वह उस कुए को गहरा कराने का काम शुरू करता है तो बरसात आ जाती है और बरसात आने के बाद उस कुए में पानी भर जाता है। फिर जनवरी तक उस कुए में पानी रहता है, उस कुए को गहरा नहीं करा सकता है और मार्च में उसका पैसा लैप्स हो जाता है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कोई पुनर्विचार करें, कोई तरीका निकालें। या तो वह राशि मार्च में लैप्स नहीं होनी चाहिए, अगले साल उसको खर्च किया जाना चाहिए या फिर उसकी स्वीकृति अग्रिम हो। तो कोई प्रक्रिया करें और अगले मार्च, अप्रैल या मई में उस काम को शुरू करें और काश्तकार कुआ गहरा कराने का लाभ ले सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बात करते हैं पंचायती राज को सशक्त करने की और पंचायती राज को सशक्त करने के लिए 5 विभाग दिये गये हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब एक एम एल ए मुख्य मंत्री का चुनाव करता है, एम पी प्रधान मंत्री बनाता है और जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख बनाता है और पंचायत समिति सदस्य प्रधान बनाता है तो इन दोनों ने क्या गुनाह किया? जब एम पी को एम पी मद दिया जाता है, एम एल ए को एम एल ए मद दिया जाता है, दूसरी स्वीकृतियां होती हैं उसमें एम पी या एम एल ए की अनुशंसा होती है और ये दोनों सदस्य, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य, इनको कोई भी नहीं पूछता है। आपके माध्यम से निवेदन है कि इन लोगों को मीटिंग के लिए बैठक भत्ता दिया जाता है, एक पंचायत समिति सदस्य को 75 रुपये और जिला परिषद सदस्य को 125 रुपये, इसके अलावा, अभी माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे, मीटिंग में जाने के लिए उसके पास में किराया नहीं होता है, इसलिए वह रुचि नहीं ले पाता है। लेकिन वह जनता द्वारा चुना हुआ जन-प्रतिनिधि है तो निश्चित ही एम पी, एम एल ए की तरह उनकी जो भी राशि निर्धारित करें, 2 लाख करें, एक लाख करें, 3 लाख करें, जो भी आपकी सुविधा हो, लेकिन उनकी अनुशंसा से काम इतनी राशि के हों, यह व्यवस्था हो। साथ ही उनके बनाये हुए जिला प्रमुख को 7,500 रुपये

(श्रीमती कान्ता भील)

मिलता है, प्रधान को 5 हजार रुपया मिलता है, सरपंच को 2 हजार रुपया मिलता है और यहां तक कि नगरपालिका के पार्षद को 1,200 रुपया मानदेय मिलता है जबकि उस सदस्य को कुछ भी नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): जबकि उसकी 10 ग्राम पंचायत हैं, क्या वह उन 10 ग्राम पंचायतों में जिसमें वोट लिये, वहां जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू नहीं होगा? वह किस आधार पर जाएगा? तो क्यों मोहताज किया गया इस सदस्य को? पंचायत राज को सशक्त करने की बात आती है तो इन सदस्यों को भी सशक्त किया जाय।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि नरेगा में जो भी लोग भर्ती किये गये हैं वे संविदा के आधार पर हैं, लेकिन इनको रेगुलर कर्मियों के साथ में लगाया गया है, जैसे बी डी ओ लगाया उनके साथ एडिशनल पीओ को लगाया, ए ईएन रेगुलर है उसके साथ जे टी ए को लगाया गया, लेखाकार के साथ लेखा सहायक को लगाया गया, सचिव के साथ में नरेगा सहायक को लगाया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये लोग सबसे पहले तो योग्य होने चाहिए। जो जे टी ए नरेगा में लगाया गया है वे जे टी ए बहुत कम सिविल के हैं, कई सारे तो इलेक्ट्रिकल के हैं, कुछ इलेक्ट्रोनिक्स के हैं, उनके लिए मुझे यहां कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई लोगों को एम बी भरना तक नहीं आता है। एक तरफ जिला कलक्टर का बार-बार दबाव रहता है कि आप लोग पहले जो काम दिये थे उनको पूरा करें, उनकी सी सी जारी हो जाए, सी सी जमा हो जाए, तब जाकर हम लोग नये काम स्वीकृत करेंगे। इस तरह के जो अयोग्य लोग हैं, जिनको एम बी भरना नहीं आता है, राज्य सरकार भी बार-बार मांगती है कि यह सी सी कम्प्लीट क्यों नहीं हुई, यू सी क्यों नहीं भरी गई, काम इतना अधूरा क्यों है। काम तो मौके पर पूरा हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों को काम करना आता नहीं है, योग्य लोग नहीं हैं, इस वजह से ये काम सफर हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं, या तो सिविल का जे टी ए नहीं मिल पाता है या जो उपलब्ध हैं, उनको कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाय ताकि जो रूटीन के काम हैं उन कामों को कर सकें। इस तरह की जो भी व्यवस्था हो, यह व्यवस्था की जाय।

(श्रीमती कान्ता भील)

मैं आज के इस अवसर पर, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातों को रखा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी, जैसा कि माननीय सदस्य ने सही कहा था कि रोजगार का, आज हरेक गांव में हम लोग जाते हैं, आये दिन वहां फोन आता है हम लोगों के पास में लोग कहते हैं, हमको तो काम पर नहीं लगाया जा रहा है। एक भी व्यक्ति आज रोजगार गारंटी को अपना अधिकार नहीं समझ पा रहा है। वे यह समझते हैं कि हमको शुरू करके काम पर लगाया जाएगा। इसके लिए जो भी मेट हैं उन मेट को प्रशिक्षित किया जाय कि आप कम से कम इनके आवेदन लो और आवेदन के बाद में इनको काम पर लगाया जाय, वरना हो क्या रहा है, लोग गर्मी में एक साथ, जब 6 से 11 का समय होता है उस समय जाकर कोई काम नहीं कर पाता, उस समय तो सारा समय भर देते हैं और बाकी के सारे के सारे काम, जो पक्के काम हैं, सारे काम सफर होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजो।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जो भी अभी पूर्व सदस्यों के कुछ प्रस्ताव आये थे पंचायतों के पुनर्गठन के, पिछली बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को पुनर्गठन के प्रस्ताव दिये थे, हम लोगों ने दिये थे, लेकिन किसी कारण वह पुनर्गठन नहीं हो पाया। तो ग्राम पंचायतों का जो दूरदराज क्षेत्र है, हमारे एरिये में भी कुछ ग्राम पंचायतें हैं, तो निश्चित ही उनका पुनर्गठन किया जाय ताकि लोगों को सुविधा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के अवसर पर मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहती हूं, आपने पंचायती राज और प्रधानों को जो गाड़ी दी उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं, लेकिन उस गाड़ी में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के बैठने के लिए कुछ प्रावधान किया जाय ताकि ये लोग भी अपने क्षेत्र में जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): दूसरा, मैं निवेदन करना चाहती हूं, यह शिक्षा विभाग का मामला है...

श्री उपाध्यक्ष: यह बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): प्रारम्भिक शिक्षा पंचायती राज के अधीन

(श्रीमती कान्ता भील)

है और जब प्रारम्भिक शिक्षा का बी ई ओ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने ब्लाक के स्कूलों का निरीक्षण करने जाता है, तो या तो उस बी ई ओ को पंचायती राज की जो भी गाड़ी है, वह कुछ दिन निर्धारित करें, स्कूलें चैक करने जाएं तो एक अधिकारी गाड़ी में बैठकर तो जाय; पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर जाता है। दूसरा, टीचर उनसे डरता तक नहीं है। कम से कम एक प्रभावी व्यक्तित्व तो सामने हो, उन्हें चैक करने के लिए जाएं तो एक अधिकारी तो लगना चाहिए।

इस तरह की पंचायती राज की कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसमें कुछ संशोधन करते हुए....। आपने मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती चंद्रकांताजी मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 28, 41 और 50 पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है और इन मांगों के तहत मैं भी अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं और सुझाव यहां पर रखना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, तो स्वाभाविक है कि उस गांव के गरीब व्यक्ति की चिन्ता भी हमको करनी पड़ेगी; उस गांव की चिन्ता करें और उस गांव के विकास की बात भी हमारे मन में होनी चाहिए। अगर हम इस बात को ध्यान में रखकर विकास की बात करेंगे तो निश्चित है कि गांवों का विकास होगा। मैं पूछना चाहूंगी सदन से क्या ऐसा करने के लिए हम सभी कृतसंकल्प हैं? नहीं, तो हम कैसे विकास की बात कर सकते हैं? यह बिलकुल भी सम्भव नहीं है। जब तक हम गांवों में समुचित विकास के आयाम स्थापित नहीं करेंगे, तब तक किसी भी गांव का विकास सम्भव नहीं है। आप देखिए, जिस विकास को लेकर इतनी चर्चा इस सदन में हो रही है, मैं मानती हूं कि उस गांव की जो गांव का पंचायत भवन है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा है, न तो उस पंचायत भवन में सेक्रेटरी बैठता है; आप देखें, एक-एक सेक्रेटरी को

(20.00 बजे)

तीन-तीन पंचायतें दे रखी हैं और जब किसी भी दूसरी पंचायत में जाकर सेक्रेटरी खुद जोइन करते हैं तो सबसे पहले शर्त उस सरपंच के सामने रखते हैं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कि सरपंच साहब, 8 दिन में मात्र एक दिन आएंगे, इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो हमें जोइन करवाइए, वरना हम जहां लगे हुए हैं वहीं हम लोग काम करना चाहेंगे। तो किसी भी हालत में उस गांव का विकास सम्भव नहीं है।

एक निवेदन और करना चाहूंगी, मेरे क्षेत्र की समस्या है, आप देखिए, 36 पंचायतें हैं और 36 पंचायतों में मात्र 20 पटवारी हैं तो हम कैसे विकास की बात करेंगे? आज गांवों का किसान किसी भी काम के लिए पटवारी के पास जाता है तो एक तो पटवारी समय पर कभी गांवों में आने का प्रयास नहीं करते हैं; 8 दिन में एक दिन आ गए तो आ गए, दो दिन आ गए तो आ गए, 15 दिन में भी एक बार आ जाए तो आ जाए। इसलिए कम से कम इतना तो हम पाबंद पटवारियों को करें कि महीने में आप पांच दिन आइए, छह दिन आइए, दस दिन आइए, पर कुछ निर्धारित समय तो पंचायतों में बैठने के लिए हमें करना चाहिए। तभी मैं मानती हूं कि उस गांव का विकास सम्भव है, वरना हम लोग जिस गांव के विकास की बात करना चाहते हैं, वह किसी भी हालत में हम सपना नहीं देख सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगी। वैसे जो पांच विभाग पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को दिए, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं मानती हूं कि पंचायतें इससे सुदृढ़ होंगी लेकिन अगर हम जो जिला परिषद, पंचायत समिति हैं, उनकी मीटिंगों में जो निर्धारित अधिकारी हैं वे अगर समय पर नहीं पहुंचें तो मैं मानती हूं कि पंचायत समिति की बैठक का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, प्रत्येक पंचायत समिति की बैठक में मैं खुद जाती हूं, मैं दोनों ही ब्लाकों की मेरी पंचायत समितियों में जाती हूं और वहां देखती हूं कि वहां कभी भी एक्स.ईएन. लेवल का अधिकारी नहीं रहता। आप देखिए कि जे.ईएन., ए.ईएन. नहीं आएंगे, जिसकी मर्जी हो वह अधिकारी बैठक में आ जाए और जिसकी मर्जी नहीं हो वह अधिकारी बैठक में नहीं आए। तो जब हम विकास की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि गांवों का विकास हो तो हम यह तो तय करें, इन अधिकारियों को हम पाबंद करें और उन लोगों के लिए जरूरी हो कि वे पंचायत समिति की मीटिंग में आएं।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगी कि नरेगा योजना आपकी चल रही है, बहुत अच्छी योजना चल रही है लेकिन इस योजना में जो कमियां हैं, उन

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कमियों को भी दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। आप देखिए कि मस्टररोल समय पर जारी नहीं हो पाते, गांव के लोग हमारे पास फोन करते हैं, मैजरमेंट समय पर नहीं हो पाता। अगर यह सब काम समय पर नहीं होगा तो किसी भी हालत में नरेगा का काम ठीक नहीं होगा। जो हमारा राजस्थान अव्वल नम्बर पर था और आज कितने नीचे हम लोग आ चुके हैं। तो मैं यह नहीं मानती कि राजस्थान में यह नरेगा का अच्छा काम हो सकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो 60 और 40 का रेशो सरकार ने तय कर रखा है, उसमें पूरे जिले को इकाई मानकर यह काम हो रहा है जैसे कि कोटा में हुआ। इससे क्या होता है कि हर पंचायत समिति में भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने विधान सभा में अभी प्रश्न लगाया और मैंने पूछा कि गत वर्ष कितने व्यक्तिगत लाभ के काम कोटा जिले की किस-किस पंचायत समिति में या किस-किस विधान सभा क्षेत्र में हुए? तो मुझे जवाब में मिला कि मेरी खेराबाद पंचायत समिति में एक भी व्यक्तिगत लाभ का काम नहीं हुआ। आप देखिए कि या तो यह किसी जन-प्रतिनिधि की गलती है कि प्रधानजी ने प्रस्ताव नहीं भेजे या किसी अधिकारी की गलती हो सकती है। मैंने बी डी ओ साहब से पूछा कि आपने प्रस्ताव भेजे या नहीं भेजे, मैंने प्रधानजी से भी पूछा, तो वे लोग बोल रहे हैं कि हम समय-समय पर सारे प्रस्ताव भेजते हैं। तो इस तरह का जो पक्षपातपूर्ण निर्णय किया जाता है नरेगा के कार्यों में, यह क्यों किया जाता है? मैं तो मानती हूं कि इसके लिए तय कर देना चाहिए कि 60 और 40 का रेशो हम पंचायत समिति स्तर पर तय करके मानेंगे, तो निश्चित है कि कुछ काम सभी पंचायत समितियों में समान मात्रा में होंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि वाटर रिचार्जिंग की आज हम इतनी चिंता कर रहे हैं, मैं मानती हूं कि इसके लिए हर विभाग जिम्मेदारी से काम करे तो इसका अच्छा काम हो सकता है। आज नरेगा हमारी योजना चल रही है, लाखों-करोड़ों रुपये राजस्थान के अन्दर आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि तालाब टूटे पड़े हैं तो पड़े हैं, एनिकट टूटे पड़े हैं तो पड़े हैं। क्यों नहीं उनका रिपेयर का काम हो पा रहा? आपको मैं रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगी कि उदपुरिया का हमारा तालाब, इतनी बिग साइज का तालाब, जो हमारा रांवठा का तालाब, रामसागर बांध है, वह स्टेट लेवल का बांध, उनके बारे में मैंने कई बार जिला कलक्टर महोदय से भी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

निवेदन किया और जो-जो भी जिला कलक्टर रहे हैं, उनके साथ मैं खुद जाकर दिखाकर आई, मैंने अनेकों बार जिला परिषद की बैठकों में भी इस बात को रखा लेकिन अभी तक उनकी रिपेयर नहीं हो पाई। उदपुरिया गांव की तो यह हालत है कि 12 महीनों में 24 घंटे उस तालाब से पानी पूरे गांव के बीच में से बहता रहता है। यह बड़ी विचित्र स्थिति है। पिछली सरकार ने उसकी रिपेयर के लिए 15 लाख रुपये दिए थे, उससे कुछ रिपेयर हुई और उसके बाद आज तक नहीं हुई। जबकि नरेगा में मैं खुद पंचायत समिति की बैठक में जाकर प्रस्ताव भिजवाती हूं लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तो यह बहुत गलत बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा में जो हमारे कच्चे काम हो रहे हैं उससे गांव में, आज जैसे पचपाड़ पेयजल योजना हमारे रामगंजमण्डी में आई है और हमें सी सी रोड की आवश्यकता है तो मात्र या तो एम एल ए कोष से करवाएं या एम पी कोष से हो पाती है। तो उसके लिए हमें नरेगा में कुछ सुधार करना चाहिए, पक्के काम भी उसमें कुछ ज्यादा दें, मैं यह सुझाव रख रही हूं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित है कि गांवों का विकास सम्भव है, अच्छे काम हो पाएंगे।

एक और निवेदन करना चाहूंगी, बजट घोषणा के अनुसार प्रति वर्ष एक लाख व्यक्तियों को ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने की जो विभागीय विफलता है, उसको भी मैं यहां प्रकट करना चाहूंगी। इस बात पर विभाग को बड़ा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि किस तरह से इस व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि विधायक कोष का जो कार्य है, आप देखिए कि दो-दो वर्ष हो गए, हम लोगों ने विधायक कोष से पैसा दिया है, अगर दो साल में विधायक कोष का कार्य पूर्ण नहीं हो तो हम क्या गांव के विकास की कल्पना कर सकते हैं? ऐसे कितने ही काम हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। छह-छह महीने तक तो पैसा पहुंचने का सवाल ही नहीं है। लोग हमें फोन करके पूछते हैं, तो हम लोगों को भी शर्म का अवसर दें कि सरपंचों को क्या जवाब दें। बहनजी, आप घोषणा करके गए थे, आपने सैंक्शन लैटर दे दिया, फिर भी पैसा नहीं पहुंच रहा। तो यह पैसा समय पर पहुंचना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगी, जैसा कि बहन कांताजी भील ने भी निवेदन किया, मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने अपना प्रस्ताव और सुझाव रखा,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

तो मैं भी इनकी बात का पक्ष लेते हुए निवेदन करूंगी कि जो जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य हैं, उनका कुछ मानदेय फिक्स होना चाहिए। आज देखिए कि एक जिला परिषद सदस्य के पास अगर 8-9 पंचायतें हैं तो वह बिना किसी मतलब के उन पंचायतों में घूमेगा, यह सम्भव नहीं है और इससे जन-प्रतिनिधियों की जो उदासीनता है वह नजर आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम इन पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को भी विधायक कोष की तरह कुछ राशि आबंटित करें ताकि वे अपनी पंचायतों में कुछ विकास कार्य करवा सकें।

जलग्रहण योजना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि जलग्रहण योजना की जो कमेटियां बनी हुई हैं, वे पृथक-पृथक बनें। दूसरी बात, गांवों में जिला परिषदों के माध्यम से जो विकास कार्य होता है उसमें समान रूप से राशि आबंटित होनी चाहिए, इसके लिए चाहे हम जिला कलक्टर को निर्देश दें या सी ई ओ, जिला परिषदों को निर्देश दें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी खामी है। आप देखिए कि नरेगा के माध्यम से एनिकट आते हैं तो कोटा जिले के सारे एनिकट एक पंचायत समिति में जा रहे हैं और दूसरी पंचायत समितियां इंतजार कर रही हैं। इतनी नदियां होने के बावजूद एक भी एनिकट वहां नहीं बन पा रहा है, यह हमारा दुर्भाग्य है। हम बार-बार प्रस्ताव भिजवाते हैं। तो सरकार इस तरह के निर्देश सी ई ओ, जिला परिषद को दे या जिला कलक्टरों को दे जिससे समान रूप से कार्य हों, तो गांवों का विकास भी होगा।

दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगी कि देखिए, हम गांवों के विकास की बात कर रहे हैं और गांवों में किसान रहता है, रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में आज तक समर्थन कांटा नहीं लगा। आप देखिए कि हम जनता को क्या जवाब दें? अधिकारी इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एशिया की धनिया की सबसे बड़ी मण्डी है और उसके लिए अधिकारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि यहां समर्थन मूल्य के कांटे की आवश्यकता नहीं है। यह बात कैसे हो सकती है? अभी तक जो परम्परा चली आ रही है, यह पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि समर्थन मूल्य का अभी तक कांटा नहीं लगा। सारे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि वह जल्दी से जल्दी समर्थन मूल्य के कांटे लगाए।

एक निवेदन और करना चाहूंगी, पिछली बार हम लोगों ने, सरकार ने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

यह चाहा कि प्रत्येक जिला कलक्टर पंचायत हैडक्वार्टर पर जाए, रात्रि चौपाल वहां पर करे। मैंने विधान सभा में क्वेश्चन लगाया और मैं उस जवाब के तहत यहां बोलना चाहूंगी, सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी जिला कलक्टरों को इस तरह के आदेश दे कि रात्रि चौपाल जरूर प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर हो तो निश्चित है, उस गांव की समस्या, उस पंचायत की समस्याओं की जिला कलक्टर महोदय को भी कुछ जानकारी रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें। मैं मानता हूं, आप जल्दी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय का सवाल है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बिलकुल संक्षिप्त। सुझाव रख रही हूं और कोई फालतू बात नहीं कर रही हूं।

एक निवेदन और करना चाहूंगी कि सबसे बड़ी खामी मुझे नजर आई तो वह नरेगा में देखने को मिली है, वह वन विभाग की तरफ से मिली है। देखिए, हम लोग जिला परिषद सदस्य थे, तब हम लोगों ने वन विभाग के मार्फत प्रस्ताव भिजवाये तो चाहे वन विभाग ने उसका काम करवाया, लेकिन करवाया; अगर कृषि उपज मंडी के मार्फत प्रस्ताव हम लोगों ने भिजवाये तो वह कृषि उपज मंडी ने करवाया; पी डब्ल्यू डी के मार्फत हम लोगों ने प्रस्ताव भिजवाये तो वह पी डब्ल्यू डी ने करवाया लेकिन कोटा ज़िले के अन्दर अगर कहीं पर भी एनिकट का काम चलता है और किसी तालाब का काम शुरू होता है तो वन विभाग तुरन्त आकर उस काम को बंद करवा देता है। आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले महीने से कम से कम तीन चार एनिकटों के काम रुके हुए हैं। या तो वन विभाग उन कामों को करवा दें या वन विभाग अपनी तरफ से नरेगा के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाये। तो कम से कम उस गांव के किसान को फायदा होगा। जहां पथरीला इलाका है, नदियां बहती हैं तो उन पर तो एनिकट तो बनेंगे, यह मेरा निवेदन आपसे है।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगी कि जनता जल योजना के संधारण हेतु जो मानदेय की राशि है, जो एक हजार रुपए तक कर रखी है, इसको कम से कम साढ़े तीन हजार रुपए हम लोग करेंगे तो निश्चित है कि उन लोगों को कुछ फायदा होगा और वे मन से काम करेंगे। क्योंकि गांव के गरीब व्यक्ति उस योजना में काम करते हैं।

एक निवेदन और करना चाहूंगी कि जो आबादी भूमि, वह खातेदारी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

भूमि, अगर इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकानों का काम चल रहा है, मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत, अगर उसके अतिरिक्त हम लोग वन विभाग और चरागाह की भूमि पर, देखिए, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेकों गांव ऐसे हैं जो आज भी वन विभाग में बसे हुए हैं। वन विभाग में बसे होने के कारण न तो उनके पास कोई पट्टे हैं और न अन्य कुछ। तो मुझे लगता है कि ऐसे तो हमारे कम से कम पचासों गांव हैं जिनमें मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान, किसी को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं सरकार को इस तरह से एक सुझाव रख रही हूं, अगर आपको लगे कि यह उचित है तो इसमें कुछ परिवर्तन आप लोग करें।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि हम यह जो चर्चा कर रहे हैं लेकिन आज गांवों के स्कूल की जो दुर्दशा है उसमें शायद, मैं मानती हूं, हमें सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि सारे गांवों के स्कूलों में आज भी...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): कई स्कूलों में ताले लगे हुए हैं और सारे स्कूल के अध्यापक डेपुटेशन पर शहर में लगे हुए हैं। हम लोगों को यह कार्य करने की, मैं मानती हूं, अति-आवश्यकता है ताकि कुछ शिक्षा का स्तर सुधरे।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे रियासत कालीन जो बड़े-बड़े तालाब हैं, जो एनिकट हैं, उन सबको नरेगा के माध्यम से करवाने के लिए प्रस्ताव जब जिला परिषद बैठकों में आयें पंचायत समितियों से, तो उसको प्राथमिकता देने के लिए हम हमारे अधिकारियों को निर्देशित करें, उनको इस तरह का निर्देश दें। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री कमलजी बैरवा।

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 28, 41 और 50, आज जो रखी गई हैं, उन पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2012-13 के बजट प्रस्तावों में हर वर्ग के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं। हमारा राजस्थान जिसमें लगभग 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण

(श्री कमला बैरवा)

क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई घोषणाएं की हैं। मैं इन जन कल्याणकारी घोषणाओं का जिक्र यहां करना चाहूंगा।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित करने हेतु मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवक-युवतियों को प्रशिक्षित कर स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से एक लाख युवा बेरोजगारों को आगामी वर्ष में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त योजना के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं एम्पावर योजना के अन्तर्गत स्व-रोजगार हेतु लगभग 3 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। आमजन की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के भवनों का नाबार्ड के सहयोग से विस्तार करवाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके प्रथम चरण में 295 करोड़ रुपए की लागत से 3 हजार ग्राम पंचायतों एवं सभी 249 पंचायत समिति के सेवा केन्द्रों पर ये निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सेवा केन्द्रों में कृषि एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित समस्त सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी तथा पंचायत समिति मुख्यालयों पर कृषि सम्बन्धी आवश्यक तकनीकी जानकारी के प्रसार के साथ-साथ कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा हो सकेगी।

वर्तमान में 115 ग्राम पंचायतों के भवन नहीं हैं तथा 307 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। चरणबद्ध रूप से इन सभी 422 ग्राम पंचायतों के भवनों का 43 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इत्यादि के आयोजन एवं आमजन के लिए आवश्यकतानुसार विश्राम स्थल के रूप में उपयोग हेतु जिला परिषद परिसरों में 25-25 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(श्री कमला बैरवा)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 3 हजार 300 वियालयों और 5 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में टायलेट्स का निर्माण करवाया जाएगा जिस पर 15 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी।

पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने 2 अक्टूबर, 2010 से पांच महत्वपूर्ण विभागों को फण्ड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज के साथ इन संस्थाओं को हस्तान्तरित किया था। इन हस्तान्तरित विभागों की जिम्मेदारी के साथ-साथ पंचायती राज संस्थायें कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही हैं जिनमें महात्मा गांधी नरेगा योजना भी शामिल है। अतः पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संवर्गों के 23 हजार से अधिक पद सृजित करने की घोषणा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में की है।

इसके अतिरिक्त, 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक-एक कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने की घोषणा भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की है जिससे ग्रामों में चल रहीं विभिन्न योजनाओं की मानिटरिंग और लेखा संधारण, इत्यादि में सुविधा होगी और आमजन को इसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मुख्य मंत्रीजी ने कोई कमी नहीं रखी है।

यहां मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से व ग्रामीण विकास मंत्रीजी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो तहसीलें निवाई और पीपलू शामिल हैं जिनमें पीपलू उपखण्ड टोंक पंचायत समिति के अधीन आता है। इसके कारण पीपलू उपखण्ड के विकास कार्य जिस गति से होने चाहिए, उस गति से नहीं हो पाते हैं। साथ ही पंचायत समिति स्तर के हर छोटे-बड़े कार्यों के लिए पीपलू उपखण्ड की ग्रामीण जनता को टोंक जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। इससे उनको आर्थिक नुकसान के साथ-साथ उनका समय भी नष्ट होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पीपलू उपखण्ड की पंचायत समिति अलग से स्थापित करने की घोषणा की जाए। इसके साथ ही, टोडा की 11 पंचायतें जो विधान सभा क्षेत्र टोंक में हैं, उन्हें पंचायत समिति टोंक में जोड़ा जावे जिससे कि पंचायत समिति टोंक में 36 पंचायत हो जाएंगी और मेरी पीपलू अलग से एक पंचायत समिति बना दी जाए जिससे कि वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

(श्री कमला बैरवा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन मांगों पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सदस्य भी इतना ही समय लेंगे तो जल्दी हो जाएगा।

माननीय श्री जगसीराम कोली।

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28, 41 और 50 पर आज मैं मेरी बात को सम्मिलित कर रहा हूं। आज राजस्थान की सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग को एक मजबूत कदम देने की ओर जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सबने अपने-अपने सुझाव और क्षेत्र की मांग रखी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर और उसमें पंचायती राज को मजबूत करने के लिए देखने जाए तो वहां पर पंचायत स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों की कमी है। रेवदर तहसील के अन्दर 37 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें मात्र 15 या 16 सेक्रेटरी और 15 या 16 पटवारी होंगे। तो उसके लिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाना है तो ये हमारे जो रिक्त पद हैं, इनको भरें।

यह पंचायती राज के माध्यम से बी पी एल आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में और बी पी एल आवास के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है, सिरोही जिला और रेवदर और आबू रोड में चुनाई पत्थर पर सरकार ने रोक लगा रखी है। तो ये बीपीएल आवास इनके कैसे बन पाएंगे? उसमें रायल्टी जो लगती है वह काफी ज्यादा ले रहे हैं और उसमें बिलकुल रोक है। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस रोक को हटाएं और जो भी बी पी एल हैं, उनको बीपीएल आवास योजना का सीधा-सीधा लाभ मिले।

पंचायत समिति में जे ईएन और ए ईएन नहीं हैं। नरेगा के कार्य जो हो रहे हैं, उनको देखने के लिए नरेगा के अधिकारी नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा के कार्य जो हैं, पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार के अन्दर, पहले की सरकार में पक्के कार्य पूरे प्रदेश में काफी हुए थे, सिरोही जिले में हुए थे और पूरे क्षेत्र में हुए थे, लेकिन वर्तमान में कच्चे कार्य और पक्के कार्य, एक भी पक्का कार्य हमारे क्षेत्र में चालू नहीं है। मंत्री महोदय, आज से दो साल पहले नरेगा में पंचायत समिति रेवदर, जालमपुरा में नरेगा का कुआ खोदते समय बी पी एल के हमारे दो साथी, मेघवाल समाज के चाचा-भतीजा उस

(श्री जगसीराम)

कुए में दब गये थे। 13 दिन के अन्दर उनको बाहर निकाला था। उसमें काफी मशीनरी लगी और उसमें कई भामाशाहों ने सहयोग किया। 13 दिन के बाद में उनको निकाला। उसके बाद में सरकार ने पूरे क्षेत्र में कुए खुदवाने पर रोक लगा रखी है। तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि सारे कुए जो अधूरे पड़े हैं और बंद हैं, उनको वापस चालू करवाएं और उस कार्य में जो सहयोग जिन भाइयों ने किया था, उसमें भामाशाहों ने जो बड़ी-बड़ी मशीनें लगाई थीं, जो कुछ लगाया था, उन्होंने जीप, वगैरह, साधन जो लगाये थे, सहयोग जो किया था, उनका किराया उनको आज दो साल हो चुके लेकिन नहीं मिला। माननीय मंत्री महोदय, मैंने माननीय जिला कलक्टर महोदय को कई बार लिखित में और मौखिक निवेदन किया लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। आप इसको दिखवाएं और उनका भुगतान करवाएं।

इसी तरह, नरेगा के अधूरे कुए और साथ-साथ में चैक डेम हैं, एनिकट हैं वो भी अधूरे पड़े हैं हमारे, जैसे रेवदर तहसील में नागाणिका एक बड़ा एनिकट था, बड़ोकापादर, उसमें आस-पास में काफी खेत जुड़े हुए हैं। तो वे कार्य अधूरे हैं। इसी तरह पूरे क्षेत्र में कई कार्य जो अधूरे पड़े हैं, उनको आप पूर्ण करवाएं ताकि वहां के किसानों को लाभ मिले।

अभी सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि यह पंचायतों का पुनर्गठन और विभाजन, 1-1 पंचायत में 8-8, 10-10 गांव हैं और लम्बी-लम्बी, 10-15 किलोमीटर दूरी है, उनका पुनर्गठन हो जाए ताकि सीधा-सीधा वहां के क्षेत्र की जनता को, कोई भी काम-काज हो तो उसमें लाभ मिल सके।

अभी पंचायती राज विभाग की ओर से जो ग्राम पंचायतों के अन्दर यह सोलर ऊर्जा की व्यवस्था, जो पंचायतों के अन्दर होने जा रही है, उसमें, मंत्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि उसमें जो क्वालिटी है, वह सही हो। वहां पर एक कमेटी गठित कर जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से, ऐसा नहीं कि वह ठेकेदार ही सीधा-सीधा टेण्डर बनाकर गांवों में थोप दे और तीसरे दिन वहां टूटकर गिर जाए या कोई भी ले जाए, ऐसा न हो, ताकि सरकार का जो पैसा लग रहा है, उसका सीधा-सीधा फायदा मिल सके।

यह अपना-खेत-अपना-काम जो योजना है, उसमें हमारे सिरोही जिले में अभी एक भी कार्य शुरू नहीं है, भले ही आप दिखवा लें। मैंने अभी सुना अपना-खेत- अपना-काम योजना के बारे में फिर पता करवाया तो उस पूरे

(श्री जगसीराम)

सिरोही जिले में एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो किसानों को कैसे फायदा मिलेगा? यह कार्य शुरू करवाएं ताकि सीधा-सीधा लाभ मिल सके।

सरकार की जो किसानों के लिए योजना है, के सी सी वाली, उसमें भी काफी अनियमितता हो रही है। उसमें दलालों के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, वह दिया जाता है। उसको भी आप दिखवायें।

यह विधायक फंड वाली जो बात आई, उसमें प्रत्येक गांव में पहले जो था चाहे वहां अपना एम एल ए सामुदायिक भवन बना सकता था लेकिन वर्तमान सरकार ने उस गांव में एक से अधिक बनाने पर रोक लगा रखी है। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि चूंकि गांव है, लम्बा-चौड़ा है तो एक इस कोने पर बनाया तो दूसरे कोने पर भी यदि कोई समाज का कार्यक्रम करवाना चाहें, तो वहां पर बनाने की आवश्यकता रहती है। तो उस रोक को हटाया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को फायदा मिल सके। यह समर्थन मूल्य वाली जो बात आई, उसमें गेहूं आज जो खरीद रहे हैं, किसान आज सारे जाकर मार्केट में बेच रहे हैं और बेचने के बाद में उसको चालू करवाएं तो उसका लाभ सीधा-सीधा व्यापारी को मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा। तो मेरा मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि ये गेहूं खरीदने वाले कांटे तुरन्त प्रभाव से लगायें ताकि सीधा-सीधा किसानों को लाभ मिल सके; बाकी बेचने के बाद लगायेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरा यह आग्रह है कि इसको चालू करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय श्री प्रेमचन्दजी नागर, पीपल्दा, इटावा।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 28, 41 और 50, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास व ग्रामीण रोजगार पर चर्चा में बोलने का मुझे अवसर मिला, इसके बारे में मुझे अपने विचार रखने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमें राजस्थान का विकास करना है, गांव का विकास करना है तो यह सबसे जरूरी कदम हमारा होगा, हमें पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायतों को सुदृढ करना पड़ेगा। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को अहम भूमिका निभानी होगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की जिसमें प्रति वर्ष एक लाख युवक-युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त

(श्री प्रेमचन्द नागर)

कर स्वरोजगार के लिए तैयार होंगे। इसमें डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। आजीविका प्रयोजना एवं एम्पावर योजना के तहत तीन सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। हमारी सरकार ने प्रशासन-गांवों-के-संग कैंपों का आयोजन पूरे राजस्थान में किया जिसके तहत पेंशन, नामांतरण, अलाटमेंट, निःशक्तजन का चिह्नीकरण करना, बहुत अहम कार्य सरकार के द्वारा किये गये। मुख्य मंत्री आवास योजना एक ऐसा कदम है जो गांव, गरीब और बी पी एल परिवारों को आवास देने के लिए, उनको छत देने के लिए, गरीब व्यक्ति को, गांव में रहने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा पचास हजार रुपये और पैंतालीस हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। तीन वर्षों में दस लाख परिवारों को आवास मुहैया कराये जाएंगे।

सबसे बड़ा कार्य जो कांग्रेस के शासन में हुआ है, नरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों का पलायन रुका है। उसके माध्यम से किसानों को अपना-खेत-अपना-काम योजना के तहत मेड़बंदी, टांका बनाना, गांवों में यातायात एवं रास्तों को सुगम करने के लिये ग्रेवल रोड बनाना, बहुत से कार्य नरेगा के मार्फत सरकार के द्वारा किये गये हैं।

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण भी इसी योजना के तहत किया गया है। प्रत्येक पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हुए हैं 10 और 25 लाख की लागत से। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बहुत से सेवा केन्द्र ग्राम पंचायतों में पंचायत हैडक्वाटर्स से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं क्योंकि जगह के अभाव में गांव के मध्य में सेवा केन्द्र नहीं बन पाये हैं। आप उन सेवा केन्द्रों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिये एक ट्यूबवैल और सिंगल फेज का भी प्रावधान करें। उन सेवा केन्द्रों में टायलेट का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन सेवा केन्द्रों में टायलेट का भी प्रावधान किया जाये।

एक और चीज के लिये मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि निर्माण कार्यों में जो टेंडर प्रोसेस शुरू किया गया है, वह प्रैक्टिकल नहीं है। कई विसंगतियां उसमें आती हैं। कृपया जो निर्माण कार्य हैं और कार्यकारी संस्था पंचायत है, उसके बीच में से एक एजेंसी जो आप लोगों ने और निर्धारित की है, उसे हटाया जाये और प्रक्रिया को सरल बनाकर

(श्री प्रेमचन्द नागर)

निर्माण कार्य में जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जाये। हमारी पंचायतों के निर्माण कार्य गुणवत्ता के आधार पर कहीं भी पी डब्ल्यू डी से कमजोर नहीं हैं लेकिन यह एक बहुत बड़ी दिक्कत सरपंचों को अपने निर्माण कार्यों के तहत आ रही है। पंचायतों के पास न तो कोई टेक्निकल आदमी होता है जो उनको वाजिब सलाह दे सके। अतः आप इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल करके निर्माण कार्यों को गति देने में मदद करें।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा। बहुत सी पंचायतें बड़ी हैं जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुल्तानपुर और इटावा काफी बड़ी पंचायतें हैं। इटावा की आबादी करीब 25 हजार की होगी और वहां पर मात्र 8-10 सफाई कर्मचारी हैं। बहुत बड़ी समस्या है, न तो इस साइड में कोई फंड मुहैया हो पाता है, बहुत बड़ी एक समस्या है। जो बड़ी पंचायतें हैं, वहां पर न तो सफाई कर्मचारी है, समय पर सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसके लिये भी माननीय मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कोई समाधान किया जाये ताकि हर बड़ी पंचायत में सफाई की सुचारु व्यवस्था हो सके।

पंचायतों का पुनर्गठन भी, माननीय मंत्रीजी, एक बहुत बड़ी समस्या है। कई गांव पंचायत मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित हैं, उनकी पंचायत तक आने-जाने की समस्या काफी जटिल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनका पुनर्गठन किया जाये ताकि हर गांव पंचायत मुख्यालय से ज्यादा दूरी पर न हो।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, अब समाप्त करें।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): उपाध्यक्ष महोदय, शायद मैं आखिरी वक्ता हूं इस साइड से और मुझे एक अहम समस्या पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है, मुझे थोड़ा समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: वह समस्या बोल दो, फिर समाप्त करो।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जल संग्रहण एवं भू-संरक्षण के कार्यों के लिये जो आपने 4,861 करोड़ का प्रावधान रखा है, वह स्वागत योग्य है, यह राजस्थान के लिये वरदान सिद्ध होगा लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, कोटा जिले में स्थित जल संग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उक्त विभाग में वर्तमान में कोई अधिकारी नहीं है। विभाग में अधिशासी

(श्री प्रेमचन्द नागर)

अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के पद रिक्त हैं। ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद में कार्यरत परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन) वर्तमान में इन तीनों पदों का कार्य देख रहे हैं, उसी को जिला प्रबंधक, वाटर-शेड, डाटा सेल के पद का कार्यभार सौंप रखा है। जो पद अधिशासी अभियंता स्तर का है उसका सहायक अभियंता को कार्यभार सौंप रखा है। वह स्थायी सहायक अभियंता भी नहीं है। वह कोटा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता के पद पर कार्य कर चुका है और जो कार्य उन पंचायत समितियों में उन लोगों के द्वारा करवाये गये हैं, उनका समायोजन आज अधिशासी अधिकारी बनकर वही व्यक्ति करवा रहा है। इससे काफी अनियमितताएं हो रही हैं। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी का कोटा प्रवास में सम्भागीय स्तर की बैठक की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि सम्भागीय स्तर की बैठक में कोटा के जन-प्रतिनिधियों एवं प्रधान महोदय ने वाटरशेड में हो रही अनियमितताओं की जानकारी दी थी।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें। माननीय श्रीमती कमसा मेघवाल। थोड़ा संक्षिप्त करना।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो सारे विधायक बोलें, वे आधे शहर के और आधे गांव के थे, मैं तो पूरी गांव में रहती हूं और उसमें भी संक्षिप्त। मैं तो 5-10 मिनट बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार ने यहां शहर में जयपुर में...

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): क्या करवाया शहर में?

उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 28, 41 और 50 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

आज जिस विषय की मांग हो रही है, वह गांव के आम आदमी की मांग है जो अंतिम स्तर पर गांव में बैठा है। देश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। उपाध्यक्ष महोदय, गांव की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। गांव की मूलभूत सुविधाएं क्या है, गांव की परेशानी क्या हैं, गांव में किस समस्या पर ध्यान देना है, इस बारे में अपन को सोचना बहुत जरूरी है। गांव में विकास के लिये सरपंच अहम कड़ी है, सरपंचों के माध्यम से ही गांवों का विकास हो पायेगा। सरपंचों को जब तक अपन पूरा अधिकार नहीं दे देंगे, जब तक अपन उनको फ्री माइंड नहीं कर सकते, तब तक गांव के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं।

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो जिला परिषद सदस्य हैं, जो पंचायत समिति के मेम्बर हैं, उनके बारे में जो भी बोले उन्होंने सारी बातें बता दीं लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी, कोई एक बड़ा व्यापारी था, वह गांव में एक घोड़ा लेकर निकला और उस व्यापारी ने शर्त रखी कि मेरा घोड़ा दो दिन से खाना नहीं खा रहा और बोल भी नहीं रहा है, कोई इसको बुला दे और इसकी गर्दन हिला दे तो उसको एक लाख रुपये का इनाम मिलेगा। वह पूरे गांव में घूमता रहा और जैसे ही गांव के चौराहे पर खड़ा होकर बोला कि मेरे घोड़े को कोई बुलवा दे या इसकी गर्दन हिलवा दे तो उसको मैं एक लाख रुपये इनाम दूंगा, तो गांव का एक आदमी जाकर बोला कि घोड़े, जिला परिषद या मंडल का चुनाव लड़ेगा तो घोड़े ने कहा, नहीं। इससे आप समझ लो कि जिला परिषद और मंडल का चुनाव लड़ने के लिये चाहे कांग्रेस हो या बी जे पी हो, हमें कैंडिडेट ढूंढने पड़ते हैं, आदमियों को पकड़-पकड़कर लाना पड़ता है कि आप चुनाव लड़ो। सरपंच के लिये तो लाइन लगती है। लेकिन तीन सालों में अभी जो सरपंचों की हालत हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वे भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं होंगे क्योंकि दो ढाई साल में सरपंचों के द्वारा कोई किसी प्रकार का काम नहीं हुआ, सिर्फ राजीव गांधी सेवा केन्द्र के अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया कि कम समय में ही बात कहनी है तो मैं मेरे गांव की जो भी समस्या है, उसके बारे में बताना चाहती हूं। पानी के संग्रहण हेतु जो टांका या होज निर्माण है, वह सीधे ही लाभार्थी के खाते में दर्ज कर लिया जाय ताकि गरीब को सीधे ही फायदा मिल सके, गरीब को पूरा फायदा मिल सके। मैंने पिछली बार अभिभाषण में भी बात कही थी, जो सरपंच गांव के अन्दर प्रस्ताव लेकर जिला परिषद को भेजता है, कलक्टर महोदय को भेजता है लेकिन राज्य सरकार के आदेश हैं या केन्द्र सरकार के आदेश हैं, महानरेगा के तहत, वह सिर्फ ढाई मीटर की सड़क ही सीधी सड़क हो पाएगी, यही स्वीकृत करके भेजते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो ढाई मीटर की सड़क है और जो दूसरी साइड में जमीन बचती है, वहां अतिक्रमण हो जाएगा। गांव की गलियां वैसे भी संकरी हैं, और संकरी हो जाएंगी। तो इसको हटाकर जितनी भी गांव की चौड़ी सड़क हैं, वहां सी सी ब्लाक और दीवार से दीवार निर्माण करवाया जाए ताकि रोड के दोनों तरफ खाली जगह नहीं बचे।

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

जो जनता जल योजना पंचायतों को दे रखी है, इसमें भी गांव के सरपंच महोदय के पास पैसे नहीं है और जनता जल योजना जो व्यक्ति चला रहा है उसको बहुत ही कम भत्ता मिल रहा है। यह भत्ता राशि बढ़ाने की भी मैं मांग करती हूं। अगर राशि नहीं बढ़ा सकते हो तो टी एस पी को वापस दे दो क्योंकि सरपंचों के पास न तो इतना पैसा है और न वे इतनी सप्लाई कर पाते हैं और सरपंचों को रात-दिन गांव के आदमी परेशान करते हैं कि आप पानी पिलाओ। उनके पास सुविधा ही नहीं है, पैसे ही नहीं हैं तो कैसे पानी पिलाएगा?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि जो किसानों के बकाया कृषि कनेक्शन हैं उनको भी शीघ्र जारी कर दिए जाएं जिससे ग्रामीण विकास में अवरोध न हो।

गांव और ढाणियों में बालिका शिक्षा पर जब तक जोर नहीं दिया जाएगा तब तक अपन विकास के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी के चार पहिये होते हैं, जब चार में से एक में भी पंचर हो गया तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। जब तक महिलाएं नहीं पढ़ेंगी, बालिकाएं नहीं पढ़ेंगी तो गांव का विकास हो भी नहीं सकता। तो आपको बालिकाओं के पढ़ाई के लिए, गांव में बालिकाएं कैसे पढ़ सकें, इसके लिए आपको जोर देना जरूरी है। यहां अभी तक विधान सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिला है, मैं तो चाहती हूं, यहां भी मिल जाए और महिलाएं पढ़ी-लिखी गांव से चुनकर आएं तो गांव के विकास की वे पूरी बात कर सकें। महिला गांव और घर की बात समझ सकती है। मैं समझती हूं कि गांव की जो समस्या है, वह उसको अच्छी तरह से मालूम होगी, क्योंकि अगर गांव में पानी नहीं आ रहा हो और मटकी में पानी नहीं हो तो सुबह उठते ही बच्चे मां को परेशान करेंगे कि मां, मुझे रोटी चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए और शिक्षा चाहिए। पुरुष प्रधान है, मैं मानती हूं लेकिन फिर भी बच्चा स्कूल से घर आएगा तो मां पूछेगी कि बेटा, क्या पढ़ाई की; तो बच्चा कहेगा कि स्कूल में टीचर थे ही नहीं, पढ़ाई नहीं हुई। तो इसके बारे में मेरी चिंता है कि हमारी बालिकाएं अनपढ़ नहीं रहें, इसके लिए गांव के अन्दर पूरे-पूरे टीचर लगा दें ताकि बच्चियां आगे पहुंच सकें। जब तक गांव और ढाणियों में शिक्षा का प्रचार नहीं होगा, तब तक अपना विकास अधूरा ही रहेगा।

हमारे प्रदेश में जल संसाधन बहुत सीमित हैं। हमारी 90 से अधिक कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है, इसलिए हमारी आर्थिक नीति कमजोर है। इसलिए जलग्रहण पद्धति पर संरक्षण, विकास एवं सहभागिता पर जोर देना जरूरी है।

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

हमारे प्रदेश में जिला परिषदों में विकास अधिकारी हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि जिला परिषदें और पंचायत समितियों की बैठकें होती हैं, सभी ने कहा कि हम प्रधान रहे, किसी ने कहा, जिला परिषद में रहे लेकिन जो थोड़ा-बहुत राजनीति में था, वही यहां विधान सभा में पहुंचा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): पांच मिनट में समाप्त कर दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत हो गया।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): बहुत कहां हो गया? अभी तो दो मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आपको आठ मिनट हो गये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): मैं यह कहना चाहूंगी, जब तक जिला लेवल के अधिकारी पंचायत समितियों में नहीं आएंगे तो अपन भी समझते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच, मण्डल सदस्य किसको बताएंगे? और जब तक जिला लेवल के अधिकारी पंचायत समितियों में आकर नहीं सुनेंगे, तब तक गांव की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरी तो यह भी मांग रहेगी कि शहर में जो ये अधिकारी ए.सी. में बैठे हैं, यहां शहर-शहर में ही घूमते हैं, इनको भी एक दिन निकलकर गांव की ढाणियों की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आप आई ए एस बने, आर ए एस बने, आप भी कहीं न कहीं गांव के आदमी होंगे। आप तो गांव से निकलकर शहर में आकर बैठ गए, आपको अच्छे पद मिल गए लेकिन आपको उस गांव की तरफ और गांव की ढाणी की तरफ देखना होगा कि आपका भाई, जो आप पीछे छोड़कर आए हैं, वह कहां बैठा है, वहां जाकर आपको उनकी सुध लेनी पड़ेगी। एम एल ए तो जाते ही हैं, इनको तो वोटों की गरज है लेकिन आप भी भगवान को ऊपर रखकर गांव तक जाओ, ढाणियों तक जाओ, उनको क्या परेशानी है, जाकर उनकी सुध लेनी पड़ेगी।

हमारी सहभागिता हमारी पंचायतों पर निर्भर, इसलिए पंचायत योजना का बजट भी बढ़ाया जावे। गांव के जो कच्चे तालाब हैं, बहुत खोद दिए नरेगा के तहत, अब मैं चाहती हूं कि उनका पक्का निर्माण कराया जाए, क्योंकि उनकी खुदाई तो खूब हो गई लेकिन नरेगा के तहत उनका पक्का निर्माण किया जाए।

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, आए दिन गांवों के अन्दर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे बबूल की झाड़ियां बहुत सारी हैं। एक ऐसा भी प्रस्ताव यहां से, मंत्री महोदय बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि गांव के अन्दर पानी, बिजली, यह तो पता नहीं, कब होगा लेकिन कम से कम कृपा करके सड़क के किनारे जो बबूल खड़े हैं, तो आप यह तो मेहरबानी करके, पंचायतों से ये कटवा सकें, आप पंचायतों को कम से कम इतना बजट दे दें कि वे बबूल की झाड़ियां काट सकें।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करो।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहती हूं, नरेगा पर कौन जाता है, नरेगा आज कहीं भी है, नरेगा के ऊपर जाकर देख लीजिए, 100 परसेंट महिलाएं काम करती हैं क्योंकि पुरुष तो पेड़ की छाया में बैठकर ताश खेलते हैं और महिलाएं जाती हैं वहां नरेगा के अन्दर। तो मेरी बहनों के लिए उनको गेती, फावड़ा नरेगा के अन्दर मिल जाएं, मैं आपसे यह भी मांग करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): बिलकुल सही बात है, नरेगा में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मेवारामजी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 28, 41 और 50, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर चर्चा हो रही है। हमारा प्रदेश, 76 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है और मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, दो बार सरपंच भी रहा हूं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत एवं हमारे मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। इसमें चाहे मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, चाहे राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण योजना, ग्रामीण सहभागिता योजना, चाहे जलग्रहण योजना, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 23 हजार पद सृजित करना, राजीव गांधी भवनों का निर्माण करना, पांच विभाग जो पंचायती राज को महत्वपूर्ण मजबूत करते हैं उनका सुदृढ़ीकरण करना, कई कदम मुख्य मंत्रीजी ने उठाए हैं जिनकी वजह से पंचायती राज मजबूत होगा। मैं दो बार सरपंच रहा, मुझे ध्यान है कि एक महीने का बजट अभी पंचायत के अन्दर है

(श्री मेवाराम जैन)

और हमारे पूरे पंचायत के तीन साल के अन्दर इतना बजट नहीं होता था जितना अब बजट खर्च हो रहा है। महत्वपूर्ण योजनाएं चाहे नरेगा हो, टी एफ सी हो, एस एफ सी हो, चाहे आई एच एस डी पी की, जितनी योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत महत्वपूर्ण विभाग, जिसमें जितनी भी पंचायत हैं, हैडक्वार्टर पर चाहे ए एन एम हो, स्कूल हो, बिजली की, पानी की, जितने भी, वहां बैठते हैं; उनका पंचायतों द्वारा निरीक्षण करना और किस तरह से उनको मजबूत करना, महत्वपूर्ण योगदान है।

मैं इस मौके पर अपने सुझाव देना चाहूंगा कि पंचायती राज का पुनर्गठन 1981 की आबादी को मानकर किया गया और भारतीय जनता पार्टी के समय इसको किया गया था, जिसमें न तो कोई नार्म्स देखे गए और उन्होंने मनमानी करके पुनर्गठन किया। उसके बाद दो बार जनगणना भी हो चुकी, उसके बाद में दो बार पंचायतों के प्रपोजल भी मंगाए गए परन्तु अभी विभाजन नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक पंचायत 15-15, 20-20 किलोमीटर में फैली हुई है, जहां दो-दो, तीन-तीन पंचायतें होनी चाहिए। रेगिस्तानी, बोर्डर एरिया, पहाड़ी, इन पंचायतों का प्राथमिकता से विभाजन किया जाए ताकि वहां की जनता को दूर-दूर नहीं जाना पड़े। कई सालों से लोग इस विभाजन के लिए तरस रहे हैं, उनको राहत मिल सके, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों का पुनर्गठन किया जाए और पंचायत समितियों का भी इसमें पुनर्गठन किया जाए। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि बाड़मेर तहसील, जो मेरा विधान सभा एरिया है, बाड़मेर शहर के 25 किलोमीटर चारों तरफ फैला हुआ है और उसके अन्दर उनचालीस पंचायतें हैं और उनको तीन भागों में बांटा हुआ है। 6 पंचायतें जो बाड़मेर के दस किलोमीटर पास हैं उनको बायतू में डाला गया है; 11 पंचायतें, जिनको सिणधरी में डाला हुआ है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इसका पुनर्गठन कर एक ही जो तहसील है, उसको पंचायत समिति का एरिया मानकर पुनर्गठन किया जाए और बाकी जो पंचायतें हैं, उसके अन्दर बाड़मेर जिले में 8 तहसीलें हैं और पंचायत समिति एक रामसर हो, यह तहसील ऐसी है जहां पंचायत समिति नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, जालौर की आबादी 18 लाख है और बाड़मेर जिले की 26 लाख है। तो उसमें एक पंचायत समिति जो रामसर, जहां अल्पसंख्यक, एस.सी., एस.टी. की आबादी ज्यादा है, इसको

(श्री मेवाराम जैन)

अलग पंचायत समिति बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो और उसमें राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें। संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं इस मौके पर और निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा के तहत जो ठेकेदारी प्रथा है उसको खतम किया जाए। आज सबसे ज्यादा त्रस्त सरपंच है। उस ठेकेदारी प्रथा की वजह से भयंकर आक्रोश है। समय पर काम नहीं हो रहा है, नरेगा में पैसे लैप्स हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर प्रति वर्ष आप देखें तो यह नरेगा में दिनोंदिन काम कम हो रहा है। इसका मेन कारण है ठेकेदारी। अब ग्राम पंचायत के अन्दर एक सरपंच, उसके सामने जो खड़ा होता है, वह उसी टेण्डर के चक्कर में काम लेकर, किस तरह से काम नहीं हो, इसलिये वह बाधा डालता है और इस वजह से सारा नरेगा का काम करीब-करीब 50 प्रतिशत पर आया है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस ठेकेदारी को खत्म करें, तभी यह जो राजस्थान के अन्दर सरपंचों में जितना आक्रोश है, वह आक्रोश खतम होगा और नरेगा के अन्दर जो आपके पैसे अभी खर्च नहीं हो रहे हैं, वे पैसे भी खर्च हो जाएंगे, गांवों में वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ, नरेगा में सी.सी. सड़कें, इण्टर-लाकिंग सड़कें, टांकें, नालियां और बेरिये जो गांवों के अन्दर, जो गांव काफी समूह में हैं, वहां पर सी.सी. रोड जो ढाई मीटर कर रहे हैं उसको बढ़ाकर ज्यादा की जाए...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये। विराजिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): और ज्यादा से ज्यादा काम सैंक्शन करें ताकि नरेगा में कुछ काम दिखे। आज एम.एल.ए., एम.पी. फण्ड्स, जिसके लिये एक राइडर लगाया गया है कि कोई भी सामुदायिक भवन या छात्रावास के अन्दर अगर अपन अनुशंसा करते हैं और पैसे देते हैं तो उसमें कई...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। माननीय श्री शंकरसिंहजी रावत।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साहब, अभी दो मिनट ही नहीं हुए। मैं कहना चाहूंगा, इसमें छूट मिले ताकि यह एम.एल.ए. फण्ड का पैसा, कम से कम कहीं छात्रावास, वगैरह में लगे। धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार पंचायती राज के ऊपर...

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले समय आगे बढ़ा लें।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। शंकरसिंहजी, एक मिनट, एक मिनट।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: आज इनको मौका मिला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजिये, एक मिनट विराजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10 बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 10 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 10 बजे तक बढ़ाया गया।

माननीय श्री शंकर सिंहजी रावत।

मांग संख्या 28, 41 व 50 पर विचार

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार पंचायती राज के ऊपर और नरेगा के ऊपर जो सुझाव दिये गये हैं, इस सदन के पक्ष और विपक्ष के दोनों भाइयों ने जो अच्छे सुझाव दिये हैं, मेरा भी इसमें एक सुझाव है कि जिस प्रकार महात्मा गांधीजी के नाम पर यह योजना बनी हुई है, नरेगा योजना, उस नरेगा योजना के ऊपर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप कई लोगों ने लगाये हैं और लगते आ रहे हैं, तो या तो इस नाम को गांधीजी के नाम पर नहीं रखना चाहिए था। केन्द्र को एक सुझाव भेजें, मंत्री महोदय, कि गांधीजी को बदनाम करने के लिये ऐसी योजना का नाम नहीं रखें और इसको कोई नाम दूसरा दें।

साथ में, इस योजना में जो पैसा इतना दुरुपयोग हो रहा है,... (व्यवधान) देखिये, आप आराम से सुनें, क्षमता रखें, आपका दिल भी जान रहा है और इधर सत्ता पक्ष वाले भी जान रहे हैं कि इसका ठीकरा कौन अपने माथे पर लेना चाहता है। ऐसा कोई नहीं चाहता है। इसका दुरुपयोग हो रहा है।

(श्री शंकर सिंह)

आम गरीबों को रोजगार देने के लिये यह योजना चलाई गई है। अधिकारी भी सारे सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इस योजना के नाम पर गरीब तक यह पैसा पहुंच नहीं पाता है और कितना पैसा रास्तों के अन्दर रुकता है, आपको भी पता है।

इसलिये इस दुरुपयोग को रोकने के लिये, मंत्री महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि एक साल का पैसा, आप नरेगा का सारा पैसा रोककर के यमुना का पानी लाने के लिये राजस्थान के अन्दर यह पानी ले आएं। हमारे यहां नरेगा की हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में, अगर यह यमुना का पानी अगर यहां जयपुर आ जाएगा तो हमेशा-हमेशा के लिये नरेगा को लोग भूल जाएंगे। इसलिये आप इसके ऊपर प्राथमिकता देवें। आज जो जिले बचे हुए हैं, जयपुर है, अलवर है, अजमेर है, बूंदी है, पाली है, राजसमंद है और नागौर है, इन जिलों के अन्दर अगर कोई आवश्यकता है तो सिर्फ पानी की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों के अन्दर पीने के पानी की समस्या को देख लो, हमेशा हर जगह पानी के लिये परेशानी रहती है। पानी के लिये इस नरेगा के पैसों का वहां उपयोग करना चाहिये। यह कोई ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयीजी की नदियों की जोड़ने की योजना से मिल जाएगा और आपका नाम कहीं बदनाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की हमेशा-हमेशा के लिये पीने के पानी की समस्या खतम हो जाएगी और यहां के काश्तकार आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि कौन से मंत्री ने यह फैसला लिया था। बहुत अच्छा फैसला होगा, इस पैसे का वहां सदुपयोग करें।

जिस प्रकार अभी आप कह रहे हैं कि हमने पंचायतों को बहुत कुछ अधिकार दे दिये हैं, सशक्त बनाने जा रहे हैं और उनको बहुत ताकतवर बनाकर के मजबूत बनाने जा रहे हैं, अभी जिस प्रकार पंचायती राज, 1994 की धाराओं और एक्ट के तहत जो ग्राम पंचायतों को दिये हुए अधिकार हैं, उन अधिकारों को भी ग्राम पंचायतें प्रयोग नहीं कर पा रही हैं । अभी आपने जो एक आदेश दिया है ग्राम पंचायतों के अन्दर, पैराफेरी के अन्दर जो-जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी सिवाय-चक जमीन नगरपरिषद के अन्दर आ जाएगी, नगर-निगम के अन्दर आ जाएगी और नगर पालिका के अन्दर आ जाएगी। वह ग्राम पंचायत का सरपंच उस नगर-पालिका के पास में जाएगा, एन.ओ.सी. लेने के लिये कि हमारे को इस पंचायत में यह काम कराना है। तो आपने यह कौनसे अधिकार दे दिये हैं? उस सरपंच को आपने निहत्था कर दिया। आपने

(श्री शंकर सिंह)

मजबूत बनाने के नाम पर बहुत कमजोर बना दिया उसको धोखाधड़ी से। इसलिये मेरा उसमें निवेदन है कि पंचायत को सशक्त बनाने के लिये अगर कोई भावना है तो ऐसी ग्राम पंचायत की जमीन के ऊपर एक्ट में दी हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनको मजबूत बनाने के लिये उसकी जमीन के ऊपर किसी को हक नहीं दें।

आज जिस प्रकार श्रम सामग्री का ग्राम पंचायतों के अन्दर जो रेशो रखा जाता है, डिपार्टमेंट के अन्दर 20 प्रतिशत श्रम का, 80 प्रतिशत सामग्री का और दूसरा, जो नरेगा के अन्दर अभी दूसरे सारे कामों को जोड़कर के उसको रेशो मेन्टेन करने के लिये दे दिया जाता है, पंचायतें कहीं काम कराएंगी, उन ग्राम पंचायतों की 5-5 बार तक जांच हो जाएगी। आप एक म्यान के अन्दर दो तलवार क्यों घुसा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है, आप इन ग्राम पंचायतों के लिये अलग कानून और डिपार्टमेट के लिये अलग कानून; ऐसा क्यों? अगर ग्राम पंचायतों की 5-5 बार जांच होती है तो क्या डिपार्टमेंट की कोई जांच होती है क्या? उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी पारदर्शिता मालूम पड़नी चाहिए कि कितना इसमें गोलमाल हुआ है। आपके जे.ईएन. ने एम.बी. भर कर दे दी, ऊपर ए.ईएन साहब को दे दे दिया; हां, साहब, साइन सही किये हैं; क्या, हां, हां, हो गया। जिस प्रकार चाय की दुकान पर बोलते हैं कि हां, आ जाना, भेज देना, भेज रहे हैं अभी, तो ऐसा एक नीचे से सिग्नल होते ही ऊपर तक की चैनल पर वह पहुंच जाता है, इस काम में एम.बी. भर दी गयी है, बस। फिर किस बात की? वह ग्राम पंचायत के अन्दर जाकर पूछिये, उसके यहां जाकर के वह ऐसा भयभीत हो गया है सरपंच, आपका आज काम कराने के लिये, जिस प्रकार हमारे सदस्यों ने पूर्व में कहा है, आज ग्राम पंचायत का सरपंच भयभीत है। ऐसा क्यों है? आपने इस प्रकार कर कमजोर कर दिया। आप तो उनको शक्ति और इनाम देने की योजना सोच रहे हो। अभी आप कह रहे थे कि साहब, जिस प्रकार मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और कह रहे थे, इनको राजस्थान की कभी कोई जनता भूलेगी नहीं, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की आज जो शक्तियां दी जा रही हैं आपके द्वारा, वास्तव में इनको कोई नहीं भूल पायेगा।

अब ग्राम पंचायतों के अन्दर 10 प्रतिशत राशि और 90 प्रतिशत राशि की जो आपने यह कब्रिस्तान और श्मशान घाट की योजना दी है, इसके लिये हम बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, अजमेर जिले के अन्दर पंचायत समिति जवाजा का डेढ़ साल से, दो साल हो गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: बस, धन्यवाद दे दूं आपको? (व्यवधान) थोड़ा संक्षिप्त करें।

(21.00 बजे)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): कई सरपंच एक-एक लाख रुपया जमा कराकर वे रो रहे हैं कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने कहा कि अभी तक तो आप विश्वास रखो; जो भी आते हैं, मंत्रीजी आते हैं, कहकर जाते हैं, आप तसल्ली रखिये, पैसा आने वाला है। लेकिन डेढ़ साल से उनका पैसा जमा है। इस योजना को या तो बंद कर देना चाहिए, या उनको पैसे वापस लौटाने के लिए आदेश देना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में करिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अभी कह रहे हैं, जिस प्रकार यह इंदिरा आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जो पचास-पचास हजार रुपये आवास, मकान बनाने के लिए दिये जा रहे हैं, उसके अन्दर मेरा सुझाव है कि वह राशि एक लाख रुपया कम से कम करनी चाहिए, पचास हजार में मकान नहीं बन सकता।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शंकर सिंहजी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभार नम्बर लगता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बहुत अच्छा बोलते हो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आपसे प्रार्थना है कि आप कहां, 'अच्छा कहा, साहब,' अच्छा कहकर बिलकुल टाल देते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह मंत्रीजी का विचार है कि शंकर सिंहजी तो वैसे ही मिल लेते हैं, मैं उनके काम कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मिलने गया था पर, साहब, आप ऐसे मत करो। (व्यवधान) आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे –''कह र छोरा 'ठाकुर', कि, बापजी, मैं क्या कहूं आपको 'ठाकुर;'' आपको पूरी राजस्थान की जनता कहेगी तब आप 'ठाकुर' कहलाओगे, मेरे कहने से नहीं, क्योंकि मैं तो आपका टुकड़ा खाता हूं तो आपको कह दूंगा 'ठाकुर साहब' लेकिन पूरी राजस्थान की जनता कहेगी तब 'ठाकुर'।

अब आप लोग कह रहे हैं कि साहब, हम...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ब्यावर को जिला बनाने के लिए ... (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ब्यावर को जिला तो क्या, जिला बनाने के लिए कलेजा और हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि आपकी सरकार में ऐसी कोई शक्ति या दम है। इस प्रकार, आपके द्वारा वे बातें याद दिलाने से, देखिये, हमारा आक्रोश बढ़ता है और हमारे अन्दर उलटा अविश्वास झलकता है। ब्यावर जो राजस्थान को 1,200 करोड़ रुपये की रेवेन्यू देता है, आप उन बातों को याद दिलाकर, माननीय मंत्री महोदय, हमारे जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम करते हो। आज तीन साल के अन्दर इस सरकार ने ब्यावर को क्या दिया है, मैं यह पूछना चाहता हूं। एक रुपये के विकास के नाम पर धेला नहीं दिया। कहीं पर भी, नगर परिषद के अन्दर भी आपका कांग्रेस का बोर्ड है लेकिन उसमें भी एक रुपया भी आपने ब्यावर के विकास के लिए नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। ब्यावर के विधायक बहुत मजबूत हैं। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इसी प्रकार ब्यावर में पीने के पानी की जो समस्या बनी हुई है, उसमें एक मंत्री को तो वैसे भी जनता का शाप लगा और वह चला गया और मैं तो यह कह रहा हूं कि ऐसा पाप का काम मत करो कि इस सरकार को कहीं शाप नहीं लग जाए और जनता का यह जो है न, यह बहुत उनका कठोर है। हमें क्या मालूम था कि उस मंत्री को, उस दिन वहां पर आएगा, पहले आयें तो उनका स्वागत किया था।

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंहजी, विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप हमारी सरकार को कभी भूल नहीं पाओगे, तो मेरा भी आपको इसमें यह सुझाव है कि वास्तव में आपकी सरकार को कोई भूल नहीं पायेगा। ऐसा कार्य करते-करते जो जेलों के अन्दर लाइन लग रही है, चाहे वे दिल्ली की सरकार के हों, चाहे राजस्थान की सरकार के हों, आप कहीं यह भ्रम पाले बैठे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, मैं इधर बैठूंगा या उधर बैठूंगा, ऐसा भ्रम का वज़न नहीं रखें और आपके लिए या तो इधर कोई विपक्ष में जगह ढूंढ कर रखें या जो विधायिका बन रही है, जो व्यवस्था हुई है, उसमें कोई व्यवस्था रखें। अभी आने वाली सरकार माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे की आएगी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। माननीय श्री मदनजी प्रजापत। विराजिये, प्लीज।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): तब राजस्थान के अन्दर विकास की गंगा बहेगी और खुशहाल राजस्थान बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मदनजी प्रजापत, बोलिये। आप विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वसुन्धराजी के आने के बाद में राजस्थान विकास की गंगा में बहेगा इसी के साथ में आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए पुन: आपका एक बार धन्यवाद देता हुआ पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं।जय-जय राजस्थान।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय श्री मदनजी प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास एवं रोजगार की मांग संख्या 28, 41 एवं 50 के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए पक्ष में खड़ा हुआ हूं।

आज सभी माननीय सदस्यों ने विस्तार से जो बात रखी और आज ग्रामीण विकास की जो बात आ रही है, गांवों का विकास होगा तो पूरे राजस्थान का विकास होगा, देश का विकास होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल जी नेहरू ने राजस्थान से जो स्थापना की कि गांवों का विकास हो, गांवों में पंचायती राज मजबूत हो, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्री राजीव गांधीजी ने मेहनत पंचायती राज को बल देने के लिए की और इसी के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय सोनिया गांधीजी ने और राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नागौर में पचास वर्ष पूरे होने का स्थापना दिवस मनाया और उसमें पांच विभाग देकर पंचायती राज और ग्राम पंचायतों को मजबूत किया है। आम राजस्थान में यह संदेश है कि गांव का राज गांव में और गांव की ग्राम पंचायत मजबूत हो और इसी कड़ी को मजबूत करते हुए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय श्री अशोकजी गहलोत ने और हमारे पंचायती राज मंत्री आदरणीय महेन्द्र जीत सिंहजी मालवीय ने राजस्थान में और पंचायतों में राजीव गांधी भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी भवन हर ग्राम पंचायत में निर्मित करवाये और इस बजट में और बात कही है कि राजीव गांधी भवन का और विस्तार किया जाएगा ताकि गांवों का आम नागरिक, तमाम सरकारी काम के लिए दर-दर भटकने की उसको जरूरत नहीं,

(श्री मदन प्रजापत)

एक ही छत के नीचे तमाम ग्राम पंचायतों के काम उस राजीव गांधी भवन में होंगे। माननीय राजीव गांधीजी की भावना थी कि हिन्दुस्तान 21वीं सदी में जाए, कम्प्यूटर क्रांति आए और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उन राजीव गांधी भवनों को कम्प्यूटर से जोड़कर इससे पंचायत और जिला हैडक्वार्टर पर मालूम पड़ सकेगा कि किस-किस ग्राम पंचायत में क्या-क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तमाम गतिविधियां राजीव गांधी भवन से मालूम पड़ेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच विभाग देने के अलावा, आज दस लाख मकानों की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा करके उन गरीबों को जो राहत दी है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि उसमें स्टोन मेसनरी या ईंट की मेसनरी, अनिवार्य जो कि है, हमारे यहां पर स्टोन पट्टियां निकलती हैं, जोधपुर डिविजन में और उलटा ईंट की मेसनरी से पट्टियां मजबूत हैं और उसमें अनिवार्य कर दिया है तो मैं निवेदन करता हूं कि अगर स्टोन पट्टियां उस मुख्य मंत्री आवास में पहले जो काम में ली जाती थीं, इसमें अगर काम में ली जाती हैं तो इसमें भी छूट दी जाए तो उन गरीब आदमियों को राहत मिलेगी। पट्टियां, मैं यह कह सकता हूं कि ईंटों की मेसनरी से स्टोन पट्टी जो जोधपुर की है वह बिलकुल मजबूत है और उनको सस्ती पड़ती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसमें छूट दी जाए।

सभी माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की कि आज ग्राम पंचायत की विकास की जो कड़ी है वह सरपंच है और ठेका पद्धति की जो व्यवस्था, जो सभी के मन में यह विचार आया और सभी ने यह भावना व्यक्त की है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप गांव से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं और आम धरातल और ग्राम की समस्या आपसे छिपी हुई नहीं है क्योंकि आप पंचायती राज, शुरुआत छोटी कड़ी से, आज पंचायती राज के आप माननीय मंत्री हैं तो आपसे छिपी हुई नहीं है, इसलिए सभी माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है, मैं भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत आपसे निवेदन करता हूं कि वह ठेका पद्धति की बीमारी हटे और बी.एस.आर. से जो भी, पहले जो परम्परा थी, तो उससे ग्राम पंचायतों में विकास होगा। क्योंकि आधे माननीय सदस्यों ने कहा कि जान-बूझकर वह सामने वाला प्रत्याशी टेंडर भरकर बैठ जाता है और वह साल भर काम नहीं करता। इसीलिए आंकड़े आते हैं कि गत साल वह विकास हुआ और इस साल

(श्री मदन प्रजापत)

पैसे खर्च नहीं हुए। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हम सब की भावना की कद्र करें और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मंत्री महोदय हमारी भावना की पूरी कद्र करेंगे।

दूसरा नम्बर, आज कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि विकास के मामले में, मैं वह समय याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक मस्टर-रोल के लिए अकाल राहत के समय गांव के मुखिया दो-दो चक्कर काटते थे, चार-चार चक्कर काटते थे और यह निवेदन करते थे कि एक मस्टर-रोल दे दो जिसमें 20 नाम मजदूरों के भरे जाते थे, दुबारा हम नहीं आएंगे; ये यह नरेगा की कमियां जरूर बता रहे हैं लेकिन मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब हमारी चेयरपर्सन माननीया सोनिया गांधीजी की भावना और हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंहजी ने, आम आदमी को मालूम नहीं था, पूरे हिन्दुस्तान में इस तरह का रोजगार, महात्मा गांधी नरेगा योजना शुरू करके यह साबित कर दिया कि मजदूरों का दर्द यदि किसी के दिल में है और मजदूरों को कोई रोजगार दे सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी दे सकती है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय दे सकते हैं। कमियां कुछ हो सकती हैं लेकिन आप जरा याद करें कि वह महात्मा गांधी नरेगा योजना को जब शुरू किया, उस समय आपको यह विश्वास नहीं था कि यह काम हमेशा और हर जिले को और आम नागरिक को मिल सकता है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इतनी बड़ी योजना, जिसको मैं कह सकता हूं, क्रान्तिकारी कदम है और नरेगा को शुरू करके माननीय प्रधान मंत्रीजी और सोनिया गांधीजी ने एक इतिहास कायम किया है। आने वाला समय हमेशा याद करेगा कि घर बैठे, गांव में बैठे गांव के आदमी को रोजगार मिलता है, यह अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें, संक्षिप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अब मैं दो बातें ही कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो मंत्रीजी विराजमान हैं, हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मंत्रीजी की तरफ से पूरी मेहनत के साथ पंचायती राज मजबूत होगा, क्योंकि माननीय मंत्रीजी गांव से जुड़े हुए हैं, मेहनती हैं और धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिये पूरा पंचायती राज आने वाले समय में मजबूत होगा। और हमें इस बात को कहते हुए खुशी है कि आज बाड़मेर जिला हिन्दुस्तान के

(श्री मदन प्रजापत)

अन्दर प्रथम रहा जिसने एक साथ 50-60 हजार टांकों का निर्माण किया। इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि टांकों में एस.सी, एस.टी., और बी पी एल के लिये निर्माण हो रहे हैं और वे पूरे होने के बाद में बाकी वालों के भी बनेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं कि और बजट भी है, पैसों की कमी नहीं है तो जो छोटे काश्तकार हैं, गरीब परिवार हैं, जो बी पी एल में नहीं है, उनके लिये भी लागू करें ताकि पानी के लिये पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में सबसे बड़ा साधन अगर कोई पीने के लिये है, खेत में अगर एक टांका है तो साल भर पीने के लिये पर्याप्त है। और पैसे का सदुपयोग हो, पैसे का उपयोग होगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं बाकी वालों के लिये टांकों की योजना बनावें। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि पंचायतों का पुनर्गठन, माननीय मंत्रीजी, आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है...

श्री उपाध्यक्ष: वह आपकी बात आ गयी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पंचायतों का पुनर्गठन होगा तो जो छोटी पंचायत बनेगी, आम गांव का विकास होगा।

सब सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की कि सभा भवन के अन्दर कानून अपन ही बनाते हैं, विधान सभा बनाती है, आप बनाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक करोड़ का कोटा है और उसमें भी 100 तरह के नियम हैं। दो-दो साल तक खर्च नहीं कर सकते। एम एल ए गलत तरह से राशि का उपयोग नहीं करता है। जरूरत है तो गरीब एरिये में सभा भवन बनवाये, चाहे सामुदायिक भवन बनवाये, चाहे पानी में लगावे।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय श्री केसारामजी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहता हूं कि यह सभा भवन के ऊपर रोक हटाई जाये। जो भी एम एल ए राशि खर्च करे, वहां उनको छूट दी जाये।

बाकी और भी तमाम जो भावनाएं हैं, चाहे आपने पंचायत और जिला परिषद को गाड़ियां भी दी हैं, उसके साथ पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को थोड़े बहुत अधिकार दिये जायें जिससे और विकास होगा।

आपने समय दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 28, 41 और 50 पर ...

श्री उपाध्यक्ष: सबकी सहमति से रखा है कि पांच-पांच मिनट मात्र बोलेंगे। आपके सामने घड़ी है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र की सबसे पहली कड़ी, जो ग्रामीण विकास के लिये महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी का सबसे अधिक अगर कोई दु:खी है जनतंत्र में, तो गांव का सरपंच दु:खी है। जिस दिन जयपुर के अन्दर स्टेच्यू सर्किल के पास रात को ढाई बजे जिन सरपंचों के डण्डे मारे गये, उसके बाद उनसे विकास की कल्पना करते हो। उसका साकार उदाहरण आपने देखा है कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र दो साल में क्यों नहीं बन पाये। उसका कारण है कि उसमें जो आपने नियम बनाये हैं, उन नियमों में इतनी कमियां हैं कि कोई भी सरपंच करने से डरता है। इसलिये नियमों का सरलीकरण किया जाये और सरपंच के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाये। गांव का सरपंच, हर काम में उसका उपयोग लिया जाता है। गांव का विकास करने वाली पहली कोई कड़ी है तो वार्ड पंच, सरपंच, और गांव का पूरा जिम्मा, चाहे कोई भी अधिकारी जाये, चाहे कोई भी, सरपंच के घर जाता है, थानेदार जाता है या किसी भी व्यक्ति को जाना होता है तो पहले सरपंच को पूछते हैं और सरपंच को इस नजर से देखा जाता है कि सरपंच भ्रष्टाचार करता है तो यह बहुत ही गलत बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच को जिस तरह से विभागों को जितना बजट देते हैं, उसकी बी एस आर, विभागों की बी एस आर से सरपंच की बी एस आर कितनी कम होते हुए भी अच्छी गुणवत्ता के कार्य करते हैं। सरपंचों में भी कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, मगर विकास के जो कार्य गांवों में सरपंच करता है, उसकी गुणवत्ता और आपके विभागों की गुणवत्ता में अगर इसकी रेट के रेशो को देखा जाये तो बहुत अन्तर रहता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरपंच को फ्री हैण्ड दिया जाये, ताकि वह गुणवत्ता के कार्य करे और उसके ऊपर मानिटरिंग की जाये गुणवत्ता के लिये पंचायतों में जे.ईएन. है नहीं, काम को देखेगा कौन? उसकी गुणवत्ता की जांच के लिये जो जे.ईएन. लगे हुए हैं, वह केवल एस्टिमेट बनाते हैं और एस्टिमेट बनाकर उस कार्य के लिये भुगतान करने तक का काम करते हैं, मगर उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिये जे.ईएन. कभी मौके पर

(श्री केसाराम चौधरी)

नहीं जाता है। इसलिये सबसे पहले गुणवता की जांच के लिये जे.ईएन. को पाबन्द किया जाये और उसकी जिम्मेवारी नियुक्त की जाये कि अगर कोई काम खोटा हुआ है तो उसके लिये जिम्मेवार सरपंच नहीं, जे.ईएन. होगा कि उसने काम करवाने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस तरह से रेवेन्यू में म्युटेशन भरा जाता है, उसी तरह से जो गांव का पट्टा होता है, उसके अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम उस पट्टे में डालने चाहिये ताकि उस परिवार में झगड़े पैदा नहीं हों। उस पट्टे में सभी जो वारिसदार हैं, उन सबका हिस्सा बराबर हो जाये।

मैं यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपने राजस्थान के अन्दर कई एन.जी.ओ. हैं जो एनिकट्स और बांध बनाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, मगर उनकी मोनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। अगर विधान सभा में भी एन.जी.ओ. के बारे में पूछा जाता है कि किस एन.जी.ओ. ने क्या काम, किस पंचायत में, किस गांव में किया है, वह न तो सरपंच को पूछता है, न जिला परिषद के पास उसकी कोई अकांउटेबिलिटी है। इसलिये उस एन.जी.ओ. के द्वारा करवाये गये काम, जो एन.जी.ओ. काम करवाता है, उसी काम को सरपंच दुबारा दिखाकर उसका पूर्ण भुगतान उठा लेता है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं देता हूं सोलंकियान की पंचायत में एन.जी.ओ. ने एनिकट बनाया। भुगतान भू-संरक्षण के तहत सरपंच ने उठा लिया। मस्टररोल फर्जी भरे गये। उसकी जांच करवा सकते हैं। मगर एन.जी.ओ. का कोई हिसाब देने वाला नहीं है। एन.जी.ओ. से प्रदेश में जो काम करवाये, उसके लिये भी उसकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिये, ताकि हम विधान सभा में उसके बारे में पूछें तो उसने कहां-कहां, क्या-क्या काम करवाये और कितने रुपये खर्च किये, एन.जी.ओ. का भी हिसाब रहना चाहिये। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

जिला परिषद, पाली द्वारा पाली जिले में टेण्डर करके हैण्डपम्प खुदवाये गये पैसा एस एस पी और टी एस पी और इतनी ऊंची रेट में टेण्डर कर दिये। पंचायतों को सीधा टेण्डर करके, उस ठेकेदार से टेण्डर करवाकर उस पंचायत को एस एस पी और टी एस पी में भुगतान करने के लिये पाबन्द कर दिया और सरपंचों के पैसे उसकी इच्छा से नहीं, उन्होंने जो तय किया, जहां करना चाहते थे, वही हैण्डपम्प लगाये। कहीं और किसी के मकान के अन्दर

(श्री केसाराम चौधरी)

भी हैण्डपम्प लगा दिये। जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उसकी भी जांच कराने की मांग करता हूं।

महानरेगा में 2008-09 और 2010-11 में जो वार्षिक प्लान में काम थे, वे तो अभी बाकी पड़े हैं और 2012 में जो वार्षिक प्लान में जिन ग्राम सभा के प्रस्ताव लिये, उन कामों को शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जो पूर्व में प्रस्ताव लिये गये...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय केसारामजी, अब आप समाप्त करें, आठ मिनट हो गये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दो मिनट में ही कहना चाहूंगा, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहना चाह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वंडार का सरपंच 2 अगस्त, 2011 को एंटी-करप्शन में रंगे हाथों पकड़ा गया। वह आज भी सरपंच का काम कर रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उसकी जगह दूसरे सरपंच को जिम्मा देना चाहिये।

सामुदायिक सभा भवन बनाने के लिये समर्पण भूमि पर नहीं बनाने का जो राइडर लगाया हुआ है, समर्पण करने के बाद वह भूमि सरकारी हो जाती है, इसलिये एम एम ए कोटे के अन्दर समर्पण की हुई भूमि पर यह जो राइडर लगाया, उसको हटाना चाहिये ताकि कहीं भी सामुदायिक भवन बना दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। समाप्त करें, केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बात कह रहा हूं। कार्यशालाएं बनायी जाती हैं जिसमें गांव का छोटा-मोटा काम करने वाला अपनी कार्यशाला बनाये और उसमें बैठकर काम करे मगर मेरे पाली जिले में ...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री हरिसिंहजी रावत।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, यह बात कहकर मैं बैठ जाउंगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: इधर से ही बुला रहा हूं दूसरा भी, इधर तो बंद कर दिया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं, मैं एक ही तो बात कह रहा हूं, सर।

ये कार्यशालाएं पाली जिले में बाली में 10, मारवाड़ जंक्शन में 37, सोजत रोड में 87, रानी में 84, रायपुर में 12, जैतारण में 66, रोट में 41, पाली में 76 और देसूरी में 337 और सुमेरपुर में जीरो। ये कार्यशालाएं 337 देसूरी में पूरी हो गयीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये जो दस-दस हजार की कार्यशालाएं बननी थीं, 337 में से केवल 37 बनी हैं और उनमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विकास की योजना बनी है और इसमें पूरा-पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। मानीय मंत्रीजी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये जो कार्यशालाएं पाली जिले में स्वीकृत हुई हैं उन कार्यशालाओं की जांच करवायी जाए और जिन्होंने भी...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय केसारामजी, विराजिये। माननीय हरिसिंहजी रावत। हरिसिंहजी, बोलें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दस हजार में से किसी को पांच हजार दिये, किसी को एक पैसा भी नहीं दिया, किसी के दस हजार के दस हजार पूरे खा गये।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। श्री हरिसिंह जी का अंकित होगा। आप शुरू करिये, आप ही का अंकित हो रहा है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप करिये, आप ही का अंकित हो रहा है केवल। धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए, बोलिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस शेर के साथ प्रारम्भ करना चाहूंगा- 'सूना सूना है सारा मयखाना, रिंग सारे उदास बैठे हैं, वादाकस सजे मेजों पर, कुर्सियों पर गिलास बैठे हैं।'

उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय में बहुत कटौती करेंगे, इसलिए मैं सीधा मेरी मतलब की बात पर ही आउंगा तो शायद उचित रहेगा। क्योंकि आप बार-बार टोकोगे तो, साहब, मेरा ठीक नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप चार मिनट में समाप्त कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरा आपसे निवेदन यही है कि अगर पंचायत राज सुदृढ़ करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो देश में बसने वाली आबादी जो 70 परसेंट गांव में रहती है, गांव-ग्रामीण की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तभी हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा।

इसी के अनुरूप हमारी सरकार ने जो योजना बनायी है वह योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन इसको क्रियान्वित करने में हम पिछड़े हुए हैं। आज अगर देश को सुदृढ़ बनाना है तो हमें पांच चीजें जो गांव में होनी चाहिए, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है जिसमें सर्वप्रथम शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, और स्वास्थ्य हैं, इन चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा और उसी के अनुरूप में हम कार्य करें और हमारा देश विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से विकसित राष्ट्र बने, ऐसी हमारी सोच बने। इसी के अनुरूप मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम शिक्षा पर ध्यान दें। आज स्थिति यह है, अगर शहरों की बात करें तो मैं सोचता हूं कि शायद 10 या 15 बच्चों पर एक शिक्षक होता है लेकिन ग्रामीण की अगर हम बात करें तो मैं सोचता हूं कि शायद 100 या 200 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने सरकार की भैंस चोरी की है जिसकी वजह से आज बच्चों की हालत क्या है गांवों में? 100-100, 150-150 बच्चों पर एक-एक शिक्षक है और आज चौथा बजट हो गया, अभी तक एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। मंत्री महोदय से और यहां सामने बैठे हुए सभी सेक्रेटरी महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपके बच्चों को आप लोग क्या ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना पसंद करेंगे क्या? कभी नहीं। क्यों? कि, साहब, ग्रामीण बच्चे तो क्योंकि गरीब के बच्चे हैं इसलिए उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दें।

आज इन्होंने एक राइट-टू-एजुकेशन योजना भी लागू की है। राइट-टू-एजुकेशन में भी हमारे गांव के लिए ही, किसी जमाने में या पूर्व में राष्ट्रपति बुश या क्लिंटन जैसा कहा करते थे, जागो, भारतीय आ जायेंगे, लेकिन उसी देश की हालत यह है कि राइट-टू-एजुकेशन एक्ट लगाकर शिक्षकों को तो बोल दिया पढ़ो मत और बच्चों को बोला आप ऐसे ही पास कर दो। तो बच्चों की

(श्री हरिसिंह रावत)

जो काम्पीटिशन की भावना है वो खतम हो जायेगी और शिक्षक भी बेपरवाह हो जायेंगे कि मुझे तो वैसे ही पास करना है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि राइट-टू-एजुकेशन एक्ट लगाया, अच्छी बात है, अच्छा है, सब को शिक्षित होना चाहिए लेकिन कम से कम उसके लिए यह राईडर तो आप खतम करिये, आप ऐसे ही पास ना करें, कम से कम काम्पीटिशन की भावना पैदा हो और शिक्षक जागरूक होकर उनको पढ़ायें ताकि बच्चे देश का अच्छा सर्वांगीण विकास कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है, आपके माध्यम से मैं पी.एच.ई.डी. के अन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा कि जनता जल योजना एवं स्वजल धारा योजना पी.एच.ई.डी के माध्यम से चल रही थीं, उन योजनाओं को आपने ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को दे दिया है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो पी.एच.ई.डी. को यथावत रखा जाए या ग्राम पंचायत को फंड दिया जाए ताकि ग्रामीण लोगों की पेयजल की व्यवस्था हो सके। कारण यह है कि यह स्थानान्तरण करने के बाद ग्राम पंचायत के पास में कोई फंड नहीं होता है जिससे बिजली का बिल भर सकें ...(व्यवधान)

नहीं किया, सर, चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करिये, माननीय सदस्य। मंत्रीजी का जवाब भी आना है, काफी टाइम लगेगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): बस, सर, मैं जल्दी खतम कर दूंगा।

दूसरा, महात्मा गांधी नरेगा के मैं मेरे कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इस कार्य के अन्तर्गत आप लोग केवल कच्चा काम कराते हैं; एक महीने मिट्टी खोदकर इधर डालते हैं, दूसरे महीने में मिट्टी को उधर डालते हैं। तो मेरा इसमें सुझाव है कि नरेगा कार्य के अन्तर्गत कम से कम पक्के काम की योजना तय की जाए ताकि हर गांव-ढाणी में आज जहां स्कूल नहीं है, स्कूल के भवन नहीं हैं, दूसरी जगह सड़कें नहीं हैं, सड़कों के साथ की नालियां नहीं हैं या आंगनबाड़ी भवन नहीं हैं, ऐसे काम उनमें कराये जाएं तो मैं सोचता हूं कि परमानेंट असेट्स गांव की बढ़ेंगी जिससे गांव का विकास होगा।

इसी के साथ ही मेरा एक और निवेदन है कि आज जैसे हम बात करते हैं कि भाई, गांव-ढाणी में हर व्यवस्था होनी चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीजिंग में गया था, सियोल में भी गया था तो मैंने वहां महसूस

(श्री हरिसिंह रावत)

किया, मैंने वहां गांव का जो कल्चर देखा तो वहां ऐसी स्थिति है, वे ऐसा काम करते हैं कि जिस प्रकार हम गांव में या शहरों के अन्दर गार्डन बनाते हैं, तो गार्डन के अन्तर्गत वहां की सरकारों ने वहां पर जिम्नेजियम और खेल-कूद प्रतिस्पर्धा के लिए वहां जगह-जगह गार्डन की योजना बना रखी है। वहां हर परिवार को यह निश्चित किया गया है कि चाहे परिवार में पांच सदस्य हों, चाहे सात सदस्य हों, हर व्यक्ति खेल खेले। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नरेगा के अन्तर्गत ही हर गांव-ढाणी में यह योजना भी लागू की जाए ताकि बच्चों में और परिवार में खेल भावना पैदा होगी। क्योंकि यह सर्व विदित है कि यह जो भारतवर्ष है यह जनसंख्या में तो नम्बर टू पर आ गया, राशन-पानी में नम्बर वन है और खेल-कूद की बात पर तो मैं सोचता हूं कि लिस्ट में सब से नीचे हमारा नम्बर आता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हर ग्राम पंचायत हैड-क्वार्टर पर, गांव-ढाणी में अगर इस प्रकार के जिम्नेजियम या खेल-कूद की या ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हों कोई स्पोर्टस का रखा जाए तो मैं सोचता हूं कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ हमारे बच्चे स्पर्धा में आगे आयेंगे और देश का और हमारे परिवार का नाम रोशन करेंगे। इस तरह इसको जोड़ा जाए।

दूसरा, नरेगा के अन्तर्गत पेमेंट की बड़ी समस्या है। तो मेरा यह निवेदन है कि हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने योजना बनायी थी, जिस प्रकार ए.टी.एम. है उसी प्रकार बी.टी.एम. योजना चलायी थी, लेकिन हमारा समय पूरा हो गया तो वह योजना लागू नहीं हो सकी। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर बी.टी.एम. व्यवस्था हर पंचायत हैडक्वार्टर पर की जाए तो मैं सोचता हूं कि जितने भी विधायक महोदयों ने निवेदन किया था कि वहां पर नरेगा में काम करने वालों को पेमेंट नहीं मिलता है, अगर बी.टी.एम. मशीन हर पंचायत हैडक्वार्टर पर लगा दी जाए तो मैं समझता हूं कि हर ग्रामीण को रात को भी अगर पैसे की जरूरत आती है, रात को भी, मान लो, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, अगर कोई समस्या हो जाए तो तत्काल उसको पैसा मिल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, हरिसिंहजी। समाप्त करो आप।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सर, मैं बस दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट नहीं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सर, मेरे ये कुछ सुझाव हैं।

दूसरा, जो महिला विधवा होती है उसके एक बहुत बड़ी ट्रेजडी होती है। विधवा महिला के बच्चे-बच्ची हैं, जब स्थिति यह होती है कि जो विधवा है, कई बार समाज में ऐसी नाता प्रथा भी है या पुनर्विवाह कर लेती है, तो स्थिति यह होती है कि उनके कोई धणी-धोरी नहीं होते हैं, वे बच्चे-बच्ची अनाथ हो जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पालनहार योजना के अन्तर्गत,

यह पुनर्विवाह कर लेती है या नाते चली जाती है, तो उसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच से या वहां के प्रबुद्ध नागरिक से एक सर्टिफिकेट लेकर अगर पालनहार योजना के अन्तर्गत बच्चों को लाभ दिलाया जाए तो मैं सोचता हूं कि यह बहुत उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दूसरा एम पी एम एल ए लैड की बात करूंगा मैं, एम पी, एम एल ए लैड के दो-दो वर्ष, तीन-तीन वर्ष के हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो भी एम एल ए लैड से हम फंड अलाट करते हैं, उसमें इतने राइडर हैं कि दो-दो, तीन-तीन महीने तक हमारी फाइलें या कागज आगे-पीछे चलते रहते हैं, उसका लाभ नहीं मिलता है। तो...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें। माननीय श्री अभिषेकजी मटोरिया।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, हमारे एम एल ए फंड की राशि एक करोड़ से तीन करोड़ की जाए तो, मैं सोचता हूं हमारे सबके लिए उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष: ये आखिरी वक्ता हैं, पांच मिनट के लिए। हरिसिंह जी, विराजिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): एक मेरा छोटा सा सुझाव है। नगरपालिका और ग्राम पंचायत के बीच में जो पेरिफेरी की जमीन होती है, उस जमीन पर जो आबादी बसती है, उसके लिए हमेशा हमें बहुत परेशानी होती है। परेशानी यह होती है कि न तो उसको नगरपालिका पट्टा देती है, न उसको ग्राम पंचायत पट्टा देती है, जिसकी वजह से, मान लो, अगर वह कोई लोन लेना चाहता है घर पर या और कोई कार्य करना चाहता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, पंचायत राज मंत्रीजी, कम से कम या तो राइडर खतम कर दो, या तो यह पंचायत राज को दिया जाए..

श्री उपाध्यक्ष: अभिषेकजी, बोलना है क्या? हां, प्रारम्भ करिए। केवल आपका अंकित हो रहा है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पिन पाइंटेड एक-दो बात करिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): पांच मिनट तो मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनट बहुत होते हैं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): तो फिर रहने देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र और राज्य के साथ मिलकर 70-90 और 10-20 की हिस्सा राशि के अनुरूप किस प्रकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए कटिबद्ध है, या नहीं है, इसके लिए मैं मात्र पांच मिनट में कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा।

मेवात क्षेत्र विकास योजना मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर जिले की पन्द्रह पंचायत समिति जो कि मेव बहुल हैं, उनमें 1987-88 में चालू की गयी थी। आर्थिक रूप से इन लोगों को ऊपर उठाना और आर्थिक दृष्टि से इनको मजबूत करने के लिए योजना लागू की थी। परन्तु केन्द्र की सरकार आने के बाद 2008-09 में यह राशि 10.99 करोड़ से जो इनको आयोजित की गई थी उसमें 7.55 खर्च हुई; यानी 68 प्रतिशत। उसके बाद गुरु गोलवलकर जन विकास भागीदारी योजना 2005-06 में लागू की थी, इसमें 70 प्रतिशत की भागीदारी राज्य सरकार की और तीस प्रतिशत गांवों से की गई थी। इसमें मुख्य रूप से पेयजल, सड़क, भवन निर्माण, आदि के विकास के लिए राज्य सरकार का सपना था। इस योजना के तहत 2008 में 68 करोड़ की राशि के विरुद्ध 46.84 की राशि राज्य सरकार ने यहां खर्च की, मात्र 68 प्रतिशत।

तीसरी मुख्य योजना डांग विकास क्षेत्र योजना, दस्यु उर्फ डाकू प्रभावित इलाका जैसा कि धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, आदि क्षेत्रों में पंचायतों को मिलाकर पुनः पूर्ववर्ती सरकार ने 2005-06 में यह योजना लागू की थी। इस योजना पर 2008-09 में 12.81 करोड़ के विरुद्ध में 7.96 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने खर्च किये, मात्र 62.17 प्रतिशत।

उसके बाद चौथी जो मुख्य योजना थी मगरा क्षेत्र विकास योजना, जिसको पुनः 2005-06 में पूर्ववर्ती सरकार ने लागू किया था, ट्राइबल सब-

(श्री अभिषेक मटोरिया)

प्लान, टी एस पी से ऊपर उठकर उन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रभावी योजना थी। उनमें भी सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजसमन्द, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में यह योजना लागू की थी। 2008-09 में किस प्रकार इस योजना का राज्य सरकार ने भट्ठा गोल किया, वह मैं बताना चाहूंगा, 9.52 करोड़ के विरुद्ध में 6.35 करोड़ रुपए खर्च किये, यानि 65.70 प्रतिशत राशि का ही उपयोग हो पाया।

स्वविवेक योजना के अन्तर्गत यह राशि भी सरकार अपने स्तर पर जिला कलक्टर की अनुशंसा के तहत किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी आपदा के तहत या अन्य किसी फण्ड के तहत इस राशि का उपयोग कर सकती है। इसमें कलक्टर अपने निजी स्वविवेक के आधार पर ऐसे गांव जहां पर त्वरित गति से ऐसा कोई कार्य करने की आवश्यकता है, उसके तहत यह राशि खर्च कर सकते हैं। यह राशि भी पूर्ववर्ती सरकार में लगभग 75 लाख से लेकर एक करोड़ तक की राशि खर्च करने का जो दायित्व था, वह जिला कलक्टर के पास था।

परिसम्पत्तियों के निर्माण, रोजगार सृजन और सम्पत्तियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली इस योजना पर 2008-09 में राज्य सरकार ने जितनी इनको राशि अलाट हुई थी उसके विरुद्ध, 9.52 के विरुद्ध 6.35, यानी 65 प्रतिशत राशि इन्होंने खर्च की।

इन पांचों योजनाओं का इन तीन सालों में स्तर गिरा है। ग्रामीण विकास का दावा करने वाली राज्य सरकार या तो इन ग्रामीण विकास की योजनाओं की क्रियान्विति के प्रति गम्भीर नहीं है या इसलिए गम्भीर नहीं है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने इन योजनाओं को चालू किया था। जी जी एस वाई में 68.00 के विरुद्ध 46.84 करोड़, यानी 68 प्रतिशत क्रियान्विति,;डांग विकास योजना में 12.81 के विरुद्ध 7.6 यानी 62 प्रतिशत क्रियान्विति।

2009-10 में राशि उपलब्ध हुई 309 करोड़, खर्च की 154 करोड़; यानी 49.33 प्रतिशत, पचास प्रतिशत से भी नीचे की राशि 2009-10 में राज्य सरकार ने खर्च की। मेवात क्षेत्र योजना में 7.55 के विरुद्ध 5.55; जी एस जी वाई में 28.82 के विरुद्ध 10.52; डांग विकास योजना में 5.74 के विरुद्ध 3.50, यानी मात्र 53 प्रतिशत; मगरा क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 6.57 के विरुद्ध 4.30, मात्र 64.40 प्रतिशत; और स्वविवेक योजना में 20 करोड़ के विरुद्ध मात्र पांच करोड़, यानी 26.26 प्रतिशत राशि 2009-10 में खर्च की।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

इसी प्रकार, 2010-11 में कुल उपलब्ध राशि 406 करोड़ के विरुद्ध 182 करोड़ खर्च हुए, 44.81 प्रतिशत, राजस्थान के इतिहास में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत सबसे कम राशि अगर खर्च हुई तो वह 2010-11 में हुई। मेवात क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 9.89 की राशि के विरुद्ध 3.11 मात्र 31 प्रतिशत की क्रियान्विति। गुरु गोलवलकर विकास योजना के तहत 13.74 की राशि के विरुद्ध 3.88 यानि 28.26 प्रतिशत राशि डांग क्षेत्र विकास योजना में 5.26 के विरुद्ध 3.52, यानी मात्र 64 प्रतिशत क्रियान्विति मगरा क्षेत्र विकास योजना के तहत 8.64 के विरूद्ध 3.57 मात्र 41.25 ...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। पांच मिनट तो हो गए। कन्क्लूजन करो, कन्क्लूजन।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): 2011-12 में स्वविवेक योजना में 9.40 के विरुद्ध 4.63; मेवात क्षेत्र योजनान्तर्गत 4.64 के विरुद्ध 1.13, मात्र 23 प्रतिशत की क्रियान्विति; मगरा क्षेत्र विकास योजना में 9.61 के विरुद्ध 3.81 करोड़, मात्र 39.70 प्रतिशत। डांग क्षेत्र के विकास का दावा भरने वाली सरकार ने 2011-12 में जनवरी, 2012 तक 9.8 करोड़ के विरुद्ध 2.80 करोड़ की राशि, यानी मात्र 3.80 करोड़। कुल मिलाकर इन तीनों सालों में मात्र 52 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार ने खर्च की।

इसी प्रकार केन्द्र सरकार में स्थापित होने का मुख्य जो चुनावी मुद्दा था वह नरेगा था। योजना को बाद में पार्लियामेंट अधिनियम के तहत परिवर्तित कर दिया गया। इस योजना में 2008-09 में नौ लाख लोगों ने सौ दिन का काम पूरा किया, 2009-10 में इनकी संख्या घटकर 7.5 लाख रह गयी और फिर 2010-11 में इनकी संख्या घटकर 6.89 और अन्त में, जनवरी, 2012 तक इनकी संख्या घटकर 1.76 लाख। जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है परन्तु सौ दिन का पूरा काम करने वाले लोगों की संख्या घट रही है। नवम्बर, 2010 में पैंतालीस दिन की हड़ताल के बाद राज्य भर के मजदूरों का एक करार हुआ था जिसमें मुख्य रूप से आयुक्त नरेगा, तन्मय कुमार और एडिशनल लेबर कमिश्नर शत्रुंजय शर्मा भी शामिल थे। उसमें मुख्य रूप से भारत सरकार के सैद्धान्तिक निर्णय, जिसमें सूचकांक के आधार पर नरेगा की मजदूरी जोड़ी जाएगी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी पी आई (कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कर्नाटका हाई कोर्ट वर्सेज लेबर यूनियन के तहत यह निर्णय दिया गया था कि किसी भी राज्य में दो प्रकार की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी नहीं हो सकती। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के मेन फैसले को यथावत रखा। राजस्थान में 68 प्रतिशत महिलाएं जो नरेगा में लगी हुई हैं, उनको अगर आप वाकई मजदूरी देना चाहते हैं तो आप इस योजना को लागू करो। डेढ़ साल के अन्तराल में तीन बार कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ गया और इसके विरुद्ध 27 प्रतिशत मंहगाई बढ़ने के बावजूद, नरेगा की न्यूनतम मजदूरी लागू होने के उपरान्त आज तक 100 से लेकर 119 और 119 से लेकर 135 तक हुई। परन्तु फिर भी इस योजना की किसी प्रकार की क्रियान्विति नहीं हुई।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, 28.3.2012 को माननीय मंत्री महोदय और सरपंच एसोसिएशन की बैठक में जो निर्णय लिया गया था, तीन माह के अन्दर ठेकों की कार्यपद्धति पूरा करना, सामग्री क्रय हेतु जिस प्रकार के निर्णय लिए गए थे, उनको आज तक पूरा नहीं किया जा रहा। अन्त में, अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यालय आदेश की पालना हो और आपने जो बी पी एल आवास योजना में 6.80 लाख बी पी एल लोगों को जो आवास उपलब्ध कराने की बात कही है, इस योजना में जो सोच है वह अच्छी है परन्तु इसकी धीमी गति पर सरकार गौर करे और त्वरित गति से इस राशि को पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख किया जाए।

अन्त में, बैठने से पहले फण्ड्स, फंक्शनरीज और फंक्शन पर आपने जो बात की, जो पांच विभाग शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास को आपने जिला स्तर एवं पंचायत स्तर पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, वह आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। पंचायत समिति आज भी कमजोर है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए .....

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उधर के लिए बजी कि इधर के लिए बजी?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, पूरा ही सदन बजा रहा है, ऐसा लग रहा है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं इसीलिये तो कह रहा हूं।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28, 41 और 50 के ऊपर आज पक्ष, विपक्ष दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों ने बहुत गम्भीरता के साथ पंचायती राज की जो मूल भावना है, महात्मा गांधीजी से शुरू होकर नेहरूजी, राजीव जी, सोनियाजी, तिवाड़ी साहब, मैं आपको भी कह रहा हूं। आप कहां दूर जा रहे हो। मैं तो सबके लिये कह रहा हूं। आज तक को जो काम हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, हमें भविष्य में क्या काम करना है ? जिससे महात्मा गांधीजी की जो मूल धारणा थी ग्राम स्वराज्य की, इसको हम और आप सब मिलकर कैसे पूर्ण करें?

मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी है, तिवाड़ी साहब; खुशी इस बात की है, सभी साथियों में से कोई कह रहा था, मैं सरपंच भी था, मैं प्रधान था, तो मैं भी 25 साल से लगातार यही काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब तक जो मैं काम कर रहा था, मात्र एक जिले या दो जिले में कर रहा था, आज पूरे सदन की भावना सुनने का मुझे अवसर मिला जिससे मुझे अपने जीवन में काफी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ।

आप सभी ने बहुत अच्छी डिबेट की। इसके लिये मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पक्ष और विपक्ष होता ही इसीलिये है। मन को राज़ी रखो या मंद रखो लेकिन कहना जरूर है, इसलिये हम कह देते हैं। हर व्यक्ति ने मेरे लिये कहा है कि मैं गामीण आदमी हूं। अधिकांश यहां पर गांवों से आये हुए हैं, लेकिन मैं सही में गांव का आदमी हूं। आपको मोटा-तगड़ा लग रहा हूं तो यह मत समझना कि शहर में रहता है, बिलकुल जंगल का आदमी हूं इसलिये मुझे पहले टी ए डी विभाग दिया था और अब पंचायती राज विभाग दिया है।

तिवाड़ी साहब, मैं बार-बार आपको कोट करूंगा। हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ ही पंचायती है। पंचायती का मतलब जाजम के ऊपर बैठकर निर्णय करो। वह अच्छा निर्णय हो, जन हित का निर्णय हो, जनता के हित का निर्णय हो उसी को पंचायती कहते हैं।

अभी हमारी तरफ से भी कुछ अच्छी बातें और बुरी बातें हुईं, आपकी तरफ से भी कुछ अच्छी हुईं लेकिन बुरी ज्यादा हुईं। पंचायती राज को बार-बार कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। (व्यवधान) शांति रखो भइया, बाद में डटकर बोलना। मैं तो पहली बार बोल रहा हूं, सुनोगे तो मजा आयेगा।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

तिवाड़ी साहब, एक जमाना था, किन्हीं दो-तीन सदस्यों ने भी अपनी बात कही है, आदमी एक टाइम रोजगार के लिये मोहताज होता था। लकड़ियां बेचता था, कोयला बेचता था, भूखा भी सोता था किसी जमाने में। अमेरिका जैसे देश से ज्वार आया करती थी, उसको खाता था, वह सड़ी हुई ज्वार खाता था। हमारे गांवों में रहने वाले लोग तो दीवाली और होली पर गेहूं की रोटी खाते थे। उनके जीवन में नसीब ही नहीं हुआ करता था, गेहूं होता क्या है। किसी जमाने में न्याय पंचायत हुआ करती थी। पंचायत तो बाद में, कहते हैं, न्याय पंचायत ज्यादा पावरफुल थी। न्याय पंचायत के व्यक्ति किसी फटी टूटी जाजम के ऊपर बैठकर निर्णय करते थे कि आप दोनों भाई क्यों लड़े? उस जमाने में आना हुआ करता था, एक आना आपको दण्ड मिलेगा, डेढ़ आना आपको दण्ड मिलेगा। उससे पैसा इकट्ठा करके पंचायत का जाजम, लोटा, पानी, गिलास खरीदकर पूरी व्यवस्था को चलाते थे। उस वक्त जो निर्णय हुआ करते थे, वह महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि पंच में परमेश्वर, भगवान निवास करता है, वह निर्णय हुआ करता था।

आज 3 मांगें मैंने रखीं और इन पर आपने बहुत अच्छी डिबेट की। पंचायती राज का जो बजट है आने वाले वर्ष के लिये, 34 अरब 44 करोड़ 61 लाख 34 हजार, मैं अभी नाम नोट कर रहा था, तिवाड़ी साहब, चले गये वे तो, सुन्दर लालजी, हरजीरामजी बुरड़क साहब, भगराजजी चौधरी, घनश्यामजी तिवाड़ी, रामलालजी, मास्टर भंवरलालजी, अमीन खां जी, नाथूरामजी, आप गवाह हो इस बात के। हम तो नयी पीढ़ी के लोग हैं, हमने तो न कोई भूख देखी है और न कोई मेहनत भी की है; आप गवाह हो उस जमाने के। आज उस गवाह के रूप में आप सदन को शोभायमान कर रहे हो, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हो। यह नयी पीढ़ी के लिये हम समझते हैं कि हमको सीखने का कोई अवसर मिल रहा है।

मैंने अभी बजट के बारे में निवेदन किया, अगर इस पैसे का, हम सब मिलकर राजनीति से ऊपर उठ जाएं और ऊपर उठकर सही मन से काम करना शुरू कर दें तो गांव की गरीबी, वैसे कहने के लिये तो सब कुछ है लेकिन गरीबी अब नहीं रही है। हर व्यक्ति अभी नरेगा पर बात कह रहा था और यह कह रहा था, कांग्रेस का शासन आ गया इसलिये नरेगा का काम कम हो गया। हम लापरवाह हो गये, हमारे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तिवाड़ी साहब, राजस्थान का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में भी जाकर देखिये, गुजरात भी मेरे

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

पड़ोस में आ जाता है। बिहार में भी देखें, यू पी में भी देखें। पूरे देश का अगर हम संकलन करते हैं तो मात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम हुई हो? अकेला राज्य है राजस्थान जिसमें कम हुई है? मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है, गुजरात में भी आपका ही राज्य है, वहां जाकर देखोगे तो कोई कह नहीं सकता कि नरेगा क्या चीज है?

मैं आप सबको हाथ जोड़ता हूं। जब पहली बार नरेगा आया, जनता युद्ध स्तर पर काम पर लग गयी, युद्ध स्तर पर। अपने खेतों में जितना काम करना था, तवाई बांधनी थी, मेडें बांधनी थीं, कुएं खोदने थे, पुराने कुएं, नये कुएं, जो करना था वह करा लिया। अब सही मायने में देखा जाए तो लोगों के पास अब ज्यादा काम नहीं रहे हैं। जो काम हम करना चाहते हैं, इतने काम गांवों में नहीं रहे हैं।

दूसरी बात, हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिये, सच्चाई को स्वीकार हम सबको मिलकर करना चाहिये। गांव में कभी मोबाइल सुना करते थे आप? गांव में किसी के पास कोई मोटर साइकिल हुआ करती थी? मेरे अंकल जी 1972 में एक साइकिल लाये थे, तो लोग देखने के लिये इकट्ठे हुए कि न तो खाती है, न पीती है और पैर दबाएं तो दौड़ती है। आज साइकिल की कोई वकत नहीं रही। गांव में मोबाइल आ गये, गांव में मोटर साइकिल आ गयीं, गांव में जीप भी आ गयी, गांव में कारें भी आ गयीं, सड़कें पक्की बन गयीं।

अभी दो-तीन हमारे सदस्यों ने कहा कि यह जो सी एम बी पी एल योजना है, यह तो एक मजाक है, क्या कहने लगे, एक मजाक है। मैं तमाम सदस्य साहिबान को एक जानकारी देना चाहता हूं, फर्स्ट किश्त के बारे में तो यह पुलिन्दा पड़ा है, इसके ऊपर बात करूंगा मैं, फर्स्ट किश्त तो हमने डाल ही दी है, फर्स्ट किश्त के 99 प्रतिशत लक्ष्य हमने अर्जित किये लेकिन सैकण्ड किश्त भी हमने सी एम बी पी एल में 50 हजार 800 परिवारों की डाल दी है। अभी कोई कह रहा था 3 हजार, 4 हजार मकान बने होंगे। 50 हजार 800 परिवारों की सैकण्ड किश्त हमने डाल दी है। इंदिरा गांधी रेगुलर जिसमें 62 लाख 35 हजार इंदिरा गांधी योजना इन्सैंटिव, कुल मिलाकर ये 1 लाख 74 हजार 666 मकान आज प्रगति पर हैं और इनकी सैकण्ड किश्त हमने जारी कर दी है। इसी तरह से कुल स्वीकृत 4 लाख 32 हजार 665 में से 1 लाख 74 हजार 666 के आवासों पर द्वितीय किश्त के रूप में आज काम चल रहा है।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

बार-बार एक बात आ रही थी कि यह जो लोन लिया है, वह जिला परिषद् के ऊपर डाल दिया हमने। जिला परिषद् के अन्दर आय नहीं है, आन इन्कम नहीं है, पैसा भरेगा कहां से? हमारे सबके दिमाग में यह गलत भ्रांति है। हम सबको मिलकर इस भ्रांति को निकाल देना चाहिये। सवाल मेरा नहीं है, सदन में बैठे सदस्यों का नहीं है, सवाल उस आदमी का है जो आज भी गांव में झोंपड़ी में बैठा है, जिसके सिर पर पानी टपक रहा है। गर्मी उसको सहन करनी पड़ रही है, ठण्ड में उसका बच्चा ठिठुर रहा है। हम उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिये सरकार ने जितना पैसा हमने हुडको से लोन लिया है, वह तमाम पैसा राज्य सरकार सम्बन्धित जिला परिषद् के खाते में हस्तान्तरित कर चुकी है। यह बात मैं निवेदन कर रहा हूं, रिकार्ड में आ रही है यह बात। जिला परिषद् के ऊपर एक रुपये का भी कर्ज हम नहीं रहने देंगे, पूरा का पूरा पैसा राजस्थान की सरकार भुगतेगी। जिला परिषद् को एक रुपया भी भुगतना नहीं पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह गलत बात है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कोई बात नहीं, सर, हम दिखवा लेंगे। हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम नहीं दे पाये..

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कोई बात नहीं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): न इसका बजट में प्रावधान है और न कोई...

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हो सकता है, वह करेक्ट हो गया हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सारा का सारा पैसा आपने हुडको से जिला परिषदों को लोन पर दिलाया है। इसका जवाब मुख्य मंत्रीजी भी नहीं दे पाये। ना इसका बजट में प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कोई बात नहीं, हो सकता है, अब करेक्ट हो गया हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सारा का सारा पैसा आपने हुडको से जिला परिषदों को लोन से दिलाया है। यह सारे राजस्थान की जनता के साथ धोखा है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कोई दिक्कत नहीं है, वह तो बात सामने आ जायेगी।

एक माननीय सदस्य: मकान तो मिल रहे हैं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): दूसरी एक बात, अभी हंसी-मजाक के रूप में कह रहे थे बुजुर्गों के लिए कि वृद्धावस्था पेंशन पता नहीं, कितने लोगों को मिल रही होगी। अभी मैंने तुरन्त जानकारी ली है, 12 लाख 25 हजार लोगों को हम वर्तमान में राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन दे रहे हैं। जो सरकार ने अभी आयु कम की है माननीय तिवाड़ी साहब, जो 65 साल थी उसको 60 किया पुरुष के लिए और महिला के लिए जो 60 था उसको हमने 58 किया है। इसके भी अभी फार्म भरे जा रहे हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में जो गरीब गांवों में बैठे हैं, हो सकता है कि किन्हीं कारणों से उन बड़े बुजुर्गों को तकलीफ हो रही होगी। कुल मिलाकर हम यह मानकर चलते हैं कि 12 लाख लोगों को वर्तमान समय में हम यह पैसा दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी ग्राम सेवकों की रिक्तियों की बात आयी। अभी-अभी हम 703 ग्राम सेवकों की भर्ती कर चुके हैं। मात्र 4 परसेंट ग्राम सेवकों के पद रिक्त पड़े हैं। आने वाले समय में हम इन पदों को भी जल्दी से जल्दी भरने की कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के बारे में पूर्व में भी कई सारे प्रश्न पूछे गये; राजीव गांधी सेवा केन्द्र क्या काम आयेंगे; पता नहीं, ये क्या काम आयेंगे; यह सौर ऊर्जा क्या काम आयेगी। मैं वही बात कई बार गांवों में कहता है तिवाड़ी साहब, हरिदेवजी जोशी सी.एम. थे हमारे, बांसवाड़ा में, उनके पास कोई मोबाइल नहीं था और उस वक्त बड़ी-बड़ी बातें हुआ करती थीं। राजीव जी ने भी कहा था एक जमाने में कि देश 21वीं सदी में जायेगा। सदन में लोग, राज्य सभा में और लोक सभा में हंसे थे कि 41 साल का नौजवान आदमी देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात करता है। कैसे देश 21वीं सदी में जायेगा? वे तो चले गये परमात्मा के घर लेकिन आज जो गांव में, जंगल में आदमी बैठा है ना, वह एक दिन स्कूल नहीं गया, हल चलाता हुआ अपने साफे में से मोबाइल निकालकर के नम्बर डायल करके अपनी घरवाली से पूछता है कि मैं थक गया हूं, शाम की रोटियां तैयार हैं कि नहीं है? वही जो राजीव गांधीजी का सपना था, वह राजीव गांधी का सपना आज पूरा होने वाला है।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

बहुत जल्दी जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 23 हजार पद नरेगा और नरेगा के अलावा पंचायत राज की विभिन्न एक्टिविटीज को रेगुलर चलाने के लिए स्वीकृत किये हैं, बहुत जल्दी हम भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारा परमानेंट आदमी अभी भी बैठा है राजीव गांधी सेवा केन्द्र में और भरने के बाद में तमाम एक्टिविटी राजीव गांधी सेवा केन्द्र से जुड़ेंगी, गांव और देहात में बैठा हुआ आदमी देश और दुनिया में बात करेगा। तमाम चीजें आनलाइन होने वाली हैं, तमाम चीजें। आज हम यह बात कह रहे हैं, उसको कोट कर रहा हूं मैं, जोशी जी के पास में मोबाइल तो नहीं था, लेकिन आज हम यह कह रहे हैं कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र के अन्दर आनलाइन सब चीजों का भुगतान भी होगा और मैं कई बार मजाक में कहता हूं, हालांकि अपने सचिवालय में तो हो गया है...(व्यवधान) माफ करना, माफ करना, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाइये प्लीज। (व्यवधान) मैं आपके हाथ जोड़ता हूं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपको नहीं सुनेगा कोई। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): प्लीज, प्लीज, आप बाद में डटकर बोल लेना। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक देश ऐसा बता दो जिसमें मोबाइल और कम्प्यूटर क्रांति ना हो? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ऐसा दुनिया का एक देश बता दो, केवल एक देश...(व्यवधान) जिसमें मोबाइल और कम्प्यूटर ना हों? (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): नहीं, आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ऐसा एक देश बताओ जिसके अन्दर मोबाइल और कम्प्यूटर ना हों? कोई एक देश ढूंढ लाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उप नेता महोदय, ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): बैठो, बैठो आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बैठो, बैठो।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उप नेता की बात सुन लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वे बैठ गये, आप अपनी बात कहिये। हम पाषाण काल से यहां तक आ गये हैं, आगे बढ़िये।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जी, हुक्म।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई जवाब हुआ ना, जसवन्तजी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सुनने की शक्ति रखो, सुनने की।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, महेन्द्रजी। मंत्रीजी, मंत्रीजी, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जब तक माननीय मंत्रीजी अपनी बात कह देवें और मांगें पारित हो जायें, तब तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की राय है कि सदन का समय मंत्रीजी के उत्तर देने तक और मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय मंत्रीजी के उत्तर देने तक और मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 28, 41 व 50 पर विचार

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं फिर सदन से माफी चाहूंगा कि मुझे बोलने दो, मेरी पूरी इच्छा है बोलने की।

मैं राजीव गांधी सेवा केन्द्र की बात कर रहा था। ठीक है, आज कोई कमजोरी हो सकती है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कल तक जब यह सदन नहीं था या भवन नहीं था तो हम कहां बैठे थे? और जब भवन बन गया है तिवाड़ी साहब की मेहरबानी से, तो हम कहां बैठे हैं? आने वाले समय में विधान परिषद का गठन हो रहा है, तो पता नहीं, वह कहां जाकर बैठेगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बना हुआ है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बनेगा, हुक्म, कहीं न कहीं बनेगा। आपने बनवा रखा हो तो सबके काम आयेगा। राजीव गांधी सेवा केन्द्र भी आने वाले समय में देश और दुनिया की दूरियों को कम करेगा।

अभी हमारे कुछ सदस्यों ने कहा था कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र के साथ में शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि बहुत जल्दी ही राजीव गांधी सेवा केन्द्र के साथ में एक अलग से शौचालय का निर्माण किया जायेगा ताकि वहां पर जो भी आदमी आयेगा, उसके लिए सुविधा बनेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, तमाम जो हमारे सदस्य हैं, उन्होंने बार-बार एक बात को उठाया, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, पानी का। मैं मानता हूं इस चीज को। क्योंकि मैं प्रधान था किसी जमाने में, तो हमने भी छोटी-छोटी टंकियां बनायी थीं और खूब वाहवाही लूटी थी। लेकिन आज जंग लग रहा है। मैं आज के इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि चाहे इधर से हमारे सदस्य हों, चाहे उधर से हमारे सदस्य हों, जे जे वाई से प्रभावित होने वाले राजस्थान के किसी भी गांव और ढाणी में रहने वाला व्यक्ति हो, वह जनता जल योजना की टंकियों को देखकर मन में बहुत दुखी होता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हम सबके साथ एक बैठक करके यह निर्णय लिया है कि जनता जल योजना को प्रारम्भ किया जायेगा और पंचायत राज विभाग से एक रुपया नहीं लेंगे, सरकार अलग से पैसे का प्रबंध करेगी, लेकिन इस जनता जल योजना को वापस शुरू करेंगे। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का निर्णय हो चुका है, यह मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी काफी माननीय सदस्यों ने एक जोरदार बात उठायी है और इसको आप भी स्वीकार करते हैं और हम भी स्वीकार करते हैं, लम्बा समय हो गया है, पंचायतों का पुनर्गठन नहीं हुआ है। आबादी हमारी बढ़ गयी है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गयी, आदमी रेगिस्तान में अपना मकान बनाता गया; जिस दक्षिणी राजस्थान से मैं आ रहा हूं, जंगल में उसने अपना मकान बना लिया। एक व्यक्ति एक पंचायत को क्रास करके दूसरी खुद की पंचायत में जाता है, इतना बड़ा एक विस्तार हुआ है। हम खुद चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस बात को चाहते हैं कि पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए लेकिन पंचायत राज एक्ट में, कानून में जो व्यवस्था की हुई है,

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

उसमें यह है कि आज अगर हम किसी पंचायत का पुनर्गठन करते हैं तो उस पंचायत के 6 महीने के अन्दर-अन्दर हमको नये चुनाव कराने पड़ेंगे और पुरानी पंचायत को भंग करनी पड़ेगी। यह प्रावधान किया हुआ है। आपकी भावना की मैं बहुत कद्र करता हूं। लम्बे समय से मैं इस काम को करने के लिए लगा हुआ था कि इसको कैसे हम करेंगे। लेकिन, तिवाड़ी साहब, मैं एक बात निवेदन कर सकता हूं कि इसके अन्दर भी कोई परिवर्तन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। लेकिन पंचायतों का पुनर्गठन करने की हम पूरी मंशा रखते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कल साढ़े दस बजे कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग है। अगर आप चाहो तो दो अमेंडमेंट सरकार ला रही है दूसरे एक्टों में, एक अमेंडमेंट इसमें भी ले आयें तो कल ही पारित कर देंगे।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): ठीक है, सर, वह भी बात कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कल है साढ़े दस बजे, कल ही कर लेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: सुबह साढ़े दस बजे है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, तो आप ले आओ अमेंडमेंट। कल ही पारित कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कल साढ़े दस बजे से है बी ए सी की मीटिंग।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कल ही कर दो काम।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): तिवाड़ी साहब, जब देश की आजादी हुई, तब किसी गांव के आदमी ने पंडित जवाहरलाल नेहरूजी से पूछ लिया कि पंडितजी क्या देश की आजादी हो गयी। पंडितजी तो थे ही अपनी तरह से, कहा कि हां, देश की आजादी हो गयी; वह बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा कि पंडितजी, आप देश की आजादी कह रहे हो, वह बात तो ठीक है, हमारे मायने में देश की आजादी अभी पूरी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि देश की आजादी कैसे पूरी हो सकती है? उसने कहा कि दिल्ली में जो आदमी आज कोट पहनकर घूम रहा है, वह गांव में जिस दिन कोट पहनकर घूमेगा तब देश की आजादी पूरी होगी; जो दिल्ली की सड़क है वह गांव में जायेगी; जो दिल्ली की शिक्षा है वह गांव में जायेगी; दिल्ली की बिजली गांव

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

में जायेगी; यहां गेहूं खाने वाला व्यक्ति भी गांव में जायेगा; तभी जाकर के देश की आजादी होगी।

आज आप कुछ बोले होते तो मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता। आप नहीं बोले। मुझे आपका डर भी था और मुझे खुशी भी थी। मुझे खुशी इस बात की होती कि आप बोलते तो दो-तीन कोई गीत या कोटेशन गाते, लेकिन आपने नहीं किया और एक हमारे साथी ने किया तो मैं कम पढ़ा-लिखा आदमी हूं तो मुझे समझ में नहीं पड़ा कि क्या बोला और क्या नहीं; वह बाकी सारी बात तो समझ में आ गयी पंचायत राज की। लेकिन वह क्या बोले, वह मेरी समझ में नहीं आयी।

मैं भी गांव का आदमी हूं, मैं दो-तीन बातें अपनी इस सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। उस वक्त देश की आजादी के जमाने में जो बड़े बुजुर्ग थे वे गीत गाया करते थे,

‘कि कोरा में कबूतर बोले, बडले बोले मोरया,
जाग म्हारा किसान भाया, किम निंदरे महुतोरे।
राज नो फिरंगी राते नाटो दिल्ली कब्जायो रे,
दिल्ली कब्जायो एने लाल किले माथे तिरंगो फहरायो रे।
लाल किला माथे तिरंगो फहरायो, एने तांबा पत्र माथे लिखायो रे।
ताबां पत्र माथे लिखायो, एने पहलो नाम जवाहर लाल चढ़ायो रे।
गांव-गांव ना झगड़ा मटोरो, एवतो एको राखो रे।
छोरा-छोरी ने बनता करतो राज री कुर्सी पावे रे।’

छोरा-छोरी को पढ़ा दिया तो राज की कुर्सी अपने को मिली। मजे मार रहे हैं आज ये।

राज नो फिरंगी राते नाटो, अंग्रेजों को रातों-रात भागना पड़ा था।

वह किसी जमाने में बड़े बुजुर्ग गीत गाया करते थे। आज सही मायने में वे तमाम चीजें, मैं समझता हूं कि पूरी हुई हैं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, माफ करना, आप कोई बात मत कहियेगा।

(22.00 बजे)

अभी पांच विभागों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भी काफी चर्चाएं हुई हैं। सरकार ने पहले भी ये विभाग हस्तान्तरित किये थे, लेकिन चाहे वह

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

अधिकारी हो, चाहे वह जन प्रतिनिधि हो, वह अधिकार तब मानेगा जब उसके पास शक्तियां आएंगी और शक्ति यहां पर इतनी सी बात की है कि जब तक उनको ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक किसी जन प्रतिनिधि को कोई विश्वास नहीं होगा कि ये पांच विभाग मेरे पास आये हैं कि नहीं आये हैं। मैं समझता हूं कि जब भी सरकार बैन खोलेगी, पंचायत समिति से पंचायत समिति में पंचायत समिति की स्टैडिंग कमेटी, एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जिला स्थापना समिति या जिले की स्टैंडिंग कमेटी, ये छोटे -मोटे ट्रांसफर भी करेंगी और अभी आने वाले समय में, चूंकि मैं तो निचले स्तर पर भी रहा हुआ हूं, हरिदेवजी जोशी कहा करते थे कि कोई भी सरकारी अधिकारी, बुरा मत मानना, अरबी घोड़ा है, इस पर एक बार टांग लगाकर जो चढ़ गया वह तो पार कर गया और टांग लगाने में गिर गया वह नहीं चढ़ पायेगा। आपको अधिकार और शक्तियां दीं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी बनती है, इन निचले स्तर पर सरपंचों को, हमारी पंचायत समिति और जिला परिषद के ये जो छोटे भाई हैं, चुने हुए लोग हैं, इनकी हम मदद करें। इनकी मदद करनी पड़ेगी हमको।

एक समस्या अभी बार-बार यहां पर उठकर आ रही थी कि अधिकारी मीटिंगों में नहीं जाते हैं। लेकिन मैं सदन से यह कहना चाहूंगा, आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी यहां पर नहीं हैं, उनके निर्देश प्राप्त हुए कि जब तक हमारे विधायक नहीं कहें, तो माननीय अध्यक्षजी ने एक व्यवस्था दे दी कि जब कोई एक तारीख फिक्स कर दो, उसी तारीख को पंचायतों में बैठक होगी तो हमारे एम एल ए और मंत्री महोदय जा पायेंगे। अब एक तारीख एक जिले में तय हो, जिले में 8 पंचायत समितियां और आठों मीटिंगें हो रही हैं तो जिले का कौन अधिकारी वहां जाएगा? मैं कह दूंगा कि मैं तो बांसवाड़ा गया था, दूसरा कह देगा कि मैं तो डूंगरपुर गया था, जबकि मैं न तो बांसवाड़ा गया था और न डूंगरपुर गया था। माननीय अध्यक्षजी आज नहीं हैं, दुबारा हम सब इस बारे में उनसे निवेदन करेंगे कि इसमें क्या संशोधन कर सकते हैं। अगर तारीख जिले में अलग-अलग दिन रखी जाएगी तो निश्चित रूप से अधिकारियों को जाना पड़ेगा। आज सदन में इस बात के लिये मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो हम नोटिस जारी करते हैं पंचायत समिति में या पंचायत की साधारण सभा में, उसमें रजिस्टर में प्रोसीडिंग्स लिखी जाती है कि किसको हमने नोटिस दिया और

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

किसने उपस्थिति दर्ज कराई। इतनी सी रजिस्टर की फोटो कापी हमारे यहां, या जिला परिषद में या कहीं भी भिजवा दें तो जो अधिकारी नहीं जाते हैं, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन आज यह करने की हम सबको आवश्यकता है। धीरे-धीरे यह भी आगे हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है।

बी पी एल के बारे में पहले भी मैं कह चुका हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ी पहल की है और मुझे आज इस बात को कहते हुए ज्यादा खुशी है कि 3 जून, 2011 को बांसवाड़ा जिले से ही माननीय सोनिया गांधीजी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है और एक बेहतर तरीके से काम चल रहा है और एक मौका आयेगा जब हम सभी गांव में कभी जायेंगे तो इनके मकान को भी देखेंगे और अच्छा तो यह होगा कि हम उनके घर पर जाकर चाय पीयें और उस गरीब के हौसले की अफजाई करें। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा काम रहेगा।

अभी मेवात के ऊपर हमारे नौजवान साथी ने काफी कुछ बातें कही हैं, पता नहीं, वे आंकड़े कहां से लाये लेकिन बोले बहुत अच्छा। अगले चुनाव में आप जीतकर आयेंगे तो आपको ही पंचायती राज मंत्री बनाने की मेरी इच्छा है। बहुत अच्छी बात कही लेकिन एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो बहुत उदार दिल के हैं, उन्होंने हमारे डांग क्षेत्र के लिए गत वर्ष 2011-12 में जो 10 करोड़ रुपये थे, इस साल 2012-13 में 15 करोड़ रुपये करने की व्यवस्था की है। आज इस काम के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि काम करने की अनुशंसा हम माननीय विधायकों से, माननीय प्रमुखजी से और प्रधानजी से ही मंगवा रहे हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह अलग से पैकेज है, जैसे टी ए डी के लिए अलग से पैकेज है, वैसे ही डांग क्षेत्र के लिए भी अलग से पैकेज है। इसी तरह से मगरा में भी 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपये किया है और मेवात के लिए 15 से 25 करोड़ रुपये किया है। इसी तरह से स्वविवेक के अन्दर भी तीन करोड़ से साढ़े तीन करोड़ रुपये, ग्रामीण क्षेत्र सहभागिता के अन्दर भी 20 करोड़ रुपये से 35 करोड़ रुपये किया है। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस पैसे का पूरा-पूरा उपयोग करें। हम यह कह दें कि जिस सरकार ने किया वह सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार की जिम्मेदारी तो है लेकिन हम भी चुने हुए लोग हैं, यह हमारी भी जिम्मेदारी है; हम चुने हुए लोग हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

है। हमारा हक है, हमारी जनता का पैसा है, हम इस पैसे का ज्यादा से ज्यादा कैसे सदुपयोग करें, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के सम्बन्ध में काफी बातें आई हैं और विशेषकर टेण्डर को लेकर आई हैं। जब से यह डिपार्टमेंट मेरे पास आया है, लगातार मैं अधिकारियों के साथ, तिवाड़ी साहब, मैं बैठक कर रहा हूं और कई बार मैं कह चुका हूं कि किसी की नजर लग गई, इस महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना पर किसी की बुरी नजर लग गई है। कोई ठप नहीं पड़ी है। (व्यवधान) कोई ठप नहीं पड़ी है। सबकी जिम्मेदारी है इसको ठीक करने की, हम कर सकते हैं कहीं गड़बड़ी होगी तो। हमने सबने मिलकर सरपंच को कह दिया चोर, ग्राम सेवक चोर, सबको कह दिया चोर, वह तो डर गया। 50 प्रतिशत हमारी महिलाएं हैं, कुछ ग्राम सेवक हमारे नाकेदार और चौकीदार हैं। धीरे-धीरे हम उनको भी सिखा रहे हैं। दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन इस स्पीड को हम आने वाले समय में ठीक करेंगे।

मैंने पहले ही कहा है कि हम पूरे राज्यों की तुलना करते हैं तो इन तमाम राज्यों में राजस्थान आज भी अपना अच्छा मुकाम रखता है और इन दो दिनों के बाद मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप सबके सहयोग से हम सब के सब जिलों में जायेंगे, जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, नरेगा की विभिन्न योजनाओं के बारे में बात करेंगे।

अभी 133 रुपये भी नरेगा के अन्दर किया है, यह भी बहुत अच्छी बात है। टेण्डर के बारे में जरूर दिक्कतें आ रही हैं। तिवाड़ी साहब, सब हम बहुत जल्दी इसका निर्णय करेंगे। लेकिन इस योजना के अलावा राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अलावा, हम पंचायतीराज के अन्दर एक कानून में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसमें मात्र नरेगा में क्या होगा यह मैं आज कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन नरेगा की स्कीम के अलावा बाकी जो एम पी लैड, एम एल ए लैड, स्वविवेक, टी एफ सी, एस एफ सी, मेवात विकास, डांग विकास, यह जितने भी काम हैं, इन तमाम कामों में हम प्रयास में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी हम इनके ऊपर कोई रास्ता निकालेंगे। मस्टररोल के बारे में और जिस तरह से इर्रिगेशन विभाग और पी एच ई डी विभाग ठेका प्रथा पर, कांट्रेक्ट पर काम करता है, उसी तरह से पंचायती राज को मुक्त करेंगे ताकि

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

यह बार बार आडिट होना, मस्टररोल भरना, 60-40 का रेशो, इन झगड़ों को हम खतम करना चाहते हैं ताकि सरपंच डट कर काम कर सकें और क्षेत्र का विकास कर सके।

यहां बार-बार सदस्यों की मांग आई है और मैं भी इसको स्वीकार करूंगा क्योंकि मैं भी किसी समय प्रधान रहा, प्रमुख रहा तो मैं इन सब बातों से तंग आ जाता था, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, चुनाव के बाद इनको कोई पूछता नहीं है और तंग आकर, तिवाड़ी साहब, तंग आकर या तो वे प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं या जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं या फिर शिकायतें शुरू कर देते हैं। इसीलिये अभी हम तीन प्रतिशत पैसा जिला परिषद में दे रहे हैं और इस पैसे का हमने लैटर लिखा है, सी ई ओ को लिखा है, ए सी ई ओ को लिखा है, जिला प्रमुख को लिखा है कि यह जो तीन प्रतिशत पैसा है वह तमाम सदस्यों में समान दृष्टि से बांटें, उनकी राय लें और वे काम जो करवाना चाहते हैं उनकी राय के आधार पर स्वीकृति दी जाए ताकि वे भी स्वाभिमान के आधार पर जिन वोटों से वे जीतकर आये हैं वहां पर वे अपना काम करा सकें। इसी तरह 12 प्रतिशत पैसा हम पंचायत समितियों को भी दे रहे हैं, वहां पर पंचायत समिति के सदस्यों को काम करने का अधिकार मिलेगा। आगे हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जो 3 प्रतिशत और 12 प्रतिशत पैसा है उस पैसे को और आगे बढ़ाया जाये ताकि कम से कम उनको एक अच्छा हैल्दी पैसा मिले जिससे वे विकास ठीक ढंग से कर सकें।

वाटरशैड के बारे में भी अभी काफी बातें हुई हैं। एक महत्वपूर्ण योजना है और काफी भारत सरकार से पैसा इस वाटरशैड योजना में आ रहा है। लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग ने एक नारा दिया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जिले का पानी जिले में और वह नारा पता नहीं, कौन से जमाने में दिया था। आज वक्त आ रहा है, तिवाड़ी साहब, ऐसा लगता है कि किसी जमाने में एक बार अगर युद्ध होगा तो किसी और बात के लिये नहीं, पानी के लिए युद्ध होने वाला है। यह जो वाटरशैड जल योजना है यह ठीक ढंग से काम करे, काफी पैसे का इसमें प्रावधान किया है, करीब 400 करोड़ रुपये का। उसके लिए भी हम सदन से यही अपेक्षा करेंगे कि आपके क्षेत्र में हो रहा है, आप कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता महसूस करें या आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो तो राज्य सरकार की जानकारी में लायें, इस

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

वाटरशैड योजना को हम ठीक करेंगे जिससे हमारा जल स्तर बढ़ेगा और अभी-अभी जो कमी आई है उसका मूल कारण यही है कि पिछले दो साल में हमारे यहां अच्छी बरसात भी हुई है और अच्छी बरसात होने की वजह से हमारी खेती बाड़ी भी अच्छी हुई है और जिसकी वजह से भी हमारे गांवों में काफी अन्तर आया है।

मिड-डे मील के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मिड-डे-मील, यह बहुत बड़ी योजना है और इस मिड-डे-मील योजना को लेकर बच्चों के ठहराव में काफी परिवर्तन आया है और करीब 17 हजार विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। इससे 17 हजार विद्यार्थियों का नामांकन पूरे प्रदेश में बढ़ा है। जहां कहीं भी इस बात को लेकर शिकायतें आ रही हैं, वहां पर इनके खिलाफ हम कार्यवाही भी कर रहे हैं। सैंट्रल किचन में इनकी शिकायतें आईं, उनके कुप्रबंध को भी हमने समाप्त किया है और करीबन एक करोड़ 24 लाख की उनसे हमने वसूली भी की है।

जनगणना, जनगणना भी एक महत्वपूर्ण काम है और इसके अन्दर भी हमने 2011 का लगभग 98.6 प्रतिशत जो गणना का कार्य है, उसको पूरा कर लिया गया है। इसके अन्दर भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो उस शिकायत की आपत्तियों पर निचले स्तर पर ग्राम सेवक, पटवारी प्रथम अपील के रूप में कर सकते हैं और इसके बाद अगर इसका कोई निस्तारण नहीं होता है, एस डी एम, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, बी डी ओ, यह सात दिवस के अन्दर इसका भी हमने निपटारा करने का निर्णय किया है।

अभी एक बात भी सामने निकल कर आई थी, गांवों का सुनियोजित तरीके से विलेज मास्टर प्लान बनाने के सम्बन्ध में इस प्रकार भवन रहित ग्राम पंचायतों में नवीन भवन, जीर्ण-शीर्ण, अनुपयोगी और असुरक्षित पंचायत भवन के स्थान पर भी नवीन पंचायत भवन बनाये जाएंगे। प्रत्येक जिला परिषद् के अन्दर बैठकों के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं आम जन के लिए आवश्यकतानुसार विश्राम स्थल के रूप में 25 लाख रुपये की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर भी की है।

अभी आर डी एस के बारे में भी काफी बातें हुईं, विकास अधिकारियों की रिक्तियों के बारे में। अब तक हम अलग-अलग तीन फेज में रिक्तियां दे चुके हैं और बहुत कम अब जो जगह रह गई हैं, जहां पर विकास अधिकारियों

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

को भी नियुक्ति देना शेष रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि सीधी भर्ती के माध्यम से तीन चरणों में 223 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, 59 पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग को और अनुरोध कर दिया गया है। गत वर्ष 170 कनिष्ठ अभियंता और इस वर्ष 121 कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की गई है। गत वर्ष 703 ग्राम सेवकों को सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रदान की गई है। पंचायत राज के सशक्तिकरण हेतु जिला परिषद् स्तर पर मुख्य विधि सहायक-33, पंचायत समिति प्रसार अधिकारी- 182, अतिरिक्त पद, कनिष्ठ लिपिक के 309 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 209 पदों का सृजन किया गया है। जिला परिषदों द्वारा मृतक आश्रितों के आवेदकों के ऊपर भी 198 कनिष्ठ लिपिक और 140 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की गई है।

अध्यापकों की भर्ती को लेकर बार-बार सदन की ओर से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार सदन में भी बात सामने आई है, बाहर भी काफी धरने और प्रदर्शन हुए हैं, दिल्ली में काफी सदस्य आरपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती करना चाह रहे हैं लेकिन जो पंचायती राज एक्ट में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार हम आरपीएससी के माध्यम से इस भर्ती को नहीं कर सकते हैं। हमको जिला स्थापना समिति के माध्यम से ही करना होगा। अब तक 11,71,487 आन-लाइन आवेदन प्राप्त हो गये हैं और बहुत जल्दी हम उनकी परीक्षा कराकर जितनी भी पूरे प्रदेश में जगह खाली हैं, इनको हम भरेंगे। उसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 30 हजार अध्यापकों की अतिरिक्त भर्ती के लिए अपने इस बजट में घोषणा की है। इस सम्बन्ध में हम बहुत जल्दी टैट परीक्षा करवाकर जो 30 हजार पद हैं, वे भी हम भरेंगे। इस तरह से, हम मात्र पंचायती राज में भी अगर देखते हैं तो 39,544 और 23 हजार पंचायत कर्मी और 20 हजार अध्यापक, करीबन 82 हजार 44 के आसपास पंचायती राज के माध्यम से विभिन्न छोटे-मोटे कर्मियों की भर्ती हम करेंगे (व्यवधान) बिलकुल करेंगे, आशा तो हुई ही है, करेंगे, यही करेंगे, सर। बिलकुल करेंगे और करने की हमारी मन में पूरी इच्छा है।

इसलिए मैं आज इस मौके पर अपनी कोई ज्यादा बात नहीं कहूंगा। महोदय, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि पहली बार, पंचायती राज का एक गांव से जुड़ा हुआ महकमा है, गरीब से जुड़ा हुआ महकमा है और गांधीजी का जो सपना था, उस सपने को आप और हम सब मिल कर पूरा करने की भावना

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

मन में रखते हैं। हां, हम सब मिलकर महात्मा गांधीजी की अवधारणा के अनुसार पूरे राज्य में पूरी ताकत के साथ इस पंचायती राज को सशक्त करें और सरकार की विभिन्न योजनाओं को हम ठीक ढंग से लागू करें जिससे कि गांव और देहात में रहने वाली जो आम जनता है, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यही मैं आज के मौके पर कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पूरे सदन को अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं, आपको भी धन्यवाद करता हूं और मुझे पूर्ण रूप से बोलने का आप सब ने अवसर दिया, मौका दिया, आप सभी के प्रति आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जसवंत यादव के प्रति भी आभार ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): कट मोशन का जवाब दोगे कि नहीं?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जिन माननीय सदस्यों के कट मोशन मुझे प्राप्त हुए हैं, 48 घंटे के अन्दर-अन्दर सब को उनके उत्तर मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मांग के लिए बोलो न।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28, 41 और 50 को पारित किया जाए।

मांग संख्या 28 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 – ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,81,62,69,000/- (दो अरब इक्यासी करोड़ बासठ लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 – सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 28,61,92,64,000/- (अट्ठाइस अरब इकसठ करोड़ बानवे लाख चौंसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50 – ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,01,06,11,000/- (तीन अरब एक करोड़ छह लाख ग्यारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल 2012 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.18 बजे गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु "आन लाइन" प्रवेश प्रक्रिया

427. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को प्रवेश मेरिट सूची/साक्षात्कार के आधार पर दिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश मेरिट वाला छात्र साक्षात्कार के समय पर उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसके स्थान पर अन्य छात्र को प्रवेश दे दिया जाता है, जिससे देरी से आने वाला मेरिट वाला छात्र प्रवेश लेने से वंचित हो जाता है? यदि हां, तो उक्त छात्र को प्रवेश हेतु क्या नियम है और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय व राजस्थान मेडिकल कालेजों में प्रवेश की भांति उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आन- लाइन मेरिट वाले छात्रों को प्रवेश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश मेरिट वाला छात्र साक्षात्कार के समय उपस्थित नहीं होता है तो उसके स्थान पर प्रवेश विवरणिका के बिन्दु संख्या 3.1.1 "प्रवेश हेतु योग्यता/सामान्य वरीयता क्रम में नाम पुकारे जायेंगे तथा उपस्थित अभ्यर्थियों को उसी क्रम में उस दिन के लिये प्रवेश टोकन दिये जायेंगे।" के अनुसार अन्य उपस्थिति छात्र को प्रवेश दे दिया जाता है। उक्त छात्र जिस समय उपस्थित होता है उसे उसी समय प्रवेश टोकन दिया जाकर उसी क्रम में प्रवेश दिया जाता है।

(2) जी हां। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी अभियांत्रिकी एवं मेडिकल शिक्षा की भांति आनलाइन मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाने हेतु एनआईसी के साथ वार्ता प्रारम्भ की जा चुकी है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा में आई.आई.आई.टी. की स्थापना

434. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में आई.आई.टी. की जगह ट्रिपल आई.टी. खुलने का मामला भी अभी रुका हुआ है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी ने किसी कम्पनी का नाम प्रस्तावित किया है? यदि हां, तो वह कम्पनी कौनसी है और उसे आई.टी. क्षेत्र का कितना अनुभव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ट्रिपल आई.टी. के संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के क्या मानदण्ड है और संचालन करने वाली कम्पनी की तकनीकी विशेषज्ञता व वार्षिक टर्न ओवर कितना होना चाहिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा मार्च, 2011 में ट्रिपल आई.टी. कोटा में होने की घोषणा की गई थी, उसके बाद इसके संचालन के लिए देशभर से जो आवेदन आमंत्रित किये गये उसमें अब तक कितने आवेदन आये किस-किस कम्पनी के आये और उसके बाद अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई और अब ट्रिपल आई.टी. कोटा में कब शुरू होगी? तथ्यों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा में ट्रिपल आई.टी. खोलने का कार्य प्रगति पर है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2012 को आयोजित बैठक में सैद्धान्तिक सहमति प्रकट की जा चुकी है। इसका निर्माण कार्य निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत चयनित निजी जनसहभागियों द्वारा केन्द्र सरकार से अंशदान राशि प्राप्त होने के उपरान्त प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2011 में प्रमुख शासन सचिव तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में गठित वरिष्ठ एवं अनुभवी सात सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किसी एक कम्पनी विशेष का नाम प्रस्तावित नहीं किया अपितु वरीयता के क्रम में चार कम्पनियों के नाम यथा वक्रांगी साफ्टवेयर लिमिटेड मुम्बई, कोर प्रोजेक्ट एण्ड टेक्नोलोजीज लिमिटेड मुम्बई,

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

केमेलिया ग्रुप एवं रायसोनी ग्रुप आफ इंस्टिट्यूशन्स प्रस्तावित किये गये थे। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

इन चारों कम्पनियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्र में अनुभव निम्नानुसार है:-

1. वक्रांगी साफ्टवेयर लिमिटेड मुम्बई - 21 वर्ष
2. कोर प्रोजेक्ट एण्ड टेक्नोलोजीज लिमिटेड मुम्बई - 8 वर्ष
3. केमेलिया ग्रुप - 10 वर्ष
4. रायसोनी ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन्स - 12 वर्ष

(3) ट्रिपल आई.टी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित किया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। इसके संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्य सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये जाते हैं। इसका संचालन करने वाली कम्पनी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित प्रारूप अभिशंसाएं परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

(4) जी हां। विज्ञापन की अन्तिम तिथि 15 अप्रैल, 2011 तक कुल 46 प्रस्ताव प्राप्त हुये जिनमें से प्राथमिक तौर पर 14 बड़े औद्योगिक घराने एवं शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार की गई। सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

प्रथम दृष्टया उपयुक्त औद्योगिक घरानो एवं शिक्षण संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (स्क्रिनिंग कमेटी) के समक्ष दिनांक 2 मई, 2011 को उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण के लिए आमन्त्रित किया गया। उक्त दिनांक को 14 में से 10 औद्योगिक घराने एवं शिक्षण संस्थानों ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रस्तुतीकरण के आधार पर विशेषज्ञ समिति ने वरीयता के अनुसार निम्न 04 नाम प्रस्तावित किये जिन्हें उच्च स्तर पर अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया :-

1. वक्रांगी साफ्टवेयर लिमिटेड मुम्बई।
2. कोर प्रोजेक्ट एण्ड टेक्नोलोजीज लिमिटेड मुम्बई।
3. केमेलिया ग्रुप कोलकाता।

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

4. रायसोनी ग्रुप आफ इंस्टिट्यूशन्स नागपुर।

दिनांक 29 जुलाई, 2011 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार राज्य सरकारों को यह निर्देशित किया गया कि आई.टी. क्षेत्र में अधिक अनुभवी एवं सक्षम कम से कम तीन औद्योगिक घरानों का निजी सहभागियों के रूप में चयन किया जावे। इसी उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में उक्त प्रस्तावित चार नामों पर विचार-विमर्श किया गया एवं क्रम संख्या दो से चार पर अंकित प्रस्तावों को निरस्त करते हुये तीन विश्वस्तरीय एवं प्रतिष्ठित समूहों से सम्पर्क करते हुये सम्मिलित किया गया एवं अन्त में समिति की अनुशंसानुसार ट्रिपल आई.टी. की स्थापना हेतु चार निजी सहभागियों के नाम केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये जो निम्नानुसार है :-

1. श्री एल.एन. मित्तल, अध्यक्ष, आर्सेलर मित्तल समूह जरिये लक्ष्मी - उषा मित्तल फाउण्डेशन।
2. श्री सी. के. बिरला, अध्यक्ष, हिन्दुस्तान मोटर्स (बिरला समूह)
3. जैनपेक्ट इण्डिया, जयपुर।
4. वक्रांगी साफ्टवेयर लिमिटेड, मुम्बई।

दिनांक 14 मार्च, 2012 को नई दिल्ली मे आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रकट की जा चुकी है। अब केन्द्र सरकार से अंशदान राशि प्राप्त होने पर कोटा शहर में आवंटित 100 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

केन्द्र सरकार से अंशदान राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीनगर (अजमेर) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

435. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार श्रीनगर (अजमेर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अवाप्त प्रक्रिया के लिये राजस्व विभाग को 1.32 करोड़ राशि जमा कराने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के उपरान्त भी तीन वर्ष से औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोला गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम श्रीनगर तहसील नसीराबाद (अजमेर) में रीको द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु निगम द्वारा 1326.34 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13.09.2011 को जारी की जा चुकी है तथा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। क्षेत्र का पी.टी. सर्वे करा लिया गया है तथा क्षेत्र का नियोजन हो चुका है। भूमि आबंटन सम्बन्धी निर्णय प्रबन्धन द्वारा शीघ्र ही लिया जावेगा ।

(2) जी हां। निगम द्वारा श्रीनगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु राजकीय भूमि आवंटन के लिये 1.27 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को माह फरवरी, 2010 में प्रीमियम के तौर पर जमा करायी गयी है तथा माह अप्रैल, 2010 में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। भूमि का कब्जा प्राप्त होने के उपरांत प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है तथा आवंटन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय निगम प्रबन्धन द्वारा लिया जा रहा है जिसके उपरांत ही उक्त औद्योगिक क्षेत्र भूमि आबंटन हेतु खोला जाएगा।

कृषि जिन्सों पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अनुदान

436. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में खरीफ की फसल की किन-किन जिन्सों को समर्थन मूल्य (सरकारी दर) पर खरीद करना तय किया हुआ है? जिन्सवार समर्थन मूल्य की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्ष 2011-12 में किस-किस जिन्स फसल की कितनी खरीद समर्थन मूल्य पर की गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सीकर में जनवरी, 2011 से फरवरी, 2012 तक किस-किस जिन्स/फसल की कितनी-कितनी मात्रा में किस दर पर सरकारी खरीद हुई है? मंडीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(4) क्या यह सही है कि अन्य प्रदेशों में समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सब्सिडी भी खरीफ की फसल पर दी जाती है? क्या सरकार प्रदेश में किसानों की खरीफ की फसल पर सब्सिडी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के निर्देशानुसार खरीफ की फसल वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद किया गया। राजफैड ने नैफेड के निर्देशानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उड़द खरीद हेतु आदेश जारी किये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए घोषित खरीफ फसल के जिन्सवार न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में वर्ष 2011-12 में निम्न जिन्स/फसल की निम्न मात्रा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है:-

क्र. सं.	वर्ष	जिन्स का नाम	न्यूनतम समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल)	कुल खरीद मात्रा (मै. टन)
1	2011-12	बाजरा	980	94.65
2	2011-12	गेहूं	1120+50 बोनस	13.03 लाख

जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब(1) एवं ब(2) पर संलग्न है। इसी प्रकार राजफैड द्वारा वर्ष 2011-12 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.52 मै. टन उडद तथा 6332.38 मै. टन चना की खरीद की गयी।

(3) राजफैड द्वारा वर्ष 2011-12 में रबी सीजन में सीकर जिले के नीमकाथाना केन्द्र पर 3180.74 क्विं., सीकर केन्द्र पर 637.45 क्विं. तथा श्रीमाधोपुर केन्द्र पर 2012.10 क्विं. चना न्यूनतम समर्थन मूल्य 2100 रुपये प्रति क्विं. पर क्रय किया गया।

(4) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर जिन्सवार खरीद की जाती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही एवं पाली जिलों के छात्रावासों में अनियमितताएं

437. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कहां-कहां छात्रावास संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या व रह रहे छात्रों की संख्या क्या है तथा प्रति छात्र सरकार द्वारा खर्च राशि मदवार क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से 2011 तक उक्त संचालित छात्रावासों में भोजन के स्तर में निरन्तर गिरावट एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अवधि में जिला सिरोही एवं पाली के छात्रावासों में भी शिकायतें पाई गईं? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है एवं इनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रति छात्र व्यय की जाने वाली राशि को अपर्याप्त मानते हुए सरकार इसमें बढोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में सभी 33 जिलों में विभाग द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2011-12 में स्वीकृत क्षमता 29831 छात्र-छात्राओं की है जिसमें इस शैक्षणिक सत्र 2011-12 में 27691 छात्र-छात्राओं को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है। छात्रावासों पर प्रति छात्र निम्नानुसार मदवार व्यय किये जाने का प्रावधान है :-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र. सं.	मद	संशोधित दरें (प्रतिमाह)	संशोधित दर अनुसार (प्रति छात्र 9½ माह हेतु)
1	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन	1000	9500
2	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते, मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी आदि।	125	1187.50
3	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि।	30	285
4	धुलाई (चद्दर, तकिया खोली एवं खेस आदि की)	25	237.50
5	बिजली-पानी	60	570
6	समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि	10	95
	योग	**1250**	**11875**

(3) वर्ष 2009 से 2011 तक विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में भोजन के स्तर में निरन्तर गिरावट की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अपितु कुछ छात्रावासों में अन्य अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बन्धित छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। जिनका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। उक्त अवधि में जिला पाली एवं सिरोही में संचालित छात्रावासों के बारे में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संगठन के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2011-12 की घोषणा संख्या 72 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को मैस भत्ते की दी जाने वाली सुविधाओं में दिनांक 01.07.11 से 1000/- रुपये से बढ़ाकर 1250/- रुपये प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह किये गये हैं अत: वर्तमान में उक्त राशि में बढ़ोतरी करने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुपर लग्जरी बसों की खरीद की जांच

438. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2010-11 में राज्य के लिए सुपर लग्जरी बसें खरीदने ''नई कीमत पुरानी बसें' में गड़बड़ियां सामने आई हैं?

(2) उक्त खरीद में हुई गड़बड़ियों की क्या कोई विशेष समिति से उच्च स्तरीय जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच में किन-किन को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) समाचार पत्र में 'नई कीमत पुरानी बसें' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की किसी विशेष समिति से कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई गई अपितु तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार सुपर लग्जरी बसों के खरीदने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने नहीं आई।

बूंदी जिले के प्रतिनियुक्त अध्यापक

439. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने किसी भी अध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो वर्तमान में जिला बूंदी में किन आदेशों के तहत प्रतिनियुक्ति की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बूंदी में माध्यमिक व प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? सूची विद्यालयवार सदन की मेज पर रखें।

(3) माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के तहत नियुक्त अध्यापक किस विभाग के अधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला बूंदी में शिक्षा से सम्बन्धित परियोजनाओं यथा सर्व शिक्षा अभियान, राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, डीपीईपी, भीमराव अम्बेडकर आवासीय विदयालयों में कार्य व्यवस्था हेतु कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। प्रतिनियुक्त कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-क-1 से क-2 पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जिला बूंदी में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'ख' पर एवं माध्यमिक शिक्षा का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(3) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों का नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा के अधीन है। राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक : प.2(5)शिक्षा -1/प्राशि/2003 दिनांक 2 अक्टूबर, 2010 के अनुसार पंचायत समिति स्तर पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके अधीन समस्त स्टाफ, ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनमें कार्यरत अध्यापक सम्बन्धित पंचायत समिति के अधीन कार्य करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ समस्त स्टाफ जिला परिषदों के अधीन कार्य करेंगे।

राज्य स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले में जन समस्याओं के निराकरण हेतु पंजीकृत शिकायतें

440. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या जन अभाव अभियोग निराकरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर सुगम समाधान (एकल खिड़की) प्रकोष्ठ का गठन किया गया था?यदि हां, तो कब तथा जनता की शिकायतों को पंजीकरण करने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जन समस्या का निराकरण करने का उक्त प्रकोष्ठ में कितने दिन का प्रावधान है तथा जब से यह प्रकोष्ठ बना, तब से लेकर वर्तमान समय तक कितनी तथा कौन-कौनसी शिकायतें जिला राजसमन्द से कब पंजीकृत हुई हैं और उक्त में से कितनी समस्याओं का निराकरण निर्धारित समय में कर दिया गया? प्रत्येक का वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य स्तर पर शासन सचिवालय में सुगम

(जन अभियोग निराकरण राज्य मंत्री)

समाधान (एकल खिड़की) हेतु सुगम सेंटर का विधिवत रूप से दिनांक 12.05.2011 को उद्‌घाटन किया गया।

प्रान्त के समस्त जिलान्तर्गत दिनांक 15.11.2010 से 01.07.11 की अवधि में जिलान्तर्गत सुगम समाधान (एकल खिड़की) प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

जिला मुख्यालय पर सुगम आरपीजी सेन्टर में आमजन की शिकायतों का पंजीयन आनलाइन वेबसाइट पर इन्द्राज किया जाकर शिकायतकर्ता को दर्ज प्रकरण की रसीद दी जाती है तथा शिकायतकर्ता के मोबाइल नम्बर पर दर्ज प्रकरण के पंजीयन नम्बर के संदेश भेजने की व्यवस्था की गई है। दर्ज प्रकरण को सम्बन्धित विभाग को अग्रषित किया जाता है तथा समाधान के लिए 15 दिवस का समय दिया जाता है। विशेष प्रकरणों में सम्बन्धित विभागाधिकारी द्वारा चाहे जाने पर अवधि बढ़ाने का प्रावधान है। जिसमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच की जाकर उनके विभाग की आनलाइन सुगम वेबसाइट पर जवाब जिला कलक्टर कार्यालय की सुगम वेबसाइट पर प्रेषित किया जाता है, प्राप्त जांच पर जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर द्वारा समीक्षा के पश्चात ही शिकायत का निस्तारण कर प्रार्थी/शिकायतकर्ता को उसके द्वारा दिये गये पते पर लिखित सूचना भेजने के साथ ही मोबाइल पर मेसेज के माध्यम से भी सूचित किया जाता है।

(2) उक्त प्रकोष्ठ में समस्या का निराकरण करने का 15 दिन का प्रावधान है एवं विशेष प्रकरणों में विभागाधिकारी द्वारा चाहे जाने पर अवधि बढ़ाने का प्रावधान है।

दिनांक 8 मार्च, 2011 से 19 मार्च, 2012 तक उक्त प्रकोष्ठ में 1952 विभिन्न प्रकार की शिकायतों से सम्बन्धित प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

दर्ज प्रकरणों में से अब तक कुल 1809 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

उक्त निस्तारित 1809 प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित अवधि 15 दिवस में तथा परिस्थिति एवं प्रकरणों की विषयवस्तु के अनुसार कुछ प्रकरणों का 15 दिन से अधिक अवधि में भी निस्तारण किया गया है।

प्रत्येक प्रकरण का विवरण वर्तमान स्थिति सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विवेकाधीन कोटे के तहत आबंटित खनन लीज

441. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की खान आबंटन नीति की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(2) राज्य में गत दो वर्षो में खान आबंटित करवाने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में गत दो वर्षो में कितनी खानें कहां-कहां आबंटित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत दो वर्षो में राज्य में विवेकाधीन कोटे से कितनी खानें कहां -कहां आबंटित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में खान आबंटन हेतु नीति राजस्थान मिनरल पालिसी-2011 परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) राज्य में गत दो वर्षो में खान आबंटन हेतु प्रधान खनिज खनन पट्टों के 7786, अप्रधान खनिज खनन पट्टों के 12944 एवं अप्रधान खनिज क्वारी लाइसेन्स के 84683 कुल 105413 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसका कार्यालयवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

(3) राज्य में गत दो वर्षो में प्रधान खनिज के 340 खनन पट्टे, अप्रधान खनिज के 1471 खनन पट्टे तथा 1751 क्वारी लाइसेंस कुल 3562 खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं जिनका कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है ।

(4) विगत दो वर्षों में राज्य में विवेकाधीन कोटे से कोई खान आबंटित नहीं की गई है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

वर्ष 2011 में बाजरा खरीद हेतु स्थापित खरीद केन्द्र

442. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2011-12 में बाजरा क्रय किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में कितने खरीद केन्द्र स्थापित किये गये और उन केन्द्रों में कितना बाजरा क्रय किया गया?

(श्री मानसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पर्याप्त संख्या में बाजरा खरीद केन्द्र स्थापित नहीं करने व बाजरा क्रय नहीं करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस -किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? भविष्य में बाजरा खरीद के लिये लागू की जाने वाली कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वर्ष 2011-12 में समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु 28 केन्द्र स्थापित किये गये। इन केन्द्रों पर कुल 94.65 मै. टन बाजरा क्रय किया गया।

(2) जी नहीं। राज्य में अधिक बाजरा उत्पादन वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अर्थात् 28 खरीद केन्द्र स्थापित किये गये। खरीद केन्द्रों पर निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डानुसार बाजरा नहीं आने के कारण कुल 94.65 मै. टन बाजरा की ही खरीद हो पायी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड (एफ.ए.क्यू.) के अनुसार ही की जाती है। भविष्य में भी भारत सरकार की नीति के अनुसार ही बाजरा क्रय किया जायेगा।

भोपालगढ़ (बाड़मेर) के आरक्षित वर्ग के छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति

443. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009 से 2011 तक विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कितनी बकाया है? विद्यालयों का नाम, बच्चों की संख्या की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जिन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली उन्हें अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर के अम्बेडकर सरकारी छात्रावासों में मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में हमेशा शिकायतें प्राप्त होती हैं? क्या उक्त छात्रावासों में सामान नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त जिले के कौन-कौन से छात्रावासों में सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार वर्ष 2009-10 से 2010-11 में विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति बकाया नहीं है। उक्त वर्षों में भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में जिन योजनाओं में छात्रवृत्ति बकाया है, उनकी बकाया छात्रवृत्ति की विद्यालयवार, विद्यार्थियों की संख्या की वर्षवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) किसी भी छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति उसकी पढ़ाई के दौरान शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने हेतु दी जाती है। चूंकि गत वर्षों में वित्तीय संसाधनों के अभाव में लम्बित रहे आवेदनों से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं का शैक्षिक सत्र पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब लम्बित आवेदनों से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति दिया जाना शेष नहीं है।

(3) जी नहीं। जिला जोधपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सभी छात्रावासों में राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

(4) उक्त जिले के समस्त छात्रावासों में सामग्री उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बकाया रही छात्रवृत्ति का वर्षवार, विद्यालयवार विद्यार्थियों की संख्या की सूची

अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

क्र. सं.	विद्यालयों का नाम	2009-10	2010-11
		बजट आवेदन पत्रों की संख्या	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या
1	राउमावि, भोपालगढ़	15	50
2	राउमावि, साथिन	11	70
3	राउमावि, रतकूडिया	4	11
4	राउमावि, भूण्डाना	1	21
5	राउमावि, खागंटा	4	28

क्र. सं.	विद्यालयों का नाम	2009-10	2010-11
		बजट आवेदन पत्रों की संख्या	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या
6	रामावि, चौकड़ीकला	7	80
7	रामावि, गरासनी	0	21
8	रामावि, दाडमी	2	12
9	रामावि, पीपाड़ रोड	3	9
10	रामावि, कूडी	3	10
11	रामावि, देवातडा	4	22
12	रामावि, बागोरिया	0	18
13	रामावि, बारनीखुर्द	6	12
14	रामावि, बाडाकला	0	5
15	रामावि, हिरादेसर	0	34
16	रामावि, बुडकिया	0	62
17	श्री सैनी उमावि, भोपालगढ़	7	50
18	श्री हरि आदर्श उमावि, पीपाड़शहर	2	45
19	राउमावि, कोसाना	0	10
20	राबामावि, रतकूडिया	0	12
21	राबामावि, भोपालगढ़	0	18
	योग	**69**	**600**

अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

क्र. सं.	विद्यालयों का नाम	2009-10	2010-11
		बजट आवेदन पत्रों की संख्या	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या
1	राउमावि, कोसाना	0	5

विराट नगर में संचालित निगम बस सेवा

444. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की कितनी ग्राम पंचायतों एवं गांवों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सभी पंचायतों में पथ परिवहन निगम की बस सेवायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की 22 ग्राम पंचायतों एवं 37 गांवों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिसका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निगम द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2011-12 की क्रियान्वति में पी.पी.पी. माडल पर अपनी सेवाओं का विस्तार करेगी और अगले तीन वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बस सेवाओं से जोडेगी, इस दौरान विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को भी बस सेवा से जोड़ा जायेगा।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की निगम बस सेवा से जुडी ग्राम पंचायतों व जुड़े राजस्व ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जुडी ग्राम पंचायतों का नाम	क्र. सं.	जुड़े हुए राजस्व ग्रामों के नाम
1.	छापुडा खुर्द	1.	छापुडा खुर्द
		2.	छापुडा कला
2.	गोविन्दपुरा धाबाई	3.	गोविन्दपुरा धाबाई
		4.	आसपुरा
		5.	नीझर
3.	जोधपुरा	6.	जोधपुरा
		7.	किराडोद
4.	मण्डा	8.	मण्डा
5.	पाछूडाला	9.	पाछूडाला
6.	पावटा	10.	पावटा

क्र. सं.	जुड़ी ग्राम पंचायतों का नाम	क्र. सं.	जुड़े हुए राजस्व ग्रामों के नाम
7.	प्रागपुरा	11.	प्रागपुरा
8.	आमलोदा	12.	आमलोदा
		13.	कल्याणपुरा
9.	आतेंला	14.	आतेंला
10.	भाभरू	15.	भाभरू
11.	बागावास अहिरान	16.	बागावास अहिरान
12.	बागवास चोरासी	17.	बागवास चोरासी
		18.	ढाणी जोगियान
13.	भामोद	19.	भामोद
14.	बीलवाड़ी	20.	बीलवाड़ी
		21.	चतरपुरा
15.	छित्तौली	22.	छित्तोली
		23.	लाखवाला
16.	ढाणी गैसकान	24.	ढाणी गैसकान
		25.	लीलकाधाम
		26.	बह्डोदा
17.	जयसिंहपुरा	27.	जयसिंहपुरा
		28.	सूरजपुरा
18.	जवानपुरा	29.	जवानपुरा
		30.	खातोलाई
19.	लुहाकना कला	31.	लुहाकना कला
		32.	लुहाकना खुर्द
20.	मैड	33.	मैड
21.	नवरंगपुरा	34.	नवरंगपुरा
		35.	बलेसर
22.	पालड़ी	36.	पालड़ी
		37.	हरकिशनपुरा

शिक्षा कर्मियों के नियमन हेतु गठित समिति

445. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री फतेह सिंह)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने शिक्षा कर्मियों की समस्याओं के सम्बन्ध में समिति गठित की है? यदि हां, तो समिति कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी?

(2) क्या सरकार शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रबोधक, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैराटीचर्स, राजीव गांधी पैराटीचर्स, विद्यार्थी मित्र, लोक जुम्बिशकर्मी तथा प्रेरकों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों के क्रम में माननीय शिक्षामंत्री महोदय की अध्यक्षता में पुनर्गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति गठित की है। समिति समस्याओं के निराकरण हेतु परीक्षण कर रही है, जो पूर्ण होने पर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(2) शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही परीक्षणोपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय प्राचार्यों हेतु योग्यता

446. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में प्राचार्य पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्राचार्य पद की योग्यता में कई बार परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो कितनी बार एवं कब-कब तथा योग्यता में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य से अनुदानित इंजीनियरिंग कालेजों में प्राचार्य पद के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.3.2010 के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 17.11.2011

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

को जारी विज्ञापन में प्राचार्य पद हेतु योग्यता में आंशिक परिवर्तन किया गया। विज्ञापन की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता के अतिरिक्त प्राचार्य पद के लिए अभ्यार्थी का प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होना एवं उच्च शैक्षणिक रिकार्ड होना विभाग द्वारा उचित माना गया। पूर्व में भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्डानुसार प्राचार्य पद हेतु अर्हताओं में अभ्यार्थी का प्रोफेसर पद पर कार्य करने का अनुभव अनिवार्य था।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

शराब/डोडा पोस्त ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितताएं

447. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जुलाई व अगस्त, 2011 में आबकारी दल द्वारा छापामार कार्यवाही कर ज्यादा दर वसूलने के कई मामले पकड़े किन्तु इसके बाद सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने से दुकानदार बेखौफ होते हुए निर्धारित से ज्यादा दर वसूल रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) विगत दो वर्षों में राज्य में डोडा पोस्त एवं शराब के निर्धारित मूल्य से ज्यादा दर वसूलने के कितने प्रकरण सामने आये? जिलेवार एवं दोषी दुकानदार के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि छह माह पहले ज्यादा दर वसूलने के मामले पकड़े गये दुकान संचालकों से जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किये गये परन्तु ठोस कार्यवाही के अभाव में दुकान संचालक बिना दबाव के लोगों से ज्यादा दर वसूली कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि आबकारी विभाग द्वारा जारी प्रावधानान्तर्गत ज्यादा दर वसूलने के मामले में दस से पचास हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने व लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है लेकिन छह माह पूर्व पकड़े गये उक्त मामलों में इस प्रावधान की पालना नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन जवाबदेह है?

(5) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ज्यादा दर वसूलने के मामलों में दुकान संचालकों के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माह जुलाई व अगस्त 2011 में आबकारी दल द्वारा सघन जांच कार्यवाही कर मदिरा/डोडा पोस्त की दुकानों पर निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दर वसूलने के 40 प्रकरणों में कार्यवाही की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इससे पूर्व व पश्चात् भी समय-समय पर इस बाबत् चैकिंग की जाती रही है तथा अनियमितता पाये जाने पर अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) विगत दो वर्षो (वित्तीय वर्ष 2010-11 व 2011-12) में राज्य में डोडा पोस्त व शराब के निर्धारित विक्रय मूल्य से ज्यादा दर वसूल करने के सम्बन्ध में 249 अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गई, जिसका जिलेवार व दुकानवार विवरण परिशिष्ट-3 व 4 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। छह माह पहले (माह जुलाई एवं अगस्त-2011 में) ज्यादा दर वसूलने के मामले में पकड़े गये 40 दुकान संचालकों में से 4 दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं तथा 34 मामलों में जुर्माना आरोपित कर राशि वसूल की जा चुकी है। शेष 02 प्रकरण अन्वेषणाधीन हैं।

(4) जी हां। राज्य सरकार के वित्त (आबकारी) विभाग के आदेश क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/ 2011 पार्ट-।। दिनांक 26.12.11 में अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर वसूलने पर अभियोगों को विभागीय स्तर पर संयोज्य (Compound) कर दस से पचास हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने व लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

छह माह पूर्व पकड़े गये मामलों को तत्कालीन नियम/प्रावधानों के आधार पर निर्णित किया गया है। छह माह पूर्व पंजीकृत अभियोगों में उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं थे।

(5) इस प्रकार के प्रकरणों में वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2011 पार्ट-।। दिनांक 26.12.11 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी गोदामों में अनाबंटित खाद्य सामग्री

448. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कौन-कौनसी योजनान्तर्गत कितना-कितना अनाज किस-किस गोदाम, सहकारी समिति इत्यादि में कब से पड़ा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि गोदामों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं, चावल एवं अन्य अनाज सड़ गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितना-कितना? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य के विभिन्न गोदामों में रखे हुये अनाज भण्डार को गरीबों को न्यूनतम मूल्य पर या निःशुल्क वितरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय भण्डारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डार गृहों पर ऐसी विशेष योजनाओं के अन्तर्गत अनाज का कोई भी भण्डारण नहीं है। भारत सरकार के अधीन कार्यरत भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरक्षित क्षमता के अन्तर्गत एम.आई.एस. रिपोर्ट के अनुसार 160853 मै.टन गेहूं तथा 4146 मै.टन चावल दो वर्ष की सीमा परिधि के अन्तर्गत भण्डारित है।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के भण्डार गृहों में दिनांक 01.02.2012 को विभिन्न योजनान्तर्गत यथा समर्थन मूल्य पर खरीद व अन्य राजकीय संस्थाओं का कुल 429297 मै.टन खाद्यान्न भण्डारित है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम का 420416 मै.टन एवं अन्य संस्थाओं का 8881 मै.टन अनाज भण्डारित है।

भारतीय खाद्य निगम के आगारों में भण्डारित खाद्यान्न योजनावार नहीं होता है। राजस्थान क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में भण्डारित खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) की दिनांक 29.02.2012 की राजस्व जिलेवार एवं आगारवार स्थिति दर्शाने के लिए विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) केन्द्रीय भण्डारण निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के आगारों में भण्डारण के दौरान अनाज की सड़ी हुई मात्रा शून्य है।

(3) जी नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य को भारत सरकार से अनाज आबंटन/निर्धारित दर पर वितरण के आदेश हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर नि:शुल्क वितरण की कोई योजना नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति

449. श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में विशेष पिछड़ा वर्ग (एस.बी.सी.) के छात्र-छात्राओं को किस-किस पाठ्यक्रम के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? कोर्स का नाम व दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में विशेष पिछड़ा वर्ग (एस.बी.सी.) के छात्र-छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रम समूहों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कोर्स के नाम व दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनपढ़ व्यक्तियों को वाहन चालक अनुज्ञा पत्र हेतु विशेष छूट

450. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनपढ़ (निरक्षर) व्यक्ति को हैवी गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस देना बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अनपढ़ ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर लगी रोक हटाकर उन्हें लाइसेंस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 8 में केन्द्र

(यातायात मंत्री)

सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2007 को संशोधन किया जाकर परिवहन यान (हैवी गाड़ी) के लाइसेंस हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास किए जाने के कारण प्रदेश में अनपढ़ (निरक्षर) व्यक्तियों को हैवी गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस देना बंद कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना GSR 276 (E) दिनांक 10 अप्रैल, 2007 की छायाप्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) चालक लाइसेंस हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, अतः उक्त प्रावधान में संशोधन किया जाना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

परिशिष्ट-1

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2007

G.S.R. 276(E).- Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 21st September, 2006, vide notification of Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number G.S.R. 583(E), dated the 21st September, 2006, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 26th September, 2006;

And Whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 27, 64, sub-section (9) of section 88, section110 and section 139 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely :-

After rule 7 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :-

"8. Minimum educational qualification for driving transport vehicles.- The minimum educational qualification in respect of an applicant for obtaining a license to drive a transport vehicle shall be a pass in the eighth standard :

Provided that the minimum educational qualification specified in this rule shall not apply in the case of –

(i) renewal of a driving license to drive a transport vehicle;

or

(ii) addition of another class of transport vehicle to the driving license;

Already held before the commencement of the motor Vehicles (Amendment) Rules, 2007."

जालोर तहसील के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रायपुरिया का क्रमोन्नयन

451. **श्री भगराज चौधरी** (आहोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक विद्यालय रायपुरिया तहसील जालोर करीब 20 वर्ष से स्थापित होने के उपरान्त भी इसे अभी तक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसे अब क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी अध्यापक और प्रधानाध्यापक का पद भी रिक्त है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत कर आवश्यक अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2012-13 में राज्य में 200 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने का लक्ष्य रखा है।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से उक्त विद्यालय के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्राप्त प्रस्तावों के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमानुसार चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

बिलाड़ा में जारी खनन पट्टे

452. **श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कितना खनन क्षेत्र घोषित है और गत तीन वर्षों में उसमें से कितने क्षेत्र में खनन पट्टे जारी किये हैं तथा कितनों में खनन जारी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अर्जुन लाल)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसा खनिज क्षेत्र आबंटन हेतु शेष है तथा कितने खनन पट्टे विवाद के कारण निरस्त किये गये तथा कितने खनन पट्टों में कार्य नहीं चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में नई खनिज नीति किस रूप में किस तारीख से प्रभावी बनाई गई है तथा खनिज नीति के पूर्व में आवेदित आवेदन की कानूनन स्थिति क्या है? खनिज नीति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में खनिज ग्रेनाइट हेतु 25 हैक्टेयर क्षेत्र तथा खनिज लाइमस्टोन हेतु 700 हैक्टेयर क्षेत्र खनिज संभावित होना राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । इसमें से गत तीन वर्षों में खनिज ग्रेनाइट के 6.5702 हैक्टेयर क्षेत्र में तथा खनिज लाइमस्टोन के 88 हैक्टेयर क्षेत्र में क्रमश: 3 व 22 खनन पटटे जारी किये हैं । इन समस्त खनन पटटों में खनन कार्य किया जा रहा है ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में खनिज क्षेत्र आवंटन हेतु शेष रहे आवेदित क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है । इस क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा विवाद के कारण निरस्त नहीं किया गया है । क्षेत्र में 29 खनन पट्टेधारी को पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त नहीं होने के कारण खनन कार्य बंद कराया गया है ।

(3) प्रदेश में नई खनिज नीति दिनांक 28.01.2011 से प्रभाव में आई है। उक्त नीति से पूर्व में आवेदित आवेदन पत्रों का निस्तारण पूर्व नियमों के तहत किया जा रहा है। खनिज नीति, 2011 की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर जिले की सहकारी संस्थाओं की समानीकरण योजनान्तर्गत बकाया राशि

453. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एपीएल एवं बीपीएल परिवारों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है?

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा चीनी वितरण के पेटे समानीकरण राशि लम्बे समय से विभाग में बकाया है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में किन-किन संस्थाओं की कितनी-कितनी राशि बकाया है? संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बकाया राशि का समायोजन कर समानीकरण की राशि सम्बन्धित संस्थाओं को मय ब्याज भुगतान करने का विचार रखती है?यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सहकारी समितियों द्वारा चीनी वितरण के पेटे समानीकरण राशि राज्य सरकार की ओर बकाया नहीं है, किन्तु भारतीय खाद्य निगम, जयपुर/भारत सरकार की ओर से बकाया है। बाड़मेर जिले में कार्य कर रही संस्थाओं की दिनांक 14.02.2012 तक बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम थोक विक्रेता	बकाया राशि (लाखों में)
1	बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि.	22.12
2	बाड़मेर सहकारी मार्केटिंग सोसायटी लि.	47.32
3	बालोतरा सहकारी मार्केटिंग सोसायटी लि.	34.70
4	उत्तरी रेल्वे कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार	14.36
5	बायतू सहकारी मार्केटिंग सोसायटी लि.	39.67

(3) राज्य सरकार द्वारा लेवीचीनी की समानीकरण की बकाया राशि का पुर्नभरण नहीं किया जाता है अपितु राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा थोक विक्रेता के रूप में कार्य कर रही सहकारी संस्थाओं से प्राप्त लेखे संकलित कर अंकेक्षण कराये जाने उपरान्त विभाग के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के जयपुर स्थित कार्यालय को प्रस्तुत किये जाते हैं एवं भारत सरकार के लेवी चीनी के स्वीकृत

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

मार्जिन एवं परिवहन की दरों जिसमें थोक विक्रेताओं को देय कमीशन में एक माह तक के ब्याज की राशि भी शामिल है, के अनुसार पुनर्भरण प्राप्त होता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा बकाया राशि के पुनर्भरण पर किसी प्रकार का ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।

पाली में गाडोलिया लोहार परिवारों को देय सहायता

454. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में निवास कर रहे गाडोलिया लोहार परिवारों का सर्वे सरकार द्वारा कब-कब करवाया गया था और वर्तमान में कितने परिवार रह रहे हैं? क्या सरकार इनका पुनः सर्वे करवाने का विचार रखती है?

(2) उक्त से किन-किन परिवारों को नि:शुल्क भू-खण्ड दिये गये, किन-किन परिवारों को महाराणा प्रताप मकान निर्माण हेतु सहायता योजना में कब-कब कितनी-कितनी राशि देकर लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन गाडोलिया लोहार परिवारों को कच्चा माल क्रय करने के लिए अनुदान सहायता योजना में कब-कब कितनी-कितनी राशि देकर लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में किस-किस गाडोलिया लोहार परिवार का महाराणा प्रताप मकान निर्माण हेतु सहायता योजना एवं कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता योजना के आवेदन पत्र किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से लम्बित हैं एवं इन्हें उक्त दोनों योजनाओं में कब तक लाभान्वित किया जायेगा?

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पाली में अभी भी अनेकों गाडोलिया लोहार परिवार को ना तो नि:शुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराये गये ना ही अन्य योजनाओं में लाभान्वित किया गया? क्या सरकार ऐसे गाडोलिया लोहार परिवार जो सरकारी भूमि पर कच्ची झोपडी बना निवास कर रहे हैं, उन्हें नि:शुल्क भूखण्ड देने व अन्य योजनाओं में लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में निवास कर रहे गाडिया लोहार परिवारों का सर्वे वर्ष 2003 में करवाया गया। सर्वे में 20 गाडिया लोहार परिवार रहना पाये गये। इसके अतिरिक्त विभागीय महाराणा प्रताप मकान निर्माण योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार वर्तमान में 66 गाडिया लोहार परिवार और रहना पाये गये हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र पाली में कुल 86 गाडिया लोहार परिवार रहना पाये गये हैं। पुनः सर्वे करवाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) सर्वेक्षित सूची में से 18 परिवारों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किये गये, जिनमें से 16 परिवारों को महाराणा प्रताप मकान निर्माण योजना में सहायता उपलब्ध करवाई गई है विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। सर्वेक्षित सूची के अतिरिक्त वर्ष 2003 से वर्तमान तक महाराणा प्रताप मकान निर्माण योजना में लाभान्वित का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अनुदान सहायता राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(4) गाडिया लोहार परिवारों के महाराणा प्रताप मकान निर्माण एवं कच्चा माल क्रय हेतु सहायता योजना में विधान सभा क्षेत्र पाली में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(5) सर्वेक्षित सूची के 20 परिवारों में से 18 परिवारों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं। शेष 2 परिवारों को क्रमशः श्री मोतीलाल की मृत्यु हो जाने एवं श्री अशोक कुमार को अपने पिता भीकाराम के परिवार में सम्मिलित होने के कारण निःशुल्क भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया। गाडिया लोहार परिवारों को नियमानुसार लाभान्वित किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर के प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज

776. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वर्तमान में कहां-कहां पर कोल्ड स्टोरेज हैं? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में रीको द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में बिना सुविधा उपलब्ध कराये सुविधा चार्ज/लीज मनी शुल्क वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेन्टर, धौलपुर में मैसर्स प्रताप कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. के नाम से एक कोल्ड स्टोरेज तथा औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेन्टर (विस्तार), धौलपुर में 2 कोल्ड स्टोरेज मैसर्स भगवान देवी फ्रोजन फूडस प्रा. लि. एवं मैसर्स मां कैला देवी कोल्ड स्टोरेज स्थापित हैं। आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं।

जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित सुलभ शौचालय

777. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के द्वितीय विस्तार बासनी औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा सुलभ शौचालय बनाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त शौचालयों का निर्माण कब पूर्ण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सुलभ शौचालय के निर्माण होने के उपरान्त भी लोकार्पण के अभाव में उनको आमजन के लिये खोला नहीं गया है? यदि हां, तो उक्त शौचालयों के लोकार्पण नहीं होने के क्या कारण रहे और अब कब तक लोकार्पण हो जायेगा?

(3) जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में शुलभ शौचालय कहां-कहां बने हुये हैं? क्या उक्त शुलभ शौचालय वहां कार्यरत श्रमिकों की संख्या के लिये पर्याप्त

(श्री कैलाश चन्द्र भंसाली)

हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में और शुलभ शौचालय बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र बासनी द्वितीय चरण, जोधपुर में एक सुलभ शौचालय रीको द्वारा बनाया गया है। शौचालय का निर्माण दिनांक 07.07.2009 को पूर्ण हुआ ।

(2) सुलभ शौचालय आमजन के उपयोग हेतु खुला हुआ है।

(3) जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में से औद्योगिक क्षेत्र बासनी द्वितीय चरण में एक सुलभ शौचालय बना हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र बासनी द्वितीय चरण में निर्मित एक सुलभ शौचालय उक्त क्षेत्र में कार्यरत आसपास की इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या को मद्देनजर रखते हुये पर्याप्त है। आगामी दो वर्ष में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सुलभ शौचालय बनवाने का प्रस्ताव है।

शिव (बाड़मेर) तहसील क्षेत्र का भाग्यम तेल क्षेत्र

778. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर की तहसील शिव के भाग्यम क्षेत्र में तेल के भण्डार मिले हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में शीघ्र ही तेल दोहन शुरू किये जाने की संभावना है? यदि हां, तो उक्त दिशा में अब तक क्या-क्या कार्य किये जा चुके हैं और तेल दोहन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार तेल दोहन प्रारम्भ करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर-सांचोर बेसिन के भाग्यम क्षेत्र में मिले खनिज तेल भण्डार की अपेक्षित मात्रा 415 मिलियन बेरल्स है ।

(2) भाग्यम क्षेत्र में दिनांक 21.01.2012 से तेल दोहन आरम्भ किया जा चुका है ।

(3) तेल दोहन प्रारम्भ हो चुका है ।

जैसलमेर जिले में बजरी दोहन हेतु जारी ठेके

779. **श्री छोटूसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलेमर में बजरी दोहन का ठेका वर्तमान में किस-किस फर्म को कितनी-कितनी राशि का किन नियमों के तहत स्वीकृत किया गया? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जैसलमेर शहर के चारों ओर कितने नाके किस-किस फर्म द्वारा खोले गये तथा कितने श्रमिक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि फर्म द्वारा निर्धारित आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त जिले में बजरी दोहन किन-किन स्थानों पर किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा उनका निरीक्षण कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में स्वीकृत बजरी ठेका, दोहन का नहीं होकर जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के राजस्व ग्रामों के नदी/नालों से निर्गमित होने वाली खनिज बजरी पर अधिशुल्क एवं परमिट फीस वसूली हेतु है जो श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री भारमल राम माली निवासी इन्द्रा कोलोनी, बाड़मेर के पक्ष में वार्षिक राशि रु. 17,25,000/- पर अवधि दिनांक 17.11.2011 से 16.11.2012 तक के लिए है । उक्त ठेका राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 32 एवं 63 के तहत स्वीकृत किया गया । नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री भारमल राम माली निवासी इन्द्रा कालोनी, बाड़मेर द्वारा अधिशुल्क एवं परमिट शुल्क वसूली ठेका के तहत अधिशुल्क एवं परमिट शुल्क वसूली हेतु स्थापित किये गये नाकों एवं उन पर कार्यरत नाकेदारों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाके का नाम	कार्यरत श्रमिक/नाकेदार
1.	भैरवा	03
2.	अमरसागर फाटा	02
3.	पारेवर	02
4.	यूनियन चौराहा	02
5.	बरमसर फाटा	01

(खनिज मंत्री)

(3) जी नहीं। अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार द्वारा ठेके की संविदा में वर्णित शर्तों की पालना नहीं किये जाने का प्रकरण सामने नहीं आया है।

(4) अधिशुल्क संग्रहण एवं परमिट शुल्क वसूली ठेकेदार द्वारा खनिज बजरी का दोहन नहीं किया जाकर जैसलमेर तहसील के राजस्व ग्रामों के नदी/नालों से निर्गमित खनिज बजरी पर नाकों पर रायल्टी एवं परमिट शुल्क की वसूली की जाती है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बजरी खनन पर रोक लगा दिये जाने से बजरी दोहन बंद है । पूर्व में बजरी पर अधिशुल्क एवं परमिट फीस वसूली के ठेके के तहत स्थापित तीन नाकों का निरीक्षण विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोलाड़ा (सवाई माधोपुर) ग्राम में जारी खनन पट्टे

780. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम कोलाड़ा तहसील बौली, जिला सवाई माधोपुर में वर्तमान में अप्रधान खनिज के कितने खनन पट्टे स्वीकृत हो चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कोलाड़ा अप्रधान खनिज के पूर्व में आवेदित आवेदन पत्रों को वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, कोटा की रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम कोलाड़ा तहसील बौली, जिला सवाई माधोपुर में वर्तमान में अप्रधान खनिज के कुल सात खनन पट्टे स्वीकृत हैं जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां । यह सही है कि ग्राम कोलाडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर में अप्रधान खनिज के आवेदन पत्रों को वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, कोटा की रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत किया गया है। सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

निकटग्राम कोलाड़ा तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर में प्रभावशील खनन पट्टों की सूची

क्र. सं.	एम.एल. नं.	नाम पट्टाधारी	निकट ग्राम	तहसील	जिला	खनिज	हैक्टेयर
1	74(1999)	श्री राकेश शर्मा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
2	75(1999)	श्री गिर्राज कटारा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
3	22(2002)	श्रीमती कुसुम शर्मा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
4	48(2010)	श्री शशिभुषण गुप्ता	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
5	39(2008)	श्रीमती अंजना गुप्ता	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
6	31(2010)	श्री नरेन्द्र कुमार	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
7	30(2010)	श्री नरेन्द्र कुमार	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00

सहायक खनि. अभियता,
टोंक

परिशिष्ट-ब

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक

निकटग्राम कोलाड़ा में अप्रधान खनिज के पूर्व में आवेदित आवेदन पत्रों को वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक कोटा की रिपोर्ट पर

अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की सूची

क्र.सं.	एम.एल. नं.	नाम पाट्धारी	निकटग्राम	तहसील	जिला	खनिज	हैक्टेयर
1	23/2002	श्रीमती अनिता शर्मा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
2	24/2002	श्री योगेश कटारा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
3	26/2001	मैसर्स बालाजी मिनरल्स	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
4	31/2004	श्री हनुमान प्रसाद मीणा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
5	32/2004	श्री हनुमान प्रसाद मीणा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
6	33/2004	श्रीमती उगन्ती देवी	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
7	34/2004	श्रीमति उगन्ती देवी	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
8	35/2004	श्री रमेश चन्द नैंनीवाल	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
9	38/2004	श्री रामहेत मीणा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
10	39/2004	श्री रामहेत मीणा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
11	40/2004	श्री यतीन मीणा	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
12	34/2001	श्री जमील अहमद	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00

क्र.सं.	एम.एल. नं.	नाम पट्टाधारी	निकटग्राम	तहसील	जिला	खनिज	हैक्टेयर
13	35/2001	श्री मुजफ्फर वैग	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
14	41/2001	श्री विनय कुमार गोयल	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00
15	42/2001	श्री दिनेश कुमार गोयल	कोलाड़ा	बौली	सवाईमाधोपुर	मेसेनरी स्टोन	1.00

निकटग्राम कोलाड़ा में स्वीकृत खनन पट्टे वरिष्ठ-भू-वैज्ञानिक कोटा की रिपोर्ट पर अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों से अलग है।

सहायक खनि अभियन्ता

टोंक

चाकसू में अवैध खनन कार्य

781. **श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा** (चाकसू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कई स्थानों में अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर किस-किस खनिज पदार्थ का किस-किस व्यक्ति के द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के चाकसू कस्बे के निकट त्रयम्बकेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ियों में चेजा पत्थर के अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति के द्वारा कितने-कितने क्षेत्रफल में?

(3) क्या सरकार अविलम्ब उक्त अवैध खनन कार्यों को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कोई अवैध खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया है ।

(2) जी नहीं ।

(3) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है एवं यदि कोई अवैध खनन की जानकारी होती है या शिकायत प्राप्त होगी तो तुरन्त जांच कर अवैध खनन बंद कराया जायेगा।

नीमकाथाना में खनिज कार्यालय की स्थापना

782. **श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर एवं झुन्झुनूं जिले का 85% मिनरल नीमकाथाना क्षेत्र में पाया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग का कार्यालय लगभग 10 वर्ष पूर्व नीमकाथाना से सीकर में स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुन: नीमकाथाना क्षेत्र में स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां। दिनांक 26.5.98 को विभाग का खनि अभियंता कार्यालय नीमकाथाना से सीकर प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया गया है ।

(3) नीमकाथाना में खान एवं भू-विज्ञान विभाग का सहायक खनि अभियंता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन है।

उदयपुर एवं राजसमन्द के आबादी क्षेत्र में संचालित गैस गोदाम

783. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर, राजसमन्द एवं नाथद्वारा में रसोई गैस के कुल कितने गोदाम स्वीकृत हैं और वे किन-किन कम्पनियों से सम्बद्ध हैं?

(2) उक्त गैस गोदामों में कितने गोदाम आबादी क्षेत्र में स्थित हैं?

(3) आबादी क्षेत्र से गैस गोदाम की न्यूनतम दूरी के विधिक प्रावधान क्या हैं?

(4) उक्त आबादी क्षेत्रों में स्थित गैस गोदाम को बाह्य क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) उदयपुर, राजसमन्द एवं नाथद्वारा में रसोई गैस के गोदामों एवं सम्बन्धित कम्पनियों की सूचना निम्न प्रकार है:-

नाम कम्पनी	उदयपुर	राजसमन्द	नाथद्वारा
आईओसीएल	6	0	1
एचपीसीएल	5	0	0
बीपीसीएल	5	2	0
योग	**16**	**2**	**1**

(2) उक्त गैस गोदामों में से उदयपुर के 5 गैस गोदाम आबादी क्षेत्र में स्थित हैं। राजसमन्द एवं नाथद्वारा के कोई भी गोदाम घनी आबादी के बीच स्थित नहीं है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) इण्डियन आयल कार्पो. के अनुसार सिलेण्डर गोदाम के लिए लाइसेन्स पैट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी.ई.एस.ओ.) द्वारा दिये जाते हैं। इनके अनुसार आबादी क्षेत्र से गैस गोदाम की न्यूनतम दूरी के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) केन्द्रीय सरकार के नियमों के प्रावधानानुसार विस्फोटक विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंस एवं सम्बन्धित पैट्रोल पम्प का नक्शा जारी किया जाता है, जिसके अनुरूप आबादी एवं गैर आबादी क्षेत्रों में गैस गोदाम स्थापित किए जाते हैं। प्रारम्भिक तौर में जिला रसद अधिकारी, जयपुर को विभाग द्वारा विस्फोटक विभाग के सुझावों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अलवर जिले में प्रस्तावित उचित मूल्य की दुकानें

784. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला अलवर में गत दो वर्षों में उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें आबंटित की गईं व कितनी आबंटित किया जाना शेष है और शेष दुकानें कब तक आवंटित कर दी जावेंगी? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जिला अलवर में गत दो वर्ष (मार्च, 2010 से फरवरी, 2012) में 28 उचित मूल्य दुकानें आबंटित की गई थीं, जिनके प्राधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में 216 नवीन उचित मूल्य दुकानें आबंटित कर दी गई हैं, जिनके प्राधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं। आबंटित दुकानों का तहसीलवार विवरण एवं सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

नवीन आबंटित की जाने वाली दुकानों की तहसीलवार सूची

क्र.सं.	तहसील का नाम	कुल आवंटित दुकानों की संख्या
1	अलवर शहर	15
2	अलवर ग्रामीण	24
3	मुण्डावर	12
4	किशनगढ़ बास	3

क्र.सं.	तहसील का नाम	कुल आबंटित दुकानों की संख्या
5	कठूमर	15
6	कोटकासिम	11
7	रामगढ़	9
8	लक्ष्मणगढ़	12
9	राजगढ़	12
10	थानागाजी	12
11	बानसूर	27
12	बहरोड़	38
13	तिजारा	26
	कुल	**216**

चौमूं (जयपुर) में अतिरिक्त गैस एजेन्सी हेतु स्वीकृति

785. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं कस्बे की आबादी लगभग एक लाख होने के उपरान्त भी केवल एक रसोई गैस एजेन्सी ही कार्यरत है?

(2) क्या सरकार द्वारा चौमूं में दूसरी गैस एजेन्सी खोलने के लिये गैस अथोरिटी या भारत सरकार को कोई पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चौमूं की जनसंख्या के मद्देनजर दूसरी गैस एजेन्सी खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। चौमूं कस्बे की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 50708 है। चौमूं कस्बे में वर्तमान में मैसर्स अग्रवाल गैस सर्विस रसोई गैस एजेन्सी कार्यरत है।

(2) जी नहीं। गैस एजेन्सी खोलना भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कम्पनियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अत: तेल विपणन कम्पनियों के दल द्वारा स्थान की फीजिबिलिटी निर्धारित होने पर ही नई गैस एजेन्सी खोली जाती है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक, भारतीय तेल निगम, राजस्थान से प्राप्त सूचनानुसार चौमूं में दूसरी गैस एजेन्सी खोला जाना विचाराधीन है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होने के बाद तीनों आयल कम्पनियों के मुख्यालय पर इसे भेजा जावेगा और अगले इण्डस्ट्री मार्केटिंग प्लान हेतु रोस्टर में रखा जावेगा।

अलवर ग्रामीण में संचालित गैस एजेन्सियां

786. **श्री टीकाराम जूली** (अलवर-ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में वर्तमान में कौन-कौनसी गैस एजेन्सियां संचालित हैं तथा उक्त गैस एजेन्सियों के पास कितने घरेलू व कितने व्यावसायिक गैस कनेक्शन चालू हालत में हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गैस एजन्सियों के पास उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण समय पर उपभोक्ताओं को गैस वितरित नहीं हो रही है? क्या सरकार इसका समाधान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में मैसर्स ओमशिव इण्डेन गैस एजेन्सी मालाखेड़ा में दिनांक 27.02.2012 से संचालित है। उक्त गैस एजेन्सी पर 326 घरेलू गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अलवर स्थित प्रसन्ना गैस एजेन्सी द्वारा उमरेण, मालाखेड़ा एवं अकबरपुर में 1250 घरेलू कनेक्शन, अलवर स्थित मैसर्स माडर्न गैस सर्विस द्वारा बुर्जा एवं दादर में 208 घरेलू गैस कनेक्शन तथा अलवर स्थित अलवर गैस सर्विस द्वारा चांदोली, डहरा एवं शाहपुर में 115 घरेलू गैस कनेक्शन दिए हुए हैं। व्यावसायिक गैस कनेक्शन की सूचना शून्य है।

(2) जी नहीं। उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के 10-12 दिवस में गैस की आपूर्ति वरियता के आधार पर दी जा रही है। उपभोक्ताओं की सुविधार्थ शीघ्र ही कस्बा बहादुरपुर, उमरैण, भुगोर बाइपास स्थानों पर राजीव गांधी गैस एजेन्सी खोलने हेतु सम्बन्धित तेल विपणन कम्पनियों को लिखा गया है।

सहाड़ा के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं

787. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के किन-किन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक व माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल, फर्नीचर एवं विद्युत की सुविधायें उपलब्ध हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे विद्यालयों में भी उक्त सुविधाएं मुहैया करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पेयजल, फर्नीचर एवं विद्युत की सुविधाओं का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में फर्नीचर तथा विद्युत की सुविधाओं का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है।

(2) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदन पश्चात् आगामी वर्षों की कार्य योजनाओं में अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में उक्त सुविधाएं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा।

पेयजल विहीन विद्यालयों में पेयजल सुविधा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावेगी। भारत सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में आंतरिक विद्युतीकरण का अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में प्रावधान हैं परन्तु विद्युत कनेक्शन कराये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः विद्युत कनेक्शन स्थानीय समुदाय के सहयोग से अथवा ऊर्जा विभाग की योजना में कराया जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर शेष रहे विद्यालयों में फर्नीचर सुविधा उपलब्ध करवाई जानी सम्भव हो पायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में वाणिज्य व्याख्याताओं के रिक्त पद

788. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) राज्य में वाणिज्य विषय के स्कूल व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने पद किन-किन विद्यालयों में कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वाणिज्य विषय के स्कूल व्याख्याताओं के पदों को भरने हेतु परीक्षा आयोजित की गई है? यदि हां, तो कब और कितने अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में भाग लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नये शिक्षा सत्र से पूर्व उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता वाणिज्य के कुल 1908 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1321 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है ।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल व्याख्याता-वाणिज्य के पदों को भरने हेतु दिनांक 3.3.2012 को परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 5464 अभ्यर्थी उपस्थित हुए।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ज्योठाना (अलवर) के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक

789. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या श्री रूप सिंह सैनी पुत्र श्री श्योनारायण सैनी अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ज्योठाना, कठूमर, जिला अलवर की डिग्री सही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिक्षक की भर्ती फर्जी है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । श्री रूप सिंह सैनी पुत्र श्री श्योनारायण सैनी, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक, पीतमपुरा (कठूमर) जिला अलवर की डिग्री का सत्यापन ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कठूमर द्वारा करवाया गया। परीक्षा नियंत्रक डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) के पत्र दिनांक 08.08.2005 के अनुसार श्री सैनी की बी.एड. डिग्री को सही बताया गया है। पत्र दिनांक 8.8.2005 की प्रति परिशिष्ट "क" पर तथा बी.ए. की अंकतालिका परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(2) श्री रूपसिंह सैनी की नियुक्ति जिला परिषद, चित्तौड़गढ के आदेश क्रमांक जिपचि/शिक्षा/स्था/नियु- 3/190-504 दिनांक 25.01.1990 के द्वारा की गई है। इनकी डिग्री के सम्बन्ध में अभी तक किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः कोई जांच करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कुम्भलगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

790. **श्री गणेश सिंह परमार** (कुम्भलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालयवार कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में विषयवार शिक्षक पदस्थापित हैं? यदि नहीं, तो शिक्षकों के पद कब से रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। किन्तु कुछ पद रिक्त भी हैं। रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी के विद्यालयों में रिक्त पद

791. श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक व प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक एवं विषय विशेष के स्वीकृत कितने पद कब-कब से क्यों रिक्त हैं? विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने एवं सुचारु अध्ययन अध्यापन व बेहतर परीक्षा परिणाम हेतु उक्त विद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक व अन्य शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सीधी भर्ती कोटे के प्रधानाध्यापक के 2093, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के 982 एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 11865 रिक्त पदों के चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है ।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला परिषदों एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। वर्तमान में विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन पर कार्मिक विभाग द्वारा लगाई गई रोक प्रभावी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दांतारामगढ़ के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

792. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में विद्यालयवार कितने अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पदों पर कर्मचारी/अधिकारी पदस्थापित हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अध्यापकों में से कितने अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर कब से तथा किसके आदेश से पदस्थापित किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक (पाबन्दी) लगा रखी है? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अध्यापकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' तथा प्रारम्भिक शिक्षा में रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में संचालित विद्यालयों में से कोई भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है ।

(3) जी हां । प्रश्न के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार कोई भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं होने के कारण दण्ड कार्रवाई नहीं की जा सकती है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने हेतु निर्धारित आयु

793. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षा के अधिकार अधिनियम या अन्य कोई नियम में सातवीं पास किया हुआ विद्यार्थी जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो गई है, वह आठवीं कक्षा की परीक्षा में किस माध्यम से परीक्षा दे सकता है? क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार के कोई दिशा-निर्देश हैं? यदि हां, तो क्या? नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

(2) क्या वर्तमान में आठवीं कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान अन्तर्गत संचालित मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत "सी" स्तर, जो कि कक्षा 8 के समकक्ष है, के माध्यम से आठवीं कक्षा की परीक्षा देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

तकनीकी शिक्षा विभाग में संचालित कैरियर एडवांसमेन्ट योजना

794. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र संख्या : एफ. 2 (76) त.शि./2010 दिनांक 10 फरवरी, 2011 की पालना की गई है? यदि हां, तो पालना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो इतने लम्बे समय तक पालना क्यों नहीं की गई व देरी के लिए कौन-कौन व्यक्ति दोषी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई है? क्या सरकार उक्त आदेश की पालना कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि तकनीकी शिक्षा विभाग ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर को एक आदेश पत्र संख्या प.2(75) त.शि./2010 दिनांक 7 जनवरी, 2011 प्रेषित किया है?क्या उक्त आदेश की पालना हो चुकी है? यदि हां, तो पालना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो इतने लम्बे समय तक पालना क्यों नहीं की गई व देरी के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या सरकार उक्त आदेश/निर्णय की पालना करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्रकरण में निर्णय लेने हेतु अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सोसायटी बीकानेर की शाषी परिषद सक्षम है। अतः प्रकरण शाषी परिषद की आगामी बैठक में रखा जावेगा।

(2) जी हां। इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर को आदेश दिनांक 7.1.2011 प्रेषित किया लेकिन इस प्रकरण में निर्णय लेने हेतु अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सोसायटी बीकानेर की शाषी परिषद सक्षम है। अतः प्रकरण शाषी परिषद की आगामी बैठक में रखा जावेगा।

प्रश्न संख्या-795

(माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल के निलम्बन अवधि में होने के कारण असूचीबद्ध)

बगरु एवं बस्सी के तकनीकी महाविद्यालयों में स्थानीय छात्रों को प्रवेश

796. **श्रीमती गंगा देवी** (बगरू) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरु एवं बस्सी के इंजीनियरिंग कालेजों में गरीब तबके, अनुसूचित जाति/जनजाति, बीपीएल एवं ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क नहीं पढाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालेजों द्वारा जिन गांवों की कृषि भूमियों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, वहां के विकास एवं युवा वर्ग को रोजगार देने में योगदान नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। कृषि भूमियों का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है अपितु इन कालेजों का उद्देश्य व्यवसाय न होकर विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है जिससे कि उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा सके।

सिवाना में संचालित छात्रावास

797. **श्री कान सिंह कोटड़ी** (सिवाना) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कान सिंह कोटडी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में संचालित सिवाना, पादरू, समदड़ी, सिणधरी, मोकलसर छात्रावासों में छात्र प्रवेश लेने हेतु आते हैं, परन्तु छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता कम होने के कारण प्रवेशित होने से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो शिक्षा सत्र 2008 से 2011 तक कितने योग्य छात्र छात्रावास में प्रवेशित होने से वंचित रहे? छात्रावासवार एवं सत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार छात्रावासवार स्वीकृत क्षमता में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में संचालित पादरू, समदड़ी, सिणधरी, मोकलसर छात्रावासों में छात्र प्रवेश लेने आते हैं, परन्तु छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता कम होने के कारण वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सिणधरी में 14, समदड़ी में 112, पादरू में 5, मोकलसर में 16 (कुल 147) आवेदक प्रवेश हेतु वंचित रहे हैं। प्रवेश से वंचित रहे छात्रों का छात्रावासवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2010-11 की घोषणा संख्या 75 में घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्र के 41 राजकीय छात्रावासों जिनकी स्वीकृत क्षमता 25 थी को बढ़ाकर 50 की जायेगी। उक्त घोषणा की पालना में विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में 41 में से 21 छात्रावासों की स्वीकृत क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है तथा शेष 20 छात्रावासों में अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य पूर्ण होते ही उनकी स्वीकृत क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 कर दी जावेगी। जिन छात्रावासों की स्वीकृत क्षमता 25 से अधिक है में स्वीकृत क्षमता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृत संख्या बढ़ाया जाने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	नाम छात्रावास		वर्ष 2008-09			वर्ष 2009-10			वर्ष 2010-11			
		स्वीकृत क्षमता	प्राप्त आवेदन	प्रवेशित छात्र संख्या	प्रवेश से वंचित छात्र संख्या	प्राप्त आवेदन	प्रवेशित छात्र संख्या	प्रवेश से वंचित छात्र संख्या	प्राप्त आवेदन	प्रवेशित छात्र संख्या	प्रवेश से वंचित छात्र संख्या	प्रवेश से वंचित रहे कुल छात्रों की संख्या
1	राज. अम्बेडकर छात्रावास सिणधरी	50	58	50	8	53	50	3	53	50	3	14
2	राज. अम्बेडकर छात्रावास समदडी	75	90	75	15	131	75	56	116	75	41	112
3	राज. अम्बेडकर छात्रावास पादरू	55	57	55	2	58	55	3	55	55	0	5
4	राज. अम्बेडकर छात्रावास मोकलसर	55	58	55	3	61	55	6	62	55	7	16
	योग	**235**	**263**	**235**	**28**	**303**	**235**	**68**	**286**	**235**	**51**	**147**

महिला एवं बाल विकास से स्थानान्तरित कर्मचारियों को चयनित वेतनमान

798. **श्री शंकर सिंह** (ब्यावर) व **श्री पेमाराम** (धोद): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी कार्यरत हैं जो महिला एवं बाल विकास विभाग से स्थानान्तरण पर आये हैं? क्या उक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कर दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में नियमित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी की सर्विस बुक व व्यक्तिगत पत्रावली गुम हुई है? यदि हां, तो किस-किस की व क्या उनकी डुप्लीकेट सर्विस बुक तैयार कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया? यदि हां, तो किन-किन को व कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग से 1 कर्मचारी श्री अशोक गोस्वामी, पुरुष पर्यवेक्षक, स्थानान्तरित होकर इस विभाग में आया है। इनका वेतन निर्धारण नहीं किया गया है।

(2) जी हां, यह नियमित कर्मचारी है तथा वर्ष 2010 की वरीयता सूची में शामिल है। (परिशिष्ट 'अ')

(3) जी हां, विभाग में श्री अशोक गोस्वामी, छात्रावास अधीक्षक की सर्विस बुक व व्यक्तिगत पत्रावली गुम हो गई थी लेकिन विभागीय आदेश क्रमांक 22794 दिनांक 21.03.2012 द्वारा डुप्लीकेट सर्विस बुक तैयार करने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा डुप्लीकेट सर्विस बुक बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (परिशिष्ट 'ब')

(4) जी नहीं, कर्मचारी के विरुद्ध अन्य प्रकरणों में विभागीय जांच लम्बित होने के कारण चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। (परिशिष्ट 'स')

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर जिले के होलसेल उपभोक्ता भण्डार के विरुद्ध अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

799. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ता होलसेल भण्डार, सवाई माधोपुर में वर्ष 2010 में हजारों क्विंटल गेहूं की हेराफेरी किये जाने का प्रकरण उजागर हुआ था? यदि हां, तो कितनी मात्रा में गेहूं की कालाबाजारी कर कितनी राशि का गबन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गम्भीर प्रकरण की जांच सी.आई.डी. सीबी, भरतपुर को सौंपी गई थी? यदि हां, तो कब एवं अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत कराई गई जांच के धारा 55(5) एवं (6) के अन्तर्गत जारी जांच परिणाम के अनुसार 29272.67 क्वि. गेंहू/चावल राशि 34188553.89 रु. का अपहरण किया गया हैं।

(2) जी हां। उक्त प्रकरण में थाना मानटाउन सवाई माधोपुर में एफ आई आर 99/2010 दिनांक 22.3.10 दर्ज की गई। प्रकरण में उप अधीक्षक पुलिस सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान जयपुर द्वारा तफतीश की गई। तफतीश का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(3) प्रकरण में जांच में दोषी पाये गये कर्मचारी श्री बुद्धि प्रकाश जैन, श्री हरिवल्लभ शर्मा, श्री महेश कुमार शर्मा, श्री महेन्द्रपाल शर्मा को निलम्बित किया गया है तथा इन्हें जांच रिपोर्ट में निकाली गई राशि की वसूली के नोटिस जारी किये गये। श्री पारस कुमार जैन लिपिक कम पी.डी.एस. प्रभारी को भी वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया। तत्कालीन प्रबंधक श्री केदार मल मीणा (सहायक रजिस्ट्रार), श्री प्रमोद बिष्ट (सहायक रजिस्ट्रार), श्री देवी लाल मीणा (सहायक रजिस्ट्रार) एवं श्री रमेश मीणा निरीक्षक (कार्यकारी) को प्रशासनिक शिथिलता व पर्यवेक्षण में लापरवाही के दोषी पाये गये।

(सहकारिता मंत्री)

श्री महेश कुमार शर्मा के विरुद्ध जांच में गेहूं, चावल के गबन की राशि नहीं थी। अमानत पर अधिक ब्याज राशि 108235 रुपये का मामला था जो श्री महेश शर्मा द्वारा अंडर प्रोटेस्ट जमा करने पर महाप्रबन्धक द्वारा श्री शर्मा को बहाल किया गया।

खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा 22.2.12 को दोषियों के विरुद्ध राजस्थान सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस (अपराध), राज. जयपुर

क्रमांक स-9(13)/अप/अन्वे./सवाई./2010/917 दिनांक 11.4.12

उप शासन सचिव,

सहकारिकता विभाग,

राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय- अभियोग संख्या 99/10 थाना मानटाउन जिला सावई माधोपुर में विधान सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1011 सहकारिता के सम्बन्ध में ।

प्रसंग – उप शासन सचिव सहकारिता के पत्र क्रमांक प-10(16) सह/12/दिनांक 28.3.12 के संदर्भ में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रासांगिक पत्र की पालना में प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी से प्रकरण की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर भिजवाई जा रही है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का सारांश- दिनांक 23.3.10 को श्री रमेश चन्द मीणा महाप्रबंधक स. मा. सहकारी उपभोक्ता होलसैल ने दिनांक 23.3.10 को पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर पर इस आशय की रिपोर्ट पेश की श्री महेश कुमार शर्मा एवं हरी बल्लभ शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के गेहूं के स्टाक में 17805 क्विन्टल गेहूं का गबन एवं 6002388 रुपये भण्डार के लिये उधार लिया है। इस प्रकार भण्डार के स्टाक एवं राशि के लेन-देन में अनियमितताएं की हैं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सरकारी गेहूं को

कालाबाजार में बेचकर गबन किया है, आदि पर उक्त प्रकरण संख्या 99/10 धारा 409, 420 भादस में दर्ज किया गया ।

प्रकरण का प्रारम्भिक अनुसंधान श्री निन्नू सिंह एसआई पुलिस थाना मानटाउन द्वारा किया गया, जिन्होंने दौराने अनुसंधान बयान 161 जा.फौ. में मुस्तगीस श्री रमेशचन्द, गवाहान श्री बजराम मीणा, लेखपाल, श्री महेन्द्र पाल सिंह, के लेकर शामिल पत्रावली किये एवं सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये ।

तत्पश्चात प्रकरण का अनुसंधान श्री फूल मोहम्मद एस.एच.ओ. पुलिस थाना मानटाउन द्वारा किया गया, जिन्होंने दौराने अनुसंधान रिकार्ड जब्त किया। गवाहन के बयान 161 जा.फौ. में लेकर शामिल पत्रावली किये।

तत्पश्चात माननीय गृह मंत्री महोदय के आदेशानुसार प्रकरण का स्थानान्तरण सीआईडी (सीबी) राज. जयपुर में किया जाकर, पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु श्रीमती सुलेश चौधरी उप अधीक्षक पुलिस सीआईडी (सीबी) राज. जयपुर को सुपर्द की गई, जिन्होंने दौराने अनुसंधान गवाहन के बयान 161 जा.फौ. में लेकर शामिल पत्रावली किये । वर्ष 2009-10 में पी.डी.एस. योजनाओं का प्राप्त विवरण एवं अन्तिम स्टाक सूचना तथा जांच परिणाम दिनांक 12.11.10 की प्रतियां प्राप्त कीं।

तत्पश्चात श्रीमती सुलेश चौधरी का स्थानान्तरण हो जाने से प्रकरण की पत्रावली उप अधीक्षक पुलिस श्री फूल मोहम्मद सीआईडी (सीबी) राज. जयपुर को दिनांक 28.1.11 को सुपर्द की गयी है। जिन्होंने दौराने अनुसंधान निम्नलिखित रिकार्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया।

1. सहकारी होलसेल भण्डार जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर के अधिकृत किये जाने पर खाद्यान्न जारी करने हेतु जारी निर्णय आदेश दिनांक 1.4.09 से 13.3.10 तक की प्रमाणित प्रतियां।
2. खाद्यान्न संग्रहालय सवाई माधोपुर से जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न परमिट पर रिलीज आर्डर दिनांक 1.4.09 से 13.8.10 तक की प्रमाणित प्रतियां।
3. सहकारी होलसेल भण्डार लिमिटेड सवाई माधोपुर की वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की आडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां।
4. समस्त स्कीम वाइज गेहूं वितरण रजिस्टर वर्ष 2007-08 एवं 2008-09, 2009-10 की प्रमाणित प्रतियां।
5. वर्ष 2007-08 एवं 2008-09, 2009-10 में सहकारी होलसैल भण्डार

सवाई माधोपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य विवरण आदेश एवं नियुक्ति आदेशों की प्रमाणित प्रतियां।

6. सहकारी होलसेल भण्डार लिमिटेड सवाई माधोपुर में ब्याज दर हेतु समय-समय पर लिये गये अमानतों के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतियां।

7. भण्डार के रजिस्ट्रेशन नियम/उप नियम/बाइलोज की प्रमाणित प्रतियां।

8. स्कीम वाइज, बैलेन्सशीट, वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 से 2009-10 की प्रमाणित प्रतियां।

9. विभागीय जांच ''अन्तर्गत धारा 55'' की प्रमाणित प्रतियां।

10. विभाग द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गईं।

प्रकरण में गवाहान 1. अब्दुल रसीद वरिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर 2. गंगाराम प्रबन्धक 3. श्री बाबूलाल बैरवा सहायक प्रबन्धक 4. श्री नरेन्द्र कुमार कनिष्ठ लिपिक सहकारिता उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड सवाई माधोपुर के बयान 161 जा.फौ. में लेकर शामिल पत्रावली किये गये ।

प्रकरण में सहकारिता उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड सवाई माधोपुर की वर्ष 2009-10 की आडिट रिपोर्ट एवं कुछ रिकार्ड प्राप्त करना शेष है। महाप्रबन्धक होलसेल भण्डार लिमिटेड सवाई माधोपुर से तफतीश करना शेष है। जो शीघ्र कर प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा ।

रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

पुलिस अधीक्षक (प्रशा. एवं. अन्वे.),

सी.आई.डी. (सी.बी.) राज. जयपुर।

जयपुर की तोपखाना गृह निर्माण सहकारी समिति में दोहरे पट्टे की प्राप्त शिकायतें

800. **श्री विजय बंसल** (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तोपखानादेश गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर के पदाधिकारियों के विरुद्ध धारा 55 की जांच प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त समिति द्वारा फर्जी कुल कितने दोहरे पट्टे जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजय बंसल)

(3) क्या समिति द्वारा एक व्यक्ति को एक से अधिक आबंटन पत्र अवैध रूप से जारी किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त में से कितने पट्टे निरस्त किये गये हैं? और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या समिति द्वारा सुविधा क्षेत्र में छोड़ी गई नेमीनगर विस्तार व नेमी सागर तथा अन्य योजनाओं में पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें

(5) उक्त समिति द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं विकसित की गई तथा क्या इनमें जारी सभी मूल आबंटियों को कब्जा उपलब्ध करवा दिया गया हैं? क्या सरकार द्वारा मूल आबंटियों के हित में कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त समिति को ब्लैक लिस्टेड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) समिति द्वारा फर्जी तरीके से कोई दोहरे आबंटन पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

(3) जी नहीं। समिति द्वारा कोई आबंटन पत्र अवैध रूप से जारी नहीं किये गये हैं।

(4) जी नहीं। समिति द्वारा सुविधा क्षेत्र में छोडी गई नेमी नगर विस्तार एवं नेमी सागर व अन्य योजनाओं में कोई पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

(5) तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा विकसित की गई योजनाओं की सूची परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है। समिति द्वारा मूल आवंटियों को आबंटित पट्टों में वर्णित शर्तों के अध्यधीन कब्जा आबंटन के समय ही करवा दिया गया है।

(6) समिति को ब्लैक लिस्टेड करने का प्रावधान अधिनियम, नियम एवं समिति के उपनियमों में नहीं है।

परिशिष्ट 'एक'

तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

मंत्री कार्यालय : 2, हथरोई, अजमेर रोड, जयपुर

महोदय,

समिति की योजनाओं की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम योजना
1	नेमी सागर
2	नेमी नगर
3	नेमी नगर विस्तार
4	श्याम कालोनी
5	स्कीम नं. 1 (सेन्ट्रल कालोनी) फेज 1 से 3, 3ए एवं 4
6	अग्रवाल नगर
7	स्कीम नं. 5
8	स्कीम नं. 4
9	स्कीम नं. 2
10	वीर तेजाजी नगर
11	अजय विहार
12	विष्णुपुरी
13	बुद्ध विहार
14	रामद्वारा कालोनी
15	जेम्स कालोनी
16	देवी चिरंजीव कालोनी
17	ओम नगर
18	कनिष्क कालोनी
19	गौतम विहार व विस्तार मधुबन
20	रतन कालोनी
21	स्कीम नं. 8
22	स्कीम नं. 16
23	माथुर वैश्य नगर व विस्तार (ए, बी, सी)
24	स्कीम नं. 11
25	वर्धमान नगर (अग्रवाल नगर)

क्र.सं.	नाम योजना
26	डायमण्ड कालोनी
27	सुन्दर नगर
28	पुरन्दर जी का बाग
29	शेखावाटी नगर
30	रानी कालोनी
31	रामेश्वर धाम
32	रानी नगर
33	स्कीम नं. 10 बी
34	शंकर विहार
35	शिव नगर
36	श्री महावीर नगर
37	स्कीम नं. 15
38	तक्षशिला
39	श्रीनाथ नगर
40	स्कीम नं. 10 ए
41	करण विहार

दिनांक 28.03.2012

वास्ते तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर
अध्यक्ष

आसीन्द की भवन रहित सहकारी समितियां

801. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कितनी व कहां-कहां पर सहकारी समितियां हैं एवं उनके कहां-कहां पर भवन हैं तथा कहां-कहां पर भवन विहीन हैं? व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों, इनके भवनों की स्थिति, व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

दी सैन्ट्रल को आपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूचना

क्र. सं.	ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम	ग्राम जहां समिति स्थित	क्या ग्रा.से.स. के पास कार्यालय/ गोदाम है	यदि गोदाम है तो कितनी क्षमता का है	क्या ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास कार्यालय/ गोदाम नहीं है	कार्यालय गोदाम नहीं होने का कारण	ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत व्यवस्थापक का नाम	ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत सहायक व्यवस्थापक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोड का निम्बा.	मोड का निम्बा.	हां	100 टन	_	_	शिव सिंह	मूलाराम
2	बा. की सरेरी	बा. की सरेरी	हां	100 टन	_	_	बिहारी लाल भाणम्या	विष्णु कुमार व्यास
3	गांगलास	गांगलास	हां	100 टन	_	_	राधाकिसन वर्मा	रेवत सिंह
4	करजालिया	करजालिया	हां	100 टन	_	_	विष्णु कुमार	चतुर्भज शर्मा
5	पुवालिया	पुवालिया	हां	100 टन	_	_	देवकरण जाट	लादू लाल
6	पालड़ी	पालड़ी	हां	100 टन	_	_	सोहनलाल शर्मा	अर्जुन लाल जाट
7	कावलास	कावलास	हां	100 टन	_	_	सुरेश चन्द्र गुर्जर	सांवर लाल गुर्जर
8	लाछुडा	लाछुडा	हां	100 टन	_	_	विष्णु पारीक	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	रतनपुरा	रतनपुरा	हां	100 टन	_	_	भागचन्द्र जैन	-
10	तिलोली	तिलोली	हां	100 टन	_	_	मांगीलाल गुर्जर	-
11	दौलतगढ़	दौलतगढ़	हां	100 टन	_	_	मोहम्मद हनीफ	गोरधन लाल शर्मा
12	आसीन्द	आसीन्द	हां	100 टन	_	_	हिरालाल कुमावत	जगदीश चन्द्र शर्मा
13	प्रतापपुरा	प्रतापपुरा	हां	100 टन	_	_	मुस्ताक अहमद	-
14	बाजून्दा	बाजून्दा	हां	100 टन	_	_	डालचन्द्र कुमावत	-
15	भोजपुरा	भोजपुरा	हां	100 टन	_	_	बहादुर सिंह	-
16	चेनपुरा	चेनपुरा	हां	50 टन	_	_	जोगेन्द्र सिंह	-
17	बदनोर	बदनोर	हां	100 टन	_	_	गोरधन लाल	-
18	परासोली	परासोली	हां	200 टन	_	_	मनोहर लाल पारीक	नवरतन कुमावत
19	कर्मा का बाडिया	कर्मा का बाडिया	हां	100 टन	_	_	कर्म सिंह रावत	-
20	पाटन	पाटन	हां	100 टन	_	_	मूलचन्द्र तेली	महावीर सिंह
21	मोटरास	मोटरास	हां	150 टन	_	_	लादू लाल लौहार	कालू सिंह
22	सापोला	सापोला	हां	200 टन	_	_	लादू लाल लौहार	हरजीराम गुर्जर
23	अन्टाली	अन्टाली	हां	200 टन	_	_	गोपी लाल कुम्हार	गोपाल खटीक
24	शंभूगढ	शंभूगढ़	हां	100 टन	_	_	जितेन्द्र सिंह	-
25	बरसनी	बरसनी	हां	100 टन	_	_	रज्जाक मोहम्मद	मदन लाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	जगपुरा	जगपुरा	हां	200 टन	_	_	बाबू लाल सेन	-
27	आकडसादा	आकडसादा	हां	200 टन	_	_	गोपाल लाल लौहार	दौलत मंसूरी
28	इरास	इरास	हां	50 टन	_	_	राधाकिशन वर्मा	-
29	मोतीपुर	मोतीपुर	नहीं	-	नहीं	नया रजिस्टेशन	देवकरण जाट	-
30	बराणा	बराणा	हां	50 टन	-	नया रजिस्टेशन	सावरलाल गुर्जर	-
31	रघुनाथ पुरा	रघुनाथ पुरा	नहीं	-	नहीं	नया रजिस्टेशन	मांगीलाल गुर्जर	-
32	कटार	कटार	नहीं	-	नहीं	नया रजिस्टेशन	गोविन्द गुर्जर	-
33	दातड़ा (बांध)	दातड़ा (बांध)	हां	50 टन	-	नया रजिस्टेशन	मूलचन्द्र तेली	-
34	चतरपुरा	चतरपुरा	नहीं	-	नहीं	नया रजिस्टेशन	लादूलाल लौहार	-
35	संग्रामगढ़	संग्रामगढ़	नहीं	-	-	नया रजिस्टेशन	मूलचन्द्र तेली	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	मोगर	मोगर	नहीं	-	-	नया रजिस्टेशन	जोगेन्द्र सिंह	-
37	रूपपुरा	रूपपुरा	नहीं	-	नहीं	नया रजिस्टेशन	हनिफ मोहम्मद	-
38	नेगडिया	नेगडिया	नहीं	-	-	नया रजिस्टेशन	हिरालाल कुमावत	-
39	आमेसर	आमेसर	हां	50 एमटी	-	-	रज्जाक मोहम्मद	-
40	आगूंचा ग्राम से, सह.स.	आगूंचा	हां	100 एमटी	-	-	श्री प्रभुलाल भार्गव	श्री जगदीश वैष्णव
41	बोरखेडा ग्राम से.सहा.स.	बोरखेडा	हां	200 एमटी	-	-	श्री पारसमल जाट	श्री भैरू लाल जाट
42	बराठिया ग्राम से.सहा.स.	भोजरास	हां	100 एमटी	-	-	श्री पवन कुमार शर्मा	श्री विद्याधर शर्मा
43	सरेरी ग्राम से.सहा.स.	सरेरी	हां	100 एमटी	-	-	श्री देवकरण सुथार	श्री कमलेश कुमार
44	दांतडा ग्राम से.सहा.स.	दांतडा	हां	100 एमटी	-	-	श्री देवीलाल कुमावत	श्री ब्रह्मानन्द जाट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	फलामादा ग्राम से.सहा.स.	सोडार	हां	100 एमटी	-	-	श्री खेमा राम चौधरी	श्री हरजी राम रेबारी
46	गुलाबपुरा ग्राम से.सहा.स.	गुलाबपुरा	हां	100 एमटी	-	-	श्री जगदीश वैष्णव	श्री देहराज जाट
47	गागेडा ग्राम से.सहा.स.	गागेडा	हां	100 एमटी	-	-	श्री देवी लाल शर्मा	श्री घनश्याम वैष्णव
48	ढूढ़डा ग्राम से.सहा.स.	ढूढ़डा	हां	200 एमटी	-	-	श्री ओम प्रकाश वैष्णव	श्री महावीर प्रसाद
49	जालमपुरा ग्राम से.सहा.स.	जालमपुरा	हां	50 एमटी	-	-	श्री सांवर लाल जाट	श्री हेमराज जाट
50	खेजड़ी ग्राम से.सहा.स.	खेजड़ी	हां	200 एमटी	-	-	श्री सम्पत्त जोगी	श्री कन्हैया लाल माली
51	कोटड़ी ग्राम से.सहा.स.	कोटड़ी	हां	200 एमटी	-	-	श्री विजय सिंह	श्री पन्नालाल माली
52	कवंलियास ग्राम से.सहा.स.	कवंलियावास	हां	200 एमटी	-	-	श्री मांगी लाल जाट	श्री सांवर लाल जोगी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	रुपाहेली ग्राम से.सहा.स.	रुपाहेली	हां	100 एमटी	-	-	श्री ओम प्रकाश खटीक	श्री कालू राम भाम्बी
54	तस्वारिया ग्राम से.सहा.स.	तस्वारिया	हां	100 एमटी	-	-	श्री जमना लाल जाट	श्री दिनेश जाट
55	टोकरवाड़ ग्राम से.सहा.स.	टोकरवाड़	हां	50 एमटी	-	-	श्री घीसू लाल शर्मा	श्री ताराचन्द स्वर्णकार
56	फलामादा	फलामादा	हां	100 एमटी	-	-	श्री खेमा राम चौधरी	श्री हरजीराम रेबारी

प्रबन्ध निदेशक

राजगढ़ (अलवर) में उप-आगार की स्थापना

802. **श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 में राजगढ़ (अलवर) सब डिपो में 16 बस व करीब 40 कर्मचारी लगाकर सब डिपो खोला गया था? क्या उचित आमद होने के बाद भी गाडियों व कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सब डिपो में पुनः गाड़ी बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजगढ़ सब डिपो को यथावत् रख, गाड़ियां राजगढ़ से ही संचालित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सब डिपो नगरपालिका की जमीन पर संचालित है? क्या सरकार स्वयं का डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने तथा संचालन की सुविधा हेतु अलवर आगार के अधीन राजगढ़ इकाई वर्ष 1995 में स्थापित न कर वर्ष 1996 में की गई थी । तत्समय 10 बसें एवं 40 कर्मचारी लगाये गये थे ।

इस इकाई के संचालन से पर्याप्त आमद एवं यात्रीभार न मिलने के कारण ही वाहनों एवं कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई। वर्तमान में राजगढ़ इकाई में 9 वाहन एवं 27 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं । वर्तमान में राजगढ़ इकाई से संचालित की जा रही बसों में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में क्रमशः 59 एवं 54 प्रतिशत यात्रीभार ही उपलब्ध हो रहा है, जो इस इकाई की संचालन लागत की तुलना में अत्यधिक कम है। अतः और बसें बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। वर्तमान में राजगढ़ इकाई से संचालित बस सेवाऐं यथावत चालू हैं।

(4) जी हां। निगम मण्डल के निर्णय संख्या 44/2009 जो वर्ष 2009 का निर्णय है, के अनुसार निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत जिला

(यातायात राज्य मंत्री)

मुख्यालय पर ही आगार स्थापित की जा सकती है तथा अलवर जिला मुख्यालय पर पहले से ही 2 आगार अलवर एवं मत्स्य नगर पहले से ही स्थापित है, अतः राजगढ़ जो अलवर जिले में स्थित है, पर पृथक से आगार खोले जाने का कोई विचार नहीं है । आगार स्थापित करने के मानदंडों की प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है ।

परिशिष्ट-1

निगम मण्डल के निर्णय संख्या 43/2009 के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड

निगम वाहनों के संचालन हेतु नया आगार स्थापित करने के सम्बन्ध में नीति

1. राजस्थान राज्य में प्रथमतया जिन जिला मुख्यालयों पर आगार स्थापित नहीं हैं उन जिला मुख्यालयों पर ही नये आगार स्थापित किये जावें। आगार का संचालन आयिक (Viable) भी होना चाहिए जिसमें विभिन्न मार्गों पर कम से कम 80 सेवाएं एवं 32,000 किमी. प्रतिदिन संचालन का स्कोप हो।
2. नये आगार द्वारा संचालित की जाने वाली सेवाओं में अधिकांशतः राष्ट्रीयकृत मार्ग या पंचम अध्याय मार्ग से होकर लम्बी दूरी की सेवाओं को सम्मिलित किया जाकर वाहनों का संचालन किया जावेगा।
3. आगार की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम के बस स्टैण्ड, आगार कार्यालय एवं आगार कार्यशाला इत्यादि के निर्माण हेतु भविष्य में होने वाले विस्तार को ध्यान में रखते हुए, एक ही स्थान पर पर्याप्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। यह भूमि डिपो/ वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये रूपान्तरित हो तथा निगम द्वारा किसी भी प्रकार के भूमि विकास टैक्स इत्यादि से मुक्त हो।
4. आगार में Infrastructure Development के लिए स्थानीय विधायक/ सांसद कोष, राज्य सरकार अथवा स्वायत्त शासन विभाग से एक मुश्त आवश्यक राशि स्वीकृत की जावे। यथा सम्भव कार्यशाला और बस स्टैण्ड के मध्य दूरी कम रखी जावे ताकि वाहनों के अनायिक किमी. में कमी की जाकर व्यय में बचत की जा सके। निर्मित किये जाने वाले बस स्टैण्ड तथा कार्यशाला के लिए भी मुख्य मार्ग से Approach Road उपलब्ध हो ताकि वाहनों के संचालन में सुविधा रहे।

5. वर्तमान में निगम द्वारा संचालित सेवाओं के लिए विभिन्न वर्गों के स्वीकृत पदानुसार कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। वाहनों के संचालन हेतु आवश्यक चालक, परिचालक, तकनीकी कर्मचारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के वांछित पदों का सृजन करने की स्वीकृति के साथ उन पदों के भरने की स्वीकृति भी दी जावे।

6. नये आगार में वाहनों के संचालन हेतु आगार मुख्यालय से विभिन्न मार्गों पर संचालित की जाने वाली नई अथवा अतिरिक्त सेवाओं के लिए, आवश्यक वाहनें क्रय करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जावे। वाहनों के संचालन हेतु कार्यशाला में वांछित Plants & Machinery के साथ अन्य उपकरणों का होना भी आवश्यक है और डीजल पम्प की स्थापना भी वाहनों के संचालन की मूल जरूरत है। इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता होना आवश्यक है।

7. निगम द्वारा निवेश की जाने वाली राशि हेतु एक कोष की स्थापना की जाएगी जिसमें सालाना Surplus की 10 प्रतिशत राशि स्थानान्तरित की जावेगी। निगम के अन्य स्रोतों से, इस कार्य हेतु राशि Divert नहीं की जा सकेगी।

मारवाड़ जंक्शन में संचालित निगम बस सेवाएं

803. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008 से फरवरी, 2012 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कितनी बसें (सभी प्रकार की) क्रय की गईं तथा उक्त बसों पर कितनी राशि व्यय हुई?

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कितनी बसों का किस-किस मार्ग पर संचालन किया जा रहा है एवं कितने मार्गों पर बस चलाये जाने की मांगें विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2011 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन मार्गों एवं गांवों तक पथ परिवहन निगम की बस सुविधा उपलब्ध थी और उक्त में से कितनी बसों का संचालन किन-किन कारणों से बन्द किया गया? क्या सरकार बन्द बसों को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री केसाराम चौधरी)

(4) क्या सरकार मारवाड़ जंक्शन से रानी वाया खिंवाड़ा तथा देसूरी से जोधपुर (वाया खिंवाड़ा, लान्ता, खेरवा) तथा मारवाड़ जंक्शन से जयपुर को बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से अब तक (जनवरी 2008 से फरवरी 2012 तक) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कुल 2454 (सभी प्रकार की) चैसिस क्रय कर बसें बनवाई गईं एवं 25 पूर्ण निर्मित बसें (वोल्वो-15 व मर्सडीज-10) क्रय की गईं। इस प्रकार कुल 2479 बसों के निर्माण/खरीद पर कुल 323.88 करोड़ रुपये की लागत आई।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में मार्गवार संचालित निगम बस सेवाओं की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में बस सेवाएं संचालित किये जाने हेतु प्राप्त मांगों एवं उन मांग पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2011 में माह जून, 2011 से निम्न मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया गया था :-

1- पाली-हरियामाली

2- पाली-उदयपुर

परन्तु इन बस सेवाओं को पर्याप्त आय एवं यात्रीभार न मिलने के कारण इनका संचालन बंद कर दिया गया । संचालन अवधि में प्राप्त हुए आय प्रति कि0मी0 एवं यात्रीभार का विवरण निम्नानुसार है :-

मार्ग	जून 2011		जुलाई 2011		अगस्त 2011	
	आय प्रति कि.मी.	यात्री भार	आय प्रति कि.मी.	यात्री भार	आय प्रति कि.मी.	यात्री भार
पाली-हरियामाली	13.04	51	10.25	38	08.85	33
पाली-उदयपुर	07.75	27	07.20	26	04.11	14

बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत निगम द्वारा पी.पी. माडल पर

(यातायात राज्य मंत्री)

अपनी बस सेवाओं का विस्तार किया जाकर अगले तीन वर्षों में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को बस सेवा से जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है, के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त मार्गों पर पडने वाली ग्राम पंचायतों एवं शेष बस सेवाओं से वंचित रही ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जायेगा।

(4) जी नहीं । प्रश्नगत मार्गों पर स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्रश्न के भाग "3" में दिये गये उत्तर के अनुसार बस सेवा से जोड़े जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं प्रश्नगत मार्गों के लिए वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण निगम बस सेवा उपलब्ध करवाये जाने का कोई विचार नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिवहन निगम में चालक/परिचालकों के रिक्त पद

804. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य पथ परिवहन निगम में कितने-कितने पद किस-किस संवर्ग के रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम में चालक/ परिचालकों से 16 घण्टे की ड्यूटी ली जा रही है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? क्या सरकार द्वारा उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में रिक्त पदों का संवर्गवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। बजट घोषणा वर्ष 2009-10 से निगम को तीन वर्षों में 2375 पदों पर भर्ती करनी थी जिनमें से 1657 पदों पर भर्ती की जा चुकी है तथा शेष 718 पदों पर भर्ती की कार्यवाही निम्नानुसार प्रकियाधीन है :-

क्र.सं	पद	भर्ती किये जाने वाले पदों की संख्या
1	चालक	189
2	परिचालक	394
3	आर्टिजन ग्रेड-द्वितीय	12
4	आर्टिजन ग्रेड-तृतीय	123

(यातायात राज्य मंत्री)

इसके अतिरिक्त निम्न तालिका के अनुसार 207 पदों की भर्ती हेतु दिनांक 18.12.11 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है :-

क्र.सं.	पद	पदों की भर्ती हेतु ली गई परीक्षा
1	सहा.संभाग प्रबंधक	07
2	सहा. यांत्रिक अभियन्ता	08
3	लेखाधिकारी	02
4	सहा. आगार प्रबन्धक/यातायात निरीक्षक	20
5	सहायक यातायात निरीक्षक	100
6	कनिष्ठ अभियन्ता ग्रेड "बी"	70
	योग	**207**

परिशिष्ट "1" में वर्णित सीधी भर्ती के 30854 पदों में से निम्न तालिका के अनुसार 1271 रिक्त पदों को भरा जाना प्रकियाधीन है :-

क्र. सं.	पद	रिक्त पदों की भर्ती हेतु अनुमति अपेक्षित
1	क. अभियन्ता ग्रेड-प्रथम	27
2	श्रम कल्याण निरीक्षक	06
3	विधि सहायक	10
4	कनिष्ठ लेखाकार	22
5	चालक	1020
6	परिचालक	186

(2) जी नहीं। निगम में निर्धारित शिड्यूल के अनुसार चालक/ परिचालकों से उनके निर्धारित ड्यूटी घण्टों के अनुसार ही कार्य लिया जा रहा है । लम्बी दूरी के लिए संचालित वाहनों में निगम द्वारा क्रू चेन्ज का प्रावधान किया हुआ है। क्रू की अनुपलब्धता पर ही आमजन के लिए परिवहन सेवाएं सुचारु रूप से बनाये रखने के लिए किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चालक/ परिचालकों से निर्धारित ड्यूटी घण्टों से अधिक कार्य लिया जाता है तो उन्हें नियमानुसार अधिश्रम भुगतान अथवा डबल ड्यूटी रेस्ट दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

परिशिष्ट-1

दिनांक 01.02.2012 की स्थिति में सीधी भर्ती से रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम पद	रिक्त
1.	सहायक महा प्रबन्धक (सांख्यिकी)	1
2.	सहायक सम्भाग प्रबन्धक	8
3.	सहायक अभियन्ता (निर्माण)	1
4.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	1
5.	लेखाधिकारी	5
6.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	8
7.	क्रय एवं भण्डार अधिकारी	1
8.	कनिष्ठ अभियन्ता-ए	27
9.	कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण)	1
10.	कनिष्ठ अभियन्ता-ब	70
11.	सहायक आगार प्रबन्धक/याता. निरीक्षक	29
12.	श्रम कल्याण निरीक्षक	6
13.	विधि सहायक	17
14.	कनिष्ठ लेखाकार	62
15.	शीघ्रलिपिक	14
16.	सहायक यातायात निरीक्षक	159
17.	प्रारूपकार (तकनीकी)	1
18.	संगणक	7
19.	उप भण्डार निरीक्षक	42
20.	कम्पाउण्डर ग्रेड-III	2
21.	कनिष्ठ लिपिक	261
22.	आर्टिजन ग्रेड-द्वितीय	12
23.	पेन्टर	1
24.	वायरमेन	1
25.	सुरक्षा प्रहरी	251
26.	वायरमेन ग्रेड-III	1
27.	आर्टिजन ग्रेड-तृतीय	201

क्र.सं.	नाम पद	रिक्त
28.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	156
29.	फैरीमेन	1
30.	स्वीपर	29
31.	स्टाफ कार/ट्रक चालक चालक @ 1.35 per Single schedule	1498
32.	परिचालक @ 1.35 per Single schedule	980
	योग	**3854**

किशनगढ़ बास (अलवर) बस स्टैण्ड की बकाया किराया राशि का भुगतान

805. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम किशनगढ़ बास का बस स्टैण्ड राजस्थान परिवहन निगम ने पंचायत समिति किशनगढ़ बास से किराये पर लिया हुआ है? यदि हां, तो कब से व प्रतिमाह कितनी राशि पर?

(2) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा उक्त बस स्टैण्ड की किराया राशि उक्त पंचायत समिति को कब-कब व कितनी-कितनी दी गई और अब कितनी किराया राशि दी जानी शेष है व शेष रही किराया राशि कब तक दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शेष किराया राशि को समय पर भुगतान नहीं करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी है? सरकार उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां ।

दिनांक 09.02.79 से 31.07.91 तक	रु. 678/- प्रतिमाह
दिनांक 01.8.91 से 31.7.96 तक	रु. 814/- प्रतिमाह
दिनांक 1.8.96 से 31.7.2001 तक	रु. 977/- प्रतिमाह
दिनांक 1.8.01 से 31.7.2006 तक	रु. 1172/- प्रतिमाह
दिनांक 1.8.06 से 31.7.2011 तक	रु. 1406/- प्रतिमाह
दिनांक 1.8.11 से लगातार	रु. 1687/- प्रतिमाह

(यातायात राज्य मंत्री)

(2) निगम द्वारा उक्त बस स्टैण्ड के किराया का निम्नानुसार भुगतान किया गया :

क्र. सं.	माह व वर्ष	भुगतान की गई राशि रुपयों में	
1.	दिसम्बर 1996	13838/-	
2.	दिसम्बर 1996	37444/-	
3.	जून 2009	83028/-	
4.	मार्च 2012	1,36,265/-	
	योग	**2,70,575/-**	

शेष किराया राशि के सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगढ़ बास एवं मुख्य प्रबन्धक, तिजारा आगार को निर्देशित किया जायेगा कि वे दोनों अधिकारी 31 मई, 2012 तक बैठक कर किराया राशि का निर्धारण करें और तत्पश्चात निर्धारित होने वाली शेष किराया राशि के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी।

(3) विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगढ़ बास द्वारा सम्पूर्ण बस स्टैण्ड की भूमि का किराया चाहा जाने लगा जबकि निगम द्वारा उपयोग में लिये जा रहे भूभाग के अलावा शेष भाग पर निजी वाहन स्वामियों, दुकानदारों एवं ठेले वालों द्वारा कब्जा किया हुआ था, जिसके कारण विवाद चलता रहा। अब यह विवाद समाप्त हो गया है, और प्रश्न के भाग-2 के उत्तर के अनुसार अब 31 मई, 2012 तक शेष किराये के निर्धारण एवं उसके भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकार से कोई अधिकारी शेष किराया राशि भुगतान के लिये दोषी नहीं है।

अलवर-जयपुर मार्ग पर संचालित वातानुकूलित वाहन

806. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर से जयपुर के मध्य विभाग द्वारा ए.सी. बस का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से व किस मार्ग पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(2)अलवर से जयपुर के मध्य उक्त संचालित ए.सी. बस (वाहन) का माडल किस वर्ष का है एवं उक्त वाहन अलवर से जयपुर मार्ग पर संचालित किये जाने से पूर्व कहां संचालित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सुविधा के नाम पर प्रारम्भ की गई उक्त ए.सी. बस के किराये में सामान्य बस से भी ज्यादा खराब हालत में है? क्या सरकार उक्त वाहन के स्थान पर नया वाहन संचालित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त ए.सी. बस का हाल ही में मार्ग परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो पूर्व में उक्त ए.सी. बस अलवर से जयपुर के मध्य किस मार्ग पर संचालित थी व वर्तमान में किस मार्ग पर संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त ए.सी. बस का मार्ग परिवर्तित किये जाने के क्या कारण रहे? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माह अक्टूबर, 2011 से अलवर-जयपुर मार्ग पर संचालित है।

(2) अलवर से जयपुर के मध्य उक्त संचालित एसी बस (वाहन) वर्ष 2009 माडल की है। उक्त मार्ग पर संचालन से पूर्व यह बस जयपुर-देहली मार्ग पर संचालित हो रही थी।

(3) जी नहीं। क्योंकि उक्त बस अच्छी स्थिति में है तथा यह निगम के आदेश क्रमांक एफ(5)ED(E)/Acctts/ 2011/1166 दिनांक 7.6.2011 के अनुसार निर्धारित मानदंडों के अनुरूप संचालित करने की सीमा में भी है। मानदंडों की प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(4) जी हां। पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर, 2011 से यह बस जयपुर-अलवर वाया शाहपुरा, विराट नगर होकर संचालित की जा रही थी तथा अब माह दिसम्बर 2011 से यह बस सेवा जयपुर-अलवर वाया दौसा-सिकन्दरा-बांदीकुई-बसवा-राजगढ़-मालाखेड़ा होकर संचालित की जा रही है।

(5) आमजन की मांग पर को दृष्टिगत रखते वाया परिवर्तित कर संचालित की जा रही है।

परिशिष्ट-1

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR

No.F(5)ED/(E)/Acctts/2011/1166   Dated : 7.6.2011

OFFICE ORDER

In further modification to the earlier office order No. F(5)/ED/(E)/ Acctts/10/793 dated : 12.5.2010, the existing criterion for considering the vehicles as unserviceable for disposal is hereby amended as follows :-

1. Depreciation of RSRTC buses shall be done over a period of eight years on a straight line method instead of five years at present.
2. Scrap value of unserviceable vehicles shall be Rs. 1.25 lacs.
3. A bus shall be condemned at the end of 8 years or after logging eight lacs kms. whichever is later.
4. Notwithstanding the fact that a vehicle has logged eight lacs kms, it will not be condemned unless a certificate is obtained from the Engineering Department that :-
   a) Its physical and mechanical conditions are not good, and
   b) It is uneconomical to repair and operate such buses.
5. Vehicles shall be condemned only when a replacement is available, unless a conscious decision is taken to reduce the size of the fleet of RSRTC.

These amendments are being issued in anticipation of the approval of the Corporation Board and it shall come into force with effect from 1.4.2011.

Chairman-Cum Managing Director

वैर के निगम बस सेवा रहित पंचायत मुख्यालय

807. **श्री बहादुर सिंह** (वैर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में नियमित बस सेवा उपलब्ध वाली ग्राम पंचायत मुख्यालयों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष बचे हुए गांवों को नियमित बस सेवा से जोड़ने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में आने वाली ग्राम पंचायत जिनमें नियमित बस सेवा उपलब्ध है का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के बजट में की गई घोषणा के अन्तर्गत राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जो परिवहन सेवा से वंचित हैं, को आगामी तीन वर्षो में परिवहन सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, इस बाबत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र वैर में आने वाली ग्राम पंचायतें जिनमें नियमित बस सेवा उपलब्ध है

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम
1.	बाछरैन
2.	भूतौली
3.	आमौली
4.	छौंकरवाड़ा
5.	कमालपुरा
6.	सलेमपुर कलां
7.	चैंटोली
8.	हलैना
9.	मूडियालिता
10.	हतीजर
11.	धरसौनी
12.	जीवद
13.	जगजीवनपुर
14.	हाथौली
15.	घाटरी
16.	निठार
17.	मैनापुरा
18.	गौगेरा
19.	वल्लभगढ़

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम
20.	लखनपुर
21.	समराया
22.	कलसाड़ा
23.	खानखेड़ा
24.	महरावर
25.	बरखेड़ा
26.	खेडली गडासिया
27.	बीरमपुरा
28.	खौहरा
29.	पथैना
30.	सिरस
31.	मौलौनी
32.	पाली

जयपुर-माउन्ट आबू मार्ग पर संचालित वोल्वो बसों में जन प्रतिनिधियों हेतु आरक्षण

808. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर से माउन्ट आबू के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी वोल्वो बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वोल्वो बस में विधायक व सांसद के लिये सुरक्षित सीट है? यदि हां, तो उसकी बुकिंग हेतु क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि एक वोल्वो बस में एक विधायक द्वारा पहले सीट आरक्षित कराने पर दूसरे विधायक को सीट आरक्षित हेतु फोन करने पर सीट आरक्षित नहीं की जाती है?

(4) क्या आनलाइन टिकट लेने की प्रक्रिया में विधायकों को टिकट हेतु कूपन भेजने पड़ते हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर से माउन्ट आबू के लिए वर्तमान में कोई वोल्वो बस संचालित नहीं है ।

(2) जी नहीं। क्योंकि जयपुर से माउन्ट आबू के लिए वर्तमान में कोई वोल्वो बस संचालित ही नहीं है।

(3) एक वोल्वो बस में एक विधायक द्वारा विधायक कोटे के लिये आरक्षित सीट नम्बर 3 व 4 का यदि आरक्षण करवा लिया गया है तो विधायक कोटे की सीट से भिन्न सीट यदि आनलाइन आरक्षण से रहित है तो उन्हें कूपन उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात ही सीट आरक्षित की जा सकती है, न कि फोन करने पर ।

(4) जी हां। आनलाइन टिकिट लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले माननीय सांसद एवं विधायकगण को कूपन के आधार पर ही निगम बसों में यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी और इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत भी कूपन के आधार पर ही आनलाइन टिकट दिये जाने की व्यवस्था यथावत है, इसलिये इस हेतु पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

मण्डी अध्यक्षों के चुनाव हेतु प्रक्रिया

809. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मण्डी चुनाव 2011 में सरकार ने प्रथम बार सहवृत पार्षदों को नगरपालिका वार्ड चुनाव में मतदान के लिए अधिकृत किया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डी चुनाव में तीन सदस्य सरकार मनोनीत करती है? क्या सरकार द्वारा सहवृत पार्षदों को अधिकार देकर अप्रत्यक्ष रूप से चौथा सदस्य मनोनयन का प्रयास किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या वर्तमान चुनाव प्रक्रिया के अनुसार अप्रत्यक्ष मण्डी अध्यक्षों के मनोनयन की प्रक्रिया निर्धारित है? क्या सरकार लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) 'ब', 'स' एवं 'द' श्रेणी की मण्डी समितियों में 3 सदस्य यथा विधायक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति का प्रतिनिधि एवं एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। नगर पालिका के प्रतिनिधि के निर्वाचन में सहवृत्त पार्षदों को मताधिकार नहीं दिया गया है अत: शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनावों में मण्डी समिति अध्यक्ष का निर्वाचन मण्डी समिति के सदस्यों के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। मण्डी समिति अध्यक्ष का मनोनयन नहीं किया जाता है।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना हेतु पात्रता

810. श्री प्रमोद जैन (भाया) (अन्ता-बारां) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना की गाइड लाइन, पात्रता, नियम, शर्तें व आवेदन फार्म निर्धारित हैं? यदि हां, तो जारी सरकारी आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना अन्तर्गत कितनी-कितनी सहायता राशि किस-किस स्थिति में दी जाती है? जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) योजना में सहायता राशि स्वीकृति हेतु किस स्तर पर अधिकार दिये हुए हैं? जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी योजना-2009 में दिशा-निर्देश निर्धारित है। विवरण की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता राशि परिशिष्ट 'अ' के बिन्दु 3 अनुसार दी जाती है।

(3) योजना में परिशिष्ठ 'अ' के बिन्दु सं. 4 में अंकित अधिकारियों की गठित समिति द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां कृषि उपज मण्डी द्वारा स्वीकृत विकास कार्य

811. **श्री पानाचन्द** (बारां-अटरू) व **प्रमोद भाया** (अन्ता-बारां) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से मार्च, 2012 की अवधि में किस-किस कृषि उपज मण्डी व उसके क्षेत्राधिकार में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस दिनांक को स्वीकृत किये गये? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्माण कार्य किस-किस दिनांक को प्रारम्भ कराये गये एवं माह मार्च, 2012 तक किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निर्माण कार्यों में कौन-कौनसा कार्य किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि से पूर्ण हो चुका है एवं कौन-कौनसा कार्य किस-किस स्तर पर निर्माणाधीन या निर्माण प्रक्रिया में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से मार्च, 2012 की अवधि में कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल 64 कार्य राशि 2231.31 लाख के स्वीकृत हुए। मण्डीवार, कार्यवार विस्तृत विवरण मय स्वीकृति दिनांक एवं राशि सहित परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(2) उक्त निर्माण कार्य जिस दिनांक को प्रारम्भ कराये गये एवं इन पर माह मार्च 2012 तक किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) बारां जिले में उक्त 64 स्वीकृत कार्यों में से 31 कार्य अब तक पूर्ण करवाये जा चुके है (विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न), 18 कार्य निर्माणाधीन हैं (विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न), 12 कार्य की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है (विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न), एवं 3 सडक मरम्मत कार्य राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.06.2010 के अन्तर्गत सड़कें सा.नि.वि. को स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप कार्य नहीं करवाये गये हैं (विवरण परिशिष्ट 'र' पर संलग्न)।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फल सब्जी मण्डी श्रीगंगानगर में दुकानों का आवंटन

812. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) फल सब्जी मण्डी गंगानगर की लम्बे समय में रिक्त चालीस दुकानों के आबंटन हेतु कब आवेदन मांगे गये थे तथा उपलब्ध दुकानों के विरुद्ध कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आबंटन समिति द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2012 को उक्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कर अपनी अभिशंसा सहित पत्रावली निदेशालय को प्रेषित की गई थी? क्या उपलब्ध दुकानों के अनुपात में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या प्रतिस्पर्धात्मक थी? यदि हां, तो उक्त दुकानों की स्वीकृति निदेशालय द्वारा किस आधार पर जारी नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवंटन के ठीक पूर्व में जो आबंटन हुआ था, उस समय कितनी उपलब्ध दुकानों के विरुद्ध कितने आवेदन प्राप्त हुए थे तथा उस समय कितने समाचार पत्रों में इनका विज्ञापन जारी हुआ था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उस समय अखबारों में विज्ञापन से सम्बन्धित कोई ऐतराज सरकार द्वारा किया गया था? यदि नहीं, तो दिनांक 2 फरवरी, 2012 को मण्डी समिति में दुकानें आबंटन की कार्यवाही पर्याप्त आवेदन पत्र होने के उपरान्त भी क्यों खारिज कर दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार मण्डी प्रांगण से रिक्त उक्त दुकानों के आबंटन हेतु दिनांक 2 फरवरी, 2012 की कार्यवाही की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या इस बार के आबंटन में वीडियोग्राफी करवाई गई थी? यदि हां, तो वीडियोग्राफी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 21.12.10 को विज्ञप्ति जारी कर रिक्त दुकानों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। रिक्त 40 दुकानों के लिए कुल 1333 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(2) हां। प्राप्त आवेदन के निस्तारण हेतु लाटरी से आबंटन कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण निदेशालय को भेजा गया। आबंटन समिति बैठक कार्यवाही विवरण के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि आबंटन हेतु जारी विज्ञप्ति का प्रकाशन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में नहीं कराया गया। इस आधार पर आबंटन समिति बैठक कार्यवाही विवरण को निरस्त कर दिया गया।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(3) उक्त आबंटन के ठीक पूर्व में दिनांक 19.1.2009 को 19 भूखण्डों का आबंटन किया गया था। 19 भूखण्डों के विरुद्ध 122 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। तत्समय आबंटन की विज्ञप्ति राजस्थान पत्रिका एवं सांध्य प्रताप केसरी में प्रसारण कराया गया था।

(4) जी नहीं। निदेशक कृषि विपणन के आदेश दिनांक 25.1.12 से आबंटन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये। आबंटन समिति द्वारा दिनांक 2.2.12 को आयोजित बैठक में उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने के कारण आबंटन समिति की बैठक कार्यवाही विवरण निरस्त किया गया है।

(5) जी नहीं। बिन्दु संख्या 2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट है।

(6) जी हां। आबंटन कार्यवाही की वीडियोग्राफी की कार्यवाही संलग्न है।

जयपुर शहर में होम गार्ड में भर्ती हेतु पात्रता

813. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में शहर तथा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया/नियम क्या है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर में होम गार्ड भर्ती हेतु जयपुर शहर का राशन कार्ड व मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या जयपुर में होम गार्ड पद पर भर्ती हेतु जयपुर ग्रामीण का राशन कार्ड व मूल निवास को मान्यता नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2008 से 2011 के मध्य भर्ती किये गये होम गार्ड के राशन कार्ड जयपुर शहर के होते हुए भी, भर्ती की गयी दिनांक के बाद के राशन कार्ड होने के कारण उक्त होम गार्डो को सेवा से हटाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? उक्त पदों पर भर्ती करते समय जांच क्यों नहीं की गयी तथा इसमें कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में हुई भर्ती के समय भर्ती मनमर्जी से की गयी है और अब उन्हें हटाया जा रहा है? क्या सरकार उक्त

(श्री गोपाल मीणा)

भर्ती किये गये होम गार्डों की सेवायें यथावत् रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया नियमों में संशोधन करके जयपुर शहर के साथ ही जयपुर ग्रामीण के राशन कार्ड को मान्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में शहरी तथा ग्रामीण व्यक्तियों के लिये होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया नियमों की प्रतियां संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) हां, यह सही है कि जयपुर में होम गार्ड स्वयं सेवक पद की भर्ती हेतु राशन कार्ड व मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक किया हुआ है। भर्ती हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में भी इसका उल्लेख किया जाता है। जयपुर शहर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जयपुर शहर/जयपुर महानगर के अभ्यार्थियों के लिये ही आयोजित की जाती है। राशन कार्ड व मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक किया जाने का कारण जयपुर शहर, जयपुर ग्रमीण का कार्यक्षेत्र पृथक-पृथक है। भर्ती सम्बन्धित क्षेत्र विशेष में आवासीय अभ्यार्थियों की ही भर्ती की जाती है, ताकि स्थानीय प्रशासन की मांग पर कानून व्यवस्था डयूटी हेतु शीघ्र प्रशिक्षित उपलब्ध करवाये जा सकें। जयपुर शहर में होम गार्ड स्वयं सेवक पद की भर्ती हेतु जयपुर ग्रामीण का राशन कार्ड व मूल निवास को शहरी गृह रक्षा की भर्ती में मान्यता नहीं दी गई है। अपितु जयपुर ग्रामीण गृह रक्षा की भर्ती में मान्य है।

(3) यह सही नही है। जयपुर शहर/जयपुर महानगर के अधिकृत राशन कार्डधारी अभ्यार्थियों को ना तो हटाया गया है और ना ही हटाया जा रहा है।

(4) जी नहीं। उक्त अवधि में भर्ती के समय मनमर्जी नहीं की गई, बल्कि नियमानुसार गठित बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत भर्ती की गई। विधिपूर्वक भर्ती किए गए शहरी स्वयं सेवकों को हटाये जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। परन्तु ऐसे स्वयं सेवक जो कि अनुशासनहीन हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पृथक्करण की कार्यवाही की जा सकती है।

(5) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया में शहरी होम गार्ड में शहरी क्षेत्र के राशन कार्ड एवं ग्रामीण होम गार्ड में ग्रामीण क्षेत्र के राशन कार्ड को ही मान्यता दी गयी है जिसका मुख्य कारण

(गृह रक्षा नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री)

जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण का कार्यक्षेत्र पृथक-पृथक है। भर्ती सम्बन्धित क्षेत्र विशेष में आवासीय अभ्यार्थियों से ही भर्ती की जाती है, ताकि स्थानीय प्रशासन की मांग पर कानून व्यवस्था डयूटी हेतु प्रशिक्षित होम गार्ड स्वयं सेवक शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 मार्च, 2012)

उर्दू विषय के स्वीकृत/रिक्त पद

264. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उर्दू विषय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय ग्रेड अध्यापकों के नये पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त पद शीघ्र स्वीकृत कर उक्त पदों पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समुदाय से अनेकों वायदे किये थे? यदि हां, तो चुनाव घोषणा पत्र 2008 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने के लिये माध्यमिक शिक्षा में कक्षा-9 एवं कक्षा-10 में उर्दू तृतीय भाषा के रूप में तथा कक्षा-11 एवं कक्षा-12 में उर्दू साहित्य ऐच्छिक विषय के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।

(2) वर्ष 2012-13 के बजट घोषणा के आइटम नं. 126 द्वारा उर्दू विषय में स्कूल व्याख्याताओं के 100 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 200 पद तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 500 पद सृजित कर आगामी वर्ष में इन पदों पर नियुक्ति करना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के अनुसार।

(4) जी हां। घोषणा पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान विधान सभा चुनाव 2008

सशक्त एवं नया राजस्थान

- कांग्रेस पार्टी राजस्थान की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं गतिशील प्रशासन देगी।
- कांग्रेस पार्टी शान्ति समृद्धि एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की बहाली करेगी तथा विभिन्न सामाजिक घटकों के बीच आपसी भाईचारे का सकारात्मक वातावरण निर्मित करेगी।

नया राजस्थान : सामाजिक-धार्मिक समरसता का राजस्थान

नया राजस्थान : विकास के समान अवसरों का राजस्थान

नया राजस्थान : किसानों – मजदूरों – कर्मचारियों का हितैषी राजस्थान

नया राजस्थानः सुशासन, पारदर्शिता व जवाबदेही का मूर्तरूप राजस्थान

नया राजस्थान : आधुनिक विकास का राजस्थान

अल्पसंख्यक कल्याण

1. अल्पसख्यकों के लिये कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं व शिकायतों के निदान हेतु केन्द्र सरकार की तर्ज पर एक अलग अल्पसंख्यक मामलात के मंत्रालय की स्थापना। अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित सभी बोर्ड, निगम, अकादमी इत्यादि उक्त मंत्रालय के अधीन।
2. अल्पसंख्यकों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के लिए बिना ब्याज के ऋण की उपलब्धता।
3. राजीव गांधी पाठशाला को मिलने वाली सभी सुविधाओं का मदरसों तक विस्तार।
4. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रमों का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन।
5. सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप कार्यक्रमों का केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार क्रियान्वयन।
6. यूनानी चिकित्सा के प्रोत्साहन हेतु अलग से निदेशालय की स्थापना।
7. जयपुर में हज हाउस का निर्माण। हज यात्रा के समय सम्भागीय स्तर पर अस्थायी कार्यालयों का संचालन।

8. वक्फ बोर्ड को राज्य में अनुदान का प्रावधान।
9. मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में सामान्य विषयों एवं उर्दू पढ़ाने के लिए पदों का सृजन तथा रिक्त उर्दू पैराटीचर्स की नियुक्ति।
10. जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त अदीब (सैकण्डरी), अदीब माहिर (सीनियर सैकण्डरी), अदीब कामिल (स्नातक) एवं मोअल्लिम (बी.एड.) डिग्रियों को अन्य राज्यों की भांति राज्य के सम्बन्धित बोर्डस एवं विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए मान्यता।
11. उर्दू अकादमी का पुनर्गठन। तथा अतिरिक्त बजट आबंटन की व्यवस्था। (अ) प्रदेश में उर्दू भाषा एवं उर्दू भाषीय अल्पसंख्यकों के चहुंमुखी विकास की सशक्त एजेन्सी के रूप में अकादमी का विकास। (ब) उर्दू अकादमी भवन का निर्माण।
12. अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों की तालीम के लिए विशेष अभियान का संचालन और बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना।
13. जो वक्फ सम्पत्तियां सरकार के पास हैं, उनके किराये का पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से पुन: निर्धारण करा कर और पिछले छह महीने के बकाये किराये का अविलम्ब भुगतान।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 430 की प्रतियां व विवरण)

परिशिष्ट-1

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Social Justice and Empowerment

No.: F9(5)(12)OAP0/SJ&ED/10-11   Jaipur, Date : 30/04/10

<u>Order</u>

Sub :- Amendment in rules governing grant and payment of Old Age and Widow Pension to destitute.

The Governor is pleased to order that the following amendments shall be made in the Rajasthan Old Age and Widow Pension Rules, 1974 namely:-

In the said Rules, Rule 4(i) is replaced by the following

"4. Amount of pension

(i) The amount of pension payable to each destitute shall be as under :-

Rate of Pension   Rs/p.m.

(a)	Pensioner of 75 years of age and above	750/-
(b)	Pensioner below 75 years of age	500/-
(c)	Joint Pension (Husband & Wife)	
	(I) Both 75 years of age and above	1500/-
	(II) Both of them below 75 years of age	1000/-
	(III) Any one below 75 years of age	1250/-

This order shall come into force w.e.f. 01.04.2010

This bears the concurrence of Finance (Exp.-2) Department vide their I.D. No. 101001226 dated 28.04.2010.

By Order,

(P.S. Mehra)
Commissioner & Secretary to Govt.

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ9(5)(12)वृ.पें./सा.न्या.अ.वि./10-11/1000 जयपुर, दिनांक : 30/4/10

आदेश

विषय: राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 में संशोधन।

राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किए हैं कि ''राजस्थान अपाहिज , अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 में निम्नांकित संशोधन किया जावे :

उक्त नियमों के नियम 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

''4. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियम 3 के अन्तर्गत पेंशन पाने का अधिकारी है उसे निम्नानुसार पेंशन देय होगी :-

(अ) 75 वर्ष व अधिक आयु का पेंशनर रु. 750 प्रतिमाह

(ब) 75 वर्ष से कम आयु का पेंशनर रु. 500 प्रतिमाह

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार/भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार या प्राइवेट संस्थाओं व अन्य संस्थाओं से रुपये 750/500 (यथास्थिति) मासिक से कम पेंशन अथवा निर्वाह भत्ता पाते है, तो उन्हें रु. 750/500 (यथा स्थिति) व उनको जो पेंशन भत्ता मिलता है, उसका केवल अन्तर मिलेगा।''

यह आदेश दिनांक 01.04.2010 से प्रभावी होगा।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 101001226 दिनांक 28.04.2010 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किए जाते हैं।

आदेश से

आयुक्त एवं शासन सचिव

परिशिष्ट-3

औसतन एक वृद्ध व्यक्ति के लिए प्रतिदिन केलोरी प्रोटीन व माइक्रोन्यूट्रीयन्टस की आवश्यकता

अ- 1800 केलोरी लगभग

ब- 50 से 60 ग्राम प्रोटीन

स- माइक्रोन्यूट्रीयन्टस की लगभग मात्रा

1-थायमिन-	1.20 मिलीग्राम	8-आइरन	30 मिलीग्राम
2-राइबोफ्लेबिल-	1.3 मिलीग्राम	9-कैल्शियम	1200 मिलीग्राम
3-नायासिन-	16 मिलीग्राम	10-आयोडिन	150 माइक्रोग्राम
4-विटामिन बी	61.7 मिलीग्राम	11-कापर	900 माइक्रोग्राम
5-फोलिक एसिड	400 माइक्रोग्राम	12-आयोडिन	150 माइक्रोग्राम
6-विटामिन सी	40 मिलीग्राम	13-सेलेनियम	55 माइक्रोग्राम
7-विटामिन ए	900 माइक्रोग्राम		

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 431 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2004-05 व 2005-06 में इमारती लकड़ी की आवक, मूल्यांकन व मण्डी शुल्क की सूचना

(आवक क्विंटल में एवं मूल्यांकन व मण्डी शुल्क लाख रुपयों में)

क्र. सं.	नाम मंडी समिति	2004-05			2005-06		
		आवक	मूल्यांकन	मण्डी शुल्क	आवक	मूल्यां कन	मण्डी शुल्क
1	अनूपगढ़	0	80.91	1.29	0	74.13	1.19
2	गजसिंहपुर	0	0	0	0	0	0
3	घड़साना	26732	134.94	2.16	20541	118.45	1.90
4	जैतसर	0	23.52	0.38	0	15.63	0.25
5	केसरीसिंहपुर	372	1.23	0.02	425	1.25	0.02
6	पदमपुर	10900	30.49	0.49	22739	65.78	1.05
7	रायसिंहनगर	92207	202.28	3.23	91829	223.32	3.57
8	रावला	74175	138.52	2.22	86795	195.91	3.13
9	रिडमलसर	0	0	0	0	0	0
10	श्रीगंगानगर (फ.स.)	121530	467.90	7.48	157046	571.05	9.13
11	श्रीगंगानगर (अ)	0	0	0	0	0	0
12	श्रीकरनपुर	3574	7.39	0.12	10250	28.72	0.46
13	श्रीविजयनगर	2189	3.87	0.06	2920	5.82	0.09
14	सादुलशहर	13319	39.29	0.63	1101	3.09	0.05
15	सूरतगढ़	0	20.45	0.33	0	18.64	0.30
	योग	**344998**	**1150.79**	**18.41**	**393646**	**1321.79**	**21.14**

वर्ष 2006-07 व 2007-08 में इमारती लकड़ी की आवक, मूल्यांकन व मण्डी शुल्क की सूचना

(आवक क्विंटल में एवं मूल्यांकन व मण्डी शुल्क लाख रुपयों में)

क्र. सं.	नाम मण्डी समिति	2006-07			2007-08		
		आवक	मूल्यांकन	मण्डी शुल्क	आवक	मूल्यांकन	मण्डी शुल्क
1	अनूपगढ़	0	82.38	1.32	0	158.12	2.53
2	गजसिंहपुर	0	0	0	0	0	0
3	घड़साना	10618	62.99	1.00	4126	29.03	0.46
4	जैतसर	0	16.25	0.26	0	27.50	0.44
5	केसरीसिंहपुर	588	1.90	0.03	418	1.29	0.02
6	पदमपुर	33310	103.60	1.66	50573	159.92	2.56
7	रायसिंहनगर	102594	277.69	4.44	78204	131.70	2.11
8	रावला	81863	195.37	3.13	106263	368.76	5.90
9	रिडमलसर	0	0	0	0	0	0
10	श्रीगंगानगर (फ.स.)	165294	702.50	11.24	150122	765.62	12.25
11	श्रीगंगानगर (अ)	0	0	0	0	0	0
12	श्रीकरनपुर	7702	22.45	0.36	6240	19.93	0.32
13	श्रीविजयनगर	1774	4.27	0.07	122	0.44	0.01
14	सादुलशहर	1630	5.12	0.08	3601	11.73	0.19
15	सूरतगढ़	0	166.75	2.67	0	237.46	3.80
	योग	**405373**	**1641.27**	**26.26**	**399669**	**1911.50**	**30.59**

वर्ष 2008-09 व 2009-10 में इमारती लकड़ी की आवक, मूल्यांकन व मण्डी शुल्क की सूचना

(आवक क्विंटल में एवं मूल्यांकन व मण्डी शुल्क लाख रुपयों में)

क्र. सं.	नाम मण्डी समिति	2008-09			2009-10		
		आवक	मूल्यांकन	मण्डी शुल्क	आवक	मूल्यांकन	मण्डी शुल्क
1	अनूपगढ़	0	251.89	4.03	0	157.30	2.52
2	गजसिंहपुर	0	0	0	0	0	0
3	घड़साना	2282	88.94	1.42	36429	205.78	3.29
4	जैतसर	0	0	0	0	17.50	0.28
5	केसरीसिंहपुर	351	1.03	0.02	341	1.10	0.02
6	पदमपुर	36979	124.32	1.99	53362	176.46	2.82
7	रायसिंहनगर	43100	134.12	2.15	11014	32.76	0.52
8	रावला	107113	407.95	6.52	64327	313.68	5.00
9	रिडमलसर	0	0	0	0	0	0
10	श्रीगंगानगर (फ.स.)	117901	801.87	12.83	180072	969.37	15.51
11	श्रीगंगानगर (अ)	0	0	0	0	0	0
12	श्रीकरनपुर	2482	6.89	0.16	3276	12.94	0.21
13	श्रीविजयनगर	176	2.18	0.03	0	0	0
14	सादुलशहर	3608	10.43	0.07	2028	9.15	0.15
15	सूरतगढ़	0	195.55	3.13	0	247.68	3.96
	योग	**313992**	**2028.17**	**32.45**	**350849**	**2143.72**	**34.28**

वर्ष 200-11 व 2011-12 में इमारती लकड़ी की आवक, मूल्यांकन व मण्डी शुल्क की सूचना

(आवक क्विंटल में एवं मूल्यांकन व मण्डी शुल्क लाख रुपयों में)

क्र. सं.	नाम मण्डी समिति	2010-11			2011-12		
		आवक	मूल्यांकन	मण्डी शुल्क	आवक	मूल्यांकन	मण्डी शुल्क
1	अनूपगढ़	0	140.72	2.24	0	134.67	2.15
2	गजसिंहपुर	619	2.12	0.03	0	0	0
3	घड़साना	25582	175.52	2.81	10503	70.23	1.12
4	जैतसर	0	41.25	0.66	0	26.25	0.42
5	केसरीसिंहपुर	677	2.25	0.04	4	0	0
6	पदमपुर	44320	185.66	2.97	567	3.34	0.05
7	रायसिंहनगर	7880	61.94	0.99	2850	22.40	0.36
8	रावला	10322	57.75	0.93	13315	70.03	1.12
9	रिडमलसर	0	0	0	440	2.09	0.03
10	श्रीगंगानगर (फ.स.)	153350	920.00	14.72	72772	744.77	11.92
11	श्रीगंगानगर (अ)	0	0	0	0	0	0
12	श्रीकरनपुर	4777	25.02	0.40	202	1.19	0.02
13	श्रीविजयनगर	0	0	0	74	0.18	0.01
14	सादुलशहर	1773	8.75	0.14	29951	217.74	3.48
15	सूरतगढ़	0	275.91	4.41	0	233.07	3.73
	योग	**249300**	**1896.89**	**30.34**	**130678**	**1525.96**	**24.41**

नोट :- 1- मण्डी समिति, जैतसर में केन्द्रीय राज्य फार्म द्वारा खडे पेड़ों की निलामी की जाती है इस कारण से आवक में सूचना शून्य अंकित की गई है।

2– मण्डी समिति, अनूपगढ़ में वन विभाग द्वारा लकडी के लोट (चट्ठे) की निलामी की जाती है जिसमें वजन की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण आवक के कालम में शून्य अंकित है।

परिशिष्ट-3

राजस्थान राज्य में विधान परिषद का सृजन करने हेतु मत विभाजन सूची

(हां पक्ष)

क्र.सं.	विभाजन संख्या	नाम
1	3	श्री अजयसिंह (डेगाना)
2	4	श्रीमती अनीता (नगर)
3	5	श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)
4	6	श्री अनिल जैन (खानपुर)
5	7	श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर)
6	8	श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर)
7	10	श्री अमीन खां (शिव)
8	11	श्री अर्जुन लाल गर्ग (बिलाड़ा)
9	12	श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा)
10	13	श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर)
11	15	श्री अशोक कुमार (सरदारशहर)
12	16	श्री अशोक गहलोत (सरदारपुरा)
13	17	श्री अशोक डोगरा (बून्दी)
14	18	श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर)
15	19	श्री आदराम (पीलीबंगा)
16	20	श्री एमाद्दुद्दीन अहमद (दुरु मियां) (तिजारा)
17	21	मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर)
18	22	श्री ओटाराम देवासी (सिरोही)
19	23	श्री ओम जोशी (फलोदी)
20	24	श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण)
21	26	श्री कमल बैरवा (निवाई)

क्र.सं.	विभाजन संख्या	नाम
22	27	श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर)
23	28	श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़)
24	29	श्री करणसिंह (छबड़ा)
25	30	श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा)
26	31	श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना)
27	32	श्रीमती कान्ता भील (गढी)
28	33	श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर)
29	35	श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम)
30	37	श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन)
31	38	श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना)
32	39	श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा)
33	41	श्रीमती गंगा बेन गरासिया (पिण्डवाड़ा आबू)
34	43	श्री गंगाजल (सूरतगढ़)
35	45	श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट)
36	46	श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (बल्लभनगर)
37	47	श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़)
38	48	श्री गिर्राजसिंह (बाड़ी)
39	49	श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर)
40	50	श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर शहर)
41	51	डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम)
42	52	श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़)
43	54	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)
44	55	श्री ग्यारसाराम (बयाना)

क्र.सं.	विभाजन संख्या	नाम
45	56	श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर)
46	57	श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी)
47	59	श्रीमती जकिया (टोंक)
48	60	श्री जगसीराम कोली (रेवदर)
49	61	श्री जयदीप (भादरा)
50	62	डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़)
51	63	श्री जाकिर हुसैन (मकराना)
52	65	डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)
53	66	श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर)
54	67	श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली)
55	70	डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा)
56	71	डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर)
57	72	श्री दिलीप चौधरी (जैतारण)
58	75	श्री दौलतराज (रायसिंहनगर)
59	76	श्री नगराज (धरियावद)
60	77	श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)
61	79	श्री नवलकिशोर (बामनवास)
62	80	श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर)
63	81	श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़) अजमेर
64	82	श्री नानालाल निनामा (घाटोल)
65	83	श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा)
66	84	श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज)
67	85	श्री पदमाराम (चौहटन)

क्र.सं.	विभाजन संख्या	नाम
68	86	डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया)
69	87	श्री परसादीलाल (लालसोट)
70	89	श्री पानाचन्द (बारां-अटरू)
71	92	श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल)
72	94	श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी)
73	95	श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स)
74	96	श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़)
75	97	श्री प्रभुलाल (हिण्डौली)
76	98	श्री प्रमोद कुमार ''भाया'' (अन्ता)
77	99	श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा)
78	100	श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू)
79	102	डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर)
80	103	श्री बंशीधर (खण्डेला)
81	104	श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर)
82	105	श्री बहादुर सिंह (वैर)
83	107	श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल)
84	108	श्री बाबूलाल नागर (दूदू)
85	109	श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़)
86	110	श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर)
87	111	श्री बृजकिशोर शर्मा (हवामहल)
88	112	श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं)
89	113	श्री ब्रह्मदेव कुमावत (मसूदा)
90	114	मास्टर भंवर लाल (सुजानगढ़)

क्र.सं.	विभाजन संख्या	नाम
91	115	श्री भंवरू खान (फतेहपुर)
92	116	श्री भगराज (आहोर)
93	117	श्री भगवानसहाय सैनी (चौमूं)
94	119	श्री भरोसीलाल (हिण्डोन)
95	120	श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा)
96	121	श्री मंगलाराम गोदारा)
97	122	श्रीमती मंजू देवी (जायल)
98	123	श्री मदन प्रजापत (पचपदरा)
99	124	श्री मदनलाल वर्मा (डग)
100	125	श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय)
101	127	श्री महावीर प्रसाद जीनगर (शाहपुरा) (भीलवाड़ा)
102	129	श्री महेन्द्र चौधरी (नावां)
103	130	श्री महेन्द्र जीत सिंह (बागीदौरा)
104	131	श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद)
105	132	श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)
106	134	श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा)
107	135	श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर)
108	136	श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल)
109	137	डा. रघु शर्मा (केकड़ी)
110	138	श्रीमती बसन्ती देवी (सलूम्बर)
111	139	श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा)
112	140	श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (रानीवाड़ा)
113	141	श्री रमेश मीना (सपोटरा)

क्र.सं.	विभाजन संख्या	नाम
114	142	श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल (नीमकाथाना)
115	143	श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा)
116	144	श्री राईयाजी (आसपुर)
117	147	श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा)
118	148	श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)
119	150	श्री राजेन्द्र सिंह (उदयपुरवाटी)
120	152	श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)
121	153	श्री रामकिशोर (बांदीकुई)
122	154	श्री रामकेश (गंगापुर)
123	158	श्री रामलाल मेघवाल (जालोर)
124	159	श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली)
125	160	श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास)
126	161	श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा)
127	162	कुमारी रीटा चौधरी (मण्डावा)
128	163	श्री रूपाराम (डीडवाना)
129	166	श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर)
130	171	श्री विनोद कुमार ''लीलांवाली'' (हनुमानगढ़)
131	172	डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला)
132	173	श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)
133	174	श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन)
134	175	श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)
135	176	श्री शंकर सिंह (ब्यावर)
136	177	श्री शांती कुमार धारीवाल (कोटा उत्तर)

क्र.सं.	विभाजन संख्या	नाम
137	178	श्री शाले मोहम्मद (पोकरण)
138	179	श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)
139	181	श्रीमती संजना आगरी (सोजत)
140	183	श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर)
141	185	श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन)
142	186	श्री सुखराम कोली (बसेड़ी)
143	188	श्री सुन्दरलाल (पिलानी)
144	189	श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा)
145	190	श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़)
146	191	श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)
147	192	श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर)
148	193	कर्नल सोनाराम (बायतू)
149	196	श्री हरजीराम (लाडनूं)
150	197	श्री हरिसिंह रावत (भीम)
151	198	श्री हाजी मकबूल (चूरू)
152	200	श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)

(ना पक्ष)

क्र.सं.	विभाजन संख्या	नाम
1.	9	श्री अमराराम (दांतारामगढ़)
2.	53	श्रीमती गोलमा देवी (महुवा)
3.	88	श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़)
4.	93	श्री पेमाराम (धोद)

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

1. हरित राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए दिये जा रहे वृक्षारोपणों की देखभाल के लिए अस्थायी श्रमिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

2. मनरेगा के तहत ग्राम तालाबों के संरक्षण एवं प्रबन्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रतिबन्धों को हटाते हुए किसान के खेत में पानी के टांके निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

4. पंचायत समिति अनूपगढ़ में विधायक कोष के कार्यों की क्रियान्विति नहीं होने से ग्रामीणों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

5. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में मनरेगा के कार्यों का भुगतान नहीं होने से मनरेगा की लोकप्रियता में कमी आने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

6. पंचायत समिति रायसिंहनगर के पत्रांक पंसरा/एम.एल.ए. एल.ए.डी./11-12/5393-98 के अनुसार एम.एल.ए. एल.ए.डी. के कार्यो में हो रही अनावश्यक देरी से विधायक कोष पर अतिरिक्त बोझ डालने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचरियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में ग्राम पंचायतों का पुन: गठन कर नवीन ग्राम पंचायतें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. ग्राम पंचायत मोहकमवाला पंचायत समिति रायसिंहनगर में एस.जी.आर.वाई. योजना जेड.पी. मद में किये गये भ्रष्टाचार एवं

अनियमितता में लिप्त ग्राम सचिव, कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही को लम्बित रखने में सहयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

9. दांतारामगढ़ पंचायत समिति में पिछले कार्यकाल के सरपंचों द्वारा करवाए गए कार्यों का आज तक भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम (बयाना) :

10. ग्रामीण विकास के कार्यान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारीगणों का ठहराव हेतु निवास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र बयाना में बी.पी.एल. परिवारों को आवश्यक रूप से इन्दिरा आवास दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

12. जैसलमेर में प्रत्येक गांव की जलग्रहण कमेटियां पृथक-पृथक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाडी (सांगानेर) :

13. प्रदेश में गांवों का विकास किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

14. भीलवाड़ा जिले में ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना के तहत प्रतीक्षा सूची समाप्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

15. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रथम वार्षिक प्लान योजना 2007-08 के स्वीकृत अधूरे पड़े कार्यों को पुनः प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत ''अपना खेत अपना काम योजना'' में समस्त काश्तकारों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मुख्य मंत्री आवास योजना अन्तर्गत छूटे

कई बी.पी.एल. परिवारों के नामों को लाभान्वित करने से वंचित परिवारों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

18. विधान सभा क्षेत्र नावां में जलग्रहण कमेटियों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

19. गांवों में जिला परिषदों के माध्यम से विकास हेतु समान रूप से राशि आबंटन कर ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु जिला कलक्टरों की चौपाल प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. ग्रामीण विकास हेतु ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा पांच विभागों के अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. ग्राम पचापेटा में रिक्त ग्राम सेवकों की नियुक्ति व प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक लिपिक, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए खनन रायल्टी से नरेगा व अन्य योजनाओं में सी.सी. रोडों के निर्माण की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

24. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव बछामदी के श्मशान घाट की चारदीवारी एवं टीन शेड़ का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव झौरोल की पोर की चारदीवारी निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव अजीतपुर (तहसील रूपवास) में पोखर के लिए जमीन आबंटित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

27. श्रीगंगानगर जिले के बी.पी.एल. आवासों का निर्माण अतिशीघ्र पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. श्रीगंगानगर जिले में प्रेशर पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण अतिशीघ्र पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. श्रीगंगानगर में ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों में सामग्री खरीद हेतु टेंण्डर प्रक्रिया समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. श्रीगंगानगर जिले की तहसील सादुलशहर के गांव नूरपुरा ढाणी में तीन वर्ष पूर्व बनाए गए सुलभ काम्पलेक्स का फाइनल बिल अभी तक नहीं बनने के कारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

32. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पानी संग्रहण हेतु होज का निर्माण स्वयं व्यक्तियों को ही स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सी.सी. ब्लाक को दीवार से दीवार तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पानी की ट्यूबवैल जो जनता जल के तहत है, को वापिस पी.एच.डी. विभाग को सुपुर्द कराने या अलग से बजट आवंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 मीटर सड़क को 8-10 मीटर चौड़ी करने के निर्माण कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. प्रदेश की पंचायतों में टेंडर प्रकिया बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

37. आबादी क्षेत्र को ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ने हेतु महानरेगा के तहत ग्रेवल सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. कस्बों एवं बड़े गावों में पानी निकासी हेतु नाली निर्माण करने एवं

व्यर्थ पानी के संग्रहण हेतु कार्य स्वीकृति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

39. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवास वर्ष 2012 में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

40. प्रदेश में ग्रामीण विकास में ठेका प्रणाली बन्द कर पंचायतों को पहले की तरह अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

41. प्रदेश की पंचायत के सारे विकास के कार्य ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विधायक की अनुशंसा करने के दो-दो, तीन-तीन वर्षो तक भी कार्य पूर्ण नहीं होने और ना ही विभाग द्वारा इसकी जानकारी देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. प्रदेश में वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 में पंचायतों के विकास कार्य पूर्णतया अवरूद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. राजस्थान की जिन-जिन पंचायतों में सामाजिक अंकंक्षणों में भारी अनियमितता उजागर होने के बाद भी सरकार द्वारा अनियमितताओं पर किसी भी प्रकार की कठोर कार्यवाही नहीं कर, दोषियों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. प्रदेश में पंचायत राज को पांच विभागों की घोषणा करने के बाद भी किसी भी विभाग का पैसा एवं अधिकार पंचायत राज को नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

46. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्राम सवाउ पदम सिंह, पाटोदी, गीडा, परेऊ, हीरा की ढाणी, बायतू भोपानी मुख्यालय पर पानी की निकासी हेतु नालियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं देय राशि का सुदुपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. बायतू कस्बे में नरेगा के तहत नालियां एवं मुख्य मार्गों पर खरंजा निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. स्व-जल धारा योजना एवं जनता जल योजना के लिये ग्राम पंचायतों को बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. बायतू के सिंगोदिया में नरेगा के तहत की गई अनियमितताओं पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही में अधिकारियों एवं कर्मचारी की संलिप्तता के कारण ठोस कार्यवाही नहीं होने से उतपन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

51. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में विधायक विकास निधि से ग्रामीण विकास के लिये अनुशंसित कार्यों की स्वीकृत एवं निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्रामीण निर्धन परिवारों को आवास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा घोषित आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. राजसमन्द जिले के गांवों में समग्र योजना (मास्टर प्लान) के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं करने से उतपन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

54. विधान सभा क्षेत्र करौली में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों मे कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा किये जा रहे अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

55. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में नरेगा में टेण्डर प्रक्रिया का सरलीकरण करने एवं बी.एस.आर. में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों को गति प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. जनता जल योजना का रख-रखाव, बिजली, चालक खर्च समय पर नहीं मिलने व तकनीकी स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

57. प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जन आस्था के प्राचीन केन्द्रों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. ग्रामीण विकास योजनाओं में मरूस्थलीय क्षेत्र के प्रसार को रोकने हेतु देशी प्रजाति के वृक्षों को लगाने एवं विदेशी बबूल से मुक्ति के उपायों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. प्रदेश में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से वनाच्छादन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. अजमेर जिले के पेराफेरी ग्रामों में ग्रामीणों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. मगरा विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तावों का जिला परिषदों में अनुमोदन पर विधायकों को नजरअंदाज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

62. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की ग्राम पंचायतों में टी.एफ.सी., एस.एफ.सी. और निर्बन्धफण्ड की राशि से सी.सी. रोड के निर्माण की अनुमति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

63. प्रदेश में बरसाती पानी के संग्रहण हेतु महानरेगा के तहत बी.पी.एल. के साथ ही ए.पी.एल. परिवारों को भी शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सवेज वाले गांवों में खदीन व मेड बन्दी कार्य महानरेगा के तहत स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

65. विधान सभा क्षेत्र धोद की ग्राम पंचायतों से निर्मित ग्रेवल सड़कों पर डामर डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

66. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सघन ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

67. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में एन.जी.ओ. एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के साथ सरकारी संस्थाओं के समन्वय की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी सम्पत्ति निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में ग्रामीण विकास के साथ शिक्षा एवं स्वरोजगार को न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

70. सीकर जिले में ग्रामीण क्षेत्र के पेयजल स्रोतों को बजट आबंटन नहीं करने पर विद्युत कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) :

71. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य को पहाड़ी क्षेत्र में चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

72. ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों के लिये इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत दी जाने वाली राशि को बी.एस.आर. के अनुसार वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार को मध्यनजर रखते हुये मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी) :

74. तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत बस्सी में इन्दिरा आवास एवं रियायती दर पर देय पट्टों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

75. महानरेगा में टेण्डर प्रणाली को खत्म कर ठेके बी.एस.आर. रेट पर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम मेघवाल (चौहटन) :

76. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महानरेगा योजना में व्यक्तिगत आवास योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

77. जैसलमेर के ग्रामों में सार्वजनिक वाचनालय एवं सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. जैसलमेर के गांवों में नरेगा योजना के द्वारा पक्के शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में 2500 की आबादी वाले गांवों में सार्वजनिक नल एवं सीमेन्ट की रोड, नाली निर्माण व सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

80. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में बी.पी.एल. सर्वे शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. वर्ष 2001-2002 के सर्वे में आये बी.पी.एल. परिवारों को अभी तक इन्दिरा आवास मुहैया नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर में पंजीकृत पेन्शनधारियों को विभिन्न प्रकार की पेन्शन चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

83. विधान सभा क्षेत्र भीम की सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नरेगा के माध्यम से ग्रेवल सड़क , सी.सी. रोड, नाली एवं आगनबाड़ी भवन के निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

84. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के पंचायत हैड मुख्यालय पर मिनी स्टेडियम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांवों में गरीब व दलित बस्तियों में शौचालय बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांवों के आम रास्तों में पानी के सौकता गड्ढे बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अधिकतर गांवों के रास्तों में पानी भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

88. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बांस की पंचायत समिति कोटकासिम में राज्य वित्त आयोग तृतीय (S.F.C.111) के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों की अन्तिम किश्त के भुगतान में किये जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में मेवात विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तावों का जिला परिषद में भेदभाव पूर्ण अनुमोदन करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ बास की पंचायत समिति कोटकासिम में कर्मचारियों/अधिकारीयों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

91. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास) :

92. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में श्मशान घाट एवं कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाने एवं शेड तथा पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

93. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभरलेक पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सचिव के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

94. विधान सभा क्षेत्र मकराना में ग्राम पंचायत में मेटिरियल सप्लाई आदि की टेण्डर प्रणाली बन्द कर बी.एस.आर. रेट पर कार्य करवाये जाने का अधिकार सरपंचों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-5

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

1. विधान सभा क्षेत्र भीम की सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन एवं अन्य वंचित चिकित्सालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

2. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में मेवात विकास योजना से अधिक कार्य मंजूर कर एवं अधूरे कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. ग्राम पंचायत दोसोद तहसील बहरोड़ को निर्मल ग्राम में सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में मेवात विकास योजनान्तर्गत ग्राम जमालपुर से सिलपटा ग्राम तक (तहसील कोटकासिम) की सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में मेवात विकास योजना के तहत ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

6. प्रदेश में जनता जल योजना के संधारण हेतु देय मानदेय की राशि 1000 से बढ़ाकर 3500 तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. तहसील शेरगढ़ के मरूस्थलीय क्षेत्रों में दूर-दूर बसे हुए ग्रामों एवं पंचायतों का पुनर्गठन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

8. बाड़मेर तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र को पंचायत समिति बाड़मेर में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

9. प्रदेश में पंचायतों को सुपुर्द की गई पेयजल परियोजनाओं को चलाने के लिये राशि एवं प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

10. जैसलमेर में कलस्टर कार्यों के लिये गांवों में पर्यावरण एवं पेयजल के लिये ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

11. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में निर्मित भारत निर्माण राजीव गांधी भवनों की चारदीवारी नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में पंचायत भवन नहीं होने एवं जीर्ण-शीर्ण सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

13. प्रदेश में हर समुदाय के लिये ग्राम स्तर पर नई योजनाएं बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेडा) :

14. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को समुचित बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

15. प्रदेश में समस्त राजस्व ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में सामुदायिक विकास एवं सोच को बढ़ावा देने के लिये महानरेगा के तहत सी.सी. रोड निर्माण को सम्मिलित न किये जाने पर सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

17. प्रदेश में पंचायतीराज के सशक्तिकरण हेतु पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों की अभिशंसा पर सामुदायिक विकास कार्यों की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र बायतू में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य अभावग्रस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक विकास के तहत होने वाले कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र बायतू के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

20. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में सामुदायिक विकास के कार्यों की सरकार द्वारा अनदेखी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

21. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के पाटन एवं नीमकाथाना के कब्रिस्तान के विवाद को समाप्त करने के लिये चारदीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

22. प्रदेश में विश्व पेंशन योजना में रुपया जमा कराने पर भी स्वाबलम्बन योजना में लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. प्रेदश में जनता जल योजना संधारण हेतु देय मानदेय में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. अजमेर शहर में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

25. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सार्वजनिक मेला स्थल, धार्मिक स्थल एवं पिछड़ी जाति/जनजाति बस्तियों में सामुदायिक भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

26. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में सामुदायिक विकास के कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

27. श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायतों में समाज के नाम से बनी धर्मशालाओं एवं सामुदायिक भवनों पर विधायक कोष या सरकारी मद में पैसा खर्च करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. गंगानगर जिले में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

29. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की पंचायत समिति सूरजगढ़ के हमीनपुर,

देवरोड, खुडानिया में सामुदायिक भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की पंचायत समिति सूरजगढ़ के गांव पांथडिया पंचायत समिति मोखा में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की पंचायत समिति सूरजगढ़ के कार्यालय को कम्प्यूटराइजेशन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

32. श्रीगंगानगर की पंचायत समितियों में इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री बी.पी.एल. ग्रामीण आवासों के अधूरे रहने से दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में नरेगा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि में डिग्गी निर्माण अधूरी रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति के गांवों को विशेष योजना के तहत लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

35. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की पंचायत समितियों के भवनों का विषय अनुरूप निर्माण न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की पंचायत समितियों के मुख्यालय पर सरपंचों एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिये आवासीय क्वार्टर न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण समय पर न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की जिला परिषदों के भवन अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की जिला परिषद एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर जनता के लिये विश्रामगृह एवं सामुदायिक भवन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

40. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में एम.पी. व एम.एल.ए. एल.ए.डी.के तहत सामुदायिक भवन निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में छूट देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

41. आबादी भूमि अथवा खातेदारी भूमि के अतिरिक्त चरागाह भूमि पर बसे हुये बी.पी.एल. परिवारों को मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. जनता जल योजनाओं के संधारण हेतु अनुदान राशि में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

43. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में परम्परागत जल स्त्रोत यथा-बावड़ियां, छतरियां, तालाब, पनघट इत्यादि कार्यों को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में एम.एल.ए. एम.एल.डी. अन्तर्गत स्कूलों, ढाणियों, हेबीटेशन इत्यादि के उपर से गुजरने वाली 11 के.वी. लाइनों को हटाने हेतु कार्य स्वीकृति पर लगी रोक हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. राजस्थान में सामुदायिक विकास हेतु स्थानीय विधायक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एम.एल.ए. एल.ए.डी.) के अन्तर्गत सामुदायिक/सार्वजनिक भवनों पर लगायी गयी पाबन्दी को सरकार द्वारा वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास) :

46 विधान सभा क्षेत्र बामनवास की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

47. विधान सभा क्षेत्र मकराना के प्रत्येक राजस्व ग्राम पर आंगनबाड़ी केन्द्र भवन स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

48. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के भील

समुदाय के लिये सामुदायिक भवन सार्वजनिक शौचालय एवं महिला स्नानगृह निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विभिन्न स्थलों पर सामुदायिक महिला स्नानगृह निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों में मूलभूत सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के समाज के निर्धन, कमजोर और वंचित समुदायों के श्मशान स्थलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-6

मांग संख्या 50 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-50 मुख्य शीर्षक ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

1. विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्रामीण युवा बेरोजगारों को खनिज लीजों में प्राथमिकता दिलाकर रोजगार दिलाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

2. प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत परिवारों की सदस्यों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की पंचायतों में मनरेगा के जोब कार्ड तुरन्त प्रभाव से बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की पंचायत विभाग की मजदूरी दर एवं मनरेगा की मजदूरी दर को समान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 6 नम्बर फार्म सही समय पर नहीं मिलने से मजदूरों को कार्य मिलने में होने वाली देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. प्रदेश में मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

7. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम बाड़मेर-आगौर, भादरेरा, चूली, विशाना, वि. आगौर, सुरा, दूद्राबेरी, नांद, भाडखा, कुड़ला, रावतसर, चवा, सूरज, सनावड़ा, राणीगांव, माऊड़ी, जसाई की ग्राम पंचायतों में नरेगा के तहत सीमेन्ट की सड़कें स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

8. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के गांवों में नवयुवकों हेतु नई तकनीक द्वारा उद्योग लगवाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

9. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में नरेगा कार्य चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

10. महानरेगा रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत नियुक्त संविदा कर्मियों के कार्यकाल में वृद्धि नहीं करके बार-बार नये कर्मियों को भेदभाव पूर्ण रूप से नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

11. नरेगा योजना में निरन्तर बजट उपयोग में आ रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. मनरेगा में छापुडखुर्द के पूर्व सरपंच के खिलाफ अनियमितता पाये जाने के बावजूद कार्यवाही कर वसूली न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के लिए स्थायी एवं दीर्घकालीन स्वप्रेरित स्वरोजगार की व्यापक योजनाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. ग्रामीण रोजगार स्कीमों में स्थायी सम्पदा निर्माण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. नरेगा को किसानों की फसल कटाई से न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

16. नरेगा योजना में कार्यदिवस बढ़ाकर 200 दिन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

17. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नरेगा के बन्द पड़े कार्य को शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

18. बजट घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक लाख व्यक्तियों को ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

19. राजस्थान में प्रत्येक पंचायत में एक-एक लुहारी, सुथारी, भवन निर्माणकर्ता, मैकेनिक, मोबाइल रिपेयर, इलैक्ट्रिशियन, ड्राइक्लिनर,

मोटर रिपेयर में दस-दस लोगों को प्रतिवर्ष पूर्ण दक्ष कर ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

20. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में बेरोजगारों को कुटीर उद्योगों एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत विशेष कैम्प लगाकर रोजग़ार देने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

21. प्रदेश में हर व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 350 रुपये करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

22. राजसमन्द जिले में खोले गये स्वरोजगार केन्द्रों में प्रशिक्षण में कमी एवं स्वरोजगार प्रोत्साहन के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

23. विधान सभा क्षेत्र करौली में मनरेगा योजना में कार्यरत श्रमिकों को मानदेय (मजदूरी) नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

24. प्रदेश में नरेगा में ग्रामीणों को रोजगार के लिये कृषि के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. राज्य में शिक्षा व स्वरोजगार के विकास कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

26. महानरेगा के तहत महिला श्रमिकों को प्रोत्साहन योजना के लिए बजट प्रावधान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

27. प्रदेश के उद्योगों में गुजरात राज्य की तर्ज पर No Wage No Pay को कानूनी रूप से इन्वेंट हेतु तुरन्त कानून लाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

28. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्रामीण क्षेत्र में दिहाड़ी रोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र बायतू की पंचायतों में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण के कर्मिकों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

30. प्रदेश में नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. प्रदेश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में निरन्तर कार्य दिवस में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

32. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े लिखे एवं स्नातक युवाओं को निजी क्षेत्र में लगे उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

33. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निजी उद्योगों में मृतक के पुत्र या परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

34. ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने में सरकार की अनदेखी पर चर्चा के लिये।

35. बूंदी एवं कोटा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द उद्योगों को चालू करा कर रोजगार मुहैया कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. कोटा जिले में नरेगा में श्रमिकों को समय पर मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

37. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में ग्रामीण रोजगार की समस्या एवं समाधान पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

38. श्रीगंगानगर जिले की सभी पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर कर्मचारी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. श्री गंगानगर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा का भुगतान मजदूरों को समय पर नहीं किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की 18 पंचायतों में मनरेगा के कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. प्रदेश में मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा पूर्व में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

43. ग्रामीण बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. प्रदेश में रोजगार के अभावों में ग्रामीणों का शहरी पलायन रोकने के लिए गांवों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अजयसिंह (डेगाना) :

45. खरीफ एवं रबी की फसलों की बुआई एवं कटाई के समय मनरेगा कार्यक्रम के तहत किसानों को मजदूर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. मनरेगा कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में अस्थायी सफाई मजदूर अथवा कर्मचारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

47. प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारों को उद्योग विभाग, बैंकों एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. मनरेगा के संविदा कर्मियों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

49. राज्य में मनरेगा मे कार्यरत रोजगार सहायक आपरेटर, कनिष्ठ अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर एवं अन्य जिलों में मनरेगा के श्रमिकों को कार्य स्थल पर औजार, शुद्ध पेयजल, छाया, दवाइयां आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. राज्य में मनरेगा में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम (बयाना) :

52. ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. ग्रामीण रोजगार के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बयाना के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

55. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में महानरेगा के अन्तर्गत ए.पी.एल. परिवारों को बी.पी.एल. की तरह व्यक्तिगत कार्य देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

56. प्रदेश में महानरेगा योजना के तहत गांवों में सी.सी. रोड/सी.सी. ब्लाक निर्माण पर लगी रोक हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

57. प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर लगे मजदूरों, कारीगरों एवं कुशल/ अकुशल श्रमिकों की प्रति दिन की देय मजदूरी दर को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

58. सीकर जिले में मनरेगा में रोजगार दिवस बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

59. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में नरेगा में मजदूरी पूरी नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

60. राज्य में महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में पड़ौसी राज्य (हरियाणा) के समान न्यूनतम मजदूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

61. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में ग्रामीण रोजगार के लिये निर्माण कार्य न चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में ग्रामीणों को रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में ग्राम रोजगार सहायकों को स्थाई कर्मचारी घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

64. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मनरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत रोजगार सहायकों द्वारा फर्जी मस्टररोल बनाकर फर्जी भुगतान उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मनरेगा योजना को सफल तरीके से संचालित करने हेतु विशेष कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

66. ग्राम पंचायत कसेड में मई-जून, 2010 के 3 मस्टररोल का श्रमिक भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलक्टर, करौली के पत्र क्रमांक : ईजीएस/सानिवि/2011-12/156 दिनांक 14.06.2011 द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी के तहत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना 2011-12 की प्रशासनिक स्वीकृति के 10 महीने पश्चात भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास) :

68. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में लघु उद्योगों हेतु ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

70. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नरेगा अन्तर्गत बनी हुई सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

71. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में मनरेगा में व्यक्तिगत कार्य स्वीकृत करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

72. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में नरेगा-मनरेगा कार्यों का क्षेत्र विस्तार गांवों से सटे नगरीय क्षेत्रों तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में नरेगा–मनरेगा कार्य अन्तर्गत प्राथमिकता से भू-जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में नरेगा–मनरेगा में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के दोषियों को दण्डित करने एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण के कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

75. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के लिए नरेगा को कृषि से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।